खण्ड-379, अंक-4
शुक्रवार, 15 फाल्गुन, शक संवत् 1908
(6 मार्च, 1987 ई0)

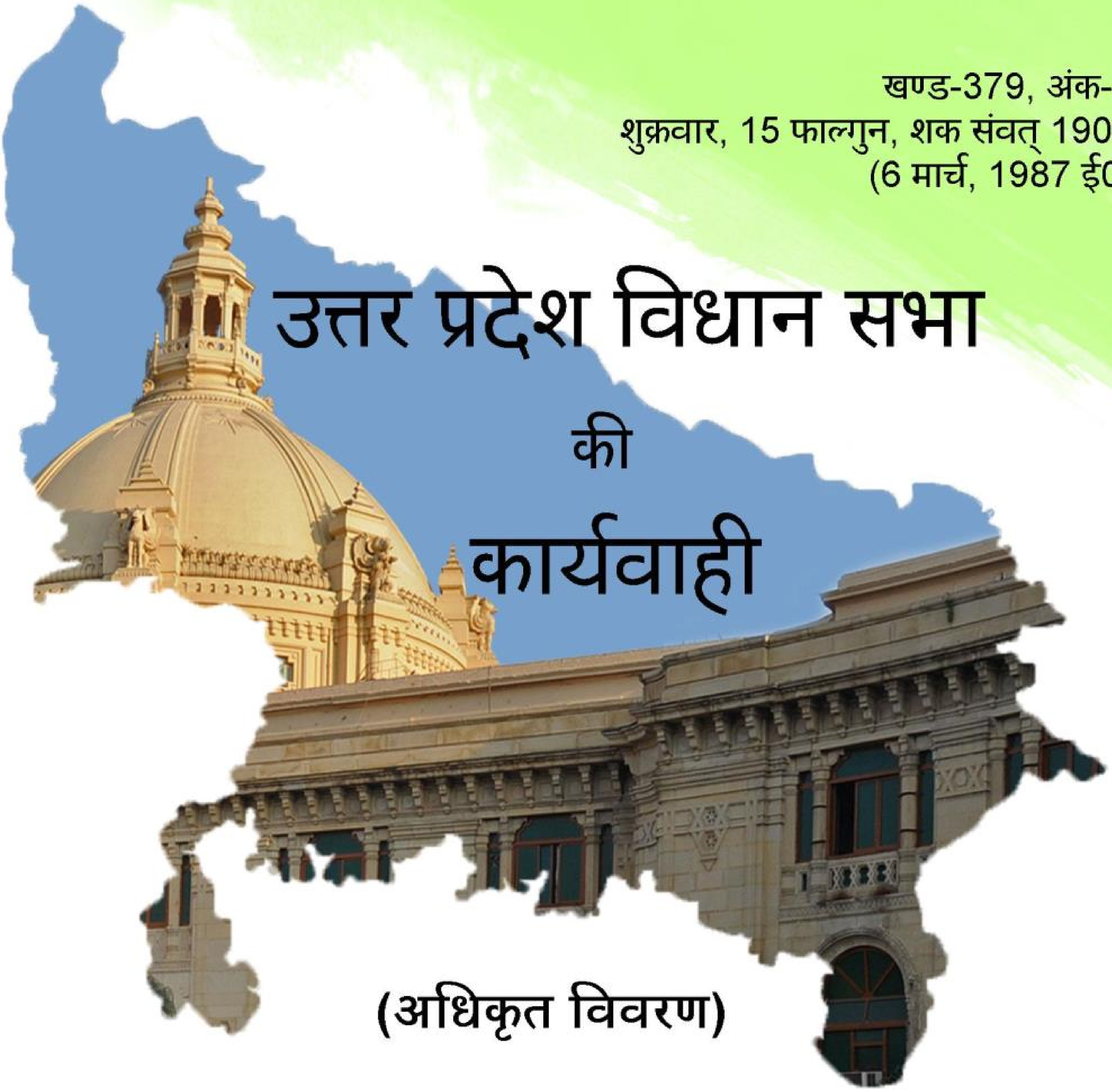

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 379 में 7 अंक है
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 6-3-1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन बावर, श्री	फैजाबाद	चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	चमन लाल चमन, श्री	सहारनपुर
अतर सिंह यादव, श्री	एटा	चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
अमर चन्द्र, श्री	आगरा	जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर
अशरफ इमाम, श्रीमती	मिर्जापुर	त्रिभुवन प्रसाद, श्री	बहराइच
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	दिनेश जौहरी, डा0	बरेली
इकबाल अहमद, श्री	आजमगढ़	दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
उदयवीर सिंह राठौर, श्री	एटा	दूधनाथ, श्री	जौनपुर
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी	देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
औसान सिंह, श्री	इटावा	धनराज यादव, श्री	बस्ती
कमल किशन पाण्डेय, श्री	पिथौरागढ़	नरेन्द्र सिंह कुंवर, श्री	सहारनपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर	निहाला सिंह, श्री	वाराणसी
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	परमाई लाल, श्री	हरदोई
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	पुरुषोत्तम लाल, श्री	इलाहाबाद
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद	प्रभुदयाल, प्रधान	मेरठ
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद	फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	फागू चौहान, श्री	आजमगढ़
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा	बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़

बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
बालेश्वर, श्री	देवरिया
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
भृगुनाथ भट्ट, श्री	गोरखपुर
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मानवेन्द्र सिंह, कुंवर	झांसी
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां)	मुरादाबाद
मोहम्मद उमर, डा0	गोण्डा
मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद
रघुवर दयाल वर्मा, श्री	आगरा
रणजीत, श्री	देवरिया
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री	फैजाबाद
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राज किशोर सिंह, श्री	वाराणसी
राज बहादुर, श्री	जौनपुर
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
राम अवतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
राम जनम, श्री	आजमगढ़
रामनन्दिनी वर्मा, श्रीमती	फर्रुखाबाद
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
रामनाथ मुन्शी, श्री	गाजीपुर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम लक्षन, श्री	गोरखपुर
राम सजीवन, श्री	बांदा
राम सरन दास, श्री	सहारनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विष्णु देव, श्री	आजमगढ़
वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवानन्द नौटियाल, डा0	चमोली
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री	बस्ती
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हृदय नरायन दीक्षित, श्री	उन्नाव

नोट :—उपरोक्त के अतिरिक्त श्रीमती दीपा, मा0 राज्य मंत्री, श्री निसार अहमद अंसारी, मा0 राज्य मंत्री, श्री सिब्ते रजी, मा0 मंत्री तथा कु0 सरस्वती अम्माल, राज्य मंत्री भी अनुपस्थित रहे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नव निर्वाचित नेता विरोधी दल को बधाई

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, अपनी ओर से नेता विरोधी दल को बधाई देना चाहता हूं कृपया स्वीकार कर लें मेरे अनुरोध को।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, यह तो पहले ही आपको बधाई दे देनी चाहिये थी।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च, 1987

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी 'क' अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, इस पहले प्रश्न में मेरी रुचि है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, यह प्रदेश के पूर्वी जिलों से जुड़ा हुआ अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला, है, इस पर उत्तर दिलवा दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय हरीश जी (प्रश्नकर्ता) आज अपने दल की रैली में हैं, यहां अभी उपस्थित नहीं हैं। इस प्रश्न पर आप सरकार से उत्तर दिलवा दें।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, यह प्रदेश के पूर्वी जिलों की प्रतिवर्ष बाढ़ व सूखे से होने वाली सर्वाधिक क्षति से संबंधित बड़ा अहम सवाल है, इसको पहले टेक-अप कर लें।

श्री अध्यक्ष–

जब यह सूची खत्म हो जायेगी, तो आखिर में इसे देखेंगे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारे जाने तथा प्रश्नकर्ता सदस्य श्री रामचन्द्र बख्श सिंह के अनुपस्थित होने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय रामचन्द्र बख्श सिंह जी भी अभी तक नहीं आ पाये हैं। आप पहले वाले प्रश्न को ले लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, नत्थी (क) के पहले अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को लिया जाता है।

प्रदेश के पूर्वी जिलों को बाढ़ से बचाने के लिए गोरखपुर में बाढ़ कंट्रोल बोर्ड खोलने की मांग

**1–श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बलिया जिलों को बाढ़ से बचाने और त्वरित राहत पहुं-

नोट :–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री माता प्रसाद पाण्डेय की रुचि पर लिया गया।

चाने के उद्देश्य से गोरखपुर में बाढ़ कन्ट्रोल बोर्ड खोलने का विचार सरकार कर रही है? यदि हां, तो कब से और उसकी रूप रेखा क्या है?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर हमारे प्रदेश की 16 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक की कार्य योग्य जमीन प्रतिवर्ष बाढ़ या सूखे जैसी दैवीय आपदा से बरबाद हो जाती है। मान्यवर, प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी स्थिति होती, तो बात दूसरी थी। लेकिन, पूर्वी उ0 प्र0 के कतिपय जिलों में यह स्थिति विद्यमान रहती है, वे इस दैवीय आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह कौन से कारण हैं, जिसके कारण वह त्वरित रूप से बाढ़ से बचाने की योजना नहीं बना रहे हैं?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, यहां पर शासन स्तर पर कंट्रोल रूम, जो कि इरीगेशन डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है, 24 घंटे काम करता है। उस कंट्रोल रूम के जरिये पूरे प्रदेश की सूचना प्राप्त होती रहती है। इसलिए गोरखपुर में कंट्रोल रूम बनाने का प्रश्न फिलहाल शासन के विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, फ्लड कंट्रोल आदि के निमित्त डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी में वहां के अधिकारी सदस्य हैं स्थानीय एम0 एल0 ए0 व एम0 पी0 भी सदस्य हैं। उक्त डिस्ट्रिक्ट कमेटी काफी प्रभावी रहती है। शासन स्तर से या जहां से जो जानकारी अपेक्षित होती है, वह जानकारी उसे प्राप्त होती रहती है। शासन स्तर से जो राहत कार्य किये जाते हैं, उन पर नियंत्रण रहता है।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों से पूर्वी उ0प्र0 के इन जिलों में तकरीबन 700 करोड़ रु0 की क्षति फ्लड-सूखे आदि से हुई के संबंध में वक्ती तौर पर जो राहत कार्य किये गये, पर खर्च किये गये। इस लम्बे व्यय को दृष्टिगत रखते हुए, राप्ती नदी और छोटी नदियों को बाढ़ से बचाने के लिये, साथ ही साथ सूखे के समय राहत पहुंचाने के लिये, कोई ऐसा कंट्रोल रूम बनाये या कोई डाइरेक्ट्रेट बनायें, जिससे त्वरित राहत पहुंच सके?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर वर्ष बहुत बड़ी क्षति होती है। शासन स्तर पर 24 घंटे निरंतर एक कंट्रोल रूम कार्य करता है। सिंचाई विभाग का जो एक बाढ़ नियंत्रण बोर्ड है, उसकी भी दृष्टि रहती है, राहत कार्य देखने के लिए हमारी निरंतर दृष्टि रहती है और पूरी सूचना जनपदों से प्राप्त हो जाती है और उसके साथ ही साथ जनपद स्तर पर भी जो कमेटी है वह प्रभावी है और काम करती रहती है। सरकार के पास जितने वित्तीय संसाधन हैं, उसके हिसाब से सरकार पूरी तरह से बाढ़ पर नियंत्रण रखने के लिए प्रभावी प्रयास करती है और बाढ़ राहत कार्य के लिए भी सरकार दृढ़ संकल्प रहती है और इस संबंध में सरकार निरन्तर कार्य करती रहती है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

छठी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ सहायता के लिए 1 अरब 34 करोड़ रुपए का प्राविधान था लेकिन यह सरकार उस निमित्त पैसा खर्च नहीं करती, जिसके कारण हम लोग प्रतिवर्ष बाढ़ से पीड़ित होते रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता देने के लिए और बाढ़-योजनाओं को ठीक ढंग से कार्यान्वित करने के लिए पुनः गोरखपुर में फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड खोलने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने पहले भी निवेदन किया कि चूंकि अभी तक जो व्यवस्था है वह किसी तरह से भी निष्क्रिय नहीं है और कहीं से भी इस बात के संकेत नहीं मिले हैं। माननीय सदस्य भी इससे अवगत होंगे कि हमने राहत कार्य को करने के लिए किसी तरह की निष्क्रियता नहीं बरती है। गोरखपुर में एक फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड खोला जाय, इस तरह का मामला शासन के विचाराधीन नहीं है। प्रदेश के अन्दर जो फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड हैं, वह ठीक तरह से काम कर रहे हैं, उनकी सक्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं हैं कि हम बाढ़ पर काबू पा सकें।

श्री गौरी शंकर–

मैंने यह नहीं कहा अपितु यह कहा कि हमारे पास जितने संसाधन हैं, हम उससे राहत कार्य तत्परता से कर रहे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह–

कहने का मतलब यही है कि हमारे पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं हैं कि हम पूरी तरह से बाढ़ पर रोक लगा सकें। और जहां-जहां बाढ़ आती है, वहां-वहां हम राहत देने का प्रयास करते हैं। आपके पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं हो सकते हैं यह सही है लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद ऐसे हैं जिनमें प्रति वर्ष बाढ़ की विभीषिका बहुत अधिक होती है, जैसा कि कुछ चन्द जनपदों का इस प्रश्न में जिक्र भी है जैसे जौनपुर जनपद है जहां प्रति वर्ष बाढ़ आती है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे जनपदों में बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए कोई स्थाई हल निकालने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर–

बाढ़ की विभीषिका पर कोई विवाद नहीं है और इस पर शासन की चिन्ता भी रहती है। माननीय नेता विरोधी दल हमारे एक प्रबुद्ध सदस्य और वरिष्ठ सहयोगी हैं उन्हें भी यह मालूम होगा कि निरन्तर कहीं न कहीं नदी के कटान को रोकने के लिए रिटेनिंग वाल भी बनाई जाती है। जितने भी प्रभावी व्यवस्थायें हो सकती हैं, वित्तीय संसाधनों के तहत हम उसे करते हैं। सारे के सारे बाढ़ पर नियंत्रण कर लेने, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी इस बात को समझेंगे कि यह सम्भव नहीं है।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, दो प्रश्न हैं। एक तो त्वरित राहत देना और दूसरा स्थायी हल निकालना। पूर्वांचल के जो जिले हैं, जिसमें गोरखपुर मण्डल और उसकी सरहद के जो जिले हैं, कोई भी वर्ष ऐसा नहीं होता है जब यहां पर अरबों रुपए का नुकसान बाढ़ से न

होता हो । इसलिए गोरखपुर मण्डल का जो गोरखपुर केन्द्र है वहां पर बाढ़ नियंत्रण बोर्ड खोलने से सारे जनपदों की सूचनायें जल्दी-जल्दी व सुगमता से प्राप्त हो जायेंगी और उस पर नियंत्रण भी किया जा सकेगा। तो फिर गोरखपुर मण्डल के गोरखपुर केन्द्र में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड खोलने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

दूसरा, यह कि सरकार के पास सीमित संसाधन हैं । तो इस सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या स्थायी हल ढूंढने के लिये, बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए कोई प्रदेश स्तर पर बाढ़ आयोग की स्थापना करके स्थायी हल ढूंढने का प्रयास करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर–

बाढ़ नियंत्रण बोर्ड तो प्रदेश स्तर पर है ही और उस पर विचार करता रहता है। जहां तक माननीय राम नरेश जी, जो कि नेता, सदन रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं, आपके सामने भी यह मामला आया है, जो आपने पदचिन्ह छोड़े हैं, उन पर हम चल भी रहे हैं । निरंतर चिन्तन होता रहता है कि कैसे बाढ़ से मुक्ति मिले । जो नदियां छिछली हैं उनको गहरा करने की आवश्यकता है । उनको गहरा करना मिट्टी निकालकर बाहर करना, आप स्वयं सहमत होंगे कि हमारे साधन बहुत सीमित हैं और यह प्रक्रिया वर्तमान में व्यावहारिक नहीं है । इसीलिये इसका नाम दैवी आपदा रखा गया है । इसमें हम राहत ही दे सकते हैं और तुरन्त जो निदान होता है, उसे करते रहते हैं ।

श्री फजलुल बारी–

पिछले 5 सालों में इन तमाम अंकित जनपदों में बाढ़ के जमाने में जो नुकसान हुआ है, उसकी फिगर्स बताने की कृपा करें कि कितनी क्षति बाढ़ से पहुंची है और कितना राहत कार्य में पैसा दिया है और क्या यह सारी रकम यदि इकट्ठा की जाय तो उससे क्या कोई ऐसी स्कीम बनायी है कि परमानेन्ट क्योर हो जाय ?

श्री अध्यक्ष–

इसका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा–

यह ऐसी दुखद बात है कि जब कहीं पर कोई योजना बाढ़ के सिलसिले में बनायी जाती है तो वह योजना सिर्फ कागज पर रह जाती है। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा मुझे आशा है कि आप अनुमति देंगे । हरदोई जनपद में एक राजघाट का पुल बन रहा है गंगा के ऊपर। उसके ऊपर 15 करोड़ रु0 खर्च किया जा रहा है 14-15 करोड़ रु0 एप्रोच रोड पर खर्च किया जा रहा है, उसके बाद बाढ़ को रोकने के लिए कोई तरीका नहीं निकाला जा रहा है। गंगा का कटान दूसरी जगह से हो रहा है। अगर जहां पर कटान हो रहा है, वहां पर रोक दिया जाय तो जो पुल बन रहा है, वह भी काम आ सकता है, सड़क के भी काम आ सकता है अन्यथा जहां से कटान हो रहा है पुल दूसरी तरफ जा रहा है एप्रोच रोड दूसरी तरफ जा रही है और गंगा तीसरी तरफ जा रही है। न पैसे का सदुपयोग हो पा रहा है न योजना कारगर है।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न क्या है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं जानना चाहूंगा कि क्या इतने अहम् मसले पर जांच करवाकर कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे?

श्री गौरी शंकर–

मा0 सदस्य का प्रश्न बहुत व्यापक है। जहां कहीं पर भी बाढ़ से संबंधित कोई कार्य होना होता है, उसमें पूरा सर्वे होने के बाद प्लान बनता है। माननीय वरिष्ठ सदस्य का यह कहना कि शासन की सारी नीतियां कागजों पर रहती हैं, इस बात से कोई भी मा0 सदस्य सहमत नहीं होगा। यह सही है कि योजनायें पहले कागज पर ही आती हैं, उसके बाद धरती पर उतरती हैं। पहले प्लान बनता है, फिर प्रोजेक्ट बनता है, इन्जीनियर्स आते हैं, टैक्नीशियन्स आते हैं, उनके ही द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई ऐसी चीज आपके संज्ञान में है कि उस सर्वेक्षण के बाद में बने हुए प्रोजेक्ट के अनुरूप यदि कार्य नहीं हो रहा है तो कृपा करके मा0 सदस्य उसकी सूचना उपलब्ध करा दें, उसको देख लिया जायेगा।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, इनके पास कोई सूचना है नहीं, मुख्य मंत्री जी से आप इसका उत्तर दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठें।

श्री अमिताभ अनिल दुबे–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि जिन जनपदों में जो गांव गंगा के किनारे बसे हुए हैं विशेष करके बनारस, बलिया और गाजीपुर, उनके लिए बाढ़ के रोकथाम के लिए क्या सरकार ने कोई स्थायी योजना बनायी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यदि कोई सूचना इस संबंध में आपके पास हो तो दे दें।

श्री गौरी शंकर–

मैंने निवेदन किया कि जो गांव गंगा के किनारे कटान से बहते हैं या वहां बाढ़ आती है उसके लिए शासन स्तर पर कन्ट्रोल बोर्ड है, उसके द्वारा ही शासन स्तर पर बाढ़ की रोक-थाम के लिए निर्णय लिया जाता है और गंगा के किनारे बसे हुए गांवों के कटान को रोका जाता है। स्थायी नियंत्रण बनाया जाना सम्भव नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है सब गांव तो नहीं लेकिन जो भी ग्राम अन्यत्र बसाने की कोशिश की गयी तो वहां के लोग अन्यत्र बसने के लिए तैयार नहीं हुए जिसके संबंध में यही कह सकता हूं कि जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी जन्म भूमि से उनका सेल्फ अटैचमेन्ट है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि गत तीस वर्षों से प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित होने वाला क्षेत्रफल दुगुना हो गया है। तो क्या मा0 मंत्री जी इस बात पर विचार करके कि उनकी नीति के क्रियान्वयन में कहीं कोई कमी है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश नियमित रूप से जहां सारे पहाड़ों का पानी तथा केन्द्रीय उत्तर प्रदेश का सारा पानी वहां पहुंचता है और वहां इसी प्रकार से हर साल बाढ़ का प्रकोप हो जाता है। तो क्या मंत्री जी ऐसी कोई योजना बनायेंगे कि जहां से बाढ़ की उत्पत्ति होती है, जैसे कि पहाड़ों पर वृक्ष के कटान के कारण पानी के नियंत्रण की क्षमता का कम होना बताया गया है, तो वहां से आने वाले पानी के बहाव को नियंत्रण कराने पर आपने कोई नीति में कमियां देखी हैं जिन्हें देख कर मूल समस्या का समाधान सम्भव करेंगे?

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इस ओर शासन और भारत सरकार दोनों ही विशेष रूप से चिन्तित हैं और इसका चिन्तन निरन्तर करते रहते हैं। बाढ़ के जो कारण बने हुए हैं उनमें से एक यह भी है जैसा कि मा0 सदस्य ने बतलाया कि पेड़ों का कटान और इस ओर मा0 सदस्य ने इंगित किया है। भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत एन0 आर0 ई0 पी0 में सोशल वानिकी में अनिवार्य रूप से 50 परसेन्ट का बजट सोशल फारेस्टी पर व्यय होता है जिससे कि बाढ़ पर नियंत्रण रहे और अचानक बाढ़ न आने पाये। इस विषय पर निरन्तर चिन्तन हो रहा है ।

श्री फजलुल बारी–

मा0 अध्यक्ष जी, इनके पास कोई सूचना नहीं है, मुख्य मंत्री जी हैं नहीं इसलिए आप इसको स्थगित करा दीजिये।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके पास संसाधन नहीं हैं, माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि हर जिले में जनपद स्तर पर एक बाढ़ सलाह-कार कमेटी बनी हुई है, जिसमें जिले के सभी विधायक सदस्य हैं । मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी कि यह कमेटी रस्मन रह गयी है । जून महीने के प्रथम सप्ताह में एक बार मीटिंग बुला ली जाती है, एक बार मीटिंग जिलाधिकारी बुला लेते हैं, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं बुलायी जाती है, और कहा जाता है कि बाढ़ के संबंध में सुझाव दें । मान्यवर, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसको इफेक्टिव बनाया जाये और इसकी मीटिंग्स कई बार होनी चाहिए और यह विचार किया जाना चाहिए कि कहां पर किस किस्म के बन्धे की जरूरत है । इस मीटिंग को बहुत पहले शुरू करना चाहिए । इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि यह रस्मन न रह जाये। मान्यवर, मेरा यह भी निवेदन है कि इसको आर्थिक अधिकार भी दिये जायें । जहां पर कलेक्टर समझता है कि बन्धा बनना चाहिए, उसको टेक्निकल कमेटी स्वीकार नहीं करती है । तो जो बाढ़ कमेटी जिलों में बनी है, उस पर विचार करें जिससे बाढ़ से राहत का काम हो सके ।

श्री गौरी शंकर –

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो जिले की कमेटी की ओर संकेत किया है, अपेक्षा तो यही की जाती है कि बाढ़ आने की स्थिति से बहुत पहले ही उसकी प्लानिंग प्रारम्भ कर दी जानी चाहिए और कलेक्टर से यही अपेक्षा की जाती है कि बाढ़ कमेटी की बैठक को बहुत पहले ही आहूत करें और सदस्यों के अनुभव का लाभ उठाकर बाढ़ की विभीषिका से जनता को मुक्त किया जाये । आप सहमत होंगे कि जिला स्तर पर जो पैसा होता है, उसमें जल प्लावन की निकासी के लिए नाली और नालों के लिए भी होता है । जिलों में एन0आर0ई0पी0 आदि योजनायें हैं, जिनमें इस चीज के लिए प्राविधान किया गया है और जिनके बारे में माननीय सदस्यों को जानकारी है । सारी योजनायें इन्हीं बातों के लिए आती हैं ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, यह बहुत ही अहम मसला है । इस पर आप चर्चा करा दें ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय –

छठी पंचवर्षीय योजना में जो रिपोर्ट आयी है, उसमें इनका प्राविधान किया जाना

चाहिए और माननीय मंत्री जी उसके उल्टे बता रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष –

आप लिखकर भेज दें, मैं देख लूंगा ।

सूखाग्रस्त जनपद ललितपुर की स्थगित वसूली को शुरू किये जाने के आदेश

**2–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि भयानक सूखे की चपेट में होने के कारण जनपद ललितपुर को सरकार ने सूखाग्रस्त जनपद घोषित करके किसानों की वसूलियों को 31 दिसम्बर, 86 तक के लिए स्थगित कर दिया था ? यदि हां, तो सूखाग्रस्त होने के कारण किसानों को और क्या सरकारी सहायता दी गयी ? क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 87 से वसूलियां शुरू कर दी गई हैं जब कि किसानों को कोई फसल नहीं मिली है ?

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

ललितपुर जनपद में सूखे की स्थिति को देखते हुए वहां के जिलाधिकारी ने लगान की वसूली अक्टूबर से दिसम्बर, 86 तक के लिए स्थगित कर दी थी और अन्य कृषि देयों की वसूली में उत्पीड़न कार्यवाही न किये जाने के भी आदेश प्रसारित किये थे ?

2,80,900 रु0 की अहेतुक सहायता दी गई ।

जी हां, लेकिन कृषि देयों की वसूली में उत्पीड़न कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री राम आसरे वर्मा–

[2रे बुधवार में नियम 38 (2) के ता0 प्र0सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नये विद्यालयों की स्थापना में ग्राम समाज की भूमि की मांग

*2–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा के व्यापक प्रसार हेतु नये विद्यालयों की स्थापना में ग्राम समाज की भूमि दिये जाने का प्राविधान किया गया है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर –

जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा 198 के प्राविधानों के अनुसार ग्राम समाज में निहित भूमि का आवंटन पात्रता के आधार पर होता है । विद्यालय पात्रता सूची में नहीं आता है । जो मामले पात्रता सूची में नहीं आते हैं उनको यदि गांव सभा में निहित भूमि दी जानी है तो वह पुनर्ग्रहीत करके ही दी जा सकती है । इस तरह का प्राविधान जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 117(6) में किया गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो इस समय की पात्रता सूची है, उससे पहले की दो पात्रता सूचियों को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि विद्यालय का नाम उनमें था या नहीं था ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जो अद्यतम स्थिति है, उसी का वर्णन किया गया है और वर्तमान में विद्यालय पात्रता सूची में नहीं है और जैसा मैंने अभी कहा इसको मैं दिखवा लूंगा, क्योंकि जो सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार वर्तमान में उसका प्राविधान नहीं है, इसलिए मैंने यह निवेदन किया है ।

श्री अध्यक्ष –

आपकी जानकारी के आधार पर वह दिखवा लेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या माननीय मंत्री जी शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए इस नीति में परिवर्तन करेंगे और पात्रता सूची में विद्यालयों को सम्मिलित करने की कृपा करेंगे ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, इस समय दो व्यवस्थायें चल रही हैं। जिन क्षेत्रों में चकबन्दी की प्रक्रिया चल रही है . . (व्यवधान) मैं स्पष्ट कर रहा हूं। उसमें यह नियम है कि अगर कोई संस्था चल रही है, रिकग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड समिति द्वारा चलायी जा रही है, भले ही प्राइवेट क्यों न हो, जनहित में चल रही हो तो ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था कर दी गई है कि उस समिति को विद्यालय के लिये वह जमीन आवंटित कर दी जाय। लेकिन जो एग्जिसटेंस में नहीं है उसके लिये व्यवस्था करना चाहते हैं तो उस जमीन को भी ग्राम समाज में निहित करके इयर-मार्क किया जा सकता है..... (व्यवधान) जहां कहीं स्कूल खुलेंगे, भूमि प्रबन्धक समिति (एल0 एम0 सी0) को अधिकार होगा कि वह उसके लिए प्राविधानित कर दें। . . . . (व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, सवाल का उत्तर नहीं आया . . .

श्री अध्यक्ष–

आपको भी मौका दिया जायेगा। घबराने की बात नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो भी बात कही बिल्कुल गैर जानकारी के कही। आप कहते हैं कि मान्यता प्राप्त कोई विद्यालय हो तो उसको जमीन देने की बात सोची जा सकती है और उसके बाद चकबन्दी की बात ले आये। मान्यवर, मसला दो विभागों के बीच में है, एक राजस्व और दूसरे शिक्षा के बीच में। किसी स्कूल को मान्यता नहीं मिल सकती जब तक उसके पास अपनी जमीन न हो। जब तक राजस्व विभाग जमीन नहीं देगा, मान्यता नहीं मिल सकती है। तो फिर यह कहना कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जमीन दी जा सकती है, यह गलत है। ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जिनको ग्राम सभा ने प्रस्ताव कर दिया जमीन के लिये और उसके आधार पर स्कूलों को टेम्परेरी मान्यता मिल गई थी। इस तरह से पूरे प्रदेश में हजारों विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। आप यह सोचें कि जो विद्यालय जिनको आप जमीन देते थे, शिक्षा के विकास हेतु, पात्रता सूची में वे विद्यालय बराबर बने रहे . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि जो विद्यालय इससे पहले पात्रता सूची में रखे गये थे, माननीय मंत्री जी पुनर्विचार करके उन विद्यालयों को जमीन दिये जाने के प्रकरण के संबंध में पुनः पात्रता सूची में रखने की कृपा करेंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, वर्तमान में जो पात्रता सूची में हैं, वह आपके संज्ञान में होगा कि उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और

मत्स्यजीवी जातियों आदि के लिये हैं। जो विद्यालय आप बता रहे हैं, वह वर्तमान में पात्रता सूची में नहीं है और आपका कहना है कि पहले था। तो इस समय कंसोलिडेशन का काफी काम हो रहा है। जहां कहीं यह बात आती है तो उसके लिये एल0 एम0 सी0 (भूमि प्रबन्धक समितियां) हैं वह देने की व्यवस्था करती है। यह कहना कि सारे विद्यालयों की मान्यता समाप्त हो गई, तो इसमें एम्बीगुइटी की बात है . . . (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

आप कह रहे हैं यह सूची में नहीं है। . . . . . (व्यवधान) मैं पचासों नाम गिना दूंगा। आप तय तो कर लें।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि चकबन्दी हो रही है। ऐसी जमीन निकलेगी। बेसिक शिक्षा परिषद् के तहत जिलों में जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल खोले जाते हैं। ग्राम सभाओं के पास जमीन नहीं है। अगर हैं भी तो वह प्रस्ताव नहीं कर सकती। एस0 डी0 एम0 कहता है कि हम जमीन नहीं दे सकते। रुपया पड़ा रहता है। तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा निर्देश जारी करेंगे कि ग्राम सभाओं के प्रस्ताव पर जहां बेसिक शिक्षा परिषद् के तहत जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना होनी है परगना अधिकारी जमीन दे सके। जहां चकबन्दी हो रही है वहां तो ठीक है लेकिन जहां चकबंदी नहीं हो रही है वहां का क्या होगा? इस पर क्या स्पष्ट निर्देश जारी करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मैंने निवेदन किया कि ऐसी कितनी ही संस्थाओं के लिये जमीन की आवश्यकता होती है तो उसमें जमीन पुनर्ग्रहीत करके दी जाती है। यदि सुनना चाहें तो पूरी सूची पढ़ कर बता दूं जिनको जमीन अधिग्रहीत करके दी गयी है।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पहाड़ों की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां चकबंदी नहीं हो रही है और सीलिंग की भूमि भी वहां नहीं है क्योंकि छोटे-छोटे काश्तकार वहां हैं तो वहां स्कूलों के लिये जमीन देने की क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, अभी तक तो स्थिति यही है जैसा मैंने निवेदन किया, जमींदारी एबोलीशन के अन्तर्गत 198 (1) में कृषि भूमि का आवंटन नहीं हो सकता है। पूरे प्रदेश में यही प्रक्रिया है पहाड़ों के लिये अलग से कोई नियम नहीं है। अगर माननीय सदस्य किसी विद्यालय का मामला संज्ञान में लायेंगे तो नियमानुसार जो कुछ व्यवस्था की जा सकती है, जो सम्भव होगा की जायेगी।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

कोई अपने लिये मांग नहीं कर रहा है स्कूलों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अभी देहरादून जनपद में 197(अ) के अन्तर्गत गांव सभा की भूमि बेसिक शिक्षा परिषद् को नहीं दी गयी। नियमों के अनुसार जिला परिषद् का म्यूनिसिपल बोर्ड वाले भवन निर्माण के लिये पैसा दे सकते हैं लेकिन जमीन नहीं दे सकते। वहां वकीलों ने कह दिया है कि इस प्रकार की कोई जमीन देने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न संक्षेप में करिये ।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मैं यह जानना चाहता हूं कि जमींदारी एबोलीशन एक्ट की धारा 197 (अ) के अन्तर्गत गांव सभा की भूमि बेसिक शिक्षा के लिये देने का अधिकार है या नहीं?

श्री गौरी शंकर–

यह तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।

आगरा में बरौली अहीर तथा टपरा गांव के जल निगम को बिजली व्यवस्था

*3–श्री विजय सिंह राणा (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में बरौली अहीर तथा टपरा गांव की जल निगम की पानी की टंकियों को शहरी फीडर से बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के दिनांक 17 अप्रैल, 1986 के पत्र के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो इन टंकियों को कब तक शहरी फीडर से जोड़ देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

आगरा में टपरा पेयजल योजना नहीं है, अपितु उसके निकट नरीपुरा पेयजल योजना है । बरौली अहीर तथा नरीपुरा पेयजल योजनाओं के ग्रामीण क्षेत्र में होने की स्थिति में, उनको शहरी फीडर से विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

ग्राम सिसिया, डुमरियागंज, बस्ती के ग्राम प्रधान द्वारा अधिकारियों की साजिश से ग्राम समाज की भूमि का अवैध पट्टा कराने सम्बन्धी शिकायती पत्र पर जांच कार्यवाही

*4–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने प्रश्नकर्ता को अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या एन0 15/1-2/86 राजस्व अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, दिनांक 3-5-86 द्वारा यह लिखा है कि ग्राम सिसिया, तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती में ग्राम प्रधान की साजिश से अधिकारियों को धोखा देकर ग्राम समाज की भूमि का पट्टा कराया गया है और जिसके लिये लेखपाल, प्रधान और भूलेख निरीक्षक को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही तथा 420 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया गया ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

जी हां ।

जांच अभी पूरी नहीं हो सकी है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, आप संरक्षण दें मैंने 1985 में नियम 301 के अन्तर्गत शिकायत की थी कि सैकड़ों एकड़ जमीन का मामला है जिसमें घपला किया गया है। तो जो चिट्ठी उनकी मिली है उसको यहां पढ़ने का कष्ट करेंगे जिसमें साफ-साफ लिखा है कि इसमें दोनों अधिकारी दोषी पाये गये हैं और उन्होंने धोखा किया है और प्रधान ने फर्जी पट्टे किये हैं । अब फिर किस जांच की आवश्यकता पड़ी जब एक बार जांच हो गयी है । जो जांच रिपोर्ट आयी है उस पर अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। साल भर से इस मामले को लटकाने का क्या कारण है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मा0 सदस्यों की चिन्ता स्वाभाविक है और इसी चिन्ता को ध्यान में रखकर प्रथम दृष्टया दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, एक साल पहले हमको लिखा गया कि मैंने जांच करा ली है और प्रथम दृष्टया यह लोग दोषी पाये गये हैं। एक साल से कार्यवाही हो रही है लेकिन क्या कार्यवाही हुई यह नहीं बता पा रहे हैं ? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि प्रधान दोषी पाये गये हैं, फर्जी पट्टा अपने खानदान के लोगों को किया तब भी कार्यवाही नहीं की है। तो स्पष्ट बतायें कि क्या कार्यवाही करेंगे और कार्यवाही न करने में आपको क्या कठिनाई है?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, निवेदन है कि इसमें जांच पूरी नहीं हो पायी थी, जांच चल रही है, प्रथम दृष्टया दोषी उनको मान लिया गया है, ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जब इनकी पार्टी के किसी व्यक्ति का कोई घपला हो जाता है तो इस तरह घुमाफिरा कर उत्तर देते हैं। मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने क्या मुकदमा लिखाने का निर्देश दिया है, या प्रधान को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है या उस जमीन को निरस्त करके, पट्टा निरस्त करके पुनः गरीबों में वितरित करने का निर्देश दिया है ? मान्यवर, प्रथम दृष्टया नहीं, पूरी जांच हुई, शहादत हुई थी, मुझे जानकारी है कि पूर्णरूपेण जांच पूरी हो गयी है लेकिन इनके लोग फंस जायेंगे, इसलिये शासन अपने लोगों को संरक्षण दे रहा है। इसलिये मान्यवर, इनसे स्पष्ट जवाब दिलायें कि क्या निर्देश दिया है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, अनियमित आवंटन के प्रथम दृष्टया दोषी प्रधान श्री तजम्मुल हुसैन, लेखपाल श्री चिन्ताराम को आरोप पत्र दिनांक 14-7-86 को जारी किया गया, उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है। जांच अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध जांच करायी जा रही है। लेकिन श्री राम कमल सिंह, तत्कालीन भू-लेख निरीक्षक को भी इस आवंटन की कार्यवाही के प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं। उनका स्थानान्तरण नायब तहसीलदार के रूप में जनपद आजमगढ़ हो जाने के कारण उन पर आरोप पत्र देर से तामिल कराया गया। तो यह सारी कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ की गयी है।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, इनकी पार्टी के सारे लोग वहां की पी0 डब्लू0 डी0 की, जमीन को हड़प रहे हैं। श्री तजम्मुल हुसैन, प्रधान कांग्रेस पार्टी के वहां के अध्यक्ष हैं। इसलिये स्पष्ट उत्तर दिलायें।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछें। (व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

सही उत्तर दे देते तो हम लोग आपसे क्यों कहते। आरोप पत्र का जवाब आ गया है लेकिन आज तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं जानना चाहता हूं कि शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है, किस तारीख को की है और उसके फल-स्वरूप अब तक क्या प्रगति हुई है ? जांच के बाद जिस प्रधान के बारे में आरोप सही पाये गये हैं, क्या वह राज-नीतिक दल से सम्बन्धित है ? यदि है, तो किस दल से सम्बन्धित है, यह बतायें?

श्री गौरी शंकर–

ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है कि प्रधान किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हैं या जैसा आपने विशेष रूप से इंगित किया कि क्या सत्ता पक्ष से उनका कोई वास्ता है तो यह बात सत्य से बिल्कुल परे है । उनका सत्ता पक्ष और कांग्रेस पार्टी से किसी तरह का सम्बन्ध नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

अगर मेरी बात सही न हो तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। वह इनके दल के सक्रिय सदस्य और सांसद का चेला है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि शासन ने क्या कार्यवाही की और किस तारीख को कार्यवाही की ? इसका उत्तर नहीं आया है।

श्री गौरी शंकर–

अभी जांच हो रही है, वह लोक दल "अ" या "ब" से सम्बद्ध हैं, यह जांच का विषय है । (हंसी)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया था कि आदेश दे दिया है तो क्या आदेश दिया है?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मेरी जानकारी को सही मानते हुए कि वह प्रधान लोकदल के संबंधित है, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम है कि लोकदल के किस गुट के हैं। मान्यवर, क्या इसकी जानकारी कराकर सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

अगर वह हमारे दल का हो तो आप उसे जेल भिजवा दीजिये।

श्री मनोहर लाल–

[x x x]

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायगा। आप प्रश्न कीजिये। जो अभी आपने कहा है वह नहीं लिखा जायगा।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, चूंकि वह प्रधान कांग्रेस (आई) का है इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी तक उस प्रधान के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है? इसमें कोई साजिश है। उसको कोर्ट में भेज दिया है। क्या इस बात की सूचना है कि माननीय मंत्री जी ने उसे कोर्ट में भेजने की साजिश की है?

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गौरी शंकर –

शासन द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने की साजिश करने की बात तो सोची ही नहीं जा सकती, माननीय सदस्य को अपनी जानकारी सही कर लेना चाहिये। जो व्यक्ति दोषी पाया जायगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मंत्री जी टालमटोल कर रहे हैं। एक साल हो गया है, जांच हो गयी और वह दोषी पाया गया है लेकिन प्रधान को सस्पेंड नहीं किया गया है। कानूनगो को नायब तहसीलदार बना दिया गया है। माननीय मंत्री जी की चिट्ठी में लिखा है कि इस अधिकारी ने धोखा देकर पट्टे अपने खानदान के लोगों के नाम किये हैं जिसमें लेखपाल भी शामिल है। तो अब तक उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप इसमें शीघ्र कार्यवाही करें और जो कार्यवाही करें उसकी सूचना माननीय सदस्य को दें।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, आज्ञा शिरोधार्य है।

तारांकित प्रश्न

सूखा ग्रस्त जनपद मथुरा को राहत कार्य

*1–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि वर्ष 1986 में मथुरा जनपद को सूखाग्रस्त घोषित किया गया गया था? यदि हां, तो इस जनपद में शासन ने कौन-कौन से राहत कार्य किये और किस माह में – यदि नहीं, तो क्यों2

श्री गौरी शंकर–

वर्ष 1986 में खरीफ फसल में सूखे का प्रभाव होने के कारण शासन ने जनपद मथुरा को सूखाग्रस्त माना था। जनपद के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित राहत कार्य किये गये :–

(1) पेयजल सुलभ कराने हेतु माह जून से सितम्बर, 1986 तक के मध्य जल निगम द्वारा नगर क्षेत्र में 7 और ग्रामीण क्षेत्र में 48, इस प्रकार कुल 55 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन कार्य कराया गया।

(2) एन0 आर0 ई0 पी0 व आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत अक्तूबर, 1986 तक 99.46 लाख रु0 व्यय करके 4.43 लाख मानव दिवस सृजित किये गये।

(3) माह मई, जून व जुलाई, 1986 में कुल 313 तालाब/पोखरों को नहरों/रजवाहों से भरवा कर पशुओं के पीने हेतु पानी की व्यवस्था करायी गई।

(4) कृषि कार्यों हेतु रोस्टर के अनुसार 10 से 14 घन्टे बिजली उपलब्ध करायी गयी।

(5) जनपद की नहरों एवं माइनरों व रजबाहों के माध्यम से कृषि हेतु पानी की व्यवस्था की गई।

(6) पशु स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चिकित्सा व टीकाकरण कराया गया। चारे के बारे में परामर्श दिया गया। तहसील मांट के ग्राम व कस्बा राया में 27-10-1986 को पशुओं के उपचार व चारे की व्यवस्था हेतु सूखा राहत कैम्प लगाया गया।

(7) मास दिसम्बर, 1986 तक कृषकों के लिए ऋण, उन्नतशील बीज, मिनी-किट, रासायनिक उर्वरक एवं बीज आदि की व्यवस्था की गई। मृदा परीक्षण, ऊसर सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये।

(8) ब्लीचिंग पाउडर से 22858 कुओं का विसंक्रमण किया गया, क्लोरोक्वीन, आयरन विटामिन की गोलियां बांटी गईं व हैजा निरोधक टीके लगाये गये।

(9) 902 ग्रामों के भू-राजस्व की वसूली दिनांक 11-9-86 से स्थगित है एवं छूट देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। कृषि सम्बन्धी अन्य देयों की वसूली में दिनांक 11-9-1986 से एक माह तक उत्पीड़क कार्यवाही न किये जाने के आदेश दिये गये।

(10) जनपद मथुरा को दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु 8.57 लाख रु0 की धनराशि दिनांक 31-12-86 तक आवंटित की जा चुकी है।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, गत सत्र में माननीय मंत्री जी ने सूखा से ग्रस्त जनपदों की जो सूची बनाई थी, उसमें मथुरा जनपद सर्वोपरि था। जो राहत कार्य मंत्री जी ने लिखे हैं, वह यहीं हैं, जो रूटीन में वे हर साल माननीय मंत्री जी सुना देते हैं। इसमें कोई विशेष राहत कार्य नहीं दिखाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सूखे से भयावह स्थिति को देखते हुए एवं गरीब जनता के पिछड़ेपन को देखते हुए क्या वह सारे सरकारी देय और लगान आदि माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

तीन माह तक वसूली स्थगित करने के लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। तीन माह तक रोकने के लिए जिलाधिकारी को अधिकार है। लेकिन जहां तक पूरा माफ करने की बात है, वह मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूखे से जो भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें तो ये सरकारी देयों को स्वतः माफ कर सकते हैं। लेकिन जो सरकारी बैंकों के ऋण हैं, उनके देयों पर जो ब्याज स्थगन-समय का लगेगा, उसे सरकारी खजाने से अनुदानित करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

पूरे तौर से वसूली माफ करने के लिए विभिन्न जनपदों से जो सूची आती है, उसमें मथुरा जनपद का भी है, लेकिन अभी वह मामला शासन के विचाराधीन है। जहां तक बैंकों के देयों की माफी का सवाल है, उसको आपने स्वयं व्यक्त किया है कि वह हमारे अन्तर्गत नहीं आता है। अभी तक बैंकों के देयों के बारे में छूट देने के लिए कोई ऐसा प्राविधान नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने अनुदानित कहा है।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मथुरा जनपद में 45 नलकूप ऐसे लगे हैं, जिसमें खारा पानी

आता है। क्या आप ग्रामीण पेय जल योजना के अन्तर्गत वहां पर मीठा पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, यह पहली बार माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं। जहां तक खारे पानी की बात है, इसको तो आप स्वयं जानते हैं कि उसमें क्या किया जा सकता है। जहां पर नीचे से पानी खारा निकलता है, उसे मीठा बना देना बड़ी असहाय स्थिति है।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस समय वहां पर वसूली हो रही है और उत्पीड़न के तरीके अपनाये जा रहे हैं। जो आपने स्थगित किया था वह 11.9 को किया था। तो आपके इस समय जो उत्पीड़क तरीके अपनाये जा रहे हैं उनको रुकवाने की कृपा करेंगे जब तक नयी फसल न आ जाय?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, उनको कह दिया गया है कि किसी प्रकार की उत्पीड़क कार्यवाही न करें। मैं आश्वस्त करता हूं कि किसी प्रकार की उत्पीड़क कार्यवाही नहीं होगी, जो स्वेच्छा से दे रहे होंगे उनसे ही लिया जायेगा, किसी प्रकार की उत्पीड़क कार्यवाही नहीं होगी।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मैं इसी संदर्भ में शासन से यह जानकारी चाहता हूं कि जिस समय राजस्व की वसूली ऐसी भूमि पर माफ की जाती है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कोई फसल नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो क्या उसी समय सिंचाई दरों को भी माफ करने की घोषणा उसी जनपद में की जायेगी?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, हमें केवल भू-राजस्व के लिए छूट देने का प्राविधान है, अन्य दरों के लिए छूट का प्राविधान नहीं है। मान्यवर, अद्यतन स्थिति यही है, उसी हिसाब से कार्यवाही की जायेगी।

श्री कुशल पाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो माननीय मंत्री जी ने बताया दिया है कि जून से सितम्बर तक 55 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। मान्यवर, यह मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि जो 55 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं उसमें से एक भी पम्प सूखा ग्रस्त राहत कार्य में नहीं लगाया गया है। जबकि हमारे यहां पूरे जिले में तथा जो जमुना के किनारे के ब्लाक हैं उसमें नवम्बर से भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, तालाब सूखे पड़े हुए हैं, पानी का गम्भीर संकट है। मान्यवर, विशेष रूप से हमारे यहां गौजील, छाता और और माठ ब्लाक में सूखा पड़ा हुआ है। क्या माननीय मंत्री जी, राहत कार्य के अन्दर वहां हैण्ड पम्प लगवाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

वह तो कह रहे हैं कि जहां हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, वहां खारा पानी है।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, वैसे तो आपका यह कहना है कि वह सूखाग्रस्त क्षेत्र में लगाये गये हैं लेकिन वह इस योजना में नहीं लगाये गये हैं। मान्यवर, मैं यह तो माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में जानकारी कर लें। जहां तक जो गांव ऐसे हैं जो सूखाग्रस्त हैं जहां पर पेयजल का संकट है उन गांवों की सूची हमें उपलब्ध कर दें, मैं आश्वस्त करता हूं कि उनका प्रबन्ध कर दिया जायेगा।

आई0 सी0 डी0 एस0 सेल टिकरा हाउस लखनऊ को आवन्टित धनराशि के उपयोग हेतु परीक्षण

*2—श्री अशोक बाजपेयी (अनुपस्थित)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि विगत मार्च, 1986 को आई0 सी0 डी0 एस0 सेल टिकरा हाउस लखनऊ को दो करोड़ रुपया अपर निदेशक (आई0 सी0 डी0 एस0) के डिस्पोजल पर दिया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त धनराशि अब तक न तो जनहित में खर्च की गयी है और न सरकारी कोष में ही जमा की गयी है? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करने का सरकार कष्ट करेगी?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां। मार्च, 1986 में शासन द्वारा निदेशालय के डिस्पोजल पर 2.10 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गयी थी।

उपरोक्त धनराशि में से आवश्यक धनराशि का आवंटन संबंधित जनपदों में कर दिया गया था, परन्तु कुछ जनपदों में इस धनराशि का उपयोग नहीं हो पाया है। इस अवशेष धनराशि के समुचित उपयोग हेतु मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

लखनऊ की बाल विकास परियोजनाओं में बरती गयी अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

*3—श्री गोपाल दास यादव तथा

श्री मयंकर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा वित्तीय वर्ष 1986-87 हेतु लखनऊ जनपद की सभी बाल विकास परियोजनाओं हेतु परचेज किये गये कनटेनर्स में की गयी अनियमितता के संबंध में किये गये पक्षपात पूर्ण जांच के संबंध में श्री रमाशंकर कौशिक सदस्य, विधान सभा तथा आठ अन्य विधायकों का कोई संयुक्त शिकायती पत्र दिनांक 8 अक्टूबर, 1986 को मा0 मुख्य मंत्री को, 13 अक्तूबर, 1986 को मुख्य सचिव तथा 15 अक्टूबर, 1986 को सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या-क्या हैं, तथा शासन द्वारा अभी तक इस विषय पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

मुख्य शिकायतें निम्नवत् हैं—

(1) मामले से संबंधित क्रय संबंधी बैठकों में लखनऊ जनपद की सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने भाग लिया था और इस योजना के अंतर्गत कन्टेनर्स की खरीद सप्लाई लेने से पूर्व उसका निरीक्षण करने एवं आपूर्ति से संतुष्ट होना चाहिए था। इनकी एवं उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच, अधिकारी ने नजर अंदाज कर दिया।

(2) कन्टेनर्स की आपूर्ति बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा ली गई तथा संबंधित सहायक द्वारा आपत्ति प्रकट करने के बावजूद भी उक्त बिल में अनियमित रूप से काटपीट करते हुए जालसाजी से संशोधन किया।

(3) यदि उक्त बिलों में पहले से 22 मेज का जिक्र नहीं था तो संबंधित बाल विकास परियोजना अधि-

वारी ने उक्त बिल में किस विषय पर आपत्तिकारक कटिंग की । जांच अधिकारी ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया।

(4) प्रोग्राम अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ सहायक ने अपने बयान में कहा था कि दिनांक 25, 26 जुलाई, 1986 को कन्टेनर्स आपूर्ति करने वाले सचिव, पंचायत उद्योग सरोजनीनगर, लखनऊ तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों के बीच किन्हीं संदिग्ध मामले पर विवाद हो गया था जो मामले की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

(5) सचिव पंचायत उद्योग, सरोजनीनगर, लखनऊ द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 1986 को भेजे गये प्रथम गोपनीय पत्र के पृष्ठ-1-4 में अंकित सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे भी जांच अधिकारी द्वारा बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। जबकि सचिव पंचायत उद्योग भी इस मामले में एक महत्वपूर्ण पक्ष है।

(6) सभी मामले को देखते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी स्वयं सिद्ध दोषी प्रतीत होते हैं चूंकि उन्होंने अपनी मौलिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया तथा सम्भवत: सचिव, पंचायत उद्योग से कमीशन पाने के लालच में अनियमित कार्य किया । सचिव पंचायत उद्योग से विवाद हो जाने के कारण एवं कमीशन पाने की आशा क्षीण हो जाने की दशा में तथा इस आशंका में कि सम्भवत: सभी कमीशन प्रोग्राम अधिकारी को मिल गया हो या उनके कारण इन लोगों का कमीशन न मिला हो । ऐसी स्थिति में शिकायत कर दी ।

(7) संयुक्त सचिव द्वारा की गयी जांच को निरस्त करते हुए किसी सर्तकता एजेंसी से पुन: मामले की पूरी जांच कराई जाय ।

(8) मा0 विधायक गण के उपरोक्त संयुक्त शिकायती पत्र पर भलीभांति विचार किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने भले ही लखनऊ की बैठकों में भाग लिया हो लेकिन उनका इस षडयंत्र में कोई हाथ नहीं मालूम होता, उन्होंने ही तो इस षडयंत्र का भण्डाफोड़ किया है । इसलिए उनसे कुछ अधिकारी जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है अप्रसन्न होंगे ही। प्रारम्भिक जांच के आधार पर जो कार्यवाही की गयी है वह उपयुक्त है।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

वह बड़े इत्मीनान से पढ़ रही हैं ताकि आप समझ जायं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का सम्मान करती हूं और मैं चाहती हूं कि जो उन्होंने शिकायतें की है, वह सब आपके सामने आ जायं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह जबाब दे रही है या कुछ सुना रही हैं?

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, आप प्रश्न पूछ रहे थे, वह बड़े इत्मीनान से जवाब दे रही है, आप सुनिये ।

श्री काशी सिंह एरेरी–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य की शिकायत माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है और इस संबंध उन्होंने जांच किया है, वह अधिकारी श्री आर0 के0 शर्मा इस समय दीर्घा में मौजूद हैं। चूंकि वह स्वयं इस मामले से संबंधित हैं और उनके बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस पर आप व्यवस्था दें कि उनका यहां रहना उचित है या अनुचित है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

दर्शक दीर्घा को बन्द कराकर जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष–

आपको तो दीर्घा की ओर देखना ही नहीं चाहिए।

श्री काशी सिंह एरेरी–

मान्यवर, आप जांच करा लें कि वह अधिकारी इस समय दीर्घा में मौजूद हैं या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

विधायकों को पूरा अधिकार है वह कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके अधिकारों में कोई बाधा नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आप स्वयं जानते हैं, दीर्घा में कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, इसका संज्ञान माननीय सदस्य नहीं ले सकते हैं।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर माननीय मंत्री जी ने जो तथ्य हमारे सामने आना चाहिए था उसको बड़ी खूबसूरती से घुमा दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जांच अधिकारी थे और जिनके बारे में निदेशक ने आपत्ति की थी कि इनके द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं होगी, उनको बदल दिया गया या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

संयुक्त सचिव ने प्रारम्भिक जांच की है उसके अनुसार जो कार्यवाही करनी थी की गयी है, पूर्ण जांच अभी जारी है।

श्री गोपाल दास यादव–

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जांच अधिकारी थे, जिनके बारे में निदेशक ने आपत्ति की थी, उनको बदला या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जांच अधिकारी नहीं बदले गये क्योंकि जांच निष्पक्ष रूप से हुई है।

श्री गोपाल दास यादव–

कन्टेनर्स खरीदने के लिए एक परचेज कमेटी बनी थी और उसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी मौजूद थे, लेकिन जब उनको कमीशन नहीं मिला तो जिन्होंने क्रय किया था उन्होंने ही शिकायत कर दी। मैं पूछना चाहता हूं जांच अधिकारी के समक्ष जो शिकायती पत्र है, उसमें क्या-क्या शिकायतें हैं और उस पर अब तक क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है? क्या माननीय मंत्री जी उसे सदन में बताने की कृपा करेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, एक बार यह प्रश्न अपना फिर दोहरा दें।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है, इन्हें जो भी लिखकर दे दिया जाता है, वही कह देती हैं। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि जांच अधिकारी के समक्ष जो शिकायती-पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें क्या शिकायतें हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जो कन्टेनर्स खरीदे गये, इसके लिए वास्तव में मान्यवर, एक परचेज कमेटी गठित हुई थी इस कमेटी ने एक सब-कमेटी नियुक्त कर दी और यह निर्णय लिया गया कि यह कमेटी इन तमाम खरीद के कार्यों को देखेगी, लेकिन वह परचेज की सब-कमेटी आहूत ही नहीं की गयी और मुख्य रूप से जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने इन कन्टेनर्स की खरीद की, उनमें एक तो प्रोग्राम अधिकारी हैं, जिनके प्रति हमने बहुत कड़ा एक्शन लिया है। फिर प्रथम जांच रिपोर्ट के बाद इससे संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया। (शोर)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, जो प्रकरण कन्टेनर संबंधी इस समय चल रहा है, वह लखनऊ जनपद के सरोजनी नगर क्षेत्र से संबंधित है और मान्यवर, वह कन्टेनर जिन लोगों के द्वारा सप्लाई किये गये हैं, बताये गये वह 22 गेज के और निकले वह 26 गेज के तमाम खामियों के साथ तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकरण पर आपने अभी तक समाज कल्याण विभाग से संबंधित व पंचायती उद्योग विभाग से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति क्या कार्यवाही की है और उनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जांच के आधार पर प्रोग्राम अधिकारी व इनके कार्यालय के बड़े बाबू आदि का निलंबन किया गया है। मान्यवर, बात यह है कि जो आर्डर पहले दिये गये थे वह 22 गेज के थे, बाद में जो कन्टेनर खरीदे गये उस पर सबसे पहले प्रोग्राम अधिकारी ने हस्ताक्षर किये उसके बाद सचिव, पंचायती राज उद्योग ने किए। यह कन्टेनर 22 गेज के बजाए 24 गेज के खरीदे गये उसके बाद फिर पता चला कि यह उससे भी ज्यादा खराब गेज के हैं और यही नहीं उसके चारों तरफ रिंग भी नहीं थे, जिस स्टैण्ड पर यह कन्टेनर्स रखे जाते हैं वह भी नहीं थे और उसके पेंदे भी अधिक मजबूत नहीं थे (शोर)

(श्री शारदा प्रताप व एक साथ कई अन्य माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलना शुरू कर देने पर)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने यह जानकारी चाही थी कि समाज कल्याण विभाग व . . . .

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें और मा0 शुक्ला जी आप भी कृपया बैठ जाएं मा0 मंत्री जी अभी खड़ी हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, हमने स्वयं जांच की है। पेमेन्ट रोक दिया है। इस मामले में जो षडयंत्र हुआ है, तो बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने स्वयं भण्डाफोड़ करके प्रतिवेदन दिया है कि पेमेन्ट रोक दिया जाय, क्योंकि जो कन्टेनर आए थे, माडल के रूप में आए थे, उसके मुकाबले बहुत खराब थे। तब हमने एक्शन लिया और जांच करवाई। हमने एक बड़े अधिकारी को सस्पेंड किया। क्या आप उसको सस्पेंड किये जाने से नाराज हैं। अभी तो जांच चल रही है। अब जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जरूर एक्शन लेंगे और किसी अन्य अधिकारी को दोषी पाया जायगा तो उसको दण्डित किया जायगा। जहां तक सचिव, पंचायत उद्योग के बारे में है, उसके लिये शिकायत भेज दी गयी है कि इस संबंध में जो उचित कार्यवाही हो, की जाय।

*4–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

सूखाग्रस्त जनपद आजमगढ़ को जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य

***5—श्री बलराम यादव (अनुपस्थित)—**

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि वर्ष 1986 में जनपद आजमगढ़ को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है ? यदि हां, तो इस जनपद में शासन ने तथा जिला प्रशासन ने कौन-कौन से राहत कार्य किये और किस माह में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1986 में जनपद आजमगढ़ को सूखाग्रस्त माना था । औपचारिक घोषणा करने का प्राविधान नहीं है । निम्नलिखित राहत कार्य किये गये :—

(1) समस्त राजकीय कृषि देयों की वसूली 3 माह के लिए स्थगित कर दी गई थी ।

(2) माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर 1986 में जनपद में उपलब्ध सिंचाई के संसाधनों का पूर्ण क्षमता से उपयोग करने का प्रयास किया गया ।

(3) उ0 प्र0 जल निगम द्वारा माह जुलाई 86 में 102, अगस्त 86 में 34 तथा सितम्बर 86 में 52 अर्थात् कुल 188 हैण्ड पम्प पेयजल समस्या वाले 94 ग्रामों में लगाये गये ।

(4) कृषि विभाग के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 20,889 कृषकों में चना, मटर, मसूर एवं राई सरसों के मिनीकिट पैकेट निःशुल्क वितरित किये गये । इसके अतिरिक्त 5300 कुन्तल गेहूं बीज, 13366 मै0 टन नत्रजन, 8102 मै0 टन फासफोरस एवं 2936 मै0 टन पोटाश तत्व के रूप में नकद मूल्य पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा वितरित किया गया ।

(5) व्यवसायिक बैंकों से 12,200 कृषकों को 178.60 लाख रुपये तथा सहकारी बैंकों से 13,100 कृषकों को 202.01 लाख रुपये का फसली ऋण उपलब्ध कराया गया ।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में एन0 आर0 ई0 पी0 एवं आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 1986 तक 10.63 लाख मानव दिवस ।

कानूनगो परीक्षाफल की घोषणा एवं नियुक्ति

*6—श्री जवाहर सिंह यादव, श्री राम जनम यादव तथा श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि सन् 1985 की कानूनगो प्रशिक्षण परीक्षा का परीक्षाफल राजस्व परिषद् द्वारा मेरिट घोषित किये बगैर ही दिनांक एक सितम्बर, 1986 को घोषित कर दिया गया है जिसके कारण अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार मेरिट शीघ्र घोषित करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर—

परिषदादेश दिनांक 1.9.86 के तहत केवल सफल घोषित हुए अभ्यर्थियों की सूचना मात्र प्रसारित की गयी थी । इसमें यह उल्लिखित था कि सफल अभ्यर्थियों के मध्य पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण मेरिट क्रम में अगले आदेश से किया जायगा ।

परीक्षाफल, मेरिट सहित, परिषदादेश दिनांक 5-12-86 द्वारा घोषित किया जा चुका है, तथा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्तियां भी की जा चुकी हैं ।

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब कानूनगो का परीक्षाफल मेरिट से घोषित किया जा चुका है, तो इसमें अब तक कुल कितनी नियुक्तियां की जा चुकी हैं?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, इसमें 151 के विरुद्ध 111 लोगों की नियुक्ति की जा चुकी है ।

आकमपुर, पुरवा (उन्नाव) के हरिजनों को आवन्टित भूमि पर कब्जा

*7–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या राजस्व मंत्री को दिनांक 1 मई, 1986 का प्रश्नकर्ता को कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें ग्राम आकमपुर विकास खण्ड सुमेरपुर तहसील पुरवा जिला उन्नाव के हरिजनों को आवंटित भूमि पर उनको कब्जा न दिये जाने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गौरी शंकर–

जी हां । समस्त आवंटियों को स्थल पर कब्जा दिला दिया गया है ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या राजस्व मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि यह आवंटन कब किया गया था और कब्जा कब दिलाया गया और यह जो आवंटन करने और कब्जा दिलाने के बीच में जो विलम्ब हुआ, उसका उत्तर-दायित्व किस पर है और क्या इस संबंध में विचार करके दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, इसमें कुल 15 आवंटन हुए थे, जिसमें से 11 आवंटियों को कब्जा दिलाए जाने पर विवाद था । इसमें से एक श्री बिहारी लाल के बारे में शिकायत थी कि वे भूमि खेतिहर मजदूर नहीं हैं, इसलिये उनको भूमि का आवंटन नहीं किया गया, क्योंकि वे पात्र नहीं थे । शेष 10 को कब्जा शासन से पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही दिला दिया गया । इस लिये कुल 16 में से 15 को कब्जा दिला दिया गया और 16वें व्यक्ति के पात्र न होने के कारण उनको कब्जा दिलाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मेरा प्रश्न सीधा सा यह था कि यह आवंटन कब हुआ था और कब्जा कब **दिलाया गया? आवंटन और** कब्जा उपलब्ध होने की अवधि के बीच, यदि किसी तरह का विलम्ब हुआ है तो उसके क्या **कारण हैं?**

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जो 15 आवंटी थे, 5 को तुरन्त कब्जा दिया गया । एक व्यक्ति का मामला विवादित था, उसकी स्थिति मैंने स्पष्ट कर दी । 10 को कब्जा भी दिला दिया गया है । यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि विलम्ब के क्या कारण हैं । माननीय सदस्य मुझे लिखकर के दे देंगे, **तो मैं उनके पास शासन से वस्तुस्थिति भिजवा दूंगा।**

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, इसमें लिखकर देने की क्या बात है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, माननीय सदस्य को स्थिति से अवगत करा दूंगा ।

(प्रश्न सं0–8 पुकारे जाने पर व प्रश्न-कर्ता सदस्य कुंवर मानबेन्द्र सिंह के अनुपस्थित होने पर अगला प्रश्न लिया गया)

विद्युत परिषद् में राजाध्यक्ष कमेटी की संस्तुतियों को लागू करने की मांग

*8—कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य विद्युत परिषद् के कुप्रबन्ध तथा विद्युत उत्पादन की कमी में सुधार करने के लिये बनायी गई राजाध्यक्ष कमेटी की संस्तुतियों को उ0 प्र0 में लागू करने का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन प्रमुख संस्तुतियों को लागू करने का, प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने की व्यवस्था

*9—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने का प्राविधान करने पर शासन विचार कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति समय-समय पर विद्युत उपलब्धता व विद्युत मांग को ध्यान में रख कर की जाती है । कृषि कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत उपलब्धता के अनुसार यह समय बढ़ा भी दिया जाता है, जैसे माह दिसम्बर, 1986 में निर्धारित 7 घन्टे प्रतिदिन के स्थान पर 10 घन्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की गई ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न व इस सम्बन्ध में प्राप्त शासन का उत्तर देख लें । मान्यवर, प्रदेश के किसी भी जिले में, जो निर्धारित 7 घन्टे के स्थान पर प्रतिदिन 10 घन्टे विद्युत आपूर्ति की जो बात कही गयी है, विद्युत आपूर्ति न की गई और न की जा रही है। यदि कहीं भी 10 घन्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है, तो मैं इसी समय इस सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं । मान्यवर, कम से कम हरदोई जनपद की बात तो मैं आंखों देखी बता रहा हूं । डेढ़ घन्टे, दो घन्टे, तीन घन्टे—इससे ज्यादा कभी भी वहां विद्युत की आपूर्ति नहीं की जा रही है। । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे अपनी घोषणा के अनुसार ही, जो 10 घन्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की बात कह रहे हैं, इसको पूरी तरह से सुनिश्चत करा देंगे? इसे सुनिश्चित करने के बाद सदन को अवगत करा देंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैंने कहा कि समय-समय पर, आवश्यकता के अनुसार, आपूर्ति की जाती है । इस आशय से कहा कि खेती के लिये जब विद्युत आपूर्ति की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसी हिसाब से घन्टे बढ़ा दिये जाते हैं। जब आवश्यकता नहीं होती है, तो घन्टे कम कर दिये जाते हैं। जहां तक इस दिशा में कदम उठाने की बात है, शहरों में इस समय विद्युत कटौती इसीलिये की जा रही है ताकि गांवों में अधिक से अधिक आपूर्ति सम्भव हो । मान्यवर, सम्प्रति विद्युत की जितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार हम उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं । 400 मेगावाट, 500 मेगावाट की लगातार दूरी बनी रहती है। इस वक्त हम पूरा

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

प्रयास कर रहे हैं कि 8 घन्टे की विद्युत आपूर्ति वहां सुनिश्चित की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त ।

प्रदेश के ग्राम आबादी के सर्वेक्षण एवं उनके अभिलेख की विधिक व्यवस्था विचाराधीन

*10–श्री सैयद जावेद अली–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामों में बसे हुए व्यक्तियों के मकानात, खलिहान, चरनधारी, खाद के गड्ढे एवं ग्राम के अन्दर की सड़कें गलियों का इन्द्राज खसरा खतौनी एवं नक्शे में नहीं है, केवल आबादी लिखा रहता है एवं ग्रामवासियों के पास उनके अपने मकानात, खलिहान, चरनधारी, खाद के गड्ढे की मिलकियत का कोई प्रमाण-पत्र नहीं होता है जिसके कारण ग्रामवासियों के बीच कब्जे के आधार पर लड़ाई झगड़ा एवं कतल की वारदात बढ़ती जा रही है और कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिससे प्रत्येक ग्राम के मकानात, खलिहान, चरनधारी, खाद के गड्ढे एवं सड़कों, गलियों का सर्वे करा कर उसका इन्द्राज खसरा खतौनी में हो एवं ग्राम का नक्शा भी बनवा कर उसमें मकानात, खलिहान, चरनधारी, खाद के गड्ढे एवं सड़कों गलियों को दर्शाया गया हो ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । अष्टम विधान सभा की प्रवर समिति ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1980 पर विचार करते समय यह संस्तुति की थी कि उक्त विधेयक में ग्राम आबादी के सर्वेक्षण एवं उनके अभिलेख तैयार करने की भी विधिक व्यवस्था की जाये । जो अभी तक नहीं है । यह संस्तुति शासन के विचाराधीन है और शीघ्र निर्णय लिये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

राम लीला मैदान, भरौली, बलिया को विवादित भूमि न्यायालय के विचाराधीन

*11–श्री मैनेजर सिंह तथा श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राजकुमार राम पुत्र श्री परमेश्वर राम निवासी ग्राम भरौली, बलिया और लेखपाल श्री शिवशंकर राय ग्राम सभा भरौली तहसील व जिला बलिया के साठ-गांठ से रामलीला मैदान (खतौनी सं0 195) भरौली बलिया पर किये जा रहे अवैध कब्जे के विरुद्ध ग्राम पंचायत भरौली, बलिया के सभी सदस्यों द्वारा प्रमाणित तथा क्षेत्रीय विधायक श्री गौरी शंकर भइया एवं श्री गोपाल राम दास, सभापति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधान सभा उ0 प्र0 द्वारा संस्तुति पत्र दिनांक 13-12-85 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

शिकायती पत्र की जांच से स्पष्ट हुआ कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में धारा-133 सी0आर0पी0सी0 एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा-33/39 के अन्तर्गत न्यायिक वाद विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

गैर बन्दोबस्ती गांव पुरवों को बन्दोबस्ती गांव का दर्जा देने की नीति

*12—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृहद् आकार के बन्दोबस्ती गांवों की ग्राम सभा इकाइयों की जिनका गठन ढाई सौ से अधिक जनसंख्या वाले कई अलग-अलग नाम के गैर बन्दोबस्ती गांव पुरवों को मिलाकर हुआ है, को विभाजित कर ग्राम्य विकास के दृष्टिकोण से संदर्भित जनसंख्या के प्रत्येक गांव (पुरवा) की अलग-अलग राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कर बन्दोबस्ती गांव का दर्जा प्रदत्त करने की कोई कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ?यदि हां, तो यह कब तक कार्यान्वित होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

गुण और दोष के आधार पर अलग-अलग राजस्व ग्राम बनाये जाने के प्रस्तावों का परीक्षण कर कार्यवाही की जाती है । यदि औचित्य पाया जाता है तो उन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है और तद्नुसार ही राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कर दी जाती है ।

कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्माणाधीन नलकूप तथा विलम्ब के विरुद्ध कार्यवाही

*13—श्री राम सागर राव—

प्रथम सत्र 1986 के पहले शुक्र के श्री विष्णु देव सदस्य, विधान सभा के अता0 प्रश्न सं0 61 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत निर्माणाधीन प्रश्नगत ट्यूबवेल चालू हो गए हैं । यदि नहीं, तो इतने विलम्ब का कारण क्या है, तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?क्या इन्हें पूर्ण कर चालू किए जाने की कोई अवधि निश्चित की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । यह निर्माणाधीन हैं ।

विलम्ब के लिए लघु सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता को संबंधित सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए लिखा जा चुका है ।

इन नलकूपों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की आशा है ।

जनपद मथुरा में ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य

*14—श्री लक्ष्मी नरायन चौधरी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 1985-86 में कितने गांव के विद्युतीकरण का लक्ष्य था ? क्या विद्युतीकरण लक्ष्य पूरा हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

मथुरा जनपद में (वर्ष 1985-86 में) ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया था:—

(अ) सी0ई0ए0 की परिभाषा द्वारा-56 ।

(ब) एल0 टी0 लाइन बिछाकर-56

उक्त निर्धारित लक्ष्य के विपरीत सी0 ई0 ए0 की परिभाषा द्वारा ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। एल0 टी0 लाइन बिछाकर ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

गांव सभा से वसूल धनराशि गांव-कोष में जमा करने की नीति

*15—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी तथा श्री कनक सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता व जन प्रतिनिधियों की दीर्घकाल से चली आ रही मांग के अनुरूप ग्राम सभा की भूमि अतिक्रमण के विरुद्ध जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 120 बी के अंतर्गत वसूल की गयी जुर्माने की धनराशि को सीधे ग्राम सभाओं के खातों में भेजने का निर्णय शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं । जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा 122-ख के अंतर्गत गांव सभा संपत्ति को क्षति पहुंचाने उसका दुर्विनियोजन करने या उस पर दोषपूर्ण अध्यासन करने के लिए वसूल की गई जुर्माने की राशि उक्त अधिनियम की धारा 125-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसार संहत गांवकोष में जमा की जाती है और उसका उपयोग उक्त धारा 125-क की उपधारा (4) के अंतर्गत गांव सभा के नामिका वकीलों की फीस एवं भत्तों के भुगतान, गांव सभा मुकदमों पर हुए व्यय के भुगतान तथा सामुदायिक उपयोगिता की भूमि के विकास पर व्यय के भुगतान हेतु किया जाता है । यह राशि गांव कोष में जमा किये जाने पर उक्त मदों पर व्यय हेतु धन की व्यवस्था में कठिनाई होगी ।

विद्युत परिषद् के प्लाण्ट लोड फैक्टर में सुधार

*16—श्री जयदीप सिंह बरार तथा कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित राज्य विद्युत परिषद् के नये पिछले पांच वर्षों में चालू किये गये तापीय विद्युत इकाइयों का प्लान्ट लोड फैक्टर इसी प्रदेश में स्थित नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की इकाइयों के प्लान्ट लोड फैक्टर से आधे से भी कम है? यदि हां, तो क्यों ? प्लान्ट लोड फैक्टर को बढ़ाने के क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं ।

प्लान्ट लोड फैक्टर में सुधार हेतु मुख्यतः निम्न उपाय किये जा रहे हैं:—

1—तापीय इकाइयों का सही समय पर बेहतर अनुरक्षण किया जाना।

2—कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयत्न ।

3—इकाइयों में डिजाइन की कमी को बी0 एच0 ई0 एल0 के सहयोग से दूर करने का प्रयास ।

जिला सैनिक परिषदों के नाम में परिवर्तन

*17—कर्नल केशरी सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि 8 जुलाई, 1982 से जिला सैनिक परिषदों का नाम, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में शासनादेश संख्या 1547/48-82-21-5 (13) टी0 सी0 दिनांक 8 जुलाई, 1982 के अंतर्गत परिवर्तित करने के फलस्वरूप अधिकांश जिलों में जिला सैनिक परिषदें निष्क्रिय कर दी गयी हैं, और भूतपूर्व सैनिकों का जो प्रतिनिधित्व इन परिषदों में होता था उन्हें समाप्तप्राय कर दिया गया है और जिलाधिकारी इसीलिए अब परिषदों की द्विमासिक बैठकें नहीं बुलाते हैं तथा केवल जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ही अपने विवेक से बिना भू0 पू0 सैनिकों की कोई सलाह किये पूरे कल्याण और पुनर्वास का

कार्य करते हैं तो इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में अत्यन्त असंतोषजनक है ? क्या शासन जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास परिषदों में भू0 पू0 सैनिकों के प्रतिनिधित्व को पुनर्जीवित कर उन्हें भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास के मामले में सलाह देने की पुन: व्यवस्था करने की कोई योजना बना रहा है? यदि हां, तो क्या और कब तक यह योजना लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जिला सैनिक परिषदों का नाम 8 जुलाई, 1982 से परिवर्तित कर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कर दिया गया है । इसके परिवर्तन के फलस्वरूप जिलों में जिला सैनिक परिषदें निष्क्रिय नहीं हुई हैं और उसके चार्टर आफ डियूटीज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । अत: कार्य प्रणाली में परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता है और न ही भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व समाप्त किया गया है ।

जहां तक जिलाधिकारी द्वारा दो माह में एक बार बैठक बुलाये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में जिलाधिकारी की राय से जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी दिनांक तथा समय निश्चित करके बैठक का आयोजन करते हैं । अत:जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी अपने विवेक से भू0 पू0 सैनिकों की बैठक नहीं करते हैं ।

जहां तक भू0 पू0 सैनिकों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है वह पूर्ववत् दिवमासिक/त्रैमासिक बैठक में बना हुआ है । अत: इस संबंध में कोई योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

कार्यवाहक तहसीलदार अमरोहा के विरुद्ध कथित आरोप की जांच

*18–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-6-86 को प्रश्नकर्ता ने तहसीलदार अमरोहा के विरुद्ध एक शिकायती पत्र राजस्व मंत्री को प्रेषित किया था? यदि हां, तो क्या उस शिकायती पत्र की जांच दिनांक 22, 23 जुलाई सन् 1986 को श्री सीतला प्रसाद सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद् द्वारा की गयी थी ? क्या यह सही है कि जांच के उपरान्त शिकायती पत्र की शिकायती नं0 1 सही पाई गई थी ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या थी तथा जांच के उपरान्त क्या तथ्य सामने आये ? शासन द्वारा तहसीलदार अमरोहा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । शिकायती पत्र में शिकायत सं0–1 यह थी कि "कार्यवाहक तहसीलदार बनते ही 122-बी में गांव समाज के मुकदमें तय किये और अनुचित लाभ उठाया ।" जांचोपरान्त अनुचित लाभ उठाने से सम्बन्धित आरोप की पुष्टि नहीं हुई ।

थानाध्यक्ष कुमारगंज, फैजाबाद द्वारा अवैधानिक रूप से विद्युत उपभोग सम्बन्धी शिकायती पत्र पर जांच

*19–श्री मित्रसेन–

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के 1ले शुक्र के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 150 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि थानाध्यक्ष कुमारगंज फैजाबाद द्वारा अवैधानिक रूप से उपभोग की गयी विद्युत

के बिल भुगतान न किए जाने तथा चोरी से किये गये विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही के संदर्भ में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद ने अब तक क्या कार्यवाही की है और बिजली की चोरी करने वाले उपरोक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के पहले शुक्र के लिए निर्धारित माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या-150 के उत्तर में जैसा कि यह कहा गया है कि थानाध्यक्ष कुमारगंज, फैजाबाद द्वारा अवैधानिक रूप से विद्युत उपभोग करने पर रु0 178·60 का बिल दिनांक 4·9·1985 को थानाध्यक्ष कुमारगंज, के पास भेजा गया था किन्तु अभी तक उनके द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है बल्कि उक्त थानाध्यक्ष द्वारा यह कहा गया है कि वह किसी प्रकार की चोरी नहीं कर रहे थे ।

इस सम्बन्ध में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद ने क्षेत्राधिकारी, बीकापुर से जांच करायी थी जिसमें यह बात प्रकाश में आयी कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा दिनांक 13·4·86 को एक मुकदमा रपट संख्या 63/86 धारा 379 भा0 द0 वि0/39 भा0 विद्युत अधिनियम अन्तर्गत थाना ध्यक्ष/थाना स्टाफ कुमारगंज, फैजाबाद के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्राधिकारी बीकापुर, फैजाबाद ने यह संस्तुति की है कि जब तक मामले की विवेचना पूर्ण न हो जाय तब तक ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद द्वारा कोई कार्यवाही न की जाय । क्षेत्राधिकारी बीकापुर, फैजाबाद ने जांच आख्या में यह भी लिखा है कि जांचोपरान्त यदि थानाध्यक्ष व अन्य स्टाफ विद्युत चोरी के मामले में दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा ही कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बरेली की फरीदपुर तहसील में बाढ़ग्रस्त ग्रामों की संख्या एवं सहायता

*20–श्री नत्थू लाल विकल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के अन्तर्गत वर्ष 1985 में बाढ़ से कितने ग्राम ग्रसित हुए थे ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त बाढ़ग्रस्त ग्रामों में गृह अनुदान एवं अन्य सहायता नियमानुसार बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को वितरित की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की इस शिथिलता के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वर्ष 1985 में बाढ़ से 103 ग्राम प्रभावित हुये थे ।

जी हां ।

जी नहीं । शिथिलता का कोई मामला नहीं पाया गया ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम गर्जिया का विद्युतीकरण करने की मांग

1–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के तह0 डीडीहाट वि0 खं0 बेरीनाग अन्तर्गत ग्राम सभा थल का विद्युतीकरण 1975 तक हो चुका था ?

इसी ग्राम सभा के अन्तर्गत हरिजन एवं जनजाति के उप गांव (जिसके मार्ग पर दो सम्पन्न परिवारों के पक्के मकान भी हैं) ग्राम गर्जिया का विद्युतीकरण, उप खण्ड अधिकारी विद्युत उप खण्ड (तृतीय) उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् डीडीहाट के पत्रांक 225 वि0 वि0 ड0 खण्ड (डी) 5-4 दि0 23-4-83 द्वारा विद्युतीकरण के निर्देश दिये जाने के बाद भी दि0 15-1-86 तक विद्युतीकरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उपरोक्त ग्राम का अतिशीघ्र विद्युतीकरण करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आवास विकास परिषद् की शेखूपुरा कालोनी (अलीगंज) लखनऊ के मकान सं0 एम0 आई0 जी0 13 में बकाये विद्युत देय से विद्युत विच्छेदन

2–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे शुक्रवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत भवन के संबंध में जनवरी, 1986 से पूर्व कब-कब और कितनी धनराशियों के बिल भुगतान हेतु भेजे गए और उनका भुगतान किन तिथियों में प्राप्त हुआ ? क्या ऊर्जा मंत्री प्रश्नकर्ता की इस जानकारी को सत्य मानते हुए कि प्रश्नगत भवन के संबंध में एक मात्र भुगतान प्रश्नकर्ता के प्रश्न करने के बाद ही किया गया है, यह बताने का कष्ट करेंगे कि लगभग 2 वर्षों तक भुगतान न होने पर भी विद्युत कनेक्शन किस नियम के अन्तर्गत नहीं काटा गया? क्या मंत्री जी उक्त भवन में, जिसमें 6 व्यक्तियों का परिवार रहता है तथा जो सामान्यतया हर समय खुला रहता है, मीटर रीडिंग कराने की व्यवस्था करेंगे और कब ?

श्री सुनील शास्त्री–

जनवरी, 1986 के अन्त तक, जुलाई 1984, सितम्बर, 1984, नवम्बर, 1984, जनवरी, 1985, मार्च, 1985 मई, 1985, जुलाई, 1985, सितम्बर, 1985 नवम्बर, 1985 व जनवरी, 1986 में न्यूनतम धनराशि के आधार पर रु0 28.00 की धनराशि के बिल भुगतान हेतु भेजे गये। इन बिलों का सम्मिलित कुल भुगतान (रु0 280.00 का) दिनांक 15-2-1986 को प्राप्त हुआ ।

विद्युत कनेक्शन की तिथि से अब तक भेजे गये बिलों की सम्मिलित कुल धनराशि रु0 1916.88 के विपरीत केवल रु0 1112-20 का भुगतान किये जाने की स्थिति में उक्त विद्युत कनेक्शन को काट दिया गया है ।

जी हां । मीटर रीडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई। मई 1986 से नियमतः मीटर रीडिंग ली जा रही है तथा विद्युत उपभोग के आधार पर बिल जारी किये जा रहे हैं।

सड़क निर्माण कार्य के अन्तर्गत बेदखली के मामले न्यायालय के विचाराधीन

3–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम गोहलिया मजरे नरेंदी, परगना, तहसील व जिला लखनऊ में ग्राम उत्थान स्कीम के अन्तर्गत सड़क का निर्माण कार्य जनवरी 1984 में शुरू किया गया था और जिसका कार्य 90 प्रतिशत पूरा भी हो गया था ? यदि हां, तो दिनांक 27-2-84 को ग्रामवासी श्री बाबादीन, अशर्फी, मोहन

लाल आदि ने ग्राम की परती जमीन तालाब पर अवैध कब्जा खेत के रूप में करके पेड़ लगा दिये तथा एक छोटी सी दीवाल और एक नकली कब्रिस्तान बना दिया जिसके कारण सड़क का निर्माण कार्य रुक गया ? यदि हां, तो क्या ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद जुलाई, 84 में परगनाधिकारी द्वारा यह आदेश दिया गया था कि दीवाल, पेड़ आदि कटवा कर मार्ग का निर्माण पूरा करा दिया जाय ? क्या उक्त आदेशों के अनुसार सड़क का अधूरा निर्माण पूरा करा दिया गया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

कथित अवैध कब्जेदारों द्वारा दीवाल तथा पेड़ आदि हटाये जाने पर आपत्ति किए जाने के कारण इनके विरुद्ध बेदखली का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जिसके निस्तारण के उपरान्त ही विधिक कार्यवाही की जानी सम्भव होगी ।

दैनिक वेतन भोगी श्री रमेश चन्द्र पन्त की सेवाकाल में मृत्यु होने के पश्चात आश्रितों को आर्थिक सहायता की मांग

4–श्री काशी सिंह ऐरी –

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना में कनालीछीना पापली विद्युत मार्ग में कार्य करते हुए दैनिक वेतन धारी श्री रमेशचन्द्र पन्त (पुत्र बालकृष्ण पन्त, ग्राम सांगड़ी पत्रालय छड़नदेव तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़ के स्थायी निवासी) की दिनांक 16-12-84 को विदयुत खम्बे से गिरकर रीढ़ की हड्डी में गम्भीर चोट लगने के कारण जनवरी, 85 में लखनऊ मेडिकल कालेज में मृत्यु हुई थी? यदि हां, तो मृतक के अंधे माता-पिता को अब तक आर्थिक सहायता देने/क्षति पूर्ति करने हेतु क्रमशः क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि आवंटन हेतु मानक

5–श्री राम सागर –

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के 5 वें शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 133 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 12-12-83 को भूमि प्रबंध समिति के पारित प्रस्ताव के अनुसार भूमि आवंटन विषयक व्यक्तियों की पात्रता का आकलन करने हेतु क्या मानक रखा गया था और उक्त मानक के आधार पर अपात्र घोषित किये गये श्री भवानी प्रसाद व भवानी भीख पुत्रगण स्व0 बुद्धू के पास अलग-अलग जोत का कुल कितना-कितना रकबा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 12-12-1983 में उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया जिनके पास डेढ़ बीघा से कम भूमि थी ।

सर्वश्री भवानी प्रसाद तथा भवानी भीख पुत्रगण स्व0 बुद्धू के पास क्रमशः 1 बीघा 11 बिस्वां 17 धुर तथा 1 बीघा 12 बिस्वां 17 धुर कुल रकबा है जिसमें सर्वश्री भवानी प्रसाद तथा भवानी भीख के नाम क्रमशः क्षेत्रफल 0-8-7 तथा 0-9-7 संक्रमणीय भूमिधर के रूप में है तथा स्व0 बुद्धू पुत्र शिवपलटन को भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 20-2-76 द्वारा 1 बीघा 12 बिस्वा का पट्टा स्वीकृत किया गया था श्री बुद्धू की मृत्यु के उपरान्त उपरोक्त दोनों

पुत्रों के हिस्से में 0-16-0 रकबा प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त स्व0 बुद्धू के कब्जे में ग्राम समाज का 0-15-0 रकबा वर्ष 1389 फसली से चला आ रहा है जिसके कारण दोनों पुत्रों के हिस्से में 0-7-10 रकबा प्राप्त हुआ। शासनादेश संख्या-3618/80(1)(3) 75-राज-1 दिनांक 7-10-80 के अन्तर्गत इन्हें सीरदार मान लिया गया है।

6-श्री कनक सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम सभा गजौली, पुरवा, उन्नाव के लेखपाल के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

7-श्री हृदय नारायन दीक्षित-

क्या राजस्व मंत्री यह बतायेंगे कि मा0 राज्य मंत्री को उन्नाव जिले के पुरवा तहसील के ग्राम सभा गजौली के लेखपाल द्वारा अनियमितता बरतने सम्बन्धी गुजौली गांव के किसानों का पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्रांक 176/86 दि0 12-3-86 मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री बल्देव सिंह आर्य-

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम अर्रा (सीतापुर) के श्री नन्दलाल एवं उनकी पत्नी तथा बैलों की बिजली के तार से घातक दुर्घटना में क्षतिपूर्ति

8-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अगस्त, 84 में विकास खण्ड परसेंडी, जिला सीतापुर के ग्राम अर्रा खमाजपुर में नन्दन तथा उसकी पत्नी व दो बैलों की बिजली का तार छू जाने से जो मृत्यु हुई थी उनके आश्रितों को अब तक बिजली बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता दी गयी? यदि हां, तो कब तथा कितनी-कितनी सहायता दी गयी और ऐसे मामलों में कुल कितनी-कितनी सहायता देय होती है? यदि नहीं दी गयी, तो कब तक दे दी जायेगी?

श्री सुनील शास्त्री-

श्री नन्द लाल, उनकी पत्नी श्रीमती रानी देवी तथा दो बैलों की बिजली के टूटे तार से हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा एक-एक हजार रुपये की अन्तरिम सहायता का भुगतान निम्नलिखित आदेशों द्वारा किया जा चुका है :-

(1) संख्या 3255-वि0 वि0 ख0 सी0/ए-6 दिनांक 28-7-1984 (श्री नन्द लाल)

(2) संख्या 3256-वि0 वि0 ख0 सी0/ए-6, दिनांक 28-7-1984 (श्रीमती रानी देवी)

साधारणतः बिजली के तार से घातक दुर्घटना के मामलों में परिषद् द्वारा रु0 5,000 की धनराशि का भुगतान किया जाता है तथा विशेष मामलों में रु0 10,000 तक मुआवजा देने का प्राविधान है।

ऐसे मामलों में क्षेत्रीय समिति की संस्तुति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा पुलिस पंचनामा आदि के प्राप्त होने पर ही अनुग्रह क्षतिपूर्ति स्वीकृत की जाती है। अभी तक क्षेत्रीय समिति की संस्तुति परिषद् में प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होते ही परिषद् द्वारा नियमानुसार अनुग्रह क्षतिपूर्ति स्वीकृत कर दी जायगी।

श्री भानु प्रताप सिंह, कल्यानपुर जामों, सुल्तानपुर का शिकायती पत्र एवं जांच की मांग

9-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री भानु प्रताप सिंह, निवासी कल्यानपुर,

परगना जामो का दिनांक 14-3-84 का रजि0 प्रार्थना पत्र जिसमें परती व सार्वजनिक भूमि का फर्जी पट्टा कराकर जमीन हड़पने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र की जांच अब तक न कराने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

10–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मंत्री जी उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच मौके पर किसी उच्चाधिकारी से कराकर पट्टा निरस्त करने व दोषी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

11–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[1ले गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के कतिपय ग्रामों के लाभार्थी व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर कब्जा

12–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा महेन्द्र, कुन्डेसर, वीरपुर, इचौली, चकशाह मुहम्मद उर्फ मलिक में जनवरी, 1986 तक कृषि अथवा आवास हेतु जो भूमि आवंटित की जा चुकी है उनमें से किन-किन ग्राम सभाओं में कितने-कितने लाभार्थी व्यक्तियों को मौके पर कब्जा दिलाया जा चुका है तथा किन-किन ग्राम सभाओं में कितने-कितने व्यक्ति अभी कब्जा नहीं पा सके हैं ? कब तक इन्हें कब्जा दिला दिया जायगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के गांव सभा महेन्द, कुन्डेसर, वीरपुर, इचौली, चक शाह मुहम्मद उर्फ मलिकपुरा में जनवरी, 1986 तक कृषि तथा आवास हेतु आवंटित भूमि पर सभी आवंटियों को मौके पर कब्जा दिलाया जा चुका है। पट्टा देने तथा अमलदरामद की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है। किसी भी गांव सभा में कोई आवंटी कब्जा पाने से वंचित नहीं रह गया है ।

जनपद गाजीपुर में तहसील मुहम्मदाबाद के कतिपय ग्रामों के विद्युतीकरण करने की मांग

13–श्री अफजाल अंसारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम महेन्द्र, मुरेड़ा, मिर्जाबाद, मुकाकलां, गोडउर आदि का कब तक विद्युतीकरण किया जा सकेगा ? क्या इन ग्रामों के नागरिकों ने बिजली कनेक्शन प्राप्त करने हेतु सामूहिक रूप से 25-25 रुपया शुल्क जमा करके आवेदन पत्र दिया है ? यदि हां, तो कब और कितनी-कितनी संख्या में तथा आवेदनकर्ताओं को बिजली के कनेक्शन कब तक दिये जायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल मुख्य ग्रामों (जनगणना-पुस्तिका के अनुसार) का ही आंकलन किया जाता है, पुरवों का नहीं । तद्नुसार मुकाकलां नामक कोई मुख्य ग्राम नहीं है। जहां तक ग्राम–महेन्द्र, मुरेड़ा, मिर्जाबाद व गोडउर के विद्युतीकरण का प्रश्न है, उक्त ग्रामों के लिये कोई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत नहीं है। राज्य सामान्य योजना

के अन्तर्गत भी निर्धारित शर्तों के पूरा न होने के कारण अभी उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है।

जी हां, ग्राम मुकाकलां को छोड़कर शेष चार ग्रामों–क्रमशः महेन्द्र, मुरेड़ा, मिर्जाबाद व गोडउर के नागरिकों ने क्रमशः शून्य, 17, 23, व 80 प्रार्थना पत्र अर्नेस्ट मनी रुपया 25 के साथ दिये हैं जिनकी तिथियां उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि उक्त ग्रामों के किसी भी व्यक्ति द्वारा आवश्यक धनराशि जमा करके अनुबंध नहीं किया गया है अतः उन्हें कनेक्शन दिया जाना सम्भव नहीं है।

14–श्री हर्ष वर्धन–

[करण सं0 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद उन्नाव के ग्राम बरूवा के हरिजनों को आवंटित भूमि पर विवाद सम्बन्धी पत्र

15–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव, तहसील पुरवा, ग्राम बरूवा की गाटा संख्या 59 रजऊ आदि हरिजन भूमिहीनों को नियमानुसार भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आवंटित की गयी थी और लेखपाल ने उनको मौका पर निशानदेही करके कब्जा भी दिला दिया था? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भूमि पर शोरे पुस्ती की बिना पर अब गंगाराम आदि काबिज हो गये हैं ? इस संबंध में रजऊ आदि का मुख्य मंत्री को भेजा गया प्रार्थना पत्र दिनांक 31-1-86 शासन को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम हाटा, जिला सुल्तानपुर के भूआवंटियों का शिकायती पत्र

16–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 47 दिनांक 12-7-85 जो ग्राम हाटा, जिला सुल्तानपुर के भूआवंटियों की गम्भीर शिकायत से सम्बन्धित है, आपके कार्यालय के रजिस्टर में राजस्व सचिव को सन्दर्भित है, प्राप्त किया गया है ? यदि हां, तो उक्त सन्दर्भ में आपके स्तर से दिये गये आदेशों के परिपालन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव में श्रमिकों की नियमानुसार नियुक्ति

17–श्री मित्रसेन–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1977 व 1978 में विद्युत वितरण खंड उन्नाव में लगभग 60 श्रमिकों की नियुक्ति शासन के किस नियम और आदेश के अन्तर्गत की गई है ? क्या इस संबंध में उन्नाव के बिजली कर्मचारी संघ का संगठन निरन्तर नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार की मांग कर रहा है ? यदि हां, तो अब कृत कार्यवाही एवं जांच प्रगति एवं प्रक्रिया क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री–

विद्युत वितरण खंड, उन्नाव में वर्ष 1977 व 1978 में लगभग 60 श्रमिकों की नियुक्ति परिषदाज्ञा संख्या 1140-एन.जी. (1)/रा0वि0प0-77 (4)–59 एन.जी./1974, दिनांक मई 2, 1977 के अनुसार की गई थी।

नियुक्तियों के संबंध में भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत बिजली कर्मचारी संघ, उन्नाव द्वारा परिषद् में प्राप्त नहीं हुई। अतः इस संबंध में उनके द्वारा जांच एवं कार्यवाही का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम प्रधान भदोखर, जिला फैजाबाद के विरुद्ध अवैध पट्टे संबंधी शिकायती-पत्र

18—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान ग्राम भदोखर परगना हवेली तहसील व जिला फैजाबाद द्वारा अपने पुत्रों व अन्य पारिवारिक जनों के नाम दिए गए ग्राम समाज की भूमि के अवैध पट्टे के विरुद्ध श्री प्रवेज अखतर ग्रामवासी द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को कोई शिकायती पत्र दिनांक 3-1-83 दिनांक 6-1-83 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो शिकायत के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा सन्दर्भित मसले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद के बीकापुर में कतिपय निवासियों द्वारा ग्राम समाज की बचत भूमि पर अवैध कब्जे पर नियुक्त जांच अधिकारी की जानकारी की मांग

19—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के 7वें शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के संदर्भ में मा0 राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि संदर्भित मामले की जांच कब किससे कराई गई है ? क्या कोई राजपत्रित अधिकारी मौके पर जांच करने गया था ? **यदि हां, तो क्या ग्राम प्रधान तथा अन्य भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों को भी विश्वास में लेकर पूछताछ की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?**

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

20—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खंड खोराबार के ग्राम रामपुर डाडी व कुई बाजार प्यासी व चकदेइया विकास खण्ड ब्रह्मपुर के ग्राम कटसिकरा मिश्रौनिया, काना सोनबरसा गांवों में करीब 5 साल से विद्युत पोल बने हुए हैं परन्तु इनमें विद्युत आपूर्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो विद्युत आपूर्ति करने की कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं। प्रश्नगत ग्रामों का विद्युतीकरण एल0 टी0 लाइन बिछाकर, करके विद्युत आपूर्ति कराई जा चुकी है।

उत्तरकाशी में स्थित मनेरी विद्युत परियोजना के टरबाइन के खराब होने के कारण एवं उपाय तथा रोकथाम

21—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित मनेरी भाली विद्युत परियोजना के टरबाइन अगस्त, सन् 85 में किन कारणों से खराब हो गए थे ? उन कारणों के निराकरण करने हेतु किस एजेन्सी द्वारा क्या उपाय किए गए एवं उस पर विद्युत विभाग को कितना खर्चा करना पड़ा है ?

श्री सुनील शास्त्री—

उक्त परियोजना प्रथम चरण की तीन टरबाइन जुलाई, 1985 में भागीरथी नदी

के जल के सिल्ट में क्वार्ट्स की मात्रा अत्यधिक होने के कारण खराब हो गई थी । उक्त समस्या के निराकरण हेतु भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा टरबाइन रनर, गाइड वेन आदि के धातुक्रम में मूल रूप से परिवर्तन किए जाने का निर्णय लिया गया । सिंचाई विभाग द्वारा एक अतिरिक्त सैडिमेंटेशन टैंक बनाने हेतु आवश्यक प्रारूप का अध्ययन किया जा रहा है ताकि रेत के बड़े कणों को मशीन तक न पहुंचने दिया जाय । मशीनों के जलमग्न भागों की परिकल्पना में परीक्षण के रूप में परिवर्तन किया जा रहा है, ताकि मशीन के क्षतिग्रस्त पार्ट्स कम से कम समय में बदले जा सकें ।

22—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या उक्त विद्युत परियोजना में जो खराबी आई है उसके लिए किसी अधिकारी को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस प्रकार की घटनाओं के रोकथाम के लिए उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, बी0 एच0 इ0 एल0 सिंचाई विभाग सामूहिक रूप से प्रयत्नशील है ।

ग्राम कलानी खुर्द, तहसील सदर, गोरखपुर की भूमि नं0 26 के आवंटन का विवरण

23—श्री हर्ष वर्धन—

क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कलानी खुर्द, (महोव) तहसीला सदर, जिला गोरखपुर में ग्राम समाज की भूमि नं0 26 में कितना खलिहान व कितनी आबादी हेतु जमीन है ? क्या भूमि पर किसी का जबरन कब्जा है? यदि हां, तो यह किसकी जिम्मेदारी है एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम कलानी खुर्द (महोव) तहसील सदर जिला गोरखपुर में भूमि नं0 26 का कुल रकबा 2.69 एकड़ है । जिसमें 0.01 डि0 बनारसी पुत्र बसावन सा0 देह, 0.10 डि0 भूमि राम लाल वगैरह के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है । 0.37 डि0 भूमि आबादी व 2.21 एकड़ बंजर भूमि में केवल 0.50 डि0 भूमि मौजूद है जिसमें ग्राम के लोग दोनों फसलों में खलिहान करते हैं । शेष भूमि आबादी के रूप में है जिसमें अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों के मकान बने हुए हैं । अनाधिकार कब्जा नहीं है । इसलिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम ककरैआ, तहसील बिलग्राम, हरदोई में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध पट्टे के विरुद्ध कृत कार्यवाही

24—श्री हरि शंकर तिवारी (बिलग्रामी)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि ग्राम ककरैआ, पर0 कटियारी, तह0 बिलग्राम, जि0 हरदोई के अवैध पट्टे निरस्त करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 16-4-84 जिसका उत्तर पत्र सं0 बी0 314/1-2/84-रा0 2 दि0 29-10-84 राजस्व अनुभाग-2 द्वारा दिया गया था, में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम ककरैआ, परगना कटियारी, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई के अवैध पट्टों के सम्बन्ध में जांचोपरान्त ग्राम सभा भूमि के 31 पट्टे अवैध पाये

गये, जिनको निरस्त करने हेतु धारा-198(4) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए सक्षम न्यायालय में भेज दिया गया है।

खैरिया शिकमी गोहाना (मैनपुरी) में चकबन्दी प्रक्रियाओं के द्वारा भूमि आवंटन एवं बेदखली

25—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की गांव सभा खैरिया शिकमी गोहाना की अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता की सूचनाएं दिनांक 8-8-85 व 22-8-85 व 19-3-86 मंत्री जी को प्राप्त हुई? यदि हां, तो इन सूचनाओं पर क्या कार्यवाही हुई और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम खेरिया शिकमी गोहाना में चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत सुरक्षित रास्ता, तालाब, पोखर, पंचायतघर, खेल का मैदान, स्कूल, ऊसर, बंजर भूमि, मेले, खेल के मैदान को छोड़कर शेष भूमि पर से अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल किया जा चुका है।

खेल का मैदान गाटा सं0 35/0-29 एकड़ गांव सभा द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 83 की बैठक में आवास स्थल आवंटन किया जा चुका है, जिसे परगनाधिकारी, जसराना द्वारा दिनांक 22-2-83 को स्वीकृत किया गया है। आवंटन का मुख्य कारण भूमि का खेल के मैदान के रूप में उपयोग न किया जाना एवं आबादी के निकट खाली पड़ा रहना था। उक्त आवंटन के विरुद्ध विपक्षीगणों द्वारा नियम-115/बी के अन्तर्गत सप्तम न्यायालय में वाद दायर किये गये थे जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। भूमि प्रबन्धक समिति के पदाधिकारियों से सम्बन्धित आवंटी पृथक-पृथक रह रहे हैं। सुरक्षित खेल के मैदान के गाटा संख्या—35/0-29 एकड़ के आवंटन के विरुद्ध दूसरा गाटा संख्या—167/0-29 एकड़ सुरक्षित कर दिया गया है। आबादी का नम्बर गाटा संख्या—95 का पट्टा भरत सिंह आदि के नाम वर्ष 1967 में विधिवत् किया गया था और आवंटित क्षेत्रफल 0.64 एकड़ पर भरत सिंह का मकान बना हुआ है।

प्राप्त सूचनानुसार मामले में किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना एवं स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक नहीं पाया गया।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम पसौंडा में 32 गाटों पर महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी का कब्जा

26—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के ग्राम पसौंडा में ग्राम सभा की भूमि खसरा नं0 1725, 119, 946, 950, 1081, 1082, 1088, 1292, 1294, 1317, 1322, 1417, 1509, 1557, 1560, 1563, से 1565, 1572, 1581, 1607, 1619, 1624, 1627, 616, 1645, 1656, 1694, 1698, 1695, 1605, 1225 कुल रकबा लगभग 600 बीघा है, इस समस्त भूमि पर श्री देशराज छाबड़ा, प्रबन्ध निदेशक, महा लक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी आसफ अली रोड, नई दिल्ली का पिछले 10 वर्ष से अवैध कब्जा है? यदि हां, तो श्री देशराज छाबड़ा जो दिल्ली के प्रमुख कालोनाइजर

हैं, के बेदखल करने की कोई कार्यवाही शासन करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं। वस्तुतः प्रश्नगत 32 गाटों का कुल क्षेत्रफल 139-4-8 बीघा है। कुल क्षेत्रफल 139-4-8 में से 97-13-10-9 क्षेत्रफल पर महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी का दखल व कब्जा है।

प्रश्नगत भूमि के गाटा संख्या–1292 मि0/3-6-15, 1294 मि0/6-0-9, 1317 मि0 12-15-0, 1560 मि0/6-19-13, 1563 मि0/14-15-8, 1564 मि0/2-3-0, 1565 मि0/0-4-0 1572/1-15-0, 1581/5-17-0, 1605 मि0/0-11-0, 1607 मि0/0-10-4-7, 1624/1-2-0, 1627 मि0/4-2-17, 1645/1-0-0, 1656/1-1-0, 1694/0-8-0, 1695/0-16-0, 1119/2-17-0, 1417/1-4-0, 1509/1-0-0, 1557 मि0 1-18-15, 1698/0-6-0 कुल क्षेत्रफल 70-13-1-16 महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी के नाम खातों में पूर्व से ही भूमिधरी दर्ज है।

प्रश्नगत गाटों में से गाटा संख्या–1082/1-0-5 देशराज छाबड़ा के पुत्र अशोक कुमार के नाम 1088/4/2-9-7 देशराज छाबड़ा के नाम तथा 1527/1-17-0 विष्णु दत्त पुत्र देशराज छाबड़ा के नाम खतौनी में दर्ज है जिनके अलग खाते हैं। इनका क्षेत्रफल 5-6-12 है।

प्रश्नगत गाटे में से गाटा संख्या–950/0-11-0, 1557 मि0/0-8-13, 1564 मि0/3-16-0, 1565 मि0/2-6-0, 1605 मि0/0-8-0, 1607 मि0/0-12-15-13, 1619/1-2-0, 1725/5-7-0, 946/11/0-7-0, 1081 मि0/0-4-10, 1088/3/2-17-13, 1292 मि0/3-13-5 कुल क्षेत्रफल 21-13-16-13 बीघा आबादी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाइनेन्स दर्ज है। उक्त 21-13-16-13 बीघा परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 8-8-79 मुकदमा नं0 5 धारा 33/39 एल0 आर0 एक्ट में आबादी दर्ज किये जाने के आदेश हुए थे परन्तु अभिलेख में त्रुटि पूर्ण अमलदरामद किये जाने के कारण यह गाटे तथा क्षेत्रफल महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी के नाम अंकित हो गये। त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की जानकारी होने पर लेखपाल एवं रजिस्ट्रार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई। परन्तु न्यायालय से वह दोषमुक्त हो गए एवं दोनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

परगनाधिकारी द्वारा महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी का नाम 21-13-16-13 से खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 23-3-85 के विरुद्ध कम्पनी ने अतिरिक्त आयुक्त के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिसके निरस्तीकरण की कार्यवाही परगनाधिकारी तथा अन्य दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों, जिनके कारण गलत आदेश पारित हुए और लेखपाल तथा रजिस्ट्रार कानूनगो न्यायालय से दोषमुक्त हो सेवानिवृत्त हो गए, के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश जिलाधिकारी, गाजियाबाद को दे दिये गए हैं। न्यायिक प्रक्रिया में ग्रस्त होने के कारण प्रकरण में अभी कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम छपरौला में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध पट्टे के निरस्तीकरण के आदेश

27–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के गांव

छपरौला में ग्राम सभा की भूमि के पट्टे सन् 1961 से 1974 तक कितने पुलिस कर्मचारियों एवं तहसील कर्मचारियों को किये गये ? क्या पट्टेधारी गांव छपरौला के मूल निवासी हैं ? यदि नहीं, तो इन पट्टों की वैधानिकता क्या है ? क्या शासन इन पट्टों के निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद गाजियाबाद के ग्राम छपरौला में वर्ष 1961 से नहीं बल्कि वर्ष 1966 से वर्ष 1974 तक भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा 38 व्यक्तियों को 88 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी ग्राम सभा की कृषक भूमि के पट्टे प्रस्तावित किये गये थे। इनमें से केवल वर्ष 1971 एवं 1974 में ग्राम सभा भूमि के पट्टे पुलिस कर्मचारियों को किये गये थे । वर्ष 1961 से 1974 तक किसी भी तहसील कर्मचारी को पट्टा नहीं किया गया था। उक्त में से पुलिस कर्मचारी एवं उनके सम्बन्धियों को किये गये छः पट्टों में से दो पट्टे परगनाधिकारी द्वारा पूर्व में ही निरस्त कर दिये गये थे । यह सत्य है कि पुलिस कर्मचारी और उनके सम्बन्धी ग्राम के मूल निवासी नहीं हैं और न ही प्रथम दृष्टया पात्रता श्रेणी में आते हैं इसलिये अपात्र व्यक्तियों के पक्ष में किये गये पट्टों के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में निर्देश जिलाधिकारी को दिये जा चुके हैं और उनके स्तर पर पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

ग्राम बहुरावा, तहसील मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर स्थित कतिपय ग्राम समाज के भूखण्डों पर अवैध कब्जे की बेदखली आदेश

28–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित प्रश्नोत्तर के संदर्भ में आपके पत्र संख्या 265/ ओ आर जी एल/एस0 एन0 पी0/वी आई पी/ 86, दिनांक 29-3-86 के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? सार्वजनिक भूमि संख्या 3472 एवं 3473 स्थित ग्राम बहुरावा, तहसील मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर के अवैध कब्जे हटाने एवं नाजायज तरीके से भूमि हड़पने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम बहुरावा, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर स्थित भू-खण्ड संख्या 3472 क्षेत्रफल 0-16-0 व 3473, क्षेत्रफल 0-16-10 के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिलाधिकारी, प्रथम, सुल्तानपुर के कथित आदेश दिनांक 7-6-1979 मुकदमा नं0 31/607 अन्तर्गत धारा 229 बी0 जमींदारी विनाश अधिनियम की छानबीन करने तथा अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात, मुख्य राजस्व अधिकारी के आदेश दिनांक 13-2-87 के द्वारा फर्जी अमलदरामद को निरस्त कर दिया गया है। उक्त भू-खण्ड के सम्बन्ध में चकबन्दी में चल रहे वाद की प्रभावी पैरवी करने व बाबूराम के नाम उक्त फर्जी अमलदरामद के आधार पर चक आवंटन को निरस्त कराने हेतु जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

विद्युत परिषद् में उपखण्डीय कार्यालय के मुख्यालय का स्थानान्तरण एवं किराया निर्धारण करने वाले सक्षम अधिकारी

29–श्री कृष्ण कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के उप खण्डीय कार्यालय के मुख्यालय को स्थानान्तरण करने एवं उसके लिए भवन किराये पर लेने के लिए संस्तुति दे देने का कौन सक्षम अधिकारी है ? क्या उप

खण्ड अधिकारी स्वयं अपना कार्यालय एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करने के लिए सक्षम अधिकारी है ? यदि नहीं, तो श्री आर0 एल0 गुप्ता उप खण्ड अधिकारी विद्युत पोल निर्माण जनपद उप खण्ड आगरा ने अपना कार्यालय 132 के0 वी0 विद्युत उप गृह ताज से हटाकर विद्युत कालोनी कमलानगर कैसे ले गये ? क्या इसके लिए उच्च अधिकारियों की संस्तुति उपलब्ध करा ली गयी थी ?

श्री सुनील शास्त्री–

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के उप-खण्डीय कार्यालय के मुख्यालय को स्थानान्तरण करने एवं उसके लिये भवन किराये पर लेने के लिये संस्तुति देने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सक्षम अधिकारी है ।

जी नहीं।

चूंकि 132 के0 वी0 विद्युत उपगृह ताज आगरा पर, उपखण्ड अधिकारी विद्युत पोल निर्माण उपखण्ड आगरा का कोई कार्यालय भवन किराये पर नहीं था, इसलिये श्री आर0 एल0 गुप्ता, उपखण्ड अधिकारी कैम्प आफिस कमला नगर (जो उनके परिषदीय आवास में स्थित था) से कार्य करते थे जिसका कोई किराया नहीं दिया जाता था । अतएव प्रश्नगत उपखण्डीय कार्यालय को 132 के0 वी0 विद्युत उपगृह ताज से कमलानगर कालोनी ले जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आर0 एल0 गुप्ता, उप खण्ड अधिकारी के पिछले कार्यकाल का विवरण एवं कथित यात्रा भत्ता

30–श्री कृष्ण कुमार–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री गुप्ता इस उप खण्ड का कार्यभार ग्रहण करने से पहले आगरा में ही अवर अभियन्ता के रूप में कार्यरत थे और विद्युत कालोनी कमलानगर में ही रहते थे तथा उप खण्ड का कार्यभार ग्रहण करते ही विद्युत कालोनी कमलानगर, आगरा से ताज स्थित कार्यालय आने जाने के लिए यात्रा भत्ता ग्रहण करने के लिए ही उक्त स्थानान्तरण कराया था? यदि नहीं, तो इसके साथ कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण हुआ था और कार्यालय का सामान स्थानान्तरण करने में कितना धन व्यय हुआ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं । चूंकि श्री आर0 एल0 गुप्ता, उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रश्नगत उप-खण्डीय कार्यालय का स्थानान्तरण नहीं किया गया था अतः न तो किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण हुआ और न ही सामान स्थानान्तरण पर कोई धन व्यय हुआ ।

जनपद उन्नाव में मौरावां पावर हाउस के निकट बिजली के तार से लगी खलिहान में आग की क्षतिपूर्ति की मांग

31–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मौरावां पावर हाउस के निकट ग्राम भुरैता, उन्नाव में मई, 1986 के दूसरे सप्ताह में बिजली से लगी आग से खलिहान जल गया तथा खलिहान के मालिकों ने तार ठीक करने के लिए अवर अभियन्ता, मौरावां पावर हाउस से प्रार्थना किया था ? यदि हां, तो ठीक न करने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 315/86, दिनांक 14-5-86 जो कि आग लगने से खलिहान मालिकों को हुई क्षति का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या

कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–
सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम बलुआ (गोरखपुर) के हरिजनों को आवन्टित भूमि पर कब्जा

32–श्री हर्ष वर्धन–
क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बलुआ तहसील फरेन्दा, जनपद गोरखपुर के हरिजनों को आवंटित भूमि पर कब्जा मिला हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–
जी हां ।
शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

शासन के नीतियों की अंतर्गत नागरा परिवार सुमेरपुर (लखीमपुर खीरी) की अवैध भूमि को अधिग्रहित करने की मांग

33–श्री रणजीत–
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नागरा परिवार ग्राम सुमेरपुर थाना सम्पूर्णानगर परगना पलिया तहसील निघासन जिला लखीमपुर खीरी के कब्जे में कुल कितनी भूमि है ? क्या यह सही है कि उक्त परिवार के कब्जे में सैकड़ों एकड़ अवैध भूमि है जो शासन की योजनाओं/नीतियों के ठीक विपरीत है ? यदि हां, तो क्या शासन इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर कुल अवैध भूमि को नागरा परिवार से लेकर स्थानीय भूमिहीनों में वितरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–
सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उन्नाव जनपद में पुरवा तहसील के कतिपय तालाबों से क्षतिग्रस्त फसलों की विवरण

34–श्री हृदय नरायन दीक्षित–
क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के ग्राम दऊ दरसवा मिरीं आदि के मध्य स्थित दतनई तालाब ग्राम भादिन क्षेत्र के भादिन तालाब व मौरांवा के दारखेड़ा कोडरा के पास परेता झील व सकारार तालाब तथा ग्राम बधेवरा के महना झील से प्रति तालाब अलग-अलग कितने एकड़ भूमि वर्ष 1985-86 में बिना बोए रह गयी है और कितने एकड़ भूमि की फसल नष्ट हो गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–
दतनई तालाब ग्राम दऊ दरसवां मिरीं कला असावर ग्रामों के बीच में फैला हुआ है । वर्ष 1985-86 में कृषिक क्षेत्र 81 हेक्टर प्रभावित हुआ उसमें 53-5 हेक्टर भूमि बिना बोये रह गयी तथा 27-5 हेक्टर की फसल नष्ट हो गयी ।

भादिन तालाब ग्राम भादिन परगना व तहसील पुरवा में स्थित है । इस तालाब में वर्ष 1985-86 में 65 हेक्टर कृषिक क्षेत्रफल प्रभावित हुआ उसमें 65 हेक्टर बिना बोए रह गयी । इस पर पानी भरा रहा ।

परेता झील कोड़रा, मुरैता, पिंजरा ग्रामों में स्थित है । वर्ष 1985-86 में 80 हेक्टर कृषिक क्षेत्र इस झील से प्रभावित हुआ । इसमें 32-5 हेक्टर भूमि की बोई फसल नष्ट हो गई । 47-5 हेक्टर भूमि पानी भरे रहने के कारण बोए जाने से वंचित रह गयी ।

सकरार तालाब मौरावां मिर्जापुर ग्रामों में स्थित है । वर्ष 1985-86 में 57-5 हेक्टर कृषिक भूमि प्रभावित हुई । इसमें से 20 हेक्टर भूमि बोई हुई फसल नष्ट हो गयी तथा 37-5 हेक्टर भूमि में पानी भरा रहने से बोए जाने से वंचित रह गयी ।

महना तालाब पुरवा तहसील के ग्राम बछौरा ऊसरी खेड़ा, दुन्दपुर ग्राम के क्षेत्र में फैला हुआ है इस तालाब में वर्ष 1985-86 में 102-5 हेक्टर कृषिक भूमि प्रभावित हुई इसमें 59-5 हेक्टर में बोई हुई फसल नष्ट हो गयी तथा 43 हेक्टर में पानी भरा रहने से फसल बोने से रह गयी है ।

ग्राम प्रधान बरवाकला गोरखपुर के विरुद्ध भूमि आवंटन सम्बन्धी कथित आरोप की जांच

35—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रशासन को गत वर्ष ग्राम प्रधान बरवाकला (सिसवा बाजार) गोरखपुर के विरूद्ध भूमि आवंटन आदि संबंधी गंभीर आरोप पत्र गांव वालों ने देकर जाच की मांग की ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

ग्रामीण जनता के समक्ष खुली जांच करायी गयी । जांचोपरान्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध की गयी शिकायत निराधार पाई गयी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रोजेक्ट मैनेजर/ उपनिदेशक, आई0 सी0 डी0 एस0 के विरुद्ध भा0 सदस्यों के शिकायती पत्र की प्राप्ति

36—श्री रमेश यादव तथा

श्री मयंकर सिंह—

विधान सभा के वर्ष 1986 के द्वितीय सत्र के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित नथी-घ के तारांकित प्रश्न सं0 5 तथा अतारांकित प्रश्न सं0 126 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री प्रश्नकर्ता सदस्यों की भावनाओं पर विश्वास करते हुए अक्टूबर 1985 से 31 मई, 1986 के मध्य अपर निदेशक एवं उप निदेशक / प्रोजेक्ट मैनेजर, आई0 सी0 डी0 एस0 के विरूद्ध उनके तथा विभाग के सचिव के निजी कार्यालयों में प्राप्त सभी शिकायत पत्र (मा0 सदस्यों सहित) आई0 सी0 डी0 एस0 सेल उत्तर प्रदेश शासन में पूर्ण संख्या में उपलब्ध नही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या शासन इस बात की जांच करायेगा कि इन शिकायती पत्रों के गायब होने का दायित्व किस अधिकारी एवं कर्मचारी पर आता है तथा उसके विरूद्ध क्या शासन कड़ी कार्यवाही करने पर विचार करेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अक्टूबर 1985 से 31 मई, 1986 के मध्य प्रोजेक्ट मैनेजर/उप-निदेशक, आई0 सी0 डी0 एस के विरुद्ध मा0 विधायक सर्व श्री अम्बिका सिंह, बलबीर सिंह व सुन्दर सिंह के हस्ताक्षर युक्त एक शिकायती पत्र फरवरी, 1986 में तथा श्री झिलमिट राम, सदस्य विधान सभा का दिनांक रहित पत्र अप्रैल 1986 में प्राप्त हुआ है । जिन पर जांच चल रही है । अन्य कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अतः शिकायती पत्रों के गायब होने की जांच कराने तथा किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अपर निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0 टिकरा हाउस द्वारा कतिपय कर्मचारियों की नियुक्ति

37—श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री गोपाल दास यादव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री

बताने की कृपा करेंगे कि अपर निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0 टिकरा हाउस द्वारा अक्टूबर, 85 से अप्रैल, 1986 तक तृतीय व चतुर्थ वर्ग में सम्पूर्ण प्रदेश में कितनी नियुक्तियां की गई हैं ? क्या यह सही है इसमें अधिकांश नियुक्तियां कर्मचारी शासन के समन्वित बाल विकास परियोजना प्रकोष्ठ के वरिष्ठ सहायक (जिनका स्थानान्तरण अप्रैल/मई, 86 में वित्त विभाग के किसी अनुभाग में कर दिया गया है) के संबंधी हैं, जिनका मूल निवास बेतियाहाता गोरखपुर है ?यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त सहायक द्वारा अपने कार्यकाल में वर्तमान अपर निदेशक व तत्कालीन उपनिदेशक/प्रोजेक्ट मैनेजर (श्री शर्मा) के विरुद्ध तमाम शिकायती-पत्रों (जिसमें मा0 विधायकों के पत्र भी थे) को या तो नष्ट कर दिया या उन पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं की ? क्या सरकार इस परिपेक्ष्य में जांच कराकर तीनों सरकारी कर्मियों को दण्डित करने पर विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अपर निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0, टिकरा हाउस द्वारा अक्टूबर, 85 से अप्रैल 86 तक तृतीय व चतुर्थ वर्ग से संपूर्ण प्रदेश में सात कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर नियुक्त किया है जिसमें दो जीप चालक व तीन चपरासी एवं दो स्वीपर हैं। कार्यालय अभिलेखों से ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आता जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इनमें से कोई बाल विकास परियोजना प्रकोष्ठ के तत्कालीन वरिष्ठ सहायक के संबंधी हैं।

लखनऊ जनपद की परियोजनाओं हेतु खरीदे गये कन्टेनर्स में अनियमितता की जांच

38–श्री राम पाल सिंह, श्री मयंकर सिंह तथा श्री कुशल पाल सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1986-87 में लखनऊ जनपद की सभी नौ परियोजनाओं हेतु कन्टेनर्स की खरीद में तथाकथित घपले में मौलिक जिम्मेदारी तत्कालीन सी0 डी0 पी0 ओ0, सरोजनी नगर, काकोरी, अलीगंज व चिनहट, लखनऊ की क्रय उपसमिति का सदस्य होने के नाते दिनांक 7 जुलाई, व 18 जुलाई, 1986 को कुल 600 बोगस कनटेनर्स की आपूर्ति लेने तथा अपनी संबंधित बिलों में काटपीट व रद्दोबदल करने तथा अपनी अनियमितता की जिम्मेदारी उच्च अधिकारी पर कार्यमुक्त होने के बाद डालकर शासन को सीधे शिकायत करने के नाते आती है ? यदि हां, तो जांच अधिकारी द्वारा इन्हें पूर्णतया दोषरहित करने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस संबंध में दिनांक 8, 13, 14 अक्टूबर, 1986 को शासन को मिले नौ मा0 विधान सभा सदस्यों के शिकायती पत्र के अनुसार पुनः जांच कराने एवं अन्य अपेक्षित कार्यवाही करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी–

वित्तीय वर्ष 1986-87 में लखनऊ जनपद में 9 परियोजनाओं हेतु कन्टेनर्स की खरीद में हुये घपले की जानकारी शासन को मिली थी। जांच करवाने के पश्चात यह पाया गया था कि घपले की जिम्मेदारी तत्कालीन सी0 डी0 पी0 ओ0, सरोजनी नगर, काकोरी, अलीगंज व चिनहट, लखनऊ पर नहीं आती बल्कि प्रथमदृष्टा इसके लिए उच्चाधिकारी (प्रोग्राम अधिकारी) ही जिम्मेदार पाए गए थे। तद्नुसार विषय में विवरणात्मक जांच के आदेश कर दिए गए थे। दिनांक 8, 13, 14 अक्तूबर, 1986 को शासन को मिले मा0 विधान सभा सदस्यों के शिकायती-पत्र पर विचार किया गया। अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार विवरणात्मक जांच प्राप्त होने के

पश्चात् की जायेगी । जहां तक जांच पुनः करवाने का प्रश्न है उसकी आवश्यकता नहीं है ।

बाल विकास परियोजना अधिकारियों को वित्तीय अधिकार दिए जाने के मामले पर विचार

39—श्री रमेश यादव तथा श्री मयंकर सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि बाल विकास परियोजना अधिकारियों को आहरण एवं वितरण से सम्बन्धित अधिकार दिए जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को ध्यान रखते हुए ऐसे बाल विकास परियोजना अधिकारियों को ही प्रस्तावित अधिकार देगी जिनको वर्तमान पद पर कार्य करने का कम से कम दस वर्ष का अनुभव तथा दो वर्ष का आहरण वितरण कार्य का प्रशिक्षण जैसी योग्यता हो ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

बाल विकास परियोजना अधिकारियों को वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकार दिए जाने का मामला शासन में विचाराधीन है । जिसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जा सकेगा ।

वर्तमान कार्यक्रम अधिकारी वाराणसी का स्थानान्तरण, पदोन्नति तथा नियुक्तियों में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में निलम्बन

40—श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री गोपाल दास यादव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान कार्यक्रम अधिकारी वाराणसी के पास जब मई, जून 86 में मंडलीय उप निदेशक का चार्ज था, तो उन्होंने अपने निजी लाभ हेतु बड़े पैमाने पर नियम विरुद्ध स्थानान्तरण, पदोन्नति तथा नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या अलग-अलग क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त के संबंध में सूचना श्री आज तक मुख्यालय को नहीं भेजी है ? यदि हां, तो क्या पूरे मामले की जांच कराकर ऐसे अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्यवाही की जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

स्थानान्तरण, पदोन्नति तथा नियुक्तियों की अलग-अलग संख्या निम्नांकित है:—

1—स्थानान्तरण	49
2—पदोन्नति	7
3—नियुक्तियों की संख्या	19

जी हां ।

संबंधित अधिकारी को निलम्बित किया जा चुका है ।

बाल विकास परियोजना, मैनपुरी में खाद्यान्न क्रय में समस्त नियमों का पालन

41—श्री बाबूराम यादव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986 में 31 मार्च, 86 तक बाल विकास परियोजना मैनपुरी में कितनी खाद्य सामग्री क्रय की गई ? जो खाद्य सामग्री क्रय की गई उसका पृथक-पृथक प्रति क्विंटल क्रय मूल्य क्या था ? जिस दिन वह खाद्य सामग्री क्रय की गई उस दिन मैनपुरी की मंडियों में इस खाद्य सामग्री का खुले बाजार में वास्तविक मूल्य क्या था ? इस खाद्य सामग्री के क्रय मूल्य और उस दिन के बाजार मूल्य में कितना अन्तर है और इस खरीद में अधिकारियों ने कितना धन अपहरित किया है ? क्या धन अपहरण करने वालों पर सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस जनपद में बाल विकास परियोजना केन्द्र बेवर एवं करहल हेतु 31-3-86 तक कुल रुपया 11,13,980/- की कुल खाद्य सामग्री 973.20 कु0 क्रय की गई है ।

खाद्य सामग्री के क्रय हेतु विधिवत अल्पकालीन निविदा सूचनायें आमंत्रित की गई तथा इसका विज्ञापन दैनिक "अमर उजाला" एवं दैनिक "विकासशील भारत"

के समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया। जिला संख्याधिकारी, डिप्टी आर0 एम0 ओ0 क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक आगरा से भी खाद्यान्नों के मूल्यों की जानकारी देने हेतु अनुरोध किया गया था तथा यह भी अनुरोध किया गया था कि यदि वह चाहे तो आपूर्ति कराने का कष्ट करें। परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों से वास्तविक मूल्यों की जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी क्योंकि खाद्य सामग्री का क्रय प्रतियोगितात्मक निविदाओं को आमंत्रित करके इस हेतु गठित क्रय समिति के अनुमोदन से जिलाधिकारी अध्यक्ष क्रय समिति की स्वीकृति से ही किया गया है। अतः इसमें धन के अपहरित होने का प्रश्न ही नहीं। खाद्यान्न क्रय करने में समस्त नियमों एवं औपचारिकताओं का पालन किया गया है।

श्री सहबू राम, नरसड़ा, बीकापुर, फैजाबाद के नाम तालाब का पट्टा किये जाने सम्बन्धी पत्रावली के मखलूत पर दोषी अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

42—श्री राम बदन एडवोकेट—

विधान सभा के वर्ष 1986 के द्वितीय सत्र के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-57 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रस्ताव विषयक पत्रावली तहसील बीकापुर के कार्यालय से कब और किस अधिकारी/कर्मचारी के स्तर से मखलूत हो चुकी है? उक्त संबंध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कौन-कौन सी दण्डात्मक प्रभावी कार्यवाही की गयी और अविलम्ब कब तक पट्टा कर दिया जायगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सम्बन्धित पत्रावली के मखलूत होने के सम्बन्ध में तत्कालीन नायब तहसीलदार, भू-लेख निरीक्षक एवं सहायक रजिष्ट्रार कानूनगो के स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही यह निश्चय हो पायेगा कि पत्रावली किस स्तर से मखलूत हुई। उसके पश्चात ही दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित प्रकरण की नई पत्रावली का सृजन जिले स्तर पर कर दिया गया है और पट्टे की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गई है।

ग्राम दुली खेड़ा (उन्नाव) का नक्शा बनाने के लिए सीमा विवाद निस्तारण का प्रयास

43—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या राजस्व मंत्री जी को ज्ञात है कि ग्राम दुली खेड़ा विकास खण्ड सुमेरपुर तहसील पुरवा जिला उन्नाव का वर्तमान समय में कोई नक्शा किश्तवार नहीं है? यदि हां, तो अब यह नक्शा कब तक तैयार हो जायेगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। इस ग्राम में अभिलेख क्रियायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं, परन्तु इस ग्राम का जनपद फतेहपुर के ग्राम से सीमा विवाद होने के कारण यह क्रियायें पूरी नहीं हो सकी हैं। सीमा विवाद के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रयास जारी हैं।

श्रीमती रामदुलारी बेवा श्री राजा राम त्रिवेदी ओसियां (उन्नाव) के मुकदमें की पत्रावली गायब होने की शिकायत पर कृत कार्यवाही

44—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29 नवम्बर, 85 को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्रीमती रामदुलारी बेवा श्री राजा राम त्रिवेदी ग्राम व पोस्ट ओसियां विकास खण्ड-बीघापुर तहसील पुरवा जिला उन्नाव का कोई ऐसा प्रार्थना पत्र मिला है जिसमें उन्होंने चकबंदी से अपने मुकदमें

की फाइल गायब होने की शिकायत की है ? यदि हां, तो इनकी तथा इसी प्रकार की ए0 सी0 ओ0, सी0 ओ0 और एस0 ओ0 सी0 के कार्यालयों से ऐसी कितनी फाइलें गायब हैं और इसके ढूंढवाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है और इन फाइलों के गायब होने की जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

श्रीमती राम दुलारी की पत्रावली के अतिरिक्त ए0 सी0 ओ0, सी0 ओ0 और एस0 ओ0 सी0 कार्यालयों में से और कोई पत्रावली गायब नहीं है ।

श्रीमती राम दुलारी की गायब पत्रावली संख्या 2780 तारीख फैसला 11-8-69 पर पारित आदेश के अमलदरामद के आधार पर नियम 109-क(1) के अन्तर्गत निर्मित पत्रावली चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 12-1-87 को आदेश पारित किया जा चुका है, जिसका अमलदरामद अभिलेखों में दिनांक 6-2-87 को किया जा चुका है ।

उपरोक्त पत्रावली गायब होने के सम्बन्ध में सम्बंधित लिपिक व चकबन्दी अधिकारी को जांच में दोषी पाया गया है जिनके विरुद्ध कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये हैं ।

45–हाजी मोहम्मद हयात–

[1ले शुक्रवार के ता0 प्र0 सं0 18 की पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

46–श्री किशन लाल दिलेर–

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

47–श्री विष्णु देव–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई के लेहना, नेबादा तथा झवन पुरवा को अलग राजस्व ग्राम बनाने के आदेश

48–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या राजस्व मंत्री बताने कि कृपा करेंगे की विकास खण्ड हरियावां जनपद हरदोई के ग्राम लेहना, नेवादाव झवनपुरवा को अलग-अलग नम्बरी गांव बनाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-2 86 सचिव, राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो संदर्भित मामले में शासन स्तर से अब तक क्या कर्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । जनपद हरदोई स्थित ग्राम मझिया में सम्मिलित मजरात लेहना, नेबादा तथा झवनपुरवा को अलग करके लेहना के नाम से एक पृथक राजस्व ग्राम बनाने के आदेश शासन द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 1986 को जारी किये जा चुके हैं ।

मथुरा जनपद के ग्रामों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य

49–श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में वर्ष 86-87 में कितने गांव का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है ? क्या विद्युतीकरण लक्ष्य निर्धारण के अनुसार मथुरा जनपद को विद्युतीकरण सामग्री उपलब्ध करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

मथुरा जनपद में 1986-87 में ग्रामों के विद्युतीकरण का निर्धारित लक्ष्य सी0 ई0 ए0 की परिभाषा के अनुसार 30

ग्राम एवं एल0 टी0 लाइन बिछाकर 24 ग्राम है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोती पुत्र जोखू, अल्लीपुर कोडरा, फैजाबाद को विद्युत विभाग द्वारा अनुग्रह भुगतान

50—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-5-84 की प्रदेशीय बीस सूत्रीय अनुश्रवण समिति की बैठक में पूर्व विधायक प्रियदर्शी जेतली के प्रश्न पर यह स्वीकार किया गया था कि ग्राम अल्लीपुर कोडरा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के निवासी का बैल सजीव बिजली के तार से छूकर मर गया था? यदि हां, तो क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा उसको सहायता देने के आदेश पर जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्ति को सहायता दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशानुसार 1000 (एक हजार) रु0 का अनुग्रह भुगतान विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर द्वारा प्रतिकर आयुक्त, फैजाबाद (जिलाधिकारी) को दिनांक 6-2-85 को कर दिया गया था। बैल के मालिक श्री मोती पुत्र जोखू को अधिशासी अभियंता, अकबरपुर के पत्रांक 622/वि0 वि0 ख0 अ0/1-6 दिनांक 6-2-85 द्वारा सूचित भी कर दिया गया था ।

कल्याण भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि एवं प्रक्रिया

51—श्री रमेश यादव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि विभाग के कल्याण भवन के निर्माण हेतु शासन ने कितने रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी ? क्या यह सही है कि उक्त भवन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री (लोहा, सीमेंट, बालू इत्यादि) की आपूर्ति हेतु न तो कोई टेंडर आमंत्रित किया गया था और न ही उक्त भवन का नक्शा ही पास कराया गया था ? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त भवन अभी विभाग को हस्तान्तरित भी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही सरकार करेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, कल्याण भवन के निर्माण हेतु शासन द्वारा रुपये 39.73 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी । कल्याण भवन का निर्माण हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा कराया गया था। निगम द्वारा सामग्री क्रय किये जाने हेतु क्रय समिति गठित की जाती है, जिसका यह दायित्व होता है कि वह बाजार में प्रचलित न्यूनतम दरों पर विशिष्टयों के अनुरूप निर्माण सामग्री क्रय करें । इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रश्नगत भवन के निर्माण हेतु प्रयुक्त होने वाली सामग्री लोहा, सीमेन्ट, बालू आदि क्रय की गयी थी। टेण्डर आमंत्रित करने की प्रक्रिया निगम में प्रचलित नहीं है। उक्त भवन का नक्शा, आगणन सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था । जी नहीं । यह भवन हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अफजाल उल्लाह खां, सेवा निवृत्त संग्रह अमीन, सगड़ी, आजमगढ़ के जी0 पी0 एफ0 का भुगतान

52—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ से सेवा निवृत्त श्री अफजालुल्लाह खां संग्रह अमीन जो 1 अक्टूबर, 1978 को रिटायर हुए, जिनका जी0 पी0 एफ0 नं0 जी0 ए0 यू0 23173 है, को फण्ड का अब तक भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक हो जायेगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अफजाल उल्लाह खां, सेवा निवृत्त संग्रह अमीन तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के जी0 पी0 एफ0 का अन्तिम भुगतान कर दिया गया है।

ज्ञान भारती पूर्व माध्यमिक विद्यालय त्रिपुरारीपुर, उन्नाव के छात्रों के छात्रवृत्ति का भुगतान

53—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ज्ञान भारती पूर्व माध्यमिक विद्यालय त्रिपुरारीपुर, उन्नाव में वर्ष 1986 में कमला देवी पुत्री राम अवतार यादव कक्षा-8 इसी विद्यालय की छात्रा है ? यदि नहीं, तो उसके नाम से 3 जून, 86 को उन्नाव हरदोई ग्रामीण बैंक त्रिपुरारीपुर से छात्रवृत्ति किस आधार पर निकाली गयी? क्या यह भी सत्य है कि कु0 सुमन पुत्री श्री कुंज बिहारी यादव कक्षा 7 तथा कुमारी सुमन देवी पुत्री ललऊ धोबी की भी फर्जी छात्रवृत्ति निकाली गयी है ? यदि हां, तो दोषी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सत्य है कि राम औतार पुत्र श्री राम भजन, मुन्नी लाल पुत्र शिव प्रसाद एवं शिव शंकर के नाम से वर्ष 1981-82 में भी छात्रवृत्ति निकाली गयी परन्तु छात्रों को नहीं दी गयी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

श्री शिव शंकर पुत्र श्री गंगाचरन की ही छात्रवृत्ति निकाली गयी थी, जिसका भुगतान भी किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम इब्राहिमाबाद के कुछ क्षेत्र को खारिज कर ग्राम चिकसार (बाराबंकी) में दाखिल किया जाना

54—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम इब्राहिमाबाद, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की 300 बीघा भूमि वर्ष 1960 में जब चकबन्दी हो रही थी, खारिज करके ग्राम चिकसार, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में शामिल कर दी गई ? यदि हां, तो क्या इस समय ग्राम चिकसार में हो रही चकबन्दी में उक्त भूमि शामिल कर ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1960 में चकबन्दी के दौरान ग्राम चिकसार, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी में शामिल करने के लिए केवल 68 बीघा 12 बिस्वा 1 बिस्वांसी भूमि ग्राम इब्राहिमाबाद से खारिज की गयी थी जिसे ग्राम चिकसार में इस समय हो

रही चकबन्दी में शामिल करके विनिमय अनुपात लगाया गया है और धारा-9 की कार्यवाही में शामिल किया गया है तथा धारा 3(25) जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत विलयन हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दे दिये गये हैं।

वाराणसी जनपद की तहसीलों के विभाजन में पुनर्गठन समिति की संस्तुति

55—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद की तहसीलों के प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दे दिया गया है ? यदि हां, तो उन विभाजित तहसील के नाम क्या हैं ? प्रत्येक तहसील में पटवारी सर्किल के कौन-कौन गांव सम्मिलित किये गये हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

तहसील पुनर्गठन समिति ने तहसील वाराणसी को विभाजित कर पिन्डरा में, ज्ञानपुर को विभाजित कर भदोही में तथा चंदौली को विभाजित कर सकलडीहा में नई तहसीलें स्थापित करने की संस्तुति की है जिसे सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया परन्तु इसमें सम्मिलित किये जाने वाले लेखपाल सर्किल व गांवों के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

उन्नाव के देवमई में राहत सहायता वितरण में कथित अनियमितता संबंधी शिकायती-पत्र पर जांच

56—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के देवमई ग्राम के लेखपाल ने देवमई निवासी मेवालाल धोबी के नाम पर दूसरा व्यक्ति खड़ा करके दिनांक 13 फरवरी, 86 को राहत सहायता मेवालाल के नाम निकलवाई है और यह प्रमाणित भी किया है कि यही व्यक्ति मेवालाल है जबकि मेवालाल पुत्र जगन्नाथ बहुत पहले से अरब देशों में निवास कर रहा है ? क्या तद्विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 86 मा0 राजस्व मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो पूरे प्रकरण पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

जी हां, पूरे प्रकरण की जांच तहसीलदार, पुरवा से कराई गई। जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आये कि श्री मेवालाल के उपलब्ध न होने के कारण उसकी पत्नी को राहत की धनराशि का भुगतान कर दिया गया।

लेखपाल श्री सुभाष मल्ल कार्यालय सर्वे तहसीलदार, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच की मांग

57—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल (श्री सुभाष मल्ल) कार्यालय सर्वे नायब तहसीलदार गोरखपुर ने आराजी नं0 356 घ/0-15 व 358/0-8 व 429/0-4 व 473/0-6 व 474/0-76 व 475/8 भूमि से जागन पुत्र मुक्ति निवासी ग्राम खड़खड़ीयां तप्पा रिगौली परगना हवेली तह0 सदर गोरखपुर का नाम काट कर बिना किसी उच्च अधिकारी के आदेश के फर्जी ढंग से बाल किशुन व ढुनमुन व भरख व कन्ता पुत्रगण राम प्रसाद ग्राम उपरोक्त का नाम मिसिलबन्द पर दिनांक 28-8-85 को कर दिया है ? यदि हां, तो मंत्री जी इसकी जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कराकर उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय द्वारा राजकीय सेवा में एक ही अवधि में दो स्थानों पर वेतन लेने के विरुद्ध कार्यवाही

58—श्री राम सागर—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कार्यालय सहायक अभिलेख अधिकारी, बन्दोबस्त फैजाबाद के तत्कालीन गोरखपुर के कार्यरत सर्वे लेखपाल श्री जगदम्बा प्रसाद पाण्डे दिनांक 30-8-80 से 30-9-80 तक भूलेख अधिकारी गोरखपुर के अधीनस्थ लेखपाल प्रशिक्षण स्कूल में चौकीदार के पद पर कार्य किया तथा उसी अवधि में सर्वे लेखपाल के पद पर कार्यालय सहायक अभिलेख अधिकारी गोरखपुर के यहां पर भी कार्य किया ? क्या यह सही है कि राजकीय सेवा में एक कर्मचारी एक ही साथ दो-दो स्थानों से वेतन आहरित नहीं कर सकता है ? यदि हां, तो शासन द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । श्री जगदम्बा प्रसाद पाण्डे, सर्वे लेखपाल द्वारा एक ही अवधि में दोनों स्थानों पर वेतन ग्रहण किया गया है । मामला प्रकाश में आने पर श्री पाण्डे के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

ग्राम काकोड़ी, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद में आवंटन हेतु निर्मित दुकानों के निर्माण में अनियमितता के विरुद्ध जांच

59—श्री कनक सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 86 के 2रे शुक्रवार के अ0 प्र0 सं0 195 के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि ग्राम काकोडी की 10 दुकानों का आवंटन अभी भी नहीं किया गया है ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितना धन इन पर व्यय किया गया है और क्या यह भी सही है कि अब सब दुकान टूट फूट गयी है और प्रयोग की दशा में नहीं है ? क्या यह भी सही है कि गांव में 10 दुकानों के योग्य कोई व्यवसाय नहीं है तथा 3 वर्ष तक इनके आवंटन न होने के विलम्ब का क्या कारण है क्या यह सही है कि दुकानों में सीमेण्ट और लोहा कम मात्रा में लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत 10 दुकानों में से एक दुकान आवंटित की गयी किन्तु आवंटी द्वारा दुकान का कब्जा नहीं लिया गया। 79,929-60 रु0 व्यय हुआ । दुकानों के शटर खराब हैं, फर्श टूट गये हैं तथा दीवारों में दरार आ गई है । उक्त कमियों को सुधारने के लिए अधिशासी अभियन्ता, हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम, मेरठ को लिखा जा चुका है।

प्रश्नगत दुकानों के योग्य व्यवसाय हैं लेकिन दुकानों की इस समय स्थिति ठीक न होने के कारण लाभार्थी दुकान लेने के इच्छुक नहीं हैं।

दुकानों में सीमेन्ट और लोहा कम मात्रा में लगाया गया है अथवा नहीं इसकी जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर पाये गये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

बस्ती जनपद के कतिपय ग्रामों में विद्युत कनेक्शन न लिए जाने की स्थिति में अस्थाई तौर पर विद्युत आपूर्ति बन्द रखना

60—कर्नल केशरी सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे शुक्रवार को प्रश्नकर्ता द्वारा किये गये अता0 प्र0 सं0 110 का जो लिखित उत्तर ऊर्जा मंत्री जी ने दिया था वह गलत सूचनाओं पर आधारित है और तथ्य यह है कि बस्ती जनपद में पचासों ऐसे गांव हैं जहां बिजली के खम्भे वर्षों पूर्व लगाये गये थे और अभी तक बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या शासन गलत सूचना देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है और उक्त गांवों के निकट भविष्य में बिजली आपूर्ति कराये जाने की सम्भावना है ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री—

यह सत्य नहीं है कि बस्ती जनपद में पचासों ऐसे गांव हैं जहां बिजली के खम्भे वर्षों पूर्व लगाये गये थे और अभी तक बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है। अपितु कुछ ऐसे गांव अवश्य हैं, जिनका विद्युतीकरण किया जा चुका है परन्तु आज तक उन गांवों में विद्युत कनेक्शन न लिये जाने की स्थिति में, विद्युत चोरी की सम्भावना की दृष्टि से, गांवों की विद्युत आपूर्ति अस्थायी तौर पर बन्द कर दी गयी है। अस्तु इसके लिये किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। पुनः विद्युत प्रवाह चालू किया जाना विद्युत कनेक्शनों की मांग पर निर्भर है।

61—श्रीमती कमला साहनी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी ग्राम चिठहेड़ा में बिजली के शार्ट सरकिटिंग से खलिहान में लगी आग पीड़ितों को अहेतुक सहायता

62—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद, तहसील दादरी के ग्राम चिठहेड़ा में दिनांक 25-4-86 को रामेश्वर एवं रती राम पुत्रगण गोपीचन्द ग्यानू हरिराम व हरिश्चन्द्र पुत्रगण भोले एवं बुन्दा रघवीर मामचन्द्र विद्याराम बाबू पुत्र सुमेरमा, ओम प्रकाश, धनपाल तथा रामे का लगभग 200 कुन्टल खलिहान में पड़ा गेहूं, जलकर नष्ट हो गया था? इस आग का क्या कारण था? क्या पीड़ितों को कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के ग्राम चिठहेड़ा में दिनांक 25-4-86 को बिजली के शार्ट सरकिटिंग से खलिहान में आग लगी थी। निम्नलिखित पीड़ित पात्र व्यक्तियों को 500 रु0 प्रति की दर से अहेतुक सहायता उपलब्ध कराई गई :—

1—श्री रामेश्वर पुत्र श्री गोपीचन्द्र
2—श्री रतीराम पुत्र श्री गोपीचन्द्र
3—श्री मामचन्द्र पुत्र श्री जयपाल
4—श्री ज्ञानचन्द्र पुत्र श्री भोले
5—श्री हरीराम पुत्र श्री भोले
6—श्री बाबू पुत्र श्री शंकर
7—श्री हरिश्चन्द्र पुत्र श्री भोलेराम
8—श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री राधेश्याम
9—श्री रामे पुत्र श्री शिवलाल
10—श्रीमती कैलाशो पत्नी श्री प्रकाश
11—श्रीमती सुमरता पत्नी श्री श्रीचन्द्र

निम्नलिखित पीड़ित व्यक्तियों को,

जिनके पास 4 बीघा पुख्ता भूमि होने व वार्षिक आय 5000 रु0 से अधिक होने के कारण अहेतुक सहायता के लिये पात्र नहीं पाया गया, सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई :—

1—श्री बुन्दा पुत्र श्री विशन
2—श्री रघुवीर पुत्र श्री भजन सिंह
3—श्री विद्यासागर पुत्र श्री सीताराम
4—श्री बाबूराम पुत्र श्री सुमरता
5—श्री धनपाल पुत्र श्री रामजीलाल

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, विधायक का श्री घनश्याम बनाम धूपा कुंवारी के वाद के सम्बन्ध में पत्र

63—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या राजस्व मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सुरेश प्रताप सिंह गांधी विधायक का पत्र माह अक्टूबर, 1986 में राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद न्यायालय (गोरखपुर क्षेत्र) एस0 ए0 नं0 320-70-71—घनश्याम बनाम धूपा कुंवारी के वाद के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न में उल्लिखित श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, विधायक का एक पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 1986 मुख्य मंत्री कार्यालय (विधायक कोष्ठक) में प्राप्त हुआ था जो श्री घनश्याम निवासी ग्राम मनैतापुर, तहसील बांसी, जनपद बस्ती के पत्र के बारे में था जिसमें 10 वर्ष से चल रहे एक वाद का उल्लेख किया गया था।

उक्त पत्र मुख्य मंत्री सचिवालय (विधायक कोष्ठक) के पृष्ठांकन संख्या—सी0 एम0 वि0 को0—3/13-54/86-आ दिनांक 3 अक्तूबर, 1986 द्वारा जिलाधिकारी, बस्ती को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था। उक्त के अतिरिक्त श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी का कोई अन्य पत्र अक्तूबर, 1986 किसी वाद के विषय में मुख्य मंत्री सचिवालय (विधायक कोष्ठक) में नहीं प्राप्त हुआ है।

लेखपाल के गलत इन्द्राज का निरस्तीकरण एवं उसे दण्डित करने की मांग

64—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

प्रथम सत्र 1986 के छठवें शुक्रवार के निर्धारित ता0 प्र0 सं0—19 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिल्द आकार पत्र—45 के खाता सं0—316 पर जो श्रीमती शोभा देवी के नाम वर्ग—2 गलत इन्द्राज लेखपाल द्वारा किया गया है, उसके निरस्तीकरण एवं भ्रष्ट कर्मचारियों (इन्द्राज से सम्बन्धित) के खिलाफ कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो कब और क्या ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामदास राम पुत्र दीपा राम, कामपुर, बलिया द्वारा अमीनों की कथित अनियमित नियुक्ति सम्बन्धी शिकायती पत्र पर छानबीन

65—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को प्रेषित श्री रामदास राम पुत्र श्री दीपा राम ग्राम कामपुर, पो0 फेफना, जिला बलिया द्वारा दिनांक 25-10-86 को रजिस्टर्ड पत्र संख्या 1064 प्राप्त हुआ है, जिसमें विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गाजीपुर द्वारा अक्टूबर, 86 में अमीनों की नियुक्ति के सम्बन्ध में शासनादेश के उल्लंघन की बात कही गयी है ? यदि हां, तो आवेदन पत्र के तथ्य क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । आवेदन-पत्र के तथ्य की जानकारी हेतु सम्बन्धित पत्र दिनांक 25-10-86 को प्रतिलिपि अवलोकनार्थ संलग्न है। प्रार्थना-पत्र के तथ्यों की छानबीन कराने पर उसमें दिये गये तथ्य निराधार पाये गये ।

(देखिये तत्थी 'क' आगे पृष्ठ 152 पर)

66–हाजी मोहम्मद हयात–

[1ले शुक्रवार के ता0 प्र0 सं0–18 की पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

विद्युत वितरण खण्ड मथुरा द्वारा जल निगम, मथुरा से विद्युत खम्भे लेने की कथित योजना

67–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड प्रथम मथुरा ने पेयजल योजनाओं के विद्युतीकरण के लिए फरवरी व मार्च, 1986 में जल निगम मथुरा से विद्युत खम्भे लिये थे ? यदि हां, तो कितने खम्भे लिये और इन खम्भों का प्रयोग किस-किस पेयजल योजना में कितने-कितने खम्भे लगाकर विद्युत वितरण खण्ड प्रथम मथुरा ने किया ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं । शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लखनऊ के सिनेमाघरों द्वारा बिजली के बिलों का सामान्यतः नियमित भुगतान

68–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ के सिनेमा घरों द्वारा नियमित रूप से विद्युत बिलों का भुगतान किया जाता है ? यदि नहीं, तो इस समय किस-किस सिनेमा घर पर कितनी-कितनी धनराशि बकाया है तथा बकाया वसूली के कौन से उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री सुनील शास्त्री–

लखनऊ में सभी सिनेमाघरों द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान सामान्यतः नियमित रूप से किया जा रहा है । इस समय ओडियन सिनेमाहाल पर लगभग रु0 13,165 बकाया है जो उपभोक्ता को किश्तों में जमा करना है। किश्तों की धनराशि की वसूली समय से न होने पर परिषद् के नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री जी0 पी0 मुकर्जी छटनी शुदा कनिष्ठ लिपिक विद्युत परिषद् फैजाबाद का मामला न्यायालय के विचाराधीन

69–श्री नंगा राम–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोपाल राम दास सभापति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त समिति विधान सभा का पत्रांक शून्य दिनांक 3-5-86 एवं दिनांक 7-10-86 का प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री पी0 जी0 मुकर्जी भू0 पू0 स्थायी कनिष्ठ लिपिक एवं पदोन्नत पाण्डुलिपि परीक्षा निरीक्षण खण्ड कार्यालय उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् फैजाबाद को इन्डस्ट्रियल ट्रैब्युनल (2) लखनऊ ने अपने अभिनिर्णय (एवार्ड) दिनांक 28-9-84 के क्रम में उन्हें छटनी की तिथि अथवा 18-1-61 से पुराने बकाया वेतनों के भुगतान के साथ बहाल करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उसे अब तक बहाल न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह भी सही है कि इसी प्रकार के सेवा

केस का मामला श्री पी0 एन0 तिवारी का था जिनको कि मय वेतन के सेवा में पुनः ले लिया गया है ? यदि हां, तो श्री पी0 जी0 मुकर्जी को मय वेतन पुनः सेवा में क्यों नहीं लिया जा रहा है ? क्यों दोनों मामलों के सही तथ्यों को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

इन्डस्ट्रियल ट्रेब्युनल (2) के एवार्ड के अनुसार श्री पी0 जी0 मुकर्जी को छटनी की तिथि अथवा 18-1-61 से पुराने बकाया वेतन के भुगतान के साथ नौकरी पर बहाल करना तथा सेवा निवरण के समस्त लाभ (पेन्शन, जी0 पी0 एफ और ग्रेच्युटी आदि) के साथ सेवा में निरन्तरता दिया जाना था ।

परिषद् द्वारा उपरोक्त एवार्ड के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी । उच्च न्यायालय ने इस याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकृत कर लिया और यह निर्देश दिया कि श्री मुकर्जी रु0 150/- प्रतिमाह की दर से उस समय तक पाने के हकदार रहेंगे जब तक इस वाद का निर्णय नहीं हो जाता साथ ही परिषद् उनके (श्री पी0 जी0 मुकर्जी को) रु0 7050/- भी दो सप्ताह के भीतर अदा करें । परिषद् द्वारा इस निर्देश का पालन किया जा चुका है ।

श्री पी0 एन0 तिवारी का मामला श्री पी0 जी0 मुकर्जी के मामले से भिन्न है। श्री तिवारी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश था कि याचिका की स्वीकृति की तिथि तक इनकी सारी देय अवशेष धनराशि का आधा भुगतान कर दिया जाय तथा इनको हर माह आधा वेतन बराबर दिया जाता रहे जब तक मुकदमें का अन्तिम निर्णय न हो जाये । परिषद् ने बजाय बिना कामके आधार वेतन देने के श्री तिवारी को मुकदमें के निर्णय तक पूरे वेतन सहित काम पर ले लिया ।

जनपद हरदोई में सवायजपर को तहसील बनाने की मांग

70–श्री नत्थू लाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद हरदोई में सवायजपर को तहसील बनाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसे कार्यान्वित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय संरक्षण गृह लखनऊ की अधीक्षिका (श्रीमती कुन्ती रानी चौधरी) का निलम्बन एवं अग्रिम कार्यवाही

71–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि राजकीय संरक्षण गृह लखनऊ की अधीक्षिका (श्रीमती कुन्ती रानी चौधरी) दिनांक 3-8-85 से निलम्बित है ? यदि हां, तो क्या उनसे आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त हो गया है? यदि हां तो इनके मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मा0 मंत्री यह भी बतायेंगी कि शासनादेश संख्या कार्मिक अनुभाग-1-7/2/78 कार्मिक-1 दिनांक 8 जुलाई, 1978 के अनुसार 6 माह से अधिक अवधि बीत जाने के बाद निलम्बित कर्मचारी को बहाल करते हुए कार्यवाही जारी रखनी चाहिए ? यदि हां, तो इन आदेशों के तहत श्रीमती चौधरी के मामले में अब तक क्यों नहीं कार्यवाही की गयी जबकि इन्हें निलम्बित हुये 6 माह से अधिक हो गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां,

जी हां,

आरोपों के उत्तर में श्रीमती चौधरी द्वारा 82 गवाहों के बयान लेने का अनुरोध किया गया था । उपलब्ध गवाहान के बयान एवं जिरह हो गये हैं । शेष गवाहों को श्रीमती चौधरी गवाहों के लिये स्वयं प्रस्तुत करना चाहती हैं जो अभी नहीं कर रही हैं जिससे विलम्ब हुआ। उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों के कारण शासनादेश सं0 कार्मिक-अनुभाग-1-7/2/78 कार्मिक-1, दिनांक 18-7-79 मामले में लागू नहीं होता ।

72–श्री विष्णु देव–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

73–74–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[1 मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 168 एवं 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बरेली स्थित नई बस्ती में निर्माणाधीन महिला हास्टल की कार्य प्रगति

75–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उनके जनपद बरेली स्थित नई बस्ती के सी0 आई0 पार्क में बन रहे महिला हास्टल का निर्माण अभी भी रूका हुआ है और उसके पूर्ण होने की कोई आशा दिखाई नहीं पड़ रही है ? क्या मंत्री जी श्रमजीवी महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त हास्टल को तुरन्त पूर्ण कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

इस कार्य के लिये पुनः टेन्डर आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है और इसी वित्तीय वर्ष 1986-87 में इसकी स्वीकृति कराने के बाद छात्रावास का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जायेगा ।

राज्य विद्युत सेवा आयोग द्वारा अवर अभियंता यांत्रिक हेतु लिखित एवं साक्षात्कार में सम्मिलित छात्रों की संख्या

76–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 86 में राज्य विद्युत सेवा आयोग द्वारा अवर अभियंता विद्युत/यांत्रिक के लिये आयोजित लिखित परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुये ? उनमें से कितने छात्रों को साक्षात्कार के लिए उपयुक्त समझा गया ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि अब तक कितने छात्रों को नियुक्ति पत्र परिषद् द्वारा जारी कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

मार्च 1986 में विद्युत सेवा आयोग द्वारा अवर अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक के लिये आयोजित लिखित परीक्षा में कुल 7646 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए ।

इनमें से केवल 122 परीक्षार्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए । इन सभी को आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाया गया । अभी तक परिषद् द्वारा कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किये गये । परिषद् इस दिशा में प्रयत्नशील है ।

77–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[3 रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य विद्युत परिषद् में उपभोक्ताओं के बकाया धनराशि

78–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् का 31 अक्टूबर,

86 तक उपभोक्ताओं पर कुल कितना रुपया बाकी था ? इनमें से कितने उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर 10 हजार रुपये से अधिक का बकाया था और वह कौन लोग हैं ?

श्री सुनील शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले में धुरियापार विद्युत उपकेन्द्र पर अवर अभियन्ता की विगत बारह वर्षों से कथित तैनाती

79–श्री अच्युतानन्द तिवारी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर जिले में धुरियापार विद्युत वितरण केन्द्र पर नियुक्त एक जूनियर इंजीनियर विगत 12 वर्षों से कार्यरत है और उसके भ्रष्टाचार से क्षेत्रीय जनता त्रस्त है ? क्या यह सत्य है कि अनेकों बार उसका स्थानान्तरण हुआ लेकिन राजनैतिक दबाव से रोक दिया गया ? क्या मंत्री जी इसके विरूद्ध जांच के आदेश देंगे ?

श्री सुनील शास्त्री –

गोरखपुर जिले में धुरिया पार विद्युत उपकेन्द्र पर कोई अवर अभियन्ता लगातार 12 वर्षों से तैनात नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बनकटा (देवरिया) में स्वीकृत विद्युत सब स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अर्जन

80– श्री कामेश्वर उपाध्याय

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया के विकास खण्ड बनकटा में स्वीकृत विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 17-8-85 को उन्हें पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा अब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ? क्या निकट भविष्य में कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री –

जी हां ।

वर्ष 1986-87 में भूमि अर्जन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है । अब तक विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि बनकटा विकास खण्ड के मुख्यालय पर आवश्यकता अनुसार भूमि उपलब्ध नहीं है । अतएव आस-पास के क्षेत्रों में प्रयास किया जा रहा है ।

श्री युगुल किशोर पाण्डे स0 आ0 अ0 चकबन्दी विभाग इलाहाबाद की सेवा निवृत्त होने पर पेंशन का भुगतान न होना

81–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री युगुल किशोर पाण्डेय स0 आ0 अ0 ने 13-8-60 से 31-12-72 तक निरन्तर सेवा करने के उपरान्त इलाहाबाद जनपद से चकबन्दी विभाग से सेवा निवृत्ति 31-12-72 को प्राप्त की ? क्या यह सही है कि वह चकबन्दी विभाग के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी के रूप में सेवा निवृत्त हुए ? यदि हां, तो क्या वे उ0 प्र0 लिवरलाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 तथा उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट रूल्स, 1961 के साथ पठित शासनादेश संख्या जी-769/दस-917-65 दिनांक 24-8-1966 जो कि 1-4-1965 से लागू है, के अनुसार पेंशन के अधिकारी हैं ? यदि हां, तो श्री युगुल किशोर पाण्डेय की पेंशन का निर्णय ग्रेच्युटी देने के बाद भी किन कारणों से अब तक रूका है तथा शासन इस पर अन्तिम निर्णय लेकर उनके पावने का भुगतान कब तक कर देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

श्री पाण्डे एक अस्थाई कर्मचारी के रूप में सेवा निवृत्त हुए थे ।

जी नहीं । सन्दर्भित शासनादेश श्री पाण्डे के मामले में लागू नहीं होता ।

श्री पाण्डे एक अस्थाई कर्मचारी थे, अधिवर्षता की आयु पर सेवा निवृत्त अस्थाई कर्मचारी को पेंशन का लाभ नियमानुसार देय न होने के कारण उन्हें पेंशन का भुगतान किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम दाम महुला तहसील सगड़ी आजमगढ़ प्रधान द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से कथित ईंट बेचना

82—श्री राम जनम यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामदाम महुला तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़ के प्रधान ने 1984—85 में कौन-कौन से व्यक्तियों को ईंट किस रेट में गांव सभा के माध्यम से बेची ? वह रकम गांव सभा फण्ड में किस दिनांक को जमा की गयी ? अगर नहीं जमा की गई है, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम दाम महुला तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के प्रधान ने वर्ष 1984-85 में किसी व्यक्ति को गांव सभा के माध्यम से ईंट नहीं बेची है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

83—श्री विजय सिंह—

[दिनांक 4-3-87 को अता0 प्र0सं0 173 द्वारा उत्तरित]

उन्नाव जनपद के विभिन्न विकास खण्डों के हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

84—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 में अब तक पृथक-पृथक किन-किन गांवों का तथा किन-किन गांवों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

उन्नाव जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में वर्ष 1983-84, 1984-85 1985-86 तथा 1986-87 में अब तक क्रमशः 78, 87, 73 व 35 ग्रामों का तथा क्रमशः 80, 104, 120 व 41 ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया । उक्त विद्युतीकृत गांवों/हरिजन बस्तियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

बरेली विद्युत भण्डार खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के ऊपर विद्युत सामान ढुलाई में कथित अनियमितता की जांच

85—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बरेली विद्युत भण्डार खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के ऊपर पी0 सी0 पोल (खम्बे) एवं विद्युत का अन्य सामान की ढुलाई के लिए टेण्डर स्वीकृत किए जाने में अनियमिततायें बरतने के गंभीर आरोप हैं जिसमें न्यूनतम टेण्डर न स्वीकार करके अन्य टेंडर स्वीकार किए गये हैं, जिससे विद्युत परिषद् को हजारों रुपए की हानि हो रही है ? यदि हां, तो इसकी जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां । आरोपों की जांच कराई गई । इनमें से एक टेण्डर पर निर्णय अधीक्षण अभियन्ता कार्य समिति द्वारा तथा तीन टेण्डरों पर निर्णय अपर मुख्य अभियन्ता कार्य समिति द्वारा लिए गए जिनमें अधिशासी अभियन्ता विद्युत भण्डार खण्ड बरेली सदस्य नहीं हैं । इन सभी टेण्डरों पर निर्णय सक्षम कार्य समिति

द्वारा निविदाओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर परिषद् के हित को देखते हुए लिये गये तथा किसी प्रकार की अनियमितता सामने नहीं आई।

प्रश्न नहीं उठता।

बलदेव वैदिक इन्टर कालेज पलिया कलां, खीरी के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

86—श्री वीरेन्द्र सोन—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलियाकलां, जनपद खीरी के संस्थागत कक्षा 11 के छात्र श्री नरसिंह (हरिजन) का एक शिकायती-पत्र प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को शासन द्वारा प्रदत्त छात्र वृत्ति में धांधली करने के विषय में, श्री नंगाराम, विधायक की जांच हेतु संस्तुति के साथ उनको दिनांक 26-7-86 को तथा हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, खीरी, जिलाधिकारी, खीरी, जिला विद्यालय निरीक्षक, खीरी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी तथा जांच में क्या पाया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

श्री के0 डी0 मिश्र साधिकार नियंत्रक, बल्देव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज पलिया, खीरी द्वारा जांच की गयी और जांच में छात्र के शिकायती पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई।

बांदा जनपद के नरैनी, पचोखर की सीलिंग भूमि को हरिजनों में आवंटित करने की मांग

87—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम पचोखर में सीलिंग की बची भूमि तथा ग्राम समाज की भूमि अलग-अलग कितनी है तथा इस भूमि में हरिजन भूमिहीनों के आवास तथा कृषि के लिये कितनी भूमि के पट्टे कर दिये गये तथा कितनों का कब्जा मिल गया है ? सभी को कब्जा न मिलने के क्या कारण हैं ? क्या तुरन्त भूमिहीन हरिजनों को दिये गये भूमि के पट्टों पर कब्जा दे दिया जायेगा तथा शेष सीलिंग व ग्राम समाज की भूमि का हरिजन भूमिहीनों में तुरन्त आवंटन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बांदा जनपद के ग्राम नसेनी में हरिजनों के आवंटन हेतु शेष भूमि की जानकारी

88—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरैनी तहसील (बांदा) जनपद के ग्राम नसेनी में कितनी भूमि भूमिहीन हरिजनों के आवंटन के लिये शेष है और यह भूमि कब तक आवंटित कर दी जायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा के ग्राम रौली कल्यानपुर में ग्राम समाज की कृषि योग्य भूमि के आवंटन का प्रस्ताव

89—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील नरैनी, जनपद बांदा के अन्तर्गत ग्राम रौली (कल्यानपुर) में कितने एकड़ ग्राम समाज की भूमि है तथा कितने भूमिहीन हरिजन हैं ? अभी तक भूमि-

हीन हरिजनों को भूमि के पट्टे न होने के क्या कारण हैं ? क्या यह भी सही है कि अभी तक चकरोड सेक्टर तथा आबादी आदि की भूमि की नाप चकबंदी की धारा 52 का प्रकाशन होने के बाद भी नहीं हुई ? यदि हां, तो यह नाप कब तक हो जायेगी तथा भूमिहीन हरिजनों को कब तक भूमि का पट्टा दे दिया जायेगा? अभी तक भूमिहीन हरिजनों को पट्टा न देने के लिये कौन कर्मचारी दोषी हैं, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम रौली कल्यानपुर में ग्राम समाज में निहित कुल भूमि 144.29 एकड़ है। जिसमें से 56 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि है। इस ग्राम में कोई भूमिहीन हरिजन नहीं है क्योंकि सभी को पहले ही भूमि आवंटित की जा चुकी है। अल्प भूमिहीन हरिजन हैं। कृषि योग्य भूमि का आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति से प्रस्ताव न होने के कारण नहीं हो सका है। गांव का धारा 52 का प्रकाशन अभी नहीं हुआ है। मात्र प्रस्ताव भेजा गया है फिर भी नाप आदि की समस्त कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। अभिलेख तहसील में प्राप्त हो गये हैं। लेखपाल एवं भू-लेख निरीक्षक के माध्यम से पुनः चकरोड सेक्टर आबादी आदि की भूमि का सीमांकन करा दिया गया है। कृषि योग्य भूमि का आवंटन शीघ्र ही कर दिया जायेगा। अभी तक आवंटन न करने के लिये किसी कर्मचारी का दोष नहीं है। भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष प्रधान एवं सचिव/लेखपाल को भूमि आवंटन का प्रस्ताव शीघ्र पारित करने हेतु सचेत कर दिया गया है।

जनपद बांदा के ग्राम आऊ में ग्राम समाज के अवशेष भूमि को भूमिहीन हरिजनों को आवंटित करने की कार्यवाही

90–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की नरैनी तहसील के ग्राम आऊ में कितनी भूमि सीलिंग की छूटी है तथा उसमें से कितने हरिजन भूमिहीनों को अभी तक भूमि के पट्टे दिये गये तथा शेष सीलिंग की भूमि कितनी है ? शेष भूमि को कब तक भूमिहीनों हरिजनों को पट्टे कर दिये जायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

बांदा जनपद की नरैनी तहसील के ग्राम आऊ में 12.99 एकड़ भूमि सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत निकली है। प्राप्त भूमि में से 7.27 एकड़ भूमि के पट्टे 5 भूमिहीन हरिजनों को दिये गये एवं 5.72 एकड़ भूमि शेष है। शेष भूमि में से 1.40 एकड़ भूमि के आवंटन की कार्यवाही हो रही है और 4.32 एकड़ चकबन्दी के पूर्व के नम्बरों में घोषित है जिनके नये नम्बर घोषित किये जाने की कार्यवाही न्यायालय में है।

जनजाति विकास निदेशालय में कार्यरत शोध अधिकारी को विशेष अधिकारी के पद पर स्थानान्तरण

91–श्री विजय सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, समाज कल्याण ने दिनांक 1 जनवरी, 1986 को लिखा था कि जनजाति विकास निदेशालय में विशेष अधिकारी (जनजाति) के पद पर नियुक्ति मनमाने ढंग से कर दी गयी है? यदि हां, तो इसे समाप्त क्यों नहीं किया गया ? इसके लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की

गयी ? क्या इस पद पर वर्ष 1981 से नियमित नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? इस पद पर नियुक्ति के बारे में जन-जाति विकास निदेशालय के अधिकारियों के कब से तथा कितने प्रत्यावेदन लम्बित हैं ? प्रश्नगत पद पर नियुक्ति की अर्हताएं क्या हैं तथा कब तक नियमित नियुक्ति की जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

नियुक्ति नहीं बल्कि शोध अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी को उसी वेतनमान में विशेष अधिकारी (जनजाति) के पद पर तत्कालीन विशेष सचिव द्वारा स्थानान्तरित किया गया था जबकि सक्षम अधिकारी ने इससे पहले उपरोक्त अधिकारी को विशेष अधिकारी (जनजाति) के कार्य अपने शोध अधिकारी के कार्य के साथ करने के आदेश दिए थे ।

उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण उक्त व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

पात्र अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण नियमित चयन/नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

वर्ष 1986 में चार प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे । नियुक्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्नगत पद की अर्हता 15 वर्ष की सरकारी सेवा तथा कम से कम तीन वर्ष का जनजाति विकास कार्य का अनुभव है। सम्भवत: वर्तमान अर्हताओं में परिवर्तन करना पड़े । विभागीय सेवा नियमावली बनाने का कार्य प्रगति पर है और यथाशीघ्र तदनुसार नियमित नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी ताकि किसी त्रुटि की सम्भावना न रहे ।

विधान सभाई क्षेत्र अमरोहा, मुरादाबाद में 15 सौ से अधिक आबादी वाले गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य

92–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभाई क्षेत्र अमरोहा, जनपद मुरादाबाद में 15 सौ आबादी वाले सभी ग्रामों में विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार द्वारा कब तक विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं । विधान सभाई क्षेत्र अमरोहा में 1500 से अधिक आबादी वाले 19 ग्राम हैं, जिनमें से केवल 16 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा सका है, क्योंकि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य का सम्पादन उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार किया जाता है । विधान सभाई क्षेत्र अमरोहा के लिए स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत शत प्रतिशत विद्युतीकरण वर्ष 1990 तक करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है ।

अमरोहा विधान सभाई क्षेत्र, मुरादाबाद में हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निर्माण एवं आवंटन की संख्या

93–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमरोहा विधान सभाई क्षेत्र जनपद मुरादाबाद में वर्ष 84-85 व 85-86 में कितने हरिजनों को मकान बनाने हेतु सरकार द्वारा अनुदान दिया गया अथवा मकान पक्के बनाकर दिये गये ? वहां किस-किस ग्रामों में किन-किन व्यक्तियों को दिए

गये तथा उन पक्के मकानों पर क्या लागत आई ? यदि नहीं, दिए गए, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वर्ष 1984-85 में आवंटित धन से हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम की निर्माण इकाई द्वारा वर्ष 1985-86 में अमरोहा विधान सभाई क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम काला डाबरा में 24 भवन एवं ग्राम सरकड़ी अजीज में 8 निर्मित कराकर उक्त ग्रामों के हरिजनों को दिये गये । लाभार्थियों की सूची ग्रामवार (संलग्नक-1)† में दी गयी है। ग्राम सरकड़ी अजीज में निर्मित आवासों पर रु0 5300 प्रति आवास की दर से तथा ग्राम कालाडाबरा में रु0 5960 प्रति आवास की दर से लागत आयी।

इसी प्रकार मई, 1984-85 में ग्राम विकास विभाग द्वारा 36 आवास निर्बल वर्ग आवास योजना हेतु निर्मित किये गये हैं जिनकी ग्रामवार एवं लाभार्थीवार सूची प्रत्येक की लागत एवं दिये गये अनुदान का विवरण सूची (संलग्नक-2)† क्र0 सं0 1 से 27 तक व (संलग्नक-3)† में क्र0 सं0-66 से 74 तक आवासवार दिया गया है । वर्ष 85-86 में ग्राम विकास विभाग द्वारा निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत 38 आवास निर्मित किये गये जिनका विवरण (संलग्नक-2)† के क्र0 सं0-28 से 33 तक व (संलग्नक-3)† के क्र0 सं0-65 तक दिया गया है ।

इसी प्रकार वर्ष 1985-86 में ग्राम विकास विभाग द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत "इन्दा आवास योजना" के अन्तर्गत 22 आवास बनवाये गये जिनका विवरण (संलग्नक-4) में दिया गया है ।

अमरोहा, जनपद मुरादाबाद में ग्राम प्रधानों द्वारा हरिजन तथा अल्प भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को कृषि हेतु पट्टे दिये जाना

94–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुरादाबाद की तहसील अमरोहा में ऐसे कितने हरिजन तथा अन्य व्यक्ति हैं जिन्हें ग्राम प्रधानों द्वारा जमीन के पट्टे दिये जाने के बाद भी कब्जा नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो सरकार उन पट्टेदारों को कब्जा दिलाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है और उन्हें कब तक कब्जा मिल जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

तहसील अमरोहा, जनपद मुरादाबाद में ग्राम प्रधानों द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 1986 तक 5179 हरिजन तथा अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को कृषि हेतु पट्टे किये गये हैं । गत कब्जा दिलाओ अभियान के अन्तर्गत 4490 पट्टेदारों को कब्जा दिलाना सत्यापित हो चुका है । केवल 143 पट्टेदारों को ग्राम छोड़कर चले जाने तथा 46 पट्टेदारों को 198(4) की कार्यवाही न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण कब्जा दिलाना शेष है ।

95–हाजी मोहम्मद हयात–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री सुरेश कुमार गुप्ता अधिशासी अभियन्ता (विशेष श्रेणी) के वेतनमान में स्थानापन्न नियुक्ति

96–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषदादेश सं0 2982-के0 ए0/एस0 ई0 बी0-पंचम- 7 जी0 ई0/79

---

† छापी नहीं गई ।

दिनांक 4 जुलाई, 81 के द्वारा तीन प्रकार के सजायाफ्ता अधिशासी अभियंता श्री सुरेश कुमार गुप्ता 67075 को दिनांक 15 मार्च, 1986 को परिषद् द्वारा अधिशासी अभियन्ता (विशेष श्रेणी) के वेतनमान में स्थानापन्न नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या परिषद् द्वारा उक्त अभियन्ता के लिए कोई विशेष प्राविधान किया गया है, जबकि उक्त अभियन्ता की 5 वर्ष तक अटैचमेंट की अवधि जो कि परिषदादेश संख्या-18 कार्मिक-2/83 दिनांक 8-6-83 से कार्यान्वित की गयी है, अभी तक पूर्ण नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या ऐसे अभियन्ता को विशेष श्रेणी के वेतनमान हेतु पारित आदेश को पुनः अवलोकन करके निरस्त किया जायेगा ? क्या उक्त गलत आदेश कराने वाले सम्बन्धित अधिकारी को उचित दण्ड दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

परिषदाज्ञा सं0 965-कार्मिक (दो)/रा0 वि0 प0-86-181ए0/73 दिनांक 15-3-86 के द्वारा श्री गुप्ता की नियुक्ति अधिशासी अभियन्ता (विशेष श्रेणी) के वेतनमान में दिनांक 31-10-82 से की गयी । अधिशासी अभियन्ता (विशेष श्रेणी) में नियुक्ति सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियंता के पद पर 14 वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त किये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार श्री गुप्ता की इस वेतनमान में नियुक्ति 31-10-81 को होना चाहिये थी। (श्री गुप्ता के सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति की तिथि 31-10-67 है परन्तु इनकी अधिशासी अभियन्ता (विशेष श्रेणी) में नियुक्ति सभी पहलुओं पर विचारोपरान्त एक वर्ष बाद की गयी है। श्री गुप्ता को 5 वर्ष तक कतिपय विशेष स्थानों पर तैनात न करने के आदेशों की अवधि परिषदाज्ञा जारी होने की तिथि 4-7-81 के 5 वर्ष बाद अर्थात 4-7-86 को समाप्त हो चुकी है । तथा इन आदेशों का श्री गुप्ता की अधिशासी अभियंता (विशेष श्रेणी) में नियुक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

चूंकि श्री गुप्ता की अधिशासी अभियंता (विशेष श्रेणी) के वेतनमान में नियुक्ति निश्चित तिथि से एक वर्ष बढ़ाकर (दण्ड के कारण) की गई है। अतः इन आदेशों को निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है।

तहसील पुरवा, जनपद उन्नाव के भूमि आवंटियों को कब्जा दिलाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

97–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जिलाधिकारी, उन्नाव, परगनाधिकारी पुरवा (उन्नाव) तथा तहसीलदार पुरवा (उन्नाव) के यहां वर्ष 1985-86 में 1 अप्रैल से अब तक भूमिहीन हरिजन एवं खेतिहर मजदूरों के कुल कितने ऐसे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें आवंटन की भूमि पर कब्जा दिलाने की प्रार्थना की गयी है और उसमें से कितनों पर कार्यवाही करते हुए कब्जा दिला दिया गया है और अब कितने शेष हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

तहसील पुरवा, जनपद उन्नाव में वर्ष 1985-86 में 1 अप्रैल, 1985 से 31-1-1987 तक भूमि आवंटियों को कब्जा सुनिश्चित कराने हेतु 443 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से 394 आवंटियों को स्थलीय कब्जा दिलाया गया था । शेष 49 आवंटियों को पुनः कब्जा सुनिश्चित कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

98—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ग्राम पुरैना तप्पा उजियार, तहसील खलीलाबाद, बस्ती की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे हटाने की मांग

99—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम पुरैना तप्पा उजियार, परगना मगहर पूरब, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में जमीन खसरा नं0 188 सार्वजनिक खलिहान के लिए छोड़ी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त खलिहान को अब्दुल मन्नान प्रधान आदि ने फर्जी कागज बनाकर सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में मदरसा अरबिया के नाम से रजिस्ट्रेशन दिनांक 14-3-84 को करा दिया है ? यदि हां, तो उक्त सार्वजनिक खलिहान को खाली कराने के लिए तथा प्रधान को निलम्बित करने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

100—श्रीमती कमला साहनी—

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

चालू वर्ष में प्रदेश के मुख्य ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य एवं अवशेष ग्रामों की संख्या

101—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, 1987 तक प्रदेश के कितने गांवों और पुरवों का विद्युतीकरण पूर्ण हो जायेगा और कितने गांव और पुरवे बाकी रह जायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत केवल मुख्य ग्रामों का ही आंकलन किया जाता है तथा पुरवों का, अलग से कोई आंकलन नहीं किया जाता है। प्रदेश के समस्त 1,12,568 ग्रामों के विरुद्ध मार्च, 1987 के अन्त तक 71,271 ग्रामों का विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार किये जाने की आशा है। तदुपरान्त 41,297 ग्राम अवशेष रह जायेंगे।

अमेठी संसदीय क्षेत्र का ग्रामीण विद्युतीकरण (सामान्य) योजना के अन्तर्गत किया जाना

102—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में मार्च, 87 तक बिजली पहुंचा देने का सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या इस संसदीय क्षेत्र के लिए कोई विशेष योजना लागू की गई है या इसके लिए केन्द्र सरकार से धन प्राप्त हुआ है ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां। अमेठी संसदीय क्षेत्र के लिए कोई विशेष योजना लागू नहीं है और न केन्द्र सरकार से इसके लिए कोई धन प्राप्त हुआ है। इस संसदीय क्षेत्र का विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण (सामान्य) योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।

जनपद गोरखपुर के ग्राम चिऊटहा के श्री लाल मन पुत्र अऊधू हरिजन की विद्युत तार के सम्पर्क में आने से हुए मृत्यु पर अनुग्रह धनराशि

103—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड भटहट के ग्राम चिऊटहा के निवासी श्री

लाल मन पुत्र अऊधू हरिजन की विद्युत विभाग की लापरवाही से ग्राम भलूही के सम्पर्क मार्ग पर विद्युत विभाग के तार से सम्पर्क हो जाने से दि0 12-6-83 को मृत्यु हो गयी थी। यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उसकी गरीब एवं वृद्धा विधवा श्रीमती चनरी को केवल एक हजार रु0 के अलावा कोई धनराशि मुआवजा की शकल में नहीं दी गई ? क्या सरकार इस गरीब हरिजन की विधवा को मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां । जनपद गोरखपुर, विकास खण्ड भटहट, ग्राम भुलही, पो0 चिऊहटा के निवासी श्री लाल मन पुत्र अऊधू हरिजन की मृत्यु दिनांक 12-6-83 को आंधी तूफान के कारण पोल झुक जाने तथा उस पर लटके हुए तारों के सम्पर्क में आने से हुई थी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दिनांक 2-3-87 को मृतक के वैध आश्रितों को रुपया पांच हजार की धनराशि अनुग्रह क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत कर दी गयी है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युत परिषद् की नीति

104–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामों में जो विद्युतीकरण कराया जा रहा है उसमें क्या 20 टोले वाले ग्रामों के किसी एक टोले में विद्युतीकरण करा देने मात्र से उस ग्राम को विद्युतीकृत हुआ मान लिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड चरगांवा के ग्राम खुहहन खास, ज0 धूसड, ज0 अहमद अली शाह, ज0 औराही ज0 हकीम नं0 2 ज0 तिनकोनिया नं0 2 एवं ज0 अयोध्या प्रसाद के सभी टोलों एवं हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां, क्यों कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्ररिभाषा के अनुसार ग्राम की राजस्व सीमा के अन्दर किसी भी श्रेणी का विद्युत कनेक्शन दिये जाने पर ग्राम को विद्युतीकृत मान लिया जाता है ।

जी नहीं, क्यों कि ग्रामों का एल0टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण, ग्राम में विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर किया जाता है । छूटी हुई आबादी में एल0 टी0 लाइन का विस्तार विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार किया जाता है । तदनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये अभी यह संभव नहीं है कि प्रत्येक गांव के सभी टोलों एवं हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा सके ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड चरगांवा के ग्राम खुटहन खास एवं जंगल अयोध्या प्रसाद में प्रस्तावित स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना में विलम्ब की जांच

105–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड चरगांवा के ग्राम खुटहन खास एवं जंगल अयोध्या प्रसाद में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत सामूहिक सिंचाई नलकूप लगाने की कोई योजना थी ? यदि हां, तो उस योजना को लागू करने में विलम्ब का क्या कारण

है ? और सरकार इस योजना को कब तक लागू कर देगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

विलम्ब के कारणों की जांच की जा रही है। योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जायेगा ।

पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लड़कियों की शादी हेतु आवंटित अनुदान

106–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों में बसे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में से किन-किन लोगों को वर्ष 1985-86 में अपनी लड़कियों की शादी हेतु अनुदान दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वर्ष 1985-86 में पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामों में बसे हुए अनुसूचित जाति के निम्नलिखित 9 व्यक्तियों को उनकी पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिया गया:–

(1) श्री हरदेव पुत्र श्री झगरू, ग्राम-नवीपुर ।

(2) श्री फेकू प्रसाद पुत्र श्री सहदेव ग्राम-बहागांव ।

(3) श्री हंसराज पुत्र श्री द्वारिका, ग्राम-हरपुर ।

(4) श्री परशुराम पुत्र श्री दुधई, ग्राम-नवीपुर ।

(5) श्री स्वामीनाथ पुत्र श्री रामहित ग्राम-लेखतरा ।

(6) श्री लाल चन्द पुत्र श्री धुरहू ग्राम-सोहास ।

(7) श्री तुफानी प्रसाद पुत्र श्री रुपई, ग्राम-अमहिया ।

(8) श्री मोती पुत्र श्री जगरनाथ, ग्राम-उनौला।

(9) श्री कतवारू पुत्र श्री हरखू, ग्राम नवीपुर ।

107–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 175 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

उन्नाव शहर एवं अन्य विकास खण्डों में निर्धारित समय से नियमित विद्युत आपूर्ति

108–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव शहर व जनपद में विद्युत आपूर्ति अक्सर अस्त-व्यस्त रहती है और वर्ष 86 के माह सितम्बर, अक्टूबर में सिंचाई हेतु पुरवा हिलौली व असोहा, विछिया सुमेरपुर, बीघापुर विकास खण्ड को 4 घंटे भी बिजली नहीं मिली ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी नहीं ।

जी नहीं, वर्ष 1986 के माह सितम्बर, अक्टूबर में सिंचाई हेतु पुरवा, हिलौली असोहा, विछिया सुमेरपुर और बीघापुर विकास खण्डों में औसतन 9 घंटे से अधिक प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की गई है ।

जनपद उन्नाव के पुरवा में विद्युत सब-स्टेशन की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ होने का समय

109–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस अव्यवस्था को दूर करने के

निर्मित प्रस्तावित पुरवा पावर हाउस का बनना कब स्वीकृत हुआ था ? पावर हाउस का किस तिथि से काम प्रारम्भ करना था? इस ढिलाई के लिए दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है ? अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) ने कितनी बार इस प्रकरण की मौके की जांच की है ?

श्री सुनील शास्त्री–

पुरवा में विद्युत सबस्टेशन की स्वीकृति जून, 1986 में हुई।

पुरवा विद्युत सब स्टेशन को माह मार्च, 1987 में कार्य प्रारम्भ करना है ।

इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं की गयी । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशाषी अभियंता (विद्युत) ने माह 06/86 से 01/87 तक पांच बार मौके की जांच की है ।

जनपद गोरखपुर में तहसील कार्यालय महाराजगंज के स्थायी नजारत चपरासी श्री जलील खां को उनकी सेवा पुस्तिका के आधार पर सेवा निवृत्त

110–श्री जनार्दन प्रसाद झा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तहसील कार्यालय महराजगंज के स्थाई नजारत चपरासी श्री जलील खां पुत्र श्री गफूर खां को 1986 के बजाय 1984 में ही दो साल पहले किस आधार पर रिटायर कर दिया गया जब कि उनकी सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि 1926 अंकित है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

श्री जलील खां, स्थायी नजारत चपरासी, तहसील महाराजगंज, जनपद गोरखपुर की सेवा पुस्तिका में उनकी जन्म तिथि वर्ष 1924 अंकित है, जिसके आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात उन्हें वर्ष 1984 में सेवा निवृत्त कर दिया गया । उनकी सेवा पुस्तिका में अन्य तिथि 1926 अंकित होना सही नहीं है ।

बरेली में अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा स्वतः रोजगार योजना का नियमित क्रियान्वयन

111–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, बरेली में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के कारण अनेक बेरोजगार नवयुवकों को ऋण नहीं मिल पा रहा है एवं प्रशासन द्वारा प्रस्तावित योजना विफल हो रही है ? क्या समाज कल्याण मंत्री सुनिश्चित करेंगे कि जरूरतमन्द लोगों को बिना कठिनाई के निगम के माध्यम से ऋण मिल सकेगा ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को निगम के माध्यम से ऋण मिल रहा है और स्वतः रोजगार योजना को सही प्रकार से क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर आवश्यक आदेश भी पारित किये जाते हैं।

बांदा जनपद की नरैनी तहसील मुख्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों का तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में नियमानुसार आरक्षण कोटा

112–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की नरैनी तहसील मुख्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

तथा पिछड़े वर्गों का शासन के नियमानुसार तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आरक्षण का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विशेष भर्ती करके अविलम्ब आरक्षण कोटा पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां । अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ।

113श्री बाबू राम यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री हरे लाल पुत्र मांजी लाल ग्राम रहनकलां, एतमादपुर, आगरा की बंधक भूमि का तहसीलदार द्वारा की गयी नीलामी में कथित अनियमितता

114–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हरे लाल पुत्र मांजीराम निवासी ग्राम रहनकलां, मौजा कुबेरपुर, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा की भूमि जो ट्रैक्टर के कर्जे के संबंध में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया कमलानगर, आगरा में बंधक थी और उस भूमि की नीलामी हरे लाल को बिना सूचित किए बिना घोषणा पत्र जारी किए और बिना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये और बिना चल सम्पत्ति की नीलामी कराये, तहसीलदार एतमादपुर श्री राम औतार गुप्ता ने सीधे अपने रिश्तेदार श्री ओम प्रकाश गोयल निवासी आगरा के परिवार के किसी सदस्य के नाम जिसकी मौजूदा बाजारु कीमत 5 लाख रु0 से भी अधिक है, सिर्फ 78 हजार रुपया में नीलाम कर दी है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त तहसीलदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं ।

जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में सूखा राहत कार्यों हेतु आवंटित धन एवं व्यय विवरण

115–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में वर्ष 1986-87 में सूखा राहत कार्यों हेतु कितना धन आवंटित किया गया और उसमें से कितना धन तहसील एतमादपुर को दिया गया है और वह किन-किन मदों में खर्च किया गया है? क्या यह सच है कि तहसील एतमादपुर में सूखा राहत के नाम पर भारी घोटला किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त तहसील में किए गए राहत कार्यों की मौके की वास्तविक जांच कराने व दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद आगरा में वर्ष 1986-87 में पेयजल सम्बन्धी सूखा राहत कार्यों हेतु रु0 6.00 लाख आबंटित किये गये थे जिसमें तहसील एतमादपुर में 7 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाये जाने थे । यह सभी अधिष्ठापित किये जा चुके हैं तथा इस पर लगभग 77,000 रुपये व्यय आया है ।

श्री हरिशंकर (अमीन) तितुरा, पुवांया शाहजहांपुर को सवेतन बहाल करने की मांग

116– श्री सत्यपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-3-83 को लोक सेवा अधिकरण लखनऊ द्वारा श्री हरिशंकर

(अमीन) पुत्र श्री श्याम सुन्दर निवासी सितुरा तह0 पुवांया जिला शाहजहांपुर को सवेतन बहाल करने के आदेश दिये थे ? क्या यह सही है कि उक्त निर्णय के विरुद्ध शासन द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर अपील भी खारिज हो चुकी है ? यदि हां, तो अब तक उक्त व्यक्ति (अमीन शाहजहांपुर) के सेवा में क्यों नहीं लगाया गया है ? सरकार उपरोक्त अमीन को कब तक बहाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद बस्ती के हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

117—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी बस्ती के विरुद्ध पिछले दो वर्ष से 31 अक्टूबर, 86 तक कितनी शिकायतें शासन एवं उच्चाधिकारियों को भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की प्राप्त हुई, कितने में विभागीय जांच एवं कितने में विजलेंस की जांच चल रही है ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी बस्ती के विरुद्ध पिछले दो वर्ष से 31 अक्टूबर, 86 तक 10 शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं । सभी शिकायती पत्रों पर विभागीय जांच चल रही है । विजलेंस द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है ।

चूंकि जांच प्रचलित है अतः सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जनपद में हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आंगन बाड़ी बालाहार योजना के क्रियान्वयन का विवरण

118—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के हरिजन समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न विकास खण्डों में आगनबाड़ी एवं बालाहार योजना 31 अक्टूबर, 86 तक किन-किन स्थानों पर चलाई जा रही है? उनमें भ्रष्टाचार गबन अनियमितताओं की कितनी शिकायतें 1984-85, 85-86 तथा 31 अक्टूबर, 86 तक शासन तथा उच्चाधिकारियों को प्राप्त हुई, कितने लोग दोषी पाये गये, कितने के विरुद्ध जांच चल रही है ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बस्ती जनपद में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा आंगनबाड़ी बालाहार योजना 31 अक्टूबर, 1986 तक विकास खण्ड हैसर बाजार, खलीलाबाद, कप्तानगंज, डुमरियागंज तथा बहादुरपुर (कुशौरी) में चलाई जा रही है । उनमें भ्रष्टाचार गबन अनियमितताओं की शिकायतें वर्ष 84-85 में शून्य थी । वर्ष 85-86 में एक शिकायत पुष्टाहार के वितरण में पाई गई है जिसके लिए परियोजना के वरिष्ठ लिपिक तथा भण्डार लिपिक को दोषी पाया गया। उनकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है तथा उक्त कर्मचारियों को 23-2-86 को निलंबित किया जा चुका है। वर्ष 86-87 में भ्रष्टाचार, गबन, अनियमिततताओं की तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिस पर जांच कराई जा रही है।

119—हाजी मोहम्मद हयात—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई के शाहाबाद में गृह अनुदान वितरण संबंधी कथित अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

120—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता एवं जनता के कतिपय लोगों द्वारा शाहाबाद, जनपद हरदोई के गृह अनुदान के वितरण में गंभीर अनियमिततायें बरती जाने के संबंध में शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । जांच कराई जा रही है । दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

जनपद बस्ती में विधवा एवं विकलांग पेंशन का विवरण

121—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन समाज कल्याण विभाग बस्ती में कितने प्रार्थना-पत्र 31 अक्टूबर, 1986 तक विधवा एवं विकलांग पेंशन एवं सहायता हेतु कार्यालय में प्राप्त हुये उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? कितने ऐसे विधवा एवं विकलांग हैं जिनको पेंशन मिलती थी और उनकी मृत्यु हो गयी और मृत्यु का दिनांक तथा पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बस्ती में 31 अक्टूबर, 1986 तक 3722 विधवा पेंशन सहायता तथा 962 विकलांग पेंशन सहायता के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमें से 1807 निराश्रित विधवाओं को तथा 330 निराश्रित विकलांगों को पेंशन अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

पेंशन प्राप्त करने वाली 107 विधवा तथा 14 विकलांग व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है जिसका विवरण संलग्न† है।

प्रतापपुर राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज खटीमा, नैनीताल को विद्युत कनेक्शन देने सम्बन्धी औपचारिकताएं

122—श्री किरन पाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापपुर राजकीय इन्टरमीडिएट कालेज खटीमा जिला नैनीताल तक विद्युत कनेक्शन देने में विलम्ब क्यों किया गया है? कब तक बिजली कनेक्शन देकर बिजली की आपूर्ति हो सकेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

प्रतापपुर राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज खटीमा, जिला नैनीताल को दिनांक 26-2-84 को 40 कि0 वाट भार का विद्युत कनेक्शन दिया गया था । किन्तु उक्त विद्यालय द्वारा विद्युत बिलों के भुगतान प्रारम्भ से ही न किये जाने के कारण दिनांक 12-10-84 को विद्युत विच्छेदन कर दिया गया ।

अतः कालेज द्वारा सम्पूर्ण बकाये का भुगतान कर वर्तमान समय में मांगे गये 2 कि0 वाट विद्युत भार हेतु सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात ही पुनः विद्युत कनेक्शन देना सम्भव होगा।

---

†छापा नहीं गया।

ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु शासन की नीति

123—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा कोई ग्रामों में विद्युतीकरण से संबंधित शासनादेश है जिसके द्वारा सर्व प्रथम ग्राम की हरिजन बस्ती या अछूत व कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की बस्तियों में सर्वप्रथम प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युतीकरण हो ? यदि ऐसा कोई शासनादेश है तो वह क्या है और नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं । केवल हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण ग्राम के विद्युतीकरण के पूर्व ही किया जाना प्रशासनिक एवं आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है । सूचनीय है कि राज्य विधान परिषद् द्वारा वर्तमान निर्धारित नीति के अनुसार, किसी ग्राम का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण करते समय उस ग्राम की कम से कम हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण अवश्य किया जाता है ।

जनपद बरेली के ग्राम शिवपुरी का राज्य सामान्य योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण

124—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के तहसील आंवला वि0 क्षेत्र मझगवां के ग्राम शिवपुरी की कुल जनसंख्या आठ हजार है तथा इसमें डेढ़ हजार (1500) बस्ती हरिजन एवं अछूतों की है ? यदि हां, तो इस ग्राम में विद्युतीकरण के समय हरिजन या अछूतों की बस्ती में कितने विद्युत पोल लगवाये गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी हां, ग्राम शिवपुरी की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण नहीं किया गया क्योंकि उक्त ग्राम का विद्युतीकरण वर्ष 1962 में, राज्य सामान्य योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर नियमानुसार 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ प्राप्त होने पर एल0 टी0 लाइन बिछाकर किया गया था । उस समय ग्राम का विद्युतीकरण करते समय हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किये जाने का नियम नहीं था।

125—126—हाजी मोहम्मद हयात—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद मुरादाबाद के अमरोहा क्षेत्र में ग्रामों एवं हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की संख्या एवं लक्ष्य

127—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के अमरोहा विधान सभाई क्षेत्र में जिन हरिजन बस्तियों एवं ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है उनमें कौन-कौन से ग्राम व बस्तियां हैं तथा किन-किन ग्रामों व बस्तियों का विद्युतीकरण शेष है ? इन बस्तियों तथा ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद मुरादाबाद के अमरोहा विधान सभाई क्षेत्र में अब तक 47 ग्रामों की हरिजन बस्तियों व 41 ग्रामों का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण किया जा चुका है । 151 ग्रामों की हरिजन बस्तियों व 157 ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है। उक्त विद्युतीकृत/अविद्युतीकृत हरिजन बस्तियों व ग्रामों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जो माननीय सदस्य द्वारा देखी जा सकती है । इन शेष 151 हरिजन बस्तियों व 157 ग्रामों का एल0 टी0 लाइन बिछा-

कर विद्युतीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप निर्धारित किये जाने वाले लक्ष्यों एवं जिला विद्युत सलाहकार समिति की अनुशंसा पर निर्भर करेगा। इसका निश्चित समय बताना संभव नहीं।

जनपद आजमगढ़ के निराश्रित बालगृह में सहायक अधीक्षिका के रिक्त पद पर पदोन्नति का मामला विचाराधीन

128—श्री विष्णु देव—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के निराश्रित बालगृह के अंतर्गत सहायक अधीक्षिका का पद गत कई वर्षों से रिक्त है और अब तक नियुक्ति के लिए सेवायोजन विज्ञापन भी नहीं निकाला गया है? यदि हां, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

कथित पद विभागीय कर्मचारी को पदोन्नति देकर भरा जाना है अतः विज्ञापन निकालने का प्रश्न नहीं है। पदोन्नति का मामला विचाराधीन है।

129—श्री विष्णु देव—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

इलाहाबाद जनपद के चायल तहसील के जिल्द बन्दोबस्त खतौनी में कतिपय संशोधन की कार्यवाही

130—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के चायल तहसील के जिल्द बन्दोबस्त सन् 1320 फसली में भूमि संख्या 35 रकबा 14-9-0 ग्राम बभन पट्टी उपरहार में अंकित "पड़ाव" को अवैधानिक तरीके से नान जेड0 ए0 खतौनी से पृथक करके जेड0 ए0 खतौनी में श्री डी0पी0 घोष का नाम बतौर भूमिधर दर्ज करवा दिया गया है? यदि हां, तो इसको ठीक कराने हेतु क्या शासन कोई कार्यवाही तत्काल करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

131—132—हाजी मोहम्मद हयात—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

हरिजन एवं समाज कल्याण बस्ती से हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु आवंटित धन एवं वितरण सम्बन्धी शिकायत

133—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग बस्ती से हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु कितना धन 31 मार्च, 86 तक दिया गया और कितना धन देना शेष है? शेष धन में से कितना धन किन-किन तारीखों में सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया? एक मुश्त स्वीकृत छात्रवृत्ति को विभिन्न तारीखों में देने का क्या कारण है? उक्त मामले में 31 अक्टूबर, 1986 तक कितनी शिकायतें भ्रष्टाचार की उच्चाधिकारियों को प्राप्त हुई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय के हरिजन एवं समाज कल्याण विंगों के आडिट में मुख्य-मुख्य आपत्तियां

134—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का आडिट 1983—84, 84-85, 85-86 का हुआ है? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य आडिट आपत्तियां क्या थीं? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय के हरिजन एवं समाज कल्याण विंगों का निम्नलिखित अवधि का आडिट महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा चुका है:—

(1) जनवरी, 83 से दिसम्बर, 83 तक की अवधि का

(2) जनवरी, 84 से दिसम्बर, 84 तक की अवधि का

हरिजन कल्याण विंग का आडिट जनवरी, 85 से अग्रेतर अभी हाल ही में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा सम्पादित किया गया जिसकी आडिट रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। समाज कल्याण विंग का आडिट जनवरी, 1985 से अग्रेतर अभी नहीं हुआ है, अतः तत्सम्बन्धी आडिट रिपोर्ट का प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य-मुख्य आडिट आपत्तियां

1—समाज कल्याण विंग

वर्ष 1983 **मुख्य आपत्तियां**

(1) स्वैच्छिक संस्थाओं को वर्ष 1981-82 व वर्ष 1982-83 में दिये गये कुल रुपये 9,51,695 के उपभोग प्रमाण-पत्रों का न प्राप्त किया जाना।

(2) निम्नांकित संस्थाओं को दिये गये रु0 22,481 की अनुदान राशि का दुरुपयोग किया जाना:—

(क) 1981-सर्वोदय सेवा समिति वासुदेव घाट अयोध्या फैजाबाद—

रु0 17,481.00

(ख) 1980-81-चित्रगुप्त बाल विहार सदन शाहजहांपुर (फैजाबाद)—

2000 रु0

(ग) 1980-81-चित्रगुप्त लघु माध्यमिक विद्यालय शाहजहांपुर (फैजाबाद—)

3,000.00

योग—22,481.00

वर्ष 1984

(क) हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर द्वारा रुपया 4,89,040 के जालसाजी द्वारा किये गये अधिक भुगतान का प्रकरण।

(ख) अन्ध बालिका प्रशिक्षण केन्द्र गोण्डा की स्थापना बिना उचित सर्वे कराये किये जाने के कारण स्थापना वर्ष से दिसम्बर, 1984 तक संस्था में रुपया 3,76,000 का निष्प्रयोज्य व्यय हुआ।

2—हरिजन विंग

वर्ष 1983

(1) अनुदान राशि रु0 2.46,54,300 बजट प्राविधान को व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषागार से बिना आवश्यकता के अनियमित रूप से आहरित किया जाना।

वर्ष 1984

(1) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, लखनऊ को विभिन्न स्कीमों के लिये दी गई धनराशि रु0 2,67,86,100 के उपभोग प्रमाण पत्र न उपलब्ध कराना।

(2) हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लि0, लखनऊ को विगत में दी गई

धनराशियों के सम्बन्ध में वर्ष 1976-77 से उपभोग प्रमाण-पत्र न प्राप्त होने के बावजूद भी रु0 2,20,23,000 की धनराशि दिया जाना।

(3) अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि0, लखनऊ को वर्ष 1983-84 में रुपया 43,33,000 की धनराशि कुटीर उद्योग, कृषि तथा बागवानी हेतु दिया गया था। परन्तु इसके उपभोग प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त किये गये।

लखनऊ मध्य क्षेत्र में, कुंडरी कैम्प में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण का वितरण

135—श्री नरेश चन्द्र—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य क्षेत्र में बीस सूत्रीय कार्यक्रम में अनुसूचित जन-जाति वित्तीय विकास निगम द्वारा लगाए गये कुंडरी कैम्प में कितने हरिजनों को ऋण प्राप्त हुआ तथा कितने शेष रह गये हैं और इन्हें अभी तक ऋण स्वीकृत न होने के क्या कारण हैं ? यदि ऋण स्वीकृत होगा तो वह कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

लखनऊ मध्य क्षेत्र में, कुंडरी कैम्प में 63 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण वितरित किया गया ।

175 व्यक्ति शेष रह गये हैं । 17 आवेदन पत्रों में बैंकों द्वारा आपत्ति होने के कारण एवं 158 आवेदन पत्रों पर जाति/आय प्रमाण पत्रों तथा अन्य औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण लम्बित हैं ।

औपचारिकताओं तथा आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त ऋण स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

जिला गाजियाबाद ब्लाक लोनी के पसौंड़ा ग्राम में एल0 एम0 सी0 की बंजर भूमि एवं आवंटित भूमि का विवरण

136—श्री गजराज सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजियाबाद ब्लाक लोनी के पसौंड़ा ग्राम में डाल0 एम0 सी0 की कितनी जमीन है ? क्या वह जमीन हरिजनों में आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो कितने हरिजनों को? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जिला गाजियाबाद ब्लाक लोनी के पसौड़ा ग्राम में एल0 एम0 सी0 की 31-14-11 भूमि गांव के इर्द-गिर्द आबादी के पास है जो अभिलेख में बंजर दर्ज है । परन्तु मौके पर इस भूमि में या तो कब्रिस्तान है या इसका प्रयोग मरघट व शमशान के रूप में हो रहा है । अतः इसका आवंटन नहीं किया जा सकता है ।

इस ग्राम में एल0 एम0 सी0 की भूमि सन् 78 में 42 बाल्मीकि व्यक्तियों को आवास हेतु आवंटित की गयी थी जिसकी स्वीकृति 1981 में हुई है । जिसमें उनके कब्जे मौके पर मौजूद हैं, एवं उनके भवन बने हुये हैं । इसके पश्चात कोई आवंटन नहीं किया गया । अब यह गांव नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत है, इस कारण आवंटन नहीं किया जा सकता ।

प्रदेश में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए सम्मिलित धन का आवंटन

137—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में अप्रैल 1986 से दिसम्बर, 1986 तक प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार कार्यक्रम योजना में कितना धन जिलेवार आवंटित किया गया और उस आवंटित धन का कितना धन कितनी गर्भवती महिलाओं पर पुष्टाहार के रूप में व्यय हुआ और क्या जिलों को इस हेतु आवंटित धन का पूरा प्रयोग हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रदेश में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत पुष्टाहार कार्यक्रम में 0-6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए सम्मिलित रूप से धन आवंटित किया जाता है। प्रदेश में जिलों को माह अप्रैल 1986 से दिसम्बर 1986 तक कुल 921.38 लाख रुपये पुष्टाहार मद में आवंटित किया गया।

गर्भवती महिलाओं के लिए आवंटन अलग से नहीं किया जाता है उपरोक्त सम्मिलित आवंटन से ही गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार दिया जाता है अतः गर्भवती महिलाओं पर व्यय धनराशि का अलग से लेखा नहीं रखा जाता है।

अप्रैल, 86 से दिसम्बर, 86 तक पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित महिलाओं की संख्या निम्न प्रकार है:—

अप्रैल, 86	88,986
मई,	85,421
जून,	84,873
जुलाई,	81,998
अगस्त,	81,414
सितम्बर,	89,611
अक्टूबर,	92,144
नवम्बर,	94,988
दिसम्बर,	1,01,072

परियोजनाओं से व्यय हुई धनराशि की अद्यावधिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वांछित सूचना संकलित की जा रही है।

चकबन्दी क्षेत्र 19 राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर के कतिपय गांवों की चकबन्दी हेतु गजट में प्रकासन

138—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी क्षेत्र 19 राबर्ट्सगंज मिर्जापुर के गांव भगवानपुर दोउरा सेकिया, भिटिया, बजरिया, गोजहनियां, कोहली, बहरी एवं अन्य 60 गांवों में चकबन्दी प्रक्रिया लागू करने के लिये श्री मुनेश्वर देव, निवासी भगवानपुर, पो0 संडी राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर आदि लम्बे अर्से से सम्बन्धित अधिकारियों से मांग कर रहे हैं? यदि हां, तो संदर्भित गांवों को चकबन्दी के अन्तर्गत लेने में क्या कठिनाई है और ग्राम्य विकास के दृष्टिकोण से इन गांवों की कब तक चकबन्दी सम्पन्न हो जायगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत संदर्भित गांवों सहित 61 ग्रामों को सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु विज्ञप्ति चकबंदी आयुक्त द्वारा निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेज दी गई है सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर उक्त गांवों में चकबंदी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

जी हां।

139–श्री राजकिशोर सिंह–

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री बी0एस0 माथुर, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता लखनऊ एवं श्री वी0 के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) का परिषदीय कार्य हित में स्थानान्तरण न होना

140–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 एस0 माथुर, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ एवं श्री वी0 के0 श्रीवास्तव, अधीक्षक अभियन्ता (मुख्यालय) लखनऊ में कितने वर्षों से कार्यरत हैं तथा इनके इतने लम्बे समय तक स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर न किये जाने का कारण क्या है? क्या शासन इनके लम्बे कार्यकाल को देखते हुए लखनऊ से बाहर स्थानान्तरण का आदेश राज्य विद्युत परिषद् को देगी ?

श्री सुनील शास्त्री–

श्री बी0 एस0 माथुर, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ एवं श्री वी0 के0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) (अब अधीक्षण अभियन्ता एवं संयुक्त सचिव आर्गनाइजेशन) लखनऊ में लगभग 11 वर्षों से कार्यरत हैं । लखनऊ से बाहर इनका स्थानान्तरण परिषदीय कार्य-हित में नहीं किया गया है। भविष्य में यदि परिषदीय हित में इन अधिकारियों को लखनऊ से बाहर स्थानान्तरण करना आवश्यक हुआ, तो उस पर परिषद द्वारा स्वयं विचार किया जायेगा ।

श्री राम किशन सक्सेना, न्याय सहायक, बरेली द्वारा सेवा निवृत्त के पश्चात् अदेयता प्रमाण पत्र न दिये जाने के कारण ग्रेच्युटी एवं पेंशन में विलम्ब

141–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री राम किशन सक्सेना जो बरेली कलेक्ट्रेट में न्यायिक सहायक के पद पर कार्यरत थे, ने दिनांक 31 मई, 1985 को अवकाश ग्रहण कर लिया था, किन्तु उन्हें अभी तक पेन्शन, ग्रेच्युटी एवं अन्य लाभों का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो भुगतान न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार राम किशन सक्सेना की पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य लाभों का भुगतान तुरन्त कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

श्री राम किशन सक्सेना दिनांक 31 मई, 1985 को न्याय सहायक के पद से सेवा निवृत्त हुए थे । इसके पूर्व वे नाजिर पद पर थे । स्थानान्तरण होने पर बार-बार निर्देशित करने के उपरान्त भी उनके द्वारा अपने उत्तराधिकारी को पूर्ण चार्ज अभी तक नहीं दिया जा सका है। फलस्वरूप इनसे कतिपय सरकारी देयों की वसूली भी की जानी है । अतः अभी तक अदेयता प्रमाण पत्र न दिये जाने के कारण उन्हें पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है। फिर भी इनकी पारिवारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 1 जून, 1985 से 31 मई, 1986 तक अनन्तिम पेंशन का भुगतान कर दिया गया है।

पेंशन तथा ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के सम्बन्ध में श्री सक्सेना ने दिनांक 2 फरवरी, 1987 को इस आशय का लिखित आश्वासन दिया है कि वह नाजिर सदर के कार्यालय में अप्राप्त "डेड स्टाक" की वस्तुओं का सत्यापन दिनांक 15 मार्च, 1987 तक करा देंगे । उक्त कार्यवाही के पश्चात ही समस्त देयों का भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री हरिराम पुत्र श्री नेकराम, ग्राम गंगाधरपुर, गाजियाबाद द्वारा भूमि मिलट्री पड़ाव खसरा नं0 315 पर कब्जा

142—श्री कनक सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री हरिराम पुत्र श्री नेक राम निवासी ग्राम गंगाधरपुर उर्फ बक्सर, जिला गाजियाबाद ने भूमि मिलट्री पड़ाव खसरा नम्बर 315 रकबा 1½ बीघा पुखता पर गत 15 वर्ष से नाजायज कब्जा किए है? क्या सरकार इस भूमि से नाजायज कब्जा हटाने की कार्यवाही करेगी और कब्जे की अवधि का मुआवजा वसूल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर में ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्डीय कार्यालय

143—श्री विजय सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर में ग्रामीण विद्युतीकरण का उपखण्डीय कार्यालय मिर्जापुर से राबर्टसगंज या पिपरी में स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक वह आफिस उक्त स्थानों पर शिफ्ट क्यों नहीं किया गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

जी नहीं ।

ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्डीय कार्यालय को मिर्जापुर से राबर्ट्सगंज या पिपरी स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आबरा, अनपरा परियोजना में कार्यरत कम्पनियों में विस्थापित परिवारों को सेवायोजन की व्यवस्था

144—श्री विजय सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आबरा, अनपरा, शक्तिनगर और रिहन्द नगर ताप विद्युत परियोजनाओं में जब तक पद सृजित नहीं हो जाते तब तक के लिए उन परियोजनाओं में कार्यरत कम्पनियों में विस्थापित परिवारों के एक-एक सदस्य को नौकरी देने की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सरकार करेगी ?

श्री सुनील शास्त्री—

आबरा तापीय एवं जल-विद्युत परियोजना तथा अनपरा परियोजना में कार्यरत कम्पनियों में विस्थापित परिवारों में से एक-एक सदस्य को सेवायोजन देने से सम्बन्धित स्थिति निम्नवत है :—

(क) आबरा ताप एवं जल विद्युत परियोजना में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न होने के कारण कोई भी कम्पनी उक्त स्थान पर कार्यरत नहीं है । अतः कम्पनियों में विस्थापित परिवारों के एक-एक सदस्य को नौकरी देने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) चूंकि अनपरा परियोजना अभी निर्माणाधीन है, अतः यहां पर निर्माणाधीन कम्पनियों में यहां के विस्थापित परिवारों के लोगों को वरीयता के आधार पर सेवायोजन दिया जाता है। इस परियोजना में विस्थापित परिवारों में से 97 परिवारों के एक-एक सदस्य को वरीयता के आधार पर सेवायोजन दिया जा चुका है।

शक्तिनगर और रिहन्द नगर परियोजनायें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की नहीं हैं, अतः उनसे राज्य सरकार का सम्बन्ध नहीं है।

जनपद मिर्जापुर के रिहन्दनगर प्रोजेक्ट हेतु अध्याप्त भूमि एवं काश्तकारों को दिये गये मुआवजे की जानकारी की मांग

145—श्री विजय सिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद मिर्जापुर के रिहन्दनगर (बीजपुर) प्रोजेक्ट में कितनी भूमि सीरदारी, ग्राम सभा, बन्जर नजूल एवं वर्ग-4 की अध्याप्त की गयी है ? उसमें से कितनी भूमि का कितने काश्तकारों का मुआवजा मिल गया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

146—श्री विजय सिंह—

[1ले सोमवार में अता0 प्र0 सं0 146 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम वारी, फूलपुर, इलाहाबाद में ग्राम समाज भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध कब्जे का मामला न्यायालय में विचाराधीन

147—श्री राम जनम यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम वारी, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद में ग्राम समाज की आराजी नम्बर 528 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा तथा इसी प्रकार की ग्राम समाज की अन्य भूमि पर श्री बसन्त लाल यादव, श्री विजय बहादुर कुम्हार तथा बद्री विन्ध आदि ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । प्रश्नगत सभी अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है।

ग्राम सभा सिकरी (बांदा) में ग्राम सभा द्वारा दिये गये अवैध पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही

148—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की मऊ तह0 की ग्राम सभा सिकरी में 9-8-86 को ग्राम सभा की जमीनों के पट्टे दिये गये थे? क्या भूमि वितरण में अवैधानिकता की शिकायतें जिलाधिकारी, बांदा और परगनाधिकारी, मऊ को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम सभा सिकरी, तहसील मऊ, जनपद बांदा में 9-8-86 को कोई पट्टे नहीं दिये गये थे। इस ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनांक 31-10-85 के अनुसार पट्टे दिये गये थे । भूमि वितरण में अवैधानिकता की शिकायतें अपर जिला अधिकारी, कर्वी (बांदा), परगनाधिकारी, कर्वी/मऊ व तहसीलदार, मऊ को प्राप्त हुई थी। शिकायतें पट्टों की अवैधानिकता से सम्बन्धित थीं जिसकी जांच की गई और 11 पट्टे अवैध पाये गये । इनके निरस्तीकरण की कार्यवाही धारा-198(4) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी, कर्वी (बांदा) के न्यायालय में चल रही है। अवैध पट्टे करने के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लिपिक वर्गीय विनियमावली के अनुसार पाण्डुलिपिकों की ज्येष्ठता का निर्धारण

149—श्री शारदा प्रताप—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता संवर्ग के कनिष्ठ

पाण्डु लिपिक जिनको वर्ष 1979 एवं 1980 में क्रमशः प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था, के मध्य वरिष्ठता सूची शासनादेश के अन्तर्गत निर्धारित नीति के अन्तर्गत निर्धारण करने विषयक श्री सुरेन्द्र कपिल, अध्यक्ष, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं समन्वय समिति उत्तर प्रदेश के पत्रों पर उनके पत्र संख्या 922 एम0 एम0 ई/86 दिनांक 7-5-86 एवं अन्य के द्वारा मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) एवं सचिव रा0 वि0 प0 को आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उन आदेशों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? शासन द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां ।

वर्ष 1979 में 87 दैनिक श्रेणी लिपिकों को कनिष्ठ पाण्डु लिपिकों के पदों पर विभागीय कोटे से प्रोन्नत किया गया था एवं वर्ष 1980 में 104 कनिष्ठ पाण्डु लिपिकों को सीधी भर्ती के कोटे से नियुक्त किया गया । उपर्युक्त दोनों स्रोतों द्वारा प्रोन्नत/नियुक्त किये गये कनिष्ठ पाण्डु लिपिकों की ज्येष्ठता उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लिपिक वर्गीय नियमावली, 1970 में निहित आदेशों के अनुसार निर्धारित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद में चकबन्दी प्रक्रिया की प्रगति

150–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तह0 दादरी, जिला गाजियाबाद के 103 ग्राम जिनमें चकबन्दी प्रक्रियायें पूर्ण हो चुकी हैं तथा जिन्हें चकबन्दी जोत अधिनियम की धारा 52 एवं धारा 6 के अन्तर्गत प्रकाशन के लिये चकबन्दी निदेशालय में भेजा जा चुका है, उनके प्रकाशन में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद के 132 ग्रामों में से अभी तक 28 ग्रामों की चकबन्दी पूरी हुई है जिनका धारा 52 के अन्तर्गत प्रकाशन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 6 ग्रामों का धारा 6 के अन्तर्गत भी प्रकाशन किया जा चुका है।

151–हाजी मोहम्मद हयात–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य एवं परीक्षण) मथुरा की चोरी गयी जीप की जांच

152–श्री सरदार सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में शासन द्वारा कामर्शियल डिवीजन, मथुरा के अधिशासी अभियन्ता को दी गयी नवीन जीप चोरी चली गयी थी जिसका कि पता कोतवाली, मथुरा की पुलिस नहीं लगा पाई है ? यदि हां, तो पूर्ण घटना का विवरण क्या है तथा दोषी व्यक्ति के खिलाफ शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां । यह सत्य है कि वर्ष 1986 में एक नई जीप अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य एवं परीक्षण), मथुरा को दी गई थी, जो अगस्त, 1986 में चोरी चली गयी । चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली, मथुरा में अंकित करायी गई, परन्तु पुलिस द्वारा मुल्जिम अथवा जीप का कोई पता नहीं लगाया जा सका तथा अन्तिम आख्या न्यायालय में जमा कर दी गई है।

उक्त जीप रात्रि में विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से रखने हेतु उक्त अधिकारी के निवास स्थान पर खड़ी की गई थी, जहां से वह दिनांक 29/30-8-1986 की रात्रि में चोरी चली गयी। विभागीय जांच एक स्वतंत्र अधिकारी द्वारा की जा रही है तथा जांच अधिकारी की आख्या प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद आगरा में बाल पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय का विवरण

153—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत आगरा जनपद में वर्ष 1986-87 में अब तक कितना धन व्यय किया गया है? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इस योजना में किये गये व्यय में हजारों रुपया का घोटाला किया गया है? क्या मंत्री जी अब तक किये गये व्यय की मौके पर वास्तविक जांच कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बाल पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत आगरा जनपद में वर्ष 1986-87 में अब तक 5,74,080-00 रुपया व्यय किया गया है। घोटाले की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई, इसलिए जांच का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम गढ़ी महराम में आकस्मिक अग्नि काण्ड से पीड़ित परिवारों को अहेतुक सहायता

154—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के ग्राम गढ़ी महराम में गर्मियों में आग लगने के कारण करीब 20 परिवारों के मकान, गल्ला, सामान, गलीचा बनाने की सभी लूमें जल कर राख हो गयी हैं? यदि हां, तो क्या इन परिवारों के आवास हेतु आवास कालोनी तथा 20 परिवारों को लूम गलीचा बनवाने के लिए लूम लगवाने की व्यवस्था मौजूदा वित्तीय वर्ष में कराने की कृपा करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद आगरा की तहसील एतमादपुर के ग्राम गढ़ी महराम में दिनांक 2-4-1986 को आकस्मिक अग्निकांड हुआ जिससे 31 परिवार प्रभावित हुए थे। अग्निकाण्ड में दो मकानों के छप्पर, गल्ला, कपड़े व अन्य सामान जले थे। कोई जनहानि व पशु हानि नहीं हुई। छप्पर हानि के सम्बन्ध में 200 रु0 की दर से गृह अनुदान दिया गया। अतः आवास कालोनी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी भी लूम आदि के जलने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अतः लूम लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सभी पीड़ित परिवारों को 8775 रु0 की अहेतुक सहायता भी दी गई।

जनपद बरेली की तहसील आंवला में बाढ़ से प्रभावित गांवों को भूराजस्व की छूट

155—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तह0 आंवला में कितने ऐसे गांव हैं जो प्रतिवर्ष रामगंगा की बाढ़ से प्रभावित होते हैं और उन गांवों के निवासियों को क्षति पूर्ति हेतु राजस्व में छूट दी जाती है? वर्ष 1984-85 और 1985-86 में इस प्रकार की छूट किन-किन गांवों के लोगों को कितनी दी गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद बरेली की तहसील आंवला के लगभग 105 गांव ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष

रामगंगा की बाढ़ से प्रभावित होते हैं। भू-राजस्व की छूट तथा उसकी वसूली में स्थगन की सुविधा तभी दी जाती है जब दैवी आपदाओं से फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति होती है। वर्ष 1984-85 में फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति नहीं हुई। अतः उपरोक्त छूट नहीं दी गयी। वर्ष 1985-86 में तहसील आंवला के 59 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुए थे जिनमें स्थगन की सुविधा दी गई।

श्रीमती सावित्री अवस्थी, सहायक अधीक्षिका को हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ से सम्बद्ध

156—श्री महेन्द्र भाटी तथा श्री रामजनम—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण, लखनऊ में उपाधीक्षिका का कोई पद शासन द्वारा सृजित किया गया है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो श्रीमती सावित्री अवस्थी उपाधीक्षिका को पिछले दो साल से निदेशालय से सम्बद्ध किये जाने का क्या आधार है? क्या शासन इस बात की जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारी को दण्डित करने पर विचार करेगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती सावित्री अवस्थी सहायक अधीक्षिका के विरुद्ध अतीत में महिला संस्थाओं में संवासियों के प्रति दुर्व्यवहार तथा उन्हें गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा दिये जाने की शिकायत रहने तथा पुरुष संस्था में सम्प्रति कोई पद रिक्त न होने के कारण उन्हें दिनांक 20-8-1986 को निदेशालय से सम्बद्ध कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के ग्राम गहीरा तप्पा राजधानी में चकबन्दी द्वारा स्कूल हेतु ग्राम सभा द्वारा छोड़ी गयी भूमि पर अवैध पट्टे की शिकायत

157—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गहीरा तप्पा राजधानी, परगना हवेली, तह0 सदर, जिला गोरखपुर में आराजी नं0 58/0-24 डि0 भूमि स्कूल व आराजी नं0 59/1-58 डि0 भूमि खेल के मैदान हेतु चकबन्दी द्वारा ग्राम सभा में स्कूल हेतु सुरक्षित की गयी थी? यदि हां, तो क्या स्कूल व स्कूल के खेल के मैदान की भूमि श्रेणी-3 में पट्टे पर किसी सरकारी कर्मचारी के नाम से या उसके परिवार के व्यक्ति के नाम खसरा व खतौनी में दर्ज की गयी है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

158—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मंत्री जी को यह भी मालूम है कि सन् 1978 से आराजी नं0 59 में 51×21 फुट का कमरा बनाकर राजकीय कन्या बेसिक जू0 हाईस्कूल चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आराजी को स्कूल व स्कूल के मैदान की भूमि स्कूल के पक्ष में करने हेतु उचित आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के ग्राम खिखनिया, तप्पा हवेली में ग्राम समाज व सीलिंग की भूमि पर नाम दर्ज किये जाने सम्बन्धी शिकायत की जांच

159—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रिवर बनिया तप्पा, परगना हवेली

तह0 सदर, जिला गोरखपुर में चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्राम समाज व सीलिंग की बचत भूमि को सैकड़ों एकड़ भूमि अवैधानिक रूप से चकबन्दी के दौरान गांव के व गांव के बाहर के व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिये हैं? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी व अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम खिखनिया, तप्पा हवेली तहसील सदर, जिला गोरखपुर में चकबंदी विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्राम समाज व सीलिंग की बचत की भूमि को अवैधानिक रूप से दर्ज किये जाने के बारे में जिलाधिकारी, गोरखपुर की जांच के आदेश दे दिये गये हैं। जांच के उपरान्त दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

160–श्रीमती शारदा देवी–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

श्री एम0 पी0 सिंह कथित तहसीलदार बलिया के विरुद्ध शिकायत

161–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष 1985-86 में श्री एम0 पी0 सिंह पूर्व तहसीलदार, बलिया के विरुद्ध गांव सावन छपरा द्वारा जिला बलिया में फर्जी ऋण वितरित करने की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा जिलाधिकारी, बलिया ने करायी थी? क्या फर्जी भुगतान की बात जांच में सही पायी गयी? यदि हां, तो अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्नगत वर्ष 1985-86 में जनपद बलिया में श्री एम0पी0 सिंह नाम का कोई तहसीलदार कार्यरत नहीं था। अतः उनके विरुद्ध जांच होने अथवा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

162–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया में कार्यरत बलिया तहसील के पूर्व तहसीलदार एम0पी0 सिंह के विरुद्ध बाढ़ राहत में गोलमाल, गबन आदि करने संबंधी शिकायतों की जांच आयुक्त, वाराणसी तथा सतर्कता विभाग द्वारा हो रही है? यदि हां, तो श्री एम0 पी0 सिंह को पुनः जनपद बलिया में क्यों भेजा गया है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

उपरोक्तानुसार।

वर्तमान समय में भी एम0पी0 सिंह नाम का कोई तहसीलदार जनपद बलिया में तैनात नहीं है।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति 1986-87 का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री उपाध्यक्ष–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति (1986-87) का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समितियों की प्रस्तुत रिपोर्टों पर बहस कराने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आपकी पीठ की गरिमा और उसकी महानता को नत-मस्तक होते हुए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा के अधिकार आजकल दिनों-दिन समाप्त होते जा रहे हैं। विधान सभा में जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, वह तो हैं ही, कम्पनीज एक्ट और कमीशन

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आफ इन्क्वायरी एक्ट के अन्तर्गत समितियों आदि की जो रिपोर्टें प्रस्तुत होती हैं, उन सब पर बहस करने का अधिकार विधान सभा को प्राप्त है। पिछले 1980 से लेकर 1985 तक की कई समितियों की रिपोर्टें आपके पास पड़ी हुई हैं। आपके पास हमने लिखकर भी दिया कि इन पर बहस कराई जाय क्योंकि शासन स्तर पर इन रिपोर्टों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है लेकिन आप कोई समय निर्धारित नहीं करते हैं। पी0 ए0 सी0 के रिपोर्ट पर ही यदि आप बहस के लिए समय निर्धारित कर दें तो सरकार के कार्यकलापों को बेनकाब किया जा सकता है। बहस के दौरान यह भी मालूम हो जायेगा कि सरकार किस बात को मान रही है और किस बात को नहीं मान रही है। विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर माननीय सदस्य रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिस पर लाखों रुपए खर्च होता है लेकिन जब रिपोर्ट बन जाती है तो उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। कम्पनीज एक्ट में जो प्राविधानित है, उस पर डिसकशन नहीं होता है। सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं।...

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैंने जो कहा है उस पर तो आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है। पहले उस पर व्यवस्था दे दें?

श्री अध्यक्ष–

अभी उस पर कोई व्यवस्था नही दी है। व्यवस्था उस पर रिजर्व है।

सिकन्दराराऊ नगर, अलीगढ़ में राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के भवन के निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम-301 के अन्तर्गत 7 सूचनाओं में पहली सूचना श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी जी की है, दूसरी श्री बदन सिंह जी की, तीसरी श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ जी की, चौथी श्री हरदेव जी की, पांचवीं श्री काशी सिंह एरी जी की, छठी श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की और सातवीं सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल) की है।

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

महोदय, सिकन्दराराऊ नगर अलीगढ़ जनपद का एक महत्वपूर्ण नगर है। जी0 टी0 रोड तथा मथुरा-बरेली रोड जैसे दो प्रमुख राष्ट्रीय मार्गों के चौराहे पर स्थित होने के कारण सिकन्दराराऊ का बस स्टेशन यातायात का एक प्रमुख केन्द्र बन गया है। प्रतिदिन हजारों यात्री इस बस स्टेशन से विभिन्न दिशाओं में यात्रा करते हैं। राज्य परिवहन निगम की स्थापना के समय से ही यह बस स्टेशन एक किराये के स्थान पर टीन शेड के अस्थायी निर्माण में चल रहा है। बस स्टेशन के अन्दर बसों के खड़े होने का स्थान नहीं है, बसें सड़क पर अनिश्चित स्थानों पर रुकती हैं, यात्री बसों में चढ़ने के लिए भागकर, सड़क पार करते हैं। इस प्रकार बसों में चढ़ने के प्रयास में मुख्य सड़क पर चलने वाले वाहनों से टकरा कर अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। बसों की प्रतीक्षा में सड़क पर खड़े यात्रियों को घण्टों गर्मियों की धूप तथा वर्षा ऋतु में भीगते हुए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वृद्ध, बीमार तथा महिला यात्रियों को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता

है। इस बस स्टेशन भवन का निर्माण तथा यहां डिपो स्थापित करने का प्रस्ताव दीर्घकाल से विभाग के विचाराधीन है। परन्तु अभी कार्यान्वित न होने के कारण जनता को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(इस समय 12 बजकर 22 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से आवश्यक कार्यवाही शीघ्र कराने की मांग करता हूं।

डुमरियागंज, बस्ती में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अस्थाई खण्ड एवं डी0 सी0 यू0 2 के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्य में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान बस्ती जनपद के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अस्थाई खण्ड एवं डी0 सी0 यू0 2 के अन्तर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र डुमरियागंज में जितने निर्माण के कार्य हो रहे हैं घटिया स्तर के हैं। 1500 के आबादी के गांव को जोड़ने के लिए एन0 आर0 ई0 पी0 अथवा रोजगार गारंटी योजना में जितनी सड़कें जैसे मालिमैन्हा काकिराबाद मार्ग, धसैरारा धमरपुर मार्ग, धनखरपुर धानपुर रानी मार्ग, राजपुर जनूबी मार्ग और उर्जैनिया भरवटिया मार्ग। इन सब पर जो मिट्टी का काम किया है वह सन्तोषजनक नहीं है तथा खड़न्जों के लिए जो ईंटें लगाये जा रहे हैं वह भी ठीक नहीं हैं। ह्यूमपाइप के जितने पुलिया बनायी जा रही हैं अधिकांश में कालर नहीं लगाए गए हैं और न ही पुलियों में गिट्टी डाली गई है।

मैं शासन से मांग करता हूं टैक्निकल आडिट सेल की एक टीम भेजकर मेरे क्षेत्र में किए जा रहे उपरोक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए मेरी यह भी मांग है कि सत्यापन के समय जब जांच दल इन सड़कों की जांच करने जाए तो इसकी सूचना मुझे भी दी जाए जिससे मैं सही स्थिति से अवगत करा सकूं।

तहसील किरावली, आगरा में मस्तिष्क ज्वर से व्यक्तियों की मृत्यु से जनमानस में असन्तोष होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह–

मान्यवर, जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम सामरा नागर, जहरौठी और साहई में भीषण मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप व्याप्त है और माह फरवरी में सामरा में 5, नागर में 6, जहरौठी में 2 और साहई में एक व्यक्ति की इसी मस्तिष्क ज्वर से मृत्यु हुई है और हाल ही में 2 मार्च, 1987 को परमौली पुत्र सुखराम जाटव की मृत्यु सामरा ग्राम में हो गयी। इस मस्तिष्क ज्वर में रोगी को कै दस्त होते हैं और गर्दन में ऐंठ पड़ती है और कुछ ही घण्टों में यह बुखार रोगी की जान ले लेता है। इस मस्तिष्क ज्वर से हाहाकार मचा हुआ है और जिला आगरा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन गांवों में अभी तक कोई भी अस्पताली सहायता न करने से जनाक्रोश व क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर उक्त ग्रामों में मस्तिष्क ज्वर के रोकथाम के इलाज की व्यवस्था की मांग करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाल विकास परियोजना अधिकारी नगरा, बलिया श्रीमती सावित्री देवी के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं कृत्यों की शिकायत होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरदेव–

मान्यवर, आपके माध्यम से अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। बलिया जनपद के विकास खण्ड नगरा में सरकार ने लोक हित व कल्याणकारी आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलाया है। नगरा की बाल विकास परियोजनाधिकारी श्रीमती सावित्री देवी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिये लगभग 80 हजार रु0 से अधिक रिश्वत इकट्ठा कर अपात्र अभ्यर्थियों को नकल कराकर चयन किया, जिसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से करने पर जिलाधिकारी ने जांच में अनियमितता पाकर चयन सूची को निरस्त कर दिया, लेकिन जिलाधिकारी के अवकाश पर लखनऊ आने पर मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विकास, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी, नगरा ने मिलकर षड़यन्त्र करके भारी रकम को बांटकर मैजिस्ट्रेट की जांच के उपरान्त निरस्त सूची के ही अनुसार उन्हीं की नियुक्ति की कार्यवाही की। 1-3-87 दिन रविवार को अवकाश की रात्रि को बिना विज्ञापन या नियम के पैसा प्राप्त करके ऐसा किया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में इस गम्भीर व चर्चित घोटाले से रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। इन अधिकारियों ने लूट की रकम के कारण, शासन की मंशा के विरुद्ध, योजना को प्रभावित किया है। इसके पूर्व नगरा ब्लाक में 22 नियुक्तियां उदय बहादुर सिंह भू0पू0 हरिजन अधिकारी के हस्ताक्षर से फर्जी तौर से दो-दो हजार रुपये लेकर किया गया है, जो निरस्त होने के पश्चात् पुनः उन्हीं की नियुक्ति की जा रही है। रसड़ा में 23, सीयर में 7 तथा रतनपुरा में 19 स्थानीय महिलाओं की नियुक्ति न करके दूसरे जगहों की महिलाओं की नियुक्ति, धन लेकर अवैध नियम विरुद्ध की गयी है।

अतः मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल जांच कराने तथा सम्बन्धित भ्रष्ट आचरण वाले अधिकारियों का स्थानान्तरण कर अनियमित चयन सूची निरस्त कर नये आदेश से चयन कराने की मांग करता हूं।

आशुतोष सहकारी गृह निर्माण समिति, कृष्णानगर में व्याप्त अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। उक्त आशुतोष सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, लखनऊ का पंजीकरण संख्या-3078 है। समिति ने अपने 89 सदस्यों के लिए आवासीय भूमि क्रय की है। तत्कालीन अध्यक्ष एवं सचिव ने अनेक अवैधानिक कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप 5 अप्रैल, 1986 को उक्त संस्था के लिए आवास एवं विकास परिषद् द्वारा प्रशासक नियुक्त कर दिया और एक श्री पी0 सी0 जोशी, 046, आशुतोष नगर, कृष्णानगर को समिति का सचिव समिति के सदस्यों की घोर आप-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

त्तियों के बावजूद नियुक्त कर दिया गया तथा बाद में उनकी ही सह पर उनके चाचा श्री बी0 सी0 जोशी को सचिव बना दिया गया। अपने सचिव काल में इन दोनों व्यक्तियों ने समिति के प्रारम्भिक रिकार्ड को छिपा दिया तथा फर्जी रिकार्ड तैयार करके हजारों रुपये का गबन कर दिया। आवासीय कालोनी के अन्दर पार्क के स्थान पर बैंक आफ बड़ौदा, निशातगंज ब्रांच को धोखा देकर 4,20,000 रुपये का ऋण लेकर मर्गी बाड़ा निर्मित किया जा रहा है। जिससे आस-पास के निवासियों में घोर असंतोष फैल रहा है और समिति की भूमि में निर्मित स्कूल के स्थान को सांस्कृतिक संस्था दिखा कर उ0 प्र0 सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग से अनुदान लेने का प्रयास किया गया और स्कूल व उसकी भूमि को पट्टे पर दिखाकर बेंचा जा रहा है तथा उससे प्राप्त धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। समिति में फर्जी एवं असामाजिक तत्वों को सदस्य के रूप में भर्ती करके उनके नाम प्लाट आवंटित करने का अभियान चल रहा है और असामाजिक तत्वों को जमीन देकर वहां की पुलिस की सांठ-गांठ से समिति के स्थायी सदस्यों को तरह-तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि समिति के स्थाई सदस्य वहां पर अपने मकान न बना सकें और उनमें भगदड़ मच जाय। अतः इस लोक महत्व की घटना की ओर मा0 सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपर्युक्त तथ्यों की जांच करने, स्कूल की एवं पार्क की भूमि को समिति को वापस करने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं ताकि वहां शान्ति व्यवस्था खराब न होने पाये और साम्प्रदायिक दंगा न हो।

तहसील डुमरियागंज, बस्ती में हुयी चकबन्दी से संबंधित अनिर्णीत मुकदमों के शीघ्र निस्तारण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शासन एवं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बस्ती जनपद में विगत 4 वर्षों से चकबन्दी चल रही है। मुख्य रूप से डुमरियागंज तहसील में सी0 ओ0 सर्किल कठेला, इटवा, सिकटा, नउवागांव, नरकुलिया में विगत 4 वर्षों से प्रारम्भ मुकदमें अभी भी विचाराधीन हैं जबकि बहुत से गांव की चकबन्दी हुए 2 वर्षों से ज्यादा हो गये हैं परन्तु मेंड़ तोड़ कर मुकदमें अभी तक सी0 ओ0 स्तर पर चल रहे हैं। चकबन्दी में समरीट्रायल की व्यवस्था होनी चाहिये परन्तु यह अधिकारीगण अपने निहित स्वार्थों में मुकदमों को लम्बी अवधि तक विचाराधीन बना कर रख रहे हैं। यही नहीं सी0 ओ0 सर्किल कठेला में ग्राम समाज की जमीन मिश्रवलिया में मालियत लगा कर बड़े किसान को जमीन का लाभ पहुंचाया गया है। अधिकांश सी0 ओ0, ए0 सी0 ओ0 स्तर से कुछ दिन के लिये चार्ज लेकर काम देखते हैं और पुनः फिर अपने पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप मुकदमों के निस्तारण में 100 से अधिक पेशियां लग चुकी हैं। विलम्ब के इस कारण से साधारण जनता को काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है।

अतएव शासन से मांग करता हूं कि डुमरियागंज तहसील में जो सी0 ओ0 के पद रिक्त हैं उनको भर कर मुकदमों का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण कराया जाय जिससे कि किसानों को राहत मिल सके।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पौड़ी गढ़वाल के एमकेश्वर, रिखणी खाल, डुगड्डा, नैनी डाहा, जयहरीखाल व ढांगू विकास खण्डों में जंगली जानवरों के आतंक होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, जनपद पौड़ीगढ़वाल के एमकेश्वर, रिखणी खाल डुगड्डा, नैनी डाहा, जयहरीखाल व ढांगू विकास खण्डों में हाथी, बाघ व शेर का भयानक आतंक बना हुआ है।

लुषीगाढ, सिगड्डी में दो नवयुवकों की हाथी द्वारा हत्या कर दी गयी ढांगू, खाल ग्राम सभा में बाघ द्वारा तीन लोगों की हत्या, घाटा झिरना में तीन व्यक्तियों की शेर द्वारा हत्या व एक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल व बड़ी संख्या में मवेशियों को मारा गया है जिससे आम जनमानस में आतंक का वातावरण बना हुआ है।

अतः उक्त लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं व मांग करता हूं कि तत्काल सिगड्डी में जंगल व बस्ती के बीच दीवाल का निर्माण व अन्य आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्र जनता को राहत पहुंचाई जाय।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं–सर्वश्री राम आसरे वर्मा जी की, राम बिशुन आजाद जी की तथा राम नरेश यादव जी की। मेरे विचार से तो ये कोई इस नियम के अन्तर्गत तो आती नहीं हैं, कोई औचित्य का प्रश्न इन पर बनता नहीं है?

*श्री राम आसरे वर्मा–

प्रश्न बनता है या नहीं बनता है, इसका निर्णय आप सुनने के बाद ही करें। मेरा अनुरोध है कि आप पहले सुन लें। अब आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं?

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया)

मान्यवर, आपके मौन से ऐसा लग रहा है कि बोलने के लिये इजाजत मिल गयी है। मान्यवर, विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा सत्र का बहिष्कार किये जाने से यह औचित्य का प्रश्न बन जाता है और मैं इसको यहां उठाने की आपकी अनुमति चाहता हूं। समय-समय पर सदस्यों द्वारा यह मांग की जाती रही है कि 90 दिन का सत्र चले और कभी यह चला और कभी इतना चला ही नहीं लेकिन हर साल यह औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया गया है। लेकिन इस साल ऐसा मौका आया कि विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने सत्र का बहिष्कार ही कर दिया जिसके लिये लोग कई तरह की बातें करते हैं। एक तो नये नेता विरोधी दल बने, हो सकता है कि उनको वे बरदाश्त न कर पाये हों, उनकी उस बात में सच्चाई हो सकती है कि सत्र में नहीं बैठेंगे जब तक सदन चलेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही 90 दिन चले, यह ठीक है कभी-कभी कम दिन भी कार्यवाही चल सकती है, लेकिन अगर कोई विरोधी पक्ष का सदस्य यह चाहे कि नये नेता के बनने के बाद वे यहां नहीं बैठेंगे तो मान्यवर, यह एक पलायनवाद है और पलायनवाद से लोकतंत्र की समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता है। दूसरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात मैं सुन रहा हूं कि वीर बहादुर सिंह जो इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, उनके इने गिने दिन रह गये हैं। पता चला है कि उनके चन्द दिन रह गये हैं। तो एक तरीका निकाला जा रहा है कि किसी तरह से कैबिनेट करके एक प्रस्ताव भिजवा दिया जाये कि उत्तर प्रदेश में चुनाव करा दिये जायें और जनता की छाती पर मध्यवर्ती चुनाव लाद दिये जायें। यह साजिश मुख्य मंत्री की ओर से चल रही है। मान्यवर, मैं इस पर आपका निर्णय चाहता हूं कि क्या इस तरह की घटनाओं से विरोध पक्ष के मन का नेता न बने तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम पलायनवाद कर जायें। क्या इस तरह की घटनायें लोक तंत्र की परम्पराओं का हनन करने के लिये नहीं कही जायेगी। तो मान्यवर, आप इस पर अपना निर्णय दें, क्या लोकतंत्र की समस्याओं का हल पलायनवाद से होगा या जो कमरे में बैठकर साजिशे की जा रही हैं, उनसे होगा।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)– माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन वर्मा जी ने जो विपक्ष की बात कही है, वह बहुत हद तक सही कही है, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं, लेकिन कुछ एक बात सरकार के लिये भी कह दिया कि उसमें आपसी मतभेद है, तो मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वर्मा जी तो हमेशा सोचते रहते हैं, क्योंकि जिस माहौल में वह रहते हैं, सिवा मतभेद के और कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिये उनकी खुशी की इन्तिहा नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चाहे हमारी आंख दुरुस्त न हो, लेकिन दूसरे की आंख वैसी ही हो जाये। वह चाहते हैं कि सभी लोग निर्दलीय घोषित कर दिये जायें और सभी उनके झंडे के नीचे आ जायें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष को वाक आउट करने का अधिकार है और वह वाक आउट करके अपनी मर्जी से गये हैं, तो कहां औचित्य का प्रश्न बनता है। वह अपनी खुशी से चले गये और जब वह चाहें आ सकते हैं, किसी को रोक नहीं है। इस प्रकार का न तो कोई आदेश आप द्वारा हुआ है और न पीठ दवारा हुआ है। कुछ लोग चाहते हैं कि जब वह नेता रहें तभी सदन में रहें, तो यह तो उनकी अन्दरूनी बात है। उसको यहां पर उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि औचित्य में यह आता नहीं है। वर्मा जी, अक्सर सत्य कह जाते हैं, हांलाकि बहुत कम बोलते हैं, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कोई बात होती उधर है लेकिन आरोप इधर लगा देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

यह जो मामला है, उनका अपना अन्दरूनी मामला है, उसका पीठ से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, आप मेरी बात को सुन लें, निर्णय आप चाहे जो दें। ::

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि एक संवैधानिक संकट उपस्थित हो गया है। देश के संविधान के साथ-साथ जो हमारे यहां की नियमावली है, जिससे इस सदन का कार्य संचालित होता है, जिसके आप संरक्षक हैं और इस समय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो नेता सदन है, मुख्य मंत्री है मंत्रि-परिषद् के जो लोग हैं उनमें आपस में खींचातानी है, उनमें आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं रह गया है । ये इसी होड़ में लगे हुये हैं कि मुख्य मंत्री को कब अपदस्त करें । मान्यवर, अभी 31 जनवरी को यहां प्रधान मंत्री भी आये उनकी मौजुदगी में जिस तरह से मंत्रि-परिषद् के लोगों में होड़ लगी हुई थी परिवहन मंत्री संजय सिंह .....(घोर व्यवधान) । मुख्य मंत्री द्वारा शांति व्यवस्था पर चर्चा करते समय वहां पर 'नहीं' 'नहीं', और शर्म-शर्म के नारे लगाये जाते रहे । इसका मतलब यह हुआ कि मंत्रि-परिषद् की जो संयुक्त जिम्मेदारी है उसका पालन नहीं हो रहा है । हमारी नियमावली के नियम 14 के अनुसार जो बजट आना चाहिए था, वह इनकी आपसी खींचतान की वजह से न आ सका और संविधान के अनुसार बजट न बनाया जा सका । आज पूरे प्रदेश के अन्दर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि सारे विकास के कार्य अवरुद्ध हो गये हैं । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपसी खींचतान हो रही है जिससे शासन के अन्दर सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना नहीं रह गई है तो ऐसी स्थिति में इस सरकार को और उसके मुख्य मंत्री को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय राम नरेश जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं । वे इस सीट पर बहुत दिनों तक विराजमान रहे । सन् 78 में राम नरेश जी यहां पर तशरीफ रखते थे । उस समय बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जब कुर्सी पर बैठते हैं तो वे याद रहती हैं और जब कुर्सी पर नहीं होते हैं तो याद भी नहीं रहती हैं । मान्यवर, उस समय अध्यक्ष पीठ से एक फैसला दिया गया था । मेरे पास अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन है उसके पृष्ठ 103 के निर्णय संख्या 126 में लिखा है कि किसी मंत्री और मुख्य मंत्री के बीच मतभेद का प्रश्न औचित्य का प्रश्न नहीं है, मंत्रि-परिषद् का शासकीय प्रश्न है । मान्यवर, उस समय वहां पर बनारसी दास जी तशरीफ रखते थे और यहां पर राम नरेश जी बैठते थे। उस जमाने में फैसला किया गया था। यह अध्यक्ष का निर्णय है। इसे अभी 10 साल नहीं हुये हैं। 9 साल हुये हैं और राम नरेश जी इसको भूल गये हैं।

दूसरी बात उन्होंने मतभेद के बारे में कही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मतभेद का प्रश्न है जो लोग आपस में मतभेद कर रहे हैं उनको मतभेद दिखायी देता है। उधर की तरफ जितने लोग एक साथ बैठे हैं उसे देखकर यह इस बात का खुला सबूत है कि मतभेद कहां है। . . . (व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आपने स्वयं राजीव के सामने यह स्वीकार कर लिया कि मतभेद है। . . (व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय राम नरेश जी ने यह बात कही कि संविधान और हमारी प्रक्रिया नियमावली इससे प्रभावित हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद और नियमावली का कौन सा नियम इस बात से प्रभावित हुआ है। वे हमें बता दें कि कौन सी धारा प्रभावित हुई है। मैं समझता हूं कि इस तरह का औचित्य का प्रश्न माननीय राम नरेश जी द्वारा उठाया जाना उचित नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजाय इसके कि आप प्रेस करें, माननीय राम नरेश जी जो इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, स्वयं ही अपने औचित्य के प्रश्न को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, प्रदेश के सामने एक बहुत ही गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। माननीय राम नरेश जी ने जो प्रश्न उठाया है उससे ज्यादा गम्भीर मामला है। गोरखपुर के अन्दर ही नहीं पूरे जनपद और उसके आसपास के गांवों में माननीय मुख्य मंत्री जी का आतंक जो है वह तो है ही लेकिन एक और आतंक वहां छा गया है उनका मदमस्त हाथी मसूही गांव में छूट गया है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इसको आप लिखित दे दीजिये इस समय नहीं उठा सकते हैं।

श्री मनोहर लाल–

एक मिनट सुन लीजिये। (व्यवधान) 28 फरवरी का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं देता हूं। एक माननीय राम विशुन जी का मामला है वह हैं नहीं। मैं उसे अस्वीकार करता हूं। (व्यवधान) माननीय मनोहर लाल जी आप लिखित दे दीजिये।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, वहां काश्तकार परेशान है वह मदमस्त हाथी 22 तारीख से घूम रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं आप कृपया लिख कर भेज दें।

श्री अम्मार रिजवी–

आप अपने टूटे अंकुश से कन्ट्रोल करियेगा ।

वर्ष 1986 के द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण (सप्तम संस्करण) के करण 14 (3) के अनुसार विधान सभा के वर्ष 1986 के द्वितीय सत्र (दिनांक 26 अगस्त, 1986 से 19 सितम्बर, 1986 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(श्री काशी सिंह एरी का नाम पुकारा गया लेकिन वह अनुपस्थित थे)।

आज की कार्यसूची के पृष्ठ 89 पर श्री हफीज भारती द्वारा प्रस्तुत संशोधन त्रुटिवश शामिल हो जाने की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

आज की कार्यसूची में पृष्ठ 89 पर श्री हफीज भारती द्वारा प्रस्तुत संशोधन का प्रस्तर 7 विधान परिषद् सचिवालय के विषय में है। यह त्रुटिवश शामिल हो गया है। इसे अस्वीकार कर दिया गया है। उपरोक्त प्रस्तर 7 प्रस्तुत किया गया नहीं समझा जायगा।

† छापा नहीं गया।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह आया कैसे। सचिवालय के कर्मचारियों का मामला है और विधान परिषद् सचिवालय का है, आपने निकाल तो दिया लेकिन त्रुटि किस की है।

श्री उपाध्यक्ष–

त्रुटिवश है इसलिए निकाल दिया गया है।

समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

अब कमेटियों के बारे में सूचना दे रहा हूं।

वर्ष 1987-88 की –

1–लोक लेखा समिति तथा अनुसूचित तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिये प्रत्येक में विधान सभा के 21-21 सदस्यों,

2–प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिए प्रत्येक में विधान सभा के 25-25 सदस्यों तथा

3–मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के लिए प्रत्येक में विधान सभा के 16-16 सदस्यों, के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :–

क–नाम-निर्देशन की अंतिम तिथि तथा समय	10-3-87 को अपराह्न 4 बजे तक,
ख–नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	11-3-87 को अपराह्न 3 बजे (सचिव विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)
ग–नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय	18-3-87 को 4 बजे तक

घ–निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो–

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति और सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिए मतदान 24-3-87 को तथा

(2) मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के लिए मतदान 25-3-87 को,

पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

4–उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायगा।

5–नाम निर्देशन-पत्र विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

चुनाव के सिलसिले में जो घोषणा किया है उसमें मेरा प्रस्ताव है कि यह चुनाव न कराकर पीठ के माध्यम से नाम निर्देशित कर दिये जायं। नेता विरोधी दल और संसदीय कार्य मंत्री के परामर्श से नाम निर्देशित कर दिये जायं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अध्यक्ष श्री करुणानिधि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

दिनांक 9 दिसम्बर, 1986 को तमिलनाडु की राजधानी मद्रास में स्थित मोहल्ला कोडम्बाकम में श्री करुणानिधि ने हिन्दी की प्रति जलाई और प्रति जलाने के साथ-साथ हिन्दी के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। मेरा निवेदन है कि इस सदन की इससे अवमानना हुई है। मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 343 (1) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि संघ की राज-भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। इसके बाद मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 345 की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें साफतौर पर लिखा है कि अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा।

इसी पृष्ठभूमि में मैं आपका ध्यान विधान सभा की नियमावली के अध्याय 20 के नियम 282 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें साफ लिखा है कि—"सभा की भाषा-संविधान के उपबंधों के अधीन सभा का कार्य हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा"।

मान्यवर, इस सदन की भाषा हिन्दी है और लिपि देवनागरी है। तमिल मुनेत्र कड़गम पार्टी के अध्यक्ष, श्री करुणानिधि, जो कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपने साथियों के साथ 9 दिसम्बर, 1986 को कोडम्बाकम स्थान पर हिन्दी की प्रतियां जलाईं और अपने भाषण में, तमिल भाषा में दिये गये भाषण में, कहा कि हिन्दी बोलने वाले हमारे दुश्मन हैं और देश का विकास नहीं होने दे रहे हैं, इसलिये वह देश के गद्दार हैं। उनके इस काम से इस प्रदेश के करोड़ों लोगों की जिनकी मातृ भाषा हिन्दी है उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है, यही नहीं पूरे प्रदेश के लोगों की मानसिकता को चोट पहुंचायी है। अतः यह जानते हुए कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों नागरिकों की मातृभाषा हिन्दी है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है, जानबूझकर, अपमान-जनक भाषा का प्रयोग करके सार्वजनिक तौर पर उसका प्रकाशन करके अपमान करने की गरज से उसे कागज पर लिखकर जलाना सदन और उसके माननीय सदस्यों का स्पष्ट अवमान है। श्री करुणानिधि मुख्य मंत्री रह चुके हैं उनको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की भाषा हिन्दी है, इसको जानते हुए भी अपने आन्दोलन के तहत हिन्दी भाषा का अपमान किया और उसकी प्रतियां जलाकर पूरे प्रदेश का अपमान किया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे माननीय सदन के जो माननीय सदस्य हैं जिनकी भाषा हिन्दी है और हिन्दी में अपने भाव व्यक्त करते हैं, इसलिये हिन्दी का श्री करुणानिधि ने अपमान किया है जिससे सदन का अपमान हुआ है, इस सदन के सदस्यों को हिन्दी भाषा से अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिये उन्होंने हमारा और हमारे सदन का अपमान किया है, पूरे प्रदेश के करोड़ों नागरिकों का अपमान किया है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये श्री करुणानिधि को इस सदन में बुलाया जाये और मैं चाहूंगा कि सरकार यदि सचमुच में हिन्दी में काम करना चाहती है तो अंग्रेजी को हटाया जाये और श्री करुणानिधि पर मुकदमा चलाया जाये क्योंकि उनके इस काम से निश्चित रूप से सदन का अपमान हुआ है। मान्यवर, मुझे अफसोस है कि श्री वीर बहादुर सिंह, मुख्य मंत्री, बंगलौर गये थे तो उन्होंने कहा था कि हिन्दी किसी पर थोपी नहीं जायेगी। मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में एक भाषा जो थोपी गयी है तो वह अंग्रेजी है।

इस देश में अंग्रेजी एक पराए देश की भाषा रही है और हिन्दी स्वतंत्रता संग्राम की भाषा रही है। स्वतंत्रता संग्राम की भाषा किसी पर थोपी नहीं जा सकती है, यह तर्क देने वाले इस बात को भूल जाते हैं। एक दिन वह यह तर्क देने लग जायेंगे कि हम आजादी की लड़ाई को किसी पर थोपना नहीं चाहते। माननीय वीर बहादुर जी ने यह कहकर इस प्रदेश के हिन्दी भाषियों को चोट पहुंचाने का काम किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री करुणानिधि ने इस सदन का अपमान किया है। इसलिये विशेषाधिकार के इस प्रश्न को स्वीकार करें और सदन में उनको बुलाने का कष्ट करें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, नियम 63 के अन्दर हमने और माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने यह सूचना दी है। शतरुद्र प्रकाश जी ने संविधान के अनुच्छेदों का उद्धरण देकर अपनी बात कही है। ऐसा नहीं है कि यह बहुत छोटा मामला हो। यह पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि हिन्दी भाषा से जुड़े सारे देश के लोगों के अपमान का प्रश्न है। यह न केवल हिन्दी भाषा को चोट पहुंचाने अपितु देश को विखंडित करने का प्रश्न बन रहा है। उत्तर प्रदेश की भाषा और विधान सभा की भाषा हिन्दी है। हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्र भाषा भी हो सकती है, और है। उसमें (संविधान में) लिखा है "लेकिन उसको तब तक रोक रखा जायगा जब तक सब लोग इसे स्वीकार न करें और अंग्रेजी चली न जाय।" मान्यवर, अंग्रेजी जायगी कैसे, जब तक इसका प्रसार और प्रचार होगा। तमिलनाडु विधान सभा ने उन सारे लोगों को दोषी करार दिया और उनकी विधान सभा की सदस्यता छीन ली जिन्होंने प्रतियां जलायी थीं। अगर एक विधान सभा अपने सदस्यों को अपनी सदस्यता से वंचित कर सकती है तो जिस प्रदेश की भाषा हिन्दी हो जिस प्रदेश की विधान सभा पर हिन्दी भाषा के प्रचार का दायित्व हो उसको चाहिये कि हमारे इस प्रश्न को स्वीकार करे और करुणानिधि इसका जवाब दें। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसा नहीं है ऐसे दृष्टान्त आये हैं कि जब चित्र बनाकर विधायक का नाम लिख दिया गया तो लोगों को दण्ड दिया गया है। यह विधान सभा की भाषा का मामला है। देश की अखंडता और एकता का मामला है। इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करें।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर चर्चा नहीं होगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप कुछ कहना चाहेंगे।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मैं सिर्फ इस पर बल देना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

नियमों के अन्तर्गत इस पर चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो प्रश्न उठाया है मैं उस पर बल देना चाहता हूं । आज हिन्दी का जो अपमान हुआ है तमिलनाडु में, उस पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी है। इस सदन की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है, यह हमारे सदन की भाषा का अपमान हुआ है । इसी तरह से जब गोर्बाचोव आये तो हमारे देश के प्रधान मंत्री ने हिन्दी का अपमान किया और अंग्रेजी में भाषण दिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप विशेषाधिकार तक ही सीमित रहें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष रूप से यह विशेषाधिकार भंग का मामला बनता है। इसको स्वीकार करने का कष्ट करें ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, जहां तक राष्ट्र भाषा का सवाल है इसमें दो राय नहीं है, राष्ट्र भाषा जितनी जल्दी आ सके हर जगह आनी चाहिये । आपको मालूम भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार का हर काम हम हिन्दी में करते हैं। उसके लिये आपने देखा होगा कि जो हमारी टाइप-राइटर मशीनें थीं उनको हमने हिन्दी में किया । जहां तक दक्षिण भारत का सवाल है या जहां अंग्रेजी भाषा ज्यादा लोग बोलते और पढ़ते लिखते हैं, एक बात जरूर है, कोई राष्ट्रभाषा तभी सफल हो पायेगी जब हर जगह ऐसा वातावरण बनायें कि सब उसको अपने मन से स्वीकार करें। लेकिन कोई अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, तो वह पढ़े। मेरी राष्ट्र भाषा हिन्दी है। मैं मद्रास गया था, तो वहां पर जाकर मैंने अपना सारा भाषण हिन्दी में दिया। वहां पर जाकर मैंने अपने भाषण में कहा कि हिन्दी लिंक भाषा के रूप में आनी चाहिए और किसी ने उसका विरोध नहीं किया। हमने वहां पर कहा कि हिन्दी राष्ट्र भाषा है, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा है, उसका भी उत्थान होना चाहिए। यह जनतंत्र है, सभी आदमी अपनी बात कहते हैं। हमें लोगों को समझाना चाहिए कि हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है। पूरे देश को मिला कर चलने के लिए, देश की अखण्डता को मजबूत करने के लिए राष्ट्र भाषा अनिवार्य है और यही भावना लेकर के काम करना चाहिए। अगर किसी के विचार में कुछ भ्रम है, तो हमें उनके भ्रम को दूर करना है। अगर उनका भ्रम दूर हो जायगा, तो हमारी राष्ट्र भाषा जो हिन्दी है, उसे सभी लोग पढ़ेंगे।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि राष्ट्र भाषा हिन्दी है, लेकिन उसे मैं किसी पर थोपना नहीं चाहता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिन्दी जो राष्ट्र भाषा है, उसका अपमान करने का अधिकार उनको नहीं है। आपके प्रधान मंत्री जी खुद हिन्दी का अपमान कर रहे हैं। जो हमारे देश की भाषा है, जो हमारे राष्ट्र की भाषा है, उसका आपके प्रधान मंत्री अपमान कर रहे हैं। इसलिए मान्यवर, हमारा विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है, इसे आप स्वीकार करें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रधान मंत्री जी आप ही के प्रदेश से, आप ही के पूर्वांचल से चुनाव जीत कर आते हैं। वह यहां पर जितना भाषण करते हैं, सब हिन्दी में ही करते हैं और हम लोगों से ज्यादा अच्छी हिन्दी वह जानते हैं। यह बात कहना गलत है कि प्रधान मंत्री जी राष्ट्र भाषा का अपमान करते हैं। हमें देखना है, पूरे देश को देखना है, पूरी दुनियां को देखना है कि हम कैसे हिन्दी का गौरव बढ़ा सकते हैं। इसी भावना से हमें काम करना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे देश और प्रदेश का नुकसान हो।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश का सारा काम हिन्दी में हो रहा है। लेकिन मान्यवर, इस समय जितना अंग्रेजी में काम हो रहा है, उतना हिन्दी में नहीं हो रहा है। सारे विभागों में टाइप-राइटर्स अंग्रेजी में हैं। टेलेक्स जो जाते हैं, वे अंग्रेजी में जाते हैं। किसान अगर जिलाधिकारी के पास कोई प्रार्थना पत्र देता है, तो उसके प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी अंग्रेजी में टिप्पणी करता है। मान्यवर, जो करुणानिधि ने हिन्दी का अपमान किया है, उस पर आप निर्णय दीजिए और यहां पर आप करुणानिधि को बुलाइए।

श्री वीर बहादुर सिंह–

जहां तक माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि जिलों में जिलाधिकारी लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यह सरकार का आदेश है कि कोई भी जिले का अधिकारी अंग्रेजी में कोई भी बात नहीं करेगा, सब कुछ हिन्दी में लिखा जायगा। यहां तक कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट क्वाटर्स हैं, वहां पर भी हिन्दी में ही काम होते हैं। ऐसा कोई कार्यालय नहीं है कि जहां पर अंग्रेजी में काम होता हो। ऐसा हो सकता है कि जहां पर माननीय शतरुद्र प्रकाश जी जाते हों, वहां पर अंग्रेजी में काम होता हो।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

शतरुद्र प्रकाश जी ने अपना विजिटिंग कार्ड अंग्रेजी में छपवाया।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं।

जनपद पिथौरागढ़ में स्थित राजकीय स्नातक महाविद्यालय में कार्यरत अध्यापकों व कर्मचारियों हेतु आवासों का निर्माण शीघ्र कराये जाने तथा विज्ञान संवर्ग की सभी प्रयोगशालाओं को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमानुसार व उच्च शोध कार्य करने हेतु, आधुनीकृत व पूर्ण सामग्री-युक्त करने विषयक याचिकाएं

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से (1) जनपद पिथौरागढ़ में स्थित राजकीय स्नातक महाविद्यालय में कार्यरत अध्यापकों व कर्मचारियों हेतु, आवासों का निर्माण शीघ्र कराये जाने विषयक श्री दिनेश चन्द्र पाठक, ग्राम–थल, पत्रालय-थल, जनपद पिथौरागढ़, तथा (2) जनपद–पिथौरागढ़ में स्थित राजकीय स्नातक महाविद्यालय की विज्ञान संवर्ग की सभी प्रयोगशालाओं को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमानुसार व उच्च शोध कार्य करने हेतु, आधुनीकृत व पूर्ण सामग्रीयुक्त करने विषयक श्री दिनेश चन्द्र पाठक, ग्राम–थल, पत्रालय-थल, जनपद पिथौरागढ़, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्याय–

नियम 56 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली श्री राम नरेश यादव की, 1 मार्च, 1987 को चिन्ताहाट, आजमगढ़ में सामन्त लोगों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार, दूसरी श्री बदन सिंह जी की आगरा के नहर अभियन्ताओं व ठेकेदारों द्वारा प्रदेश की कृषि भूमि को राजस्थान के काश्तकारों को बेचा जाना, तीसरी श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री जगबीर सिंह तथा श्री बंगाली सिंह की, जनपद एटा के अन्तर्गत थाना सिड़पुरा की पुलिस द्वारा गर्भवती महिला की पिटाई, चौथी श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ की प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में धांधली तथा पांचवीं श्री काशी सिंह एरी की तराई क्षेत्र नैनीताल में बिना बन्दोबस्त किये ही चकबन्दी आरम्भ किया जाना, के बारे में है।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, बहुत ही यह हरिजन उत्पीड़न की अपने ढंग की कहानी है और इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार की तरफ से जो बार-बार हरिजन उत्पीड़न को समाप्त करने की घोषणाएं की जाती हैं और ठोस कदम उठाये जाने की बात विधान सभा में की जाती है, कितनी थोथी और झूठी साबित हो जाती है। मान्यवर, पहली तारीख को थाना देवगांव अन्तर्गत एक चिन्ताहाट गांव है, उस गांव में हरिजन लोग बहुत रहते हैं। उसी गांव में कुछ पुराने जमींदार तथा सामन्तवादी लोग थे ये लोग जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और हरिजन लोगों ने उनको जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया। जब ये लोग कब्जा करने में सफल नहीं हो पाये तो जिस समय हरिजन लोग मीटिंग कर रहे थे, उस समय उन पर हमला कर दिया और फायरिंग की इससे एक हरिजन वहीं मारा जाता है और बीसों लोग घायल होते हैं। इस घटना से वहां अगल बगल के सारे क्षेत्रों में आतंक और भय का वातावरण व्याप्त हो जाता है। इससे सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि आज तक एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि चारों ओर असंतोष का वातावरण व्याप्त है। मैं चाहता हूं कि इस हरिजन उत्पीड़न के मामले पर कार्यवाही स्थगित कराकर सदन में चर्चा कराएं ताकि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से इस तरह के मामलों में तुरन्त कार्यवाही हो और हरिजनों को राहत मिल सके।

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस घटना की सूचना दी है, यह पहली मार्च की है और जो उन्होंने कहा कि कोई कार्यवाही नहीं हुई है, मान्यवर, कार्यवाही हुई है उनकी रिपोर्ट लिखी गयी है, 17 व्यक्ति उसमें नामजद हैं और 20 अज्ञात व्यक्तियों की रिपोर्ट है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये हैं और एक बन्दूक बरामद कर ली गयी है तथा अग्रिम सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

*श्री बदन सिंह–

मान्यवर, जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम सैनपुर में बांध बनाया जा रहा है। यह सैनपुर गांव राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ है। इस बांध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बनाने में, इस मौजूदा समय में नहर विभाग के अभियन्ताओं और ठेकेदारों ने सांठगांठ करके इस बांध के निर्माण की पचासों बीघा कृषि भूमि सैनपुर ग्राम की, राजस्थान की तहसील रूपवारा के ग्राम चकदी की ओर छोड़ दी है। यह जमीन हमारे उत्तर प्रदेश की है जिसे राजस्थान के किसानों को अभियन्ताओं और ठेकेदारों ने लाखों रुपये में बेच लिया है और अभी यह बेचने का कार्यक्रम जारी है। मान्यवर, सैनपुर ग्राम की इस जमीन को सैनपुर, जाजौली, मुहम्मदपुर, गोपुर और मण्डी मिर्जा खां के लोग इस काश्त को जोतने वाले हैं जिनके पास उनकी निजी जमीन नहीं है। यह लोग छोटी-छोटी जमीन लेकर जोतते आ रहे हैं। इन जमीनों को राजस्थान के काश्तकारों को बेची जा रही है। जो किसान इन जमीनों को जोतते थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके बच्चे स्त्रियां अधिकारियों के घरों पर रो-रो कर पड़े हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मान्यवर, यह थोड़ी जमीन बचाने का सवाल नहीं है बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य के अधिकार की बात है। सबसे शर्म की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश की जमीन यहां के अभियन्ता बेच रहे हैं। इससे ज्यादा दूसरी कोई बात उत्तर प्रदेश राज्य एवं सरकार के लिये नहीं हो सकती है। यह बहुत अविलम्बनीय प्रश्न है। बांध का निर्माण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये मैं मांग करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

यह सरकार किसानों और श्रमिकों की हितों की रक्षा के लिये दृढ़ संकल्प है। बदन सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। इसकी जांच कराई जायेगी और जो उचित कार्यवाही होगी की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष–

गांधी जी, आपकी सूचना में तारीख नहीं थी।

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

फरवरी की बात है। एटा जनपद में पुलिस निरंकुश हो गई है। दस्यु क्षेत्र घोषित होने के कारण वहां पर पुलिस को विशेष सुविधा मिली हुई है जिसका खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व की बात है थाना सिरपुरा के थानाध्यक्ष अपने कुछ पुलिस कर्मियों के साथ ग्राम समोठी में आये और रामसिंह के मकान की तलाशी ली। उस समय राम सिंह अपने मकान पर मौजूद नहीं था। उसकी पत्नी झंझन देवी घर पर थी। उसकी पत्नी को थानाध्यक्ष ने गालियां दीं तथा इतनी बुरी तरह से थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस वालों ने मारा कि उसके गुप्तांगों में भी चोट आयी और रक्तस्राव होने लगा। जब वह बेहोश हो गई तो उसको दरवाजे पर छोड़कर पुलिस वाले चले गये। पुलिस वालों के जाने के बाद ग्रामवासियों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया और उसकी हालत अभी तक गम्भीर है। पुलिस के इस कार्य से वहां के जनमानस में बड़ा आक्रोश है। वकील, छात्र व जनसाधारण सभी क्षुब्ध हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना तत्काल मंगाई गई है।

श्री उपाध्यक्ष–

शतरुद्र प्रकाश जी, आपकी सूचना चुनाव आयोग से सम्बन्धित है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

चुनाव आयोग पर मेरा कोई आक्षेप नहीं है। मान्यवर, इस समय चुनाव हो रहे हैं, पट्टी, काशीपुर, राठ और सहारनपुर में। मान्यवर, इस समय शासन निष्पक्ष भूमिका नहीं अदा कर रहा है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री अम्मार रिजवी काशीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्ष की ओर से अकबर अहमद लड़ रहे हैं। अकबर अहमद को हराने के लिये पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी गई है। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद मुख्य मंत्री जी ने वहां के बिक्री कर अधिकारी का स्थानान्तरण किया है। जब कि चुनाव आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार जब चुनाव की तारीख निश्चित कर दी जाय तब कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल किसी भी ऐसी गतिविधि में भाग नहीं लेगा जिससे विभिन्न जातियों, समुदायों, धर्मावलम्बियों और भाषा-भाषियों के बीच वर्तमान मतभेद बढ़े। इन लोगों ने चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया है। कमिश्नर से लेकर जिलाधिकारी तक मतदाताओं के पास जाकर तरह-तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। चीनी और मिट्टी के तेल की घोषणा कर दी गई है लेकिन अभी तक कहीं भी आवंटन नहीं किया गया है परन्तु काशीपुर में चीनी और मिट्टी के तेल का अपार भंडार लगा दिया गया है क्योंकि वहां पर चुनाव होने वाले हैं। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सरकार पूरा का पूरा प्रयास कर रही है। काशीपुर से श्री अम्मार रिजवी उम्मीदवार हैं, वे मंत्री भी हैं और विधान परिषद् के सदस्य हैं, यदि वे हार भी जायेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इनका नाम उम्मीदवार के लिये तय नहीं हुआ था तब भी वहां पर जगह-जगह यह लिख दिया गया था कि कांग्रेस आई के उम्मीदवार को जिताइये। मान्यवर, मैं आपके सामने चुनाव आयोग ने जो निर्देश जारी किये हैं, वह बताना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप तो नियम जानते हैं, कानून जानते हैं। आप एक कापी तो इधर भिजवा दें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं अभी भिजवा देता हूं। मान्यवर, चुनाव आयोग द्वारा यह सरकुलर दिनांक 4 सितम्बर, 1985 को जारी किया गया है उसमें लिखा है कि मत प्राप्त करने के लिए जाति या साम्प्रदायिकता के आधार पर कोई अपील नहीं की जायेगी। मस्जिद, चर्च, मंदिर या पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा। मान्यवर, काशीपुर में मतदाताओं को डराया-धमकाया जा रहा है। अभी 27 ता0 को मुख्य मंत्री जी ने लखनऊ में एक बैठक बुलाई और यह घोषणा की कि बिक्रीकर को समाप्त करेंगे। इस तरह से यह सरकार मतदाताओं को, व्यापारियों को मिला रही है। कहा गया कि हज करने के लिए एक हज का भवन बनवायेंगे। इससे पहले इस सरकार को मुसलमानों की समस्याओं का कोई आभास नहीं था परन्तु चुनाव में मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए इस तरह की घोषणा की जा रही है। यह सिर्फ काशीपुर ही नहीं, अन्य स्थानों पर भी ऐसा ही किया जा रहा है। यह छात्रों पर लाठी और गोली चला रहे हैं और किसानों को गोलियों से भूना जा रहा है और चुनाव के लिए यह सब किया जा रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)– मान्यवर, मा0 शतरुद्र प्रकाश जी ने जैसा कि उनकी आदत है कि वे कुछ बोलना जरूर चाहते हैं, चाहे कोई भी विषय हो । मान्यवर, चुनाव पूरे प्रदेश में हो रहा है। तीन विधान सभा की सीट के लिए और एक लोक सभा की सीट के लिए चुनाव होने जा रहा है। यहां पर सदन में हम लोग बैठे हुए हैं, पूरे प्रदेश की समस्याओं को देखने के लिए, उसका समाधान करने के लिये । मा0 शतरुद्र जी क्या आप यह चाहते हैं कि इस वक्त हाउस बन्द कर दें और कोई काम न करें । सिर्फ चुनाव को ही देखा जाय । आपने जो बिक्रीकर अधिकारी को हटाने की बात कही तो वह उद्योग धन्धों के सम्बन्ध में बैठक होती है, उसमें सारे लोग आते हैं और वह बताते हैं कि कहां उद्योग लगना है और कहां क्या कठिनाई है । इसी तरह से बैठक में एक उद्योग लगाने वाला व्यक्ति आया और उसने कहा कि वहां पर जो आदेश गया है, वहां का सेल टैक्स अफसर कहता है कि हम इस आदेश का पालन नहीं करेंगे और इस कारण उसका घाटा हो गया । उसका उद्योग पीछे हो गया इसलिए हमको उस अफसर को हटाना पड़ा । यह लखनऊ की बैठक में हुआ, यह कोई काशीपुर की बात नहीं है, यह पूरे प्रदेश की बात है ।

जो अधिकारी अगर कहीं पर काम में बाधा डालना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि जो अधिकारी काम करना नहीं चाहते हैं, तो उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि काशीपुर में ही विशेषकर ऐसा किया गया हो यह तो पूरे प्रदेश की बात है और जैसा कि बिजली पानी आदि की व्यवस्था की बात कही गयी, उसके लिये भी हम स्वयं यही चाहते हैं कि यह सारी सुविधाएं हम आपको दें और दूसरी बात होली में सुविधा के दिये जाने की बात जो कही गयी । इसके लिए भी हमने लगभग 15 दिन पहले से ही कह दिया था कि इस सिलसिले की पूरी तैयारी कर लें और यही त्योहार नहीं सारे त्योहारों पर चाहे वह मोहर्रम हो या कोई भी अन्य त्योहार हो, सभी त्योहारों के लिए हमारे एक से आदेश हैं और होने भी चाहिए, इसमें कोई काशीपुर के लिए विशेष सुविधा अलग से निर्धारित तो की नहीं गयी है। दूसरे अम्मार साहब माननीय मंत्री हैं, ठीक है, तो क्या यह चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, इनको अधिकार नहीं है।

दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं वह यह कि आज मान्यवर, जनता कांग्रेस को चाहती है और कांग्रेस के नेता मा0 राजीव गांधी जी को भी चाहती है और रही विरोधी दल की बात वह तो स्वयं आपस में लड़कर धीरे-धीरे समाप्त होने पर है, उनके लिए अब कोई समस्या रहनी ही नहीं चाहिए न उनको किसी बात से परेशान होना चाहिए । दूसरे हज के भवन के सिलसिले की बात कही गयी । हज पर जो लोग जाते हैं, उनके नामों पर लाटरी निकाली जाती है, वह कल निकाली गयी और हर साल निकाली जाती है, इस मौके पर मैं भी वहां था। वहीं पर यह बात सामने आयी कि जो लोग हज पर जाते हैं, इनके लिए यहां पर कोई भवन न होने की वजह से इन्हें बड़ी परेशानी होती, तो मैंने कहा यह तो होना चाहिए, जो चीजें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आवश्यक हैं और उससे जनता सीधे प्रभावित होती है, उन्हें अवश्य करना चाहिए और ऐसे कामों को करने में हम किसी प्रकार की हिचक महसूस नहीं करते और आप रोक-टोक लगाते रहिए और हम करते रहें ।

(तालियों की गड़गड़ाहट)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)– मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस सीधे-सादे ढंग से एक छोटे से भाषण में कुछ ऐसी बातें कह दीं जिससे यह महसूस होने लगा कि यह बहुत ही सीधे-सादे और ईमानदार मंत्री हैं और कुछ जानते ही नहीं हैं। मान्यवर, यह नियमों में है कि जहां चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए तो वहां के किसी भी अधिकारी को इधर उधर नहीं कर सकते हैं लेकिन आप ने यह घोषणा होने के बाद भी वहां के अधिकारी को हटाया । दूसरी बात जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही हमारे दल के बारे में। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम जहां भी हैं और जितने भी हैं आपसे निपटने के लिए काफी हैं । दूसरे इस चुनाव से आप लोग स्वयं इतना घबराए हुए हैं कि बिना सोचे-समझे कार्य करने शुरू कर दिए हैं और विरोध पक्ष से खड़े श्री अकबर अहमद (डम्पी) के छोटे भाई को आपने उन पर झूठे आरोप लगाकर बंद करवा दिया है ताकि वह लोग हतोत्साहित हो जायें और चुनाव का फैसला आपके हक में हो जाये । अभी जब कि चुनाव शुरू नहीं हुए हैं लेकिन आप अभी से इतनी जबर्दस्ती कर रहे हैं और सरकार में होने के नाते सरकारी मशीनरी का वहां पर बैठे-बैठे दुरुपयोग भी हर प्रकार से कर रहे हैं विरोध पक्ष को हरवाने के लिये ।

इसीलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी अभी तो शुरुआत है, ये बेइमानी करेंगे, आगे अवश्य करेंगे । मैं चाहता हूं कि इन पर अंकुश लगाया जाय । इनकी नीतियां ऐसी नहीं हैं कि यह भरोसा किया जा सके कि मुख्य मंत्री जी निष्पक्ष चुनाव करवा सकेंगे ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने दो सवाल उठाए, एक तो जो विद्यार्थियों के साथ हुआ, उसमें जांच हो रही है । बोर्ड आफ रेवेन्यू के एक मेम्बर जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो बात सामने आएगी, तो जो भी दोषी साबित होंगे, उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जायगी। इसी प्रकार शामली में जो हुआ, उसकी जांच की जा रही है, जांच के बाद जो बात सामने आयेगी, उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी । जहां तक बिक्री-कर अधिकारी की बात है, जब कोई आदमी कह दे कि हम आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर हम उसकी जांच क्या करेंगे । सेल्स टैक्स कमिश्नर ने एक महीना पहले ही इसके बारे में कहा था । चुनाव के एक महीना पहले की यह बात है। उस अधिकारी को जो आदेश दिये गये, उसका उसने पालन नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप यह बता दें कि उनको आदेश क्या दिये गये थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जहां तक मा0 नेता विरोधी दल ने पक्षपात की बात कही तो मैं कहना चाहता हूं कि पक्षपात बिल्कुल नहीं होगा और निष्पक्ष चुनाव कराए जायेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हम निष्पक्ष चुनाव में विश्वास करते हैं। इनको कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलेगी।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैं एक अपनी निश्चित जानकारी से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। यहां पर हमारे विपक्ष के तमाम दलों के सदस्यों ने इस पूरे सत्र का बहिष्कार किया है, लेकिन कई लोगों ने यहां पर रखी उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर किया है। इस पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (क्रमागत)†

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मा0 उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन को रखते हुए मैंने 4 तारीख को चर्चा प्रारम्भ की थी। उसी के तारतम्य में मैं आगे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी बार-बार कानून और व्यवस्था मुतमईन बताते हैं और बहुत ही विश्वास के साथ कहते हैं कि कानून और व्यवस्था अच्छी है, सराहनीय है। तो मान्यवर, मैं ज्यादा भीतर न जाकर केवल एक ही घटना के बारे में कहना चाहता हूं कि जैसी एक घटना लखनऊ में घटी है उससे लखनऊ शहर ही नहीं, लखनऊ के बाहर भी उत्तर प्रदेश के अन्दर शांतिप्रिय लोगों के लिये उनके मन में बहुत बड़ी असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है।

लखनऊ के वजीर हसन रोड पर कल एक घटना घटी। एक सम्पन्न परिवार के लोग अपने घर में बैठे हुए थे, और वहां 2 नौजवान हत्यारे लोग घुस गये। घुसने के बाद, फोटो उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक कोहली साहब को गोलियों से भून दिया। कोहली साहब मौके पर ही मर गये थे। उनके नौजवान लड़का और लड़की, जो घर पर आये हुए थे, जब वे इस घटना को देखकर चिल्लाये, तो उनको भी मौके पर ही गोलियों से घायल कर दिया। उन हत्यारों ने मौके पर लगभग डेढ़ दर्जन फायर किये, जिससे सारे मुहल्ले के लोगों में एक आंतक सा छा गया। आज उक्त घटना अखबारों द्वारा प्रकाश में भी आयी, इस घटना का असर न केवल लखनऊ में ही, अपितु पूरे प्रदेश पर पड़ा है कि किस तरह से कानून व्यवस्था चल रही है। किसी भी व्यक्ति को यह शासन पूर्ण सुरक्षा की भावना नहीं प्रदान कर पा रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के नागरिक अपने को सुरक्षित रखने के लिये, यदि किसी तरह की इमदाद चाहें, तो वह भी माननीय मुख्यमंत्री जी देने में असमर्थ हैं। डेढ़ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, किसी भी नागरिक को अग्नेयास्त्रों का लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, गांव के अन्दर, जहां पुलिस की कमी है, पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने में सरकार असमर्थ है। शैडो की मांग पर शैडो प्रदान नहीं कर सकते कमी बतायी जाती है। हत्यारों से निपटने के लिये, गुण्डों से निपटने के लिये, यदि वहां के व्यक्ति लाइसेंस की मांग कर रहे हैं, तो भी उन्हें नहीं उपलब्ध किया जा रहा है। गांव के गरीब लोग या सम्पन्न लोग, जो अपनी असुरक्षा महसूस कर रहे हैं यदि वे चाहते हैं कि उनके पास अस्त्र हो प्रतिबन्ध की वजह से, स्वंय भी शस्त्र रखने

†4 मार्च, 1987 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में असमर्थ है। लगभग डेढ़ वर्ष से इस पर बिल्कुल प्रतिबन्ध लगा हुआ है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि केवल अस्त्रों के लाइसेंस देने पर ही रोक नहीं लगी है, अपितु विरोध पक्ष के जिन लोगों के पास अस्त्र हैं, उनको भी जमा कराने का काम किया जा रहा है, ताकि सरकार सुरक्षित हो जाय और हत्यारे अपना काम कर सकें। इस प्रतिबन्ध पर माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करें। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह प्रसन्नमुद्रा में यह बात कहते नहीं थकते कि हमारी कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिये, वह कौन सी बात है, जो दोषी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जितने भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी हैं, उनको आधुनिक प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। उपनिवेशवाद के तौर-तरीकों के आधार पर इस समय पुलिस जनता पर शासन कर रही है, दमन कर रही है। जिस प्रशिक्षण के लिये बार-बार अनेकानेक कमेटियों द्वारा राष्ट्रीय आयोग द्वारा सिफारिश की गयी उन पर अमल नहीं रहा है। इन समितियों व आयोग ने इस बात पर बल दिया कि पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों को आधुनिक प्रशिक्षण दिलायें। प्रशिक्षण के अभाव में पुलिस के अधिकारीगण व कर्मचारीगण अपने को, ऐसे तत्वों गुण्डों, बदमाशों से निपटने के लिये नाकामयाब पाते हैं।

मान्यवर, पुलिस की मनोवृत्ति को बदलने का भी कोई कार्य नहीं किया गया है। ब्रिटिश पीरियड के समय जो मनोवृत्ति थी, वही आज भी है। केवल जनता पर शासन करना, केवल जनता को कुचलना यह उनकी मनोवृत्ति थी। उन पर कोई सुधारवाद, व अच्छे व्यवहार की मनोवृत्ति नहीं आयी है। उत्तर प्रदेश के 60 प्रतिशत अपराध पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के कारण हो रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा किये जा रहे हैं। अपराधों की बाबत उ0प्र0 से लगे राज्य मध्यप्रदेश, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या की बाबत यदि देखा जाय, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी खुद शामिल होकर, चोरी कराते हैं, डकैती कराते हैं, निरीह अबलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, समय-समय पर हत्याएं भी करते हैं। पुलिस के लोगों से कैसे सुरक्षा की आशा की जाय, जो भक्षक के रूप में क्रिया-कलाप कर रहे हैं, वह किस तरह से जनता के रक्षक हो सकेंगे? पुलिस वालों का यह ट्रेंड बन गया है बिला-वजह मैं हस्तक्षेप करने का। गांव के सीधे-सादे आदमी, विद्यार्थी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बिला-वजह उनके कार्यों में हस्तक्षेप करके बलवा आदि कराने की पुलिस आदी हो चुकी है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 25 फरवरी को अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र विश्वविद्यालय परिसर से बाहर जा रहे थे, पुलिस के लोगों ने उन्हें छेड़ा जिसके परिणामस्वरूप एक अजीब तनावपूर्ण स्थिति वहां व्याप्त हो गयी। वहां के वाइस चांसलर ने कहा, अगले दिन अखबारों के जरिये यह बात कही कि यदि उन्होंने समय पर हस्तक्षेप न किया होता तो पुलिस ने वहां खराब हालत कर दी होती। मान्यवर, वह हालत ऐसी हो जाती कि उसे माननीय वीर बहादुर सिंह भी न संभाल पाते।

इसलिए मैं कहता हूं कि वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रधान मंत्री की तरह ही इस प्रदेश की किसी भी समस्या को नहीं सुलझाया है और न ही हम किसी

प्रकार की सुलझाने की आशा इनसे कर सकते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने लाड़ले इस पुलिस को आगाह करें कि किसी भी हालत में बिला वजह वह हस्तक्षेप न करें और शांतिपूर्ण नागरिकों में असन्तोष की भावना पैदा न करें।

पत्रकारों और राजनीतिज्ञों के बारे में यह पुलिस विशेषकर विद्वेषपूर्ण हो गई है क्योंकि उनके जितने काले कारनामे होते हैं, उनको या तो पत्रकार उजागर करते हैं और या फिर राजनीतिज्ञ करते हैं। यही नहीं चाहे वह एम0 एल0 ए0 हो और या एम0पी0 हों, उनके साथ भीपुलिस दुर्व्यवहार करने में पीछे नहीं है। उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि जब गत दिनों ग्रेज्युएट कन्सटीट्यूएन्सी के चुनाव हो रहे थे तो कानपुर में श्रीश्रीकृष्ण वाजपेयी, जो विधान परिषद् के सदस्य थे, के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार ही नहीं किया अपितु उनकी बुरी तरह से पिटाई भी की। आज पुलिस के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई अंकुश नहीं है क्योंकि उनको तो मालूम है कि अभी वह मुख्य मंत्री हैं इसलिए पुलिस उनके साथ तो होगी ही।

मुख्य मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)— गृह मंत्री भी तो कह सकते हो।

श्री सत्यपाल सिंह—

गृह मंत्री भी कह सकता हूं लेकिन वह कह देंगे कि एक स्टेट मिनिस्टर भी तो है और स्टेट मिनिस्टर कह देगा कि एक डी0 आई0 जी0 भी है। चूंकि आप सबसे बड़े हैं, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री मैं तो आपको ही दोषी मानता हूं।

धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी पुलिस का रवैया सौहार्दपूर्ण नहीं रहता। आज तक मेरा यह अनुभव रहा है कि यदि कोई कवि सम्मेलन कराना हो और या फिर कोई मुशायरा कराना हो तो पुलिस उसके लिए इजाजत नहीं देती है, यहां तक कि पुलिस अधिकारी भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं करते और सहयोग नहीं करते। यह तभी सम्भव होता है जब कोई सत्ताधारी दल का विधायक और या फिर किसी मंत्री की सिफारिश होती है तभी वह इसकी तरफ ध्यान देते हैं।

थर्ड डिग्री मैथड, जो ब्रिटिश पीरियड में अपनाया जाता था, उसे आज इनकी पुलिस इस्तेमाल कर रही है। एक नया तरीका निकाला गया है बेलन चढ़ाया जाना, उल्टे लटकाया जाना। इस प्रकार के कई केसेस हुए हैं। विधायक मौजूद हैं और मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन यह पुलिस अपने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर काबू पाने में असफल हैं। हां, इतना जरूर है कि जहां पर सत्ताधारी लोग विधायक हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन उनके नौकर की तरह कार्य करता है। यदि इस पर काबू पा लिया जाय तो पुलिस प्रशासन की आधी बीमारियां दूर हो जायेंगी। पुलिस प्रशासन भी मजबूर है। यदि कोई पुलिस का आदमी इन्साफ करना चाहता है तो उसका अन्जाम यह होता है कि वहां के सत्ताधारी विधायक व मंत्री उसे 4 दिन भी उस जनपद में नहीं रहने देते। इसलिए पुलिस प्रशासन भी सोचता है कि बिना वजह सत्ताधारी लोगों से कौन उलझे।

जितने भी अपराध हो रहे हैं और गरीबों पर जुल्म ढाये जा रहे हैं, उनमें खासकर अनुसूचित जाति के लोग हैं। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं,

खासकर उनको शिकार बनाया जाता है। आंकड़े प्रमाणित करते हैं कि पुलिस के द्वारा जितनी हत्यायें की गयी हैं, उसमें अधिकतर हरिजन मिलेंगे। मैनपुरी व फर्रुखाबाद के अन्दर जो मुठभेड़ें की गयी हैं, उसमें आपको पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग मिलेंगे। उच्च वर्ग के लोग कितना ही बड़ा जुर्म करें लेकिन शायद ही कभी पुलिस के चंगुल में आते हों। यह वह मूक वर्ग है जिसकी बात कहने वाला आज समाज के अन्दर कोई नहीं है। उसी के ऊपर जुल्म ढाये जाते हैं। मुझे पता चला है कि वर्तमान गृह-मन्त्री जो हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे भी जिम्मेदार हैं, उन्होंने शिकायत पेटिका की एक योजना चलायी है। इस सम्बन्ध में यह भी आपने स्पष्ट किया है कि वह हर थाने में रहेगी और उसकी चाभी सी0 ओ0 के पास रहेगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी आज मंत्री हैं, कभी एम0 एल0 ए0 भी रहे होंगे, वे जानते होंगे कि सी0 ओ0 और एस0 ओ0 का जो सम्बन्ध होता है, आपस में बहुत ही मधुर होता है। जितनी आमदनी एस0 ओ0 अपने थाने में करता है, उसका एक बड़ा हिस्सा सी0 ओ0 को अवश्य भेजता है। सी0 ओ0 को चाभी देने से क्या फायदा होगा। थाने के दरोगा या सिपाही के खिलाफ जो शिकायत होगी, उसे शिकायत पेटिका खोलकर सी0 ओ0 वहीं उसी के सामने पढ़ेगा और निश्चित है कि शिकायतकर्ता पुलिस का कोपभाजन बनेगा। इससे जो आप समझते हैं कि परिवर्तन लायेंगे तो इन छोटी-मोटी बातों से परिवर्तन नहीं ला पायेंगे। आपको मूलभूत समस्याओं को देखना होगा, उन पर विचार करना होगा और देखना होगा कि किसी तरह से पुलिस वालों पर अंकुश लगे। जितने भी समाज में अपराध हो रहे हैं, उसके लिये सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जिम्मेदार है। जितने भी नौजवान आते हैं, पढ़ लिख कर चाहते हैं कि उन्हें रोजी रोटी मिले। उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता है और कपड़ा खरीदने के लिये पैसा नहीं होता है। वह इतनी बड़ी आर्थिक विषमता में होता है कि उसके लिए परिवार का पालन-पोषण करना दुर्लभ होता है। ऐसे भी लोग हैं जो सामाजिक विषमता के शिकार हैं। अगर अनुसूचित जाति का पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति, बड़ी कौम वाले इलाके में रहता है और रोज दुआ सलाम नहीं करता है तो उसे ऊंचे वर्ग का कोपभाजन बनना पड़ता है। यह सामाजिक विषमता है। ये मूलभूत बातें हैं। जब तक इसके लिये कोई ठोस कदम नहीं उठायेंगे, हालांकि आप नहीं उठा पायेंगे हम जानते हैं, लेकिन मैं विरोध पक्ष में होने के नाते आवश्यक समझता हूं कि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूं। हमारा जो इण्डियन पैनल कोड है और एवीडेन्स एक्ट है, जो बने हैं ब्रिटिश पीरियड के, जो अंग्रेजों की सहूलियत के लिए बनाये गये थे, वही आज भी लागू हैं। उनमें जो गवाही देने का तरीका रखा गया है, मैं माननीय मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि अगर कोई भी शातिर बदमाश पकड़ा जाता है तो उस क्षेत्र के किस आदमी की हिम्मत है कि उसके खिलाफ गवाही दे। अगर देता है तो आपकी पुलिस उसकी सरक्षा करने की जिम्मेदारी नहीं लेती है। जाहिर है कि वह मारा जायगा और उसके बच्चे भटकते फिरेंगे। इसका नतीजा यह होता है कि कोई भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी किसी भी शातिर बदमाश के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता है। इसके साथ ही साथ मान्यवर, मुझे यह

कहना है कि केवल मेरा ही यह आरोप नहीं है, इस तरीके से जो हमने पुलिस का उदाहरण आपके सामने पेश किया है, एक बात और बतलाना चाहता हूं कि अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक मीटिंग इस सचिवालय में की थी उसमें मा0 मुख्य मंत्री ने खेद व्यक्त किया था कि हमने गिरोह बन्द एक्ट बनाया, गुण्डा एक्ट बनाया, राज्य सुरक्षा अधिनियम बनाया, इसके अन्तर्गत जितनी कार्यवाहियां होनी चाहिये थीं कोई भी अधिकारी उतनी कार्यवाही नहीं कर पाया। कोई भी कानून किन भावनाओं से बनाया गया है लेकिन वह भी नहीं हो पा रहा है यदि उसका इम्पलीमेन्टेशन ठीक से न हो। अब आपने गिरोह बन्द एक्ट के अन्तर्गत 1618 लोगों को पकड़ा है और उसके बाद आपके अधिकारियों ने, अपनी नियत साफ न होने के कारण सही पैरवी नहीं की और इस तरह से 35 प्रतिशत मुलजिम जो कि जेलों में बन्द किये गये थे, वह आज जमानत पर रिहा हो गये हैं और उनको आप रोक नहीं पाये और वे सीना तान कर चलते हैं।

मैं रूबत देना चाहता हूं कि मुरादाबाद में लोकदल के अध्यक्ष हैं उनके लिये आपने, आपकी पुलिस ने उनको गिरोह बन्द कानून के अन्तर्गत बन्द कर दिया। 27 फरवरी को उनको जेल में ही हार्ट अटैक हो गया जिसके कारण से वे अस्पताल में भी भर्ती किये गये। 4 तारीख को जबरिया उनका ट्रान्सफर आपने मैनपुरी में कर दिया। बीमारी की हालत में भी उनके परिवार वाले उनसे नहीं मिलने जा रहे हैं। आप मानवीय पहलू को भूल जाते हैं तो आपकी पुलिस जिसके कि आप हेड हैं और प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, उन्हें भी मानवीय व्यवहार करने की आवश्यकता क्या है?

मैं यह भी कहता हूं कि राज्य में बमों के विस्फोट में गत वर्षों की अपेक्षा बहुत वृद्धि हुई है। आपके कार्यकाल के अन्दर इस कृत्य में कोई रोक-टोक नहीं है। विगत अप्रैल के महीने से सितम्बर तक 6 महीने के अन्दर राज्य में 144 बम विस्फोट हुए जिसमें 78 व्यक्ति मरे 235 लोग घायल हुए। इससे पहले के साल में केवल 83 बम विस्फोट हुए थे जिसमें 43 लोग मरे थे तथा 91 घायल हुए थे। उससे पहले के साल में 54 बम विस्फोट हुए थे जिसमें बहुत कम लोग घायल हुए और कम ही संख्या में मृत्यु हुई थी। विगत वर्ष 1986 में बम विस्फोट की घटनाओं में कई गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह से कानून की श्रृंखला में कोई फायदा नहीं हुआ है जबकि आपके पुलिस अधिकारी व कर्मचारी बदमाशों से डकैतों से सांठ-गांठ किये हुए हैं। केवल पक्षपातपूर्ण रवैया से कांग्रेस के लोगों की हुकूमत का वे अंजाम देते हैं, इस तरीके से आप राज्य में शान्ति व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। लेकिन कहीं भी आप कुछ करें उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है।

अब मान्यवर मैं दूसरे विषय पर आता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि इन्होंने काशीपुर के विक्रीकर अधिकारी को हटा दिया है, क्योंकि उसने आदेशों का पालन नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सारे दोष उसी बिक्रीकर अधिकारी के हैं, क्या आपने और किसी अधिकारी को हटाने की कोशिश की। मैं मात्र कुछ मंत्रियों का हवाला देना चाहता हूं।

श्री वीर बहादुर सिंह–

चुनाव से इसका क्या सम्बन्ध है।

श्री सत्यपाल सिंह–

आपने जो कहा कि उसने गलती की है, इसलिये उसको हटा दिया गया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि केवल एक आदमी दोषी नहीं है। अगर मैं मंत्रियों की कोई बात रखूंगा तो काफी समय लग जायेगा, इसलिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ही बात को उदाहरण सहित प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने आपके आदेशों का पालन नहीं किया है, वह कुर्सी पर बरकरार हैं। आपको जब उत्तर देने का अवसर मिले तो आप सफाई दे दीजियेगा। मान्यवर, सितम्बर, 1985 में बलिया में 6 हरिजनों की हत्या हो गयी और यह कान्ड जमीन के विवाद के कारण हुआ था, सभी अनुसूचित जाति के लोग थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया था कि जिलों में वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी और जहां पर अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित मामले उठते हैं, उनको मिटाया जा सके, इस बात के लिये आपने वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश दिये। मैं कहना चाहता हूं कि आपके उन आदेशों का पालन आज तक नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो आप बतायें कि कितने दिनों बाद हुआ है। एक भी वरिष्ठ [illegible] अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। काशीपुर में बिक्रीकर अधिकारी ने गलती की, उसको आपने हटा दिया।

मान्यवर, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, पीलीभीत में नीरियां गांव में नरसंहार हुआ, जिसमें 27 आदमी मारे गये। आपने सारे प्रदेश को बताया कि 6 आदमी मारे गये। कलेक्टर की सूचना पर आपने गलत तथ्य दिया और जब विवाद हुआ तो सेन्ट्रल से एक कमेटी आयी और उसने कहा कि 27 आदमी मारे गये हैं और जिलाधिकारी और एस0पी0 द्वारा दी गयी सूचना गलत है। सेन्ट्रल की कमेटी ने इस बात को सिद्ध किया है कि जिलाधिकारी और एस0 पी0 द्वारा दी गयी सूचना गलत है और वास्तव में 27 आदमी मारे गये हैं। इस प्रकार के कितने ही उदाहरण हैं माननीय मुख्य मंत्री जी वहां के कलेक्टर को नहीं हटा पाये और एस0 पी0 को हटाया तो बहुत दिन बाद हटा पायें। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, आपने आदेश दिया था कि 151 उप पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी, लेकिन आपके उन आदेशों का कुछ नहीं हुआ है। अभी तक किसी भी उप पुलिस अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पायी है।

मान्यवर, अब मैं मुख्य मंत्री जी के बहुत ही चहेते अधिकारी के बारे में कहना चाहता हूं, जो तथ्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, उनको मैं साबित करूंगा, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी चाहेंगे। एक नगर विकास सचिव, अखंड प्रताप सिंह हैं, वह मुख्य मंत्री जी के बड़े चहेते अधिकारी हैं। धर्म सिंह रावत, आई0 ए0 एस0 अधिकारी थे उन्होंने नगर भूमि सीमा का बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा, उन्होंने अनशन भी किया, 8232 फाइलें गायब थीं, छोटे-मोटे 15 कर्मचारियों को निलम्बित भी किया गया और उसमें नगर विकास सचिव की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन उनका कोई बाल बांका नहीं हुआ। धर्म सिंह रावत जैसे व्यक्ति को

नौकरी से निकाल दिया गया जिसने उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, उसने भूख हड़ताल की, उसको बरखास्त करने में मुख्य मंत्री जी को देर नहीं लगी। लेकिन जो अधिकारी अखन्ड प्रताप सिंह और उनके सहयोगी अन्य आई0 ए0 एस0 अफसर थे उनमें से किसी के खिलाफ भी कोई कार्यवाही आपके द्वारा नहीं की गई। इस बात को यह सदन ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। धर्म सिंह रावत को बरखास्त होना था और आपके चहेते अफसर को यहां पर बने रहना था। एक बात और कहना चाहता हूं। नगर विकास में एक मिस्टर रोमेश शर्मा संयुक्त सचिव थे। बलरामपुर टावर की समस्या को लेकर अखन्ड प्रताप सिंह में और इन रोमेश शर्मा में विवाद हो गया। मान्यवर, मैं तथ्यों के आधार पर ही यह बात कह रहा हूं। विवाद यहां तक बढ़ गया कि रोमेश शर्मा को वहां से हटा दिया गया, तबादला कर दिया गया किन्तु अखन्ड प्रताप सिंह को नहीं हटाया गया जब कि इन्हीं को हटाने की बार-बार मांग की जा रही थी। किन्तु मुख्य मंत्री जी इनको नहीं हटाना चाहते थे। इस सम्बन्ध में पी0 सी0 एस0 अधिकारी संघ ने भी कोशिश की, उनके खिलाफ प्रस्ताव पास किया और यही मांग की कि अखण्ड प्रताप सिंह हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। लेकिन पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की बात नहीं मानी गई और अखण्ड प्रताप सिंह अपनी जगह पर अखंड रहे। यहां तक कि अखन्ड प्रताप सिंह का स्थानान्तरण हथ करघा बोर्ड में भी कर दिया गया था, उन्हें उसका अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी, मुख्य मंत्री जी को उनके सामने झुकना था वे अखन्ड प्रताप सिंह को वहां नहीं भेज सके क्योंकि मुख्य मंत्री जी उससे दबते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे कारण हैं। मुख्य मंत्री जी उनसे केवल प्रशासन का ही नहीं शासन का भी काम लेते हैं, यह मेरी निश्चित जानकारी है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। उस समय भी मुख्य मंत्री जी ने उनका सदुपयोग किया था। उनको कानपुर भेजा। उनको भेजने से पहले आपने नरेन्द्र सिंह को और वीरेन्द्र सिंह चन्देल को भेजा कि वे कर्मचारियों की समस्याओं को निपटायें। जब दोनों ही विफल रहे तब आपने इन अखन्ड प्रताप सिंह को वहां भेजा। वे वहां पर गये। वहां की समस्या को आपने सुलझाया। साथ ही वहां के जिलाधिकारी श्री शर्मा को वहां से स्थानान्तरित करने का भी उन्होंने आपको सुझाव दिया। मैं समझता हूं कि आपके मुख्य सचिव इस पक्ष में नहीं थे कि श्री शर्मा, जिलाधिकारी को वहां से हटाया जाय। 6 महीने तक यही पेशकश चलती रही कि मुख्य मंत्री चाहते थे कि

उनको वहां से हटाया जाय और मुख्य सचिव चाहते थे कि न हटाया जाय। आखिर में स्वयं श्री शर्मा ने अपना स्थानान्तरण केन्द्र में करा लिया और वे वहां चले गये। ऐसे हैं आपके अधिकारी।

मान्यवर, यह तो एक अधिकारी थे। आपके सिंचाई विभाग के 6 असिस्टेंट इन्जीनियर आपके चहेते हैं। उनको डिजाइन-डिवीजन में जाना चाहिए लेकिन उनको आप नहीं भेज पा रहे हैं। इस तरह से आपके नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आप इन अधिकारियों के बूते पर सरकार चला रहे हैं। आपके अधिकारी आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। जिस जनता को आपसे उम्मीद थी, जिस धरती से आप मुख्य मंत्री बने हैं हरिजनों और पीड़ितों के ऊपर जो जुल्म ढाये जा रहे हैं उनको उठाने और उनकी मदद के लिये जो आप संकल्प लेकर आये हैं उस जनता की सेवा करने में आप सफल साबित नहीं हुये हैं।

जैसा मैंने परसों कहा था आपने अगला तोहफा इस प्रदेश को साम्प्रदायिकता का दिया। आज साम्प्रदायिकता की स्थिति इतिहास को देखा जाय तो इतनी गड़बड़ है कि जितनी पहले कभी नहीं थी। हमेशा यह प्रयास रहा कि हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, इसाई सब प्यार से हिन्दुस्तान की धरती पर रहें। मैं समझता हूं कि जब-जब कोई दैवी ऐसी बात हुई या साम्प्रदायिक दुर्घटनायें हुई तो हर आदमी को बड़ा अफसोस हुआ और सारे राजनीतिक दलों ने चाहे वह सत्ता पक्ष के हो या विरोधी दल के हों सबने आपसी मतभेदों को भुला कर सत्ता का साथ दिया और प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखा गया। लेकिन मौजूदा सरकार में आपने क्या किया मैं व्यक्तिगत आपका नाम नहीं लेता हूं लेकिन आपकी सरकार ने जो काम किया है वह काले अक्षरों में लिखा जायेगा। आज हिन्दुस्तान की सारी जनता अफसोस कर रही है पंजाब और आसाम की समस्या से सारा देश झुलस रहा है, सारे देश में अशान्ति व्याप्त है। आप देश की अखण्डता और एकता का नारा देकर पार्लियामेन्ट और प्रदेश की विधान सभा में पहुंचे थे, लोगों ने चुनकर आपको यहां भेजा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके ही हाथों द्वारा उस एकता और अखण्डता को खतरा पैदा हो गया है। आपने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला उठा कर विवाद खड़ा कर दिया। मैं इस मामले में नहीं जाऊंगा और कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे सद्भावना बिगड़े .

श्री हीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का जो सवाल यहां उठाया जाता है और उसमें सरकार पर दोष डाला जाता है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह मसला कोर्ट में है और जो कुछ हुआ वह कोर्ट से ही हुआ है उस मसले को सरकार पर लादना कहां तक उचित है, जुडिशियरी की आदर करने की बात की जाती है, उसका आदर करना भी चाहिए। हम भी उसका आदर करते हैं। फिर मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि वह मसले को जिसे कोर्ट ने तय किया उसे उठा कर सरकार पर डालना जानबूझ कर सरकार को बदनाम करने वाली बात है इसके अलावा और कुछ बात नहीं है।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी यही समझाने की कोशिश करेंगे जैसा उपाध्यक्ष जी कह रहे थे कि यह चुनाव कमीशन की बात है उसे मैं नहीं सुनता माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने केवल हवाला दिया था तो

उसी तरह मुख्य मंत्री जी कोर्ट और न्यायालय का हवाला देकर इस बात को टालना चाहते हैं। जुडिशियरी की बात तो हमें शिरोधार्य है, जूडिशियरी के अधिकार क्षेत्र को हम चुनौती नहीं दे रहे हैं, उनको अधिकार है निर्णय देने का। लेकिन वर्तमान शासन ने क्या गलती की और कहां पर कोताही की जिसका नतीजा यह है कि प्रदेश में साम्प्रदायिकता की भावना उभड़ी है उससे प्रदेश ही नहीं बल्कि सारा हिन्दुस्तान जलने लगा है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर मिजोरम में नेशनल फ्रंट के नेता जो आजादी के 40 साल बाद वहां के मुख्य मंत्री बनाये गये हैं (इस समय 2 बजे अधिष्ठाता, श्री भगवती सिंह विशारद पीठासीन हुए।) जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई थी, उसकी बखिया उधेड़ी उनको मुख्य मंत्री बना दिया गया। इसी तरह डी0 एम0 के0 के नेता करुणानिधि ने हिन्दी और हिन्दी बोलने वालों की बेइज्जती की और हिन्दी बोलने वालों को गद्दार कहा, बिहार में झारखण्ड पार्टी के लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई और झारखण्ड प्रदेश की मांग की तो यह सब आपकी गलत नीतियों का नतीजा है . . .

एक सदस्य–

उसकी चर्चा यहां पर करने का क्या मतलब है।

श्री सत्यपाल सिंह–

आप जरा सुनने की कोशिश करें। हमारा कहना है कि हिन्दू और मुसलमान की समस्या क्यों पैदा हुई, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी। शाहबुद्दीन ने सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की बात की और कहा कि 26 जनवरी के जो समारोह होंगे उनका हम बहिष्कार करेंगे. तो उस पर आपने देशद्रोही साबित कर दिया। 15 दिनों के लिए रेडियो, टेलीविजन पर सरकार के वक्तव्य आते रहे, इतना प्रचार कर दिया कि यह बहुत बड़ा राष्ट्र विरोधी काम है। मैं पूछना चाहता हूं कि नेशनल फ्रंट के नेताओं ने संविधान की प्रतियां जलाईं, आपके झंडे को जलाया और डी0 एम0 के0 ने इतना बड़ा अपमान किया उनको नहीं कह पाये राष्ट्रद्रोही। लेकिन आपने हिन्दू मुसलमानों के बीच में झगड़े के लिए सैय्यद शहाबुद्दीन को राष्ट्रविरोधी कह दिया और कहा कि आपने शब्द वापस लें, जो समारोहों में हिस्सा न लेने के लिए कहा है, तो उन्होंने वापस भी ले लिया। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे नाजुक मसलों में जैसे बाबरी-मस्जिद और राम जन्म भूमि के मामले में 19वीं बीसवीं शताब्दी में ही नहीं बल्कि इसके पहले अठारहवीं शताब्दी में भी लड़ाई चली थी। कई बार अदालतों में मुकदमें आये, उस समय के प्रशासकों ने हस्तक्षेप किया। लेकिन आपके कार्य-काल में इस मसले पर निर्णय हुआ, हस्तक्षेप नहीं किया, सरकार भी पार्टी है, आपको हक है हस्तक्षेप करने का ऐसे नाजुक मसलों में। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन कहना चाहता हूं कि जब-जब इस पर मुकदमें चले, अनेक बार मुकदमें चले, आजादी के पहले और बाद में भी मुकदमें चले, अनेक पहले और बाद में भी मुकदमें चले, लेकिन फाइलों को निकालने का मौका नहीं दिया गया क्योंकि हिन्दू और मुसलमानों के बीच में साम्प्रदायिकता भड़केगी। लेकिन आपके समय को इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जायेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 23 मार्च को आवाहन कर दिया गया कि नमाज पढ़ेंगे उस मस्जिद में, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अदालत में मसला था, उसने फैसला दिया, मैं क्या करूं और आप पुलिस व पी0 ए0 सी0 लगा देंगे जिससे

वहां तनाव बढ़ेगा और हिन्दू-मुसलमानों का खून बहेगा। आप मुख्य मंत्री हैं इसलिये आपकी जिम्मेदारी है कि हिन्दू मुसलमानों में प्रेम भावना बनी रहे, इसलिए वह हालात आने से पहले ही आप कोई रास्ता, समाधान, हल निकालें जिसके तहत दोनों पक्षों से बात हो जाये और यह मसला सुगमता से हल हो जाये। लेकिन इस साम्प्रदायिक तनाव को हल करने में जो भूमिका मुख्य मंत्री की होनी चाहिए उसको वह निभायें। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि यदि किसी समस्या का प्रभाव उत्तर प्रदेश या हिन्दुस्तान में पड़ रहा है तो उस समस्या को यहां लाना हम सब का कर्तव्य है। मान्यवर, मेरा कहना है कि इस समस्या पर आप धैर्यपूर्वक विचार करें और किसी को गद्दार और देशद्रोही कहा तो यह ठीक नहीं है। इसलिये चाहे सुप्रीमकोर्ट के जज को या आप दोनों पक्षों के मुल्ला या पंडितों को बुलाकर कोई रास्ता समाधान का निकालें। चूंकि आपके समय में इस प्रकार की साम्प्रदायिकता भड़की है और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपका शासन जिम्मेदार होगा।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, आपने ऐसा सवाल उठाया है जिसका जवाब देना जरूरी होता है। आपने कहा कि क्योंकि इस कार्यकाल में यह मुकदमा सामने आया। आपको मालूम होगा एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में रहा–कब 100 वर्ष पुरानी है, उसके बारे में सुप्रीमकोर्ट ने कह दिया इसको उखाड़ कर दूसरी जगह रखा दें। क्या कोर्ट पर हमारा अधिकार है। आज मुकदमा रखा जाय या कब रखा जाय, इस शासन में रखा जाय या कब रखा जाय क्या यह हमारे अधिकार में है, कब तारीख पड़े या कब फैसला हो क्या यह हमारे अधिकार में है। अगर कोर्ट में सरकार का हस्तक्षेप होता और सरकार के इशारे पर कोर्ट चलते तो माननीय नेता विरोधी दल की बात समझ में आती। मान्यवर, कोर्ट को, जुडीशियरी को पूरी स्वतंत्रता है। आप देखते हैं कि रोज सरकार के खिलाफ तमाम मुकदमों के फैसले होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से मुकदमों में सरकार बराबर हारती है। बात को इस तरह से उलझाकर नहीं कहना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कम्यूनल फीलिंग पैदा करना चाहते हैं, हिन्दू और मुसलमानों में कम्यूनल फीलिंग पैदा करके टकराव कराना चाहते हैं। वही लोग ऐसी बातें कहते हैं। सरकार की मंशा है कि जिस तरह से हो, जुडीशियरी द्वारा या आपस में बैठकर, मिलजुल कर, दोनों कौमों के लोग बैठकर कोई रास्ता निकालें। सरकार चाहती है कि मिलजुल कर रास्ता निकाला जाय या जुडीशियरी के द्वारा कोई रास्ता निकाला जाय, सांप्रदायिक तनाव नहीं होना चाहिए और कोई व्यक्ति किसी को परेशान या उसका शोसण न कर सके। सरकार चाहती है कि चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हों या कोई संगठन हो सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो और उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव न हो सके। एकता बनाये रखने के लिये हमारी सरकार ने काम किया है।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बनारस के फैसले का जिक्र किया। बेहतर होगा कि उसकी प्रति के साथ मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो फैसला कोर्ट ने किया है वह क्या है, उसका सरकार ने कार्यान्वयन किया है या नहीं। अगर नहीं

किया, तो अगर यह फैसला हो गया था तो इतनी जल्दी इसका कार्यान्वयन नहीं करना चाहिये था जिससे हिन्दू और मुसलमान के बीच इतनी बड़ी खाई खड़ी हो गयी ।

आपने प्रदेश को साम्प्रदायिकता की ज्वाला का वह तोहफा दिया है जिसका असर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने प्रदेश को अगला तोहफा यह दिया है कि जो मेडिकल सुविधायें अस्पतालों में मिल रही थीं तो आपने सारे अस्पतालों को प्राइवेट नर्सिंग होम के रूप में परिवर्तित कर दिया है। आपने यह शर्मनाक काम उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिये किया है उनकी आहें कभी आपको माफ नहीं कर सकती हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अक्तूबर, 1986 में एक शासनादेश के जरिये सारे अस्पतालों में 90 प्रतिशत शैय्यायें जो वहां हैं उनको पेंइंग बेड बना दिया। दिसम्बर में फिर राजाज्ञा जारी की गयी और उसको 90 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया । इससे सारे अस्पताल प्राइवेट नर्सिंग होम के रूप में हो गये हैं । राजाज्ञा के अनुसार भर्ती के लिये, दवाई के लिये और सभी तरह की जांच, एक्सरे आदि जो पहले करीब-करीब फ्री थीं उनको पेइंग कर दिया गया है। इस तरह से कल्याणकारी राज्य की आप कल्पना कर रहे हैं। अभी जहां लोगों को रोजी, रोटी, कपड़ा और जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी आप नहीं कर पाये हैं और लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं ला पाये उन गरीबों पर आपने यह भार बढ़ा दिया है। गरीब बेचारे जो जिलों में छोटे-छोटे अस्पतालों में फ्री इलाज करा लेते थे, दवायें ले लेते थे उस पर आपने रोक लगा दी । इससे ज्यादा क्रूर शासन आजादी के बाद आज तक कोई नहीं हुआ । जनता पार्टी की सरकार, लोकदल की सरकार जब थी तो उस समय रजिस्ट्रेशन फीस एक रुपया थी उसको खत्म कर दिया और इलाज फ्री था । आपकी सरकार ने 50 पैसे किया और फिर 1 रुपया कर दिया । मेरी जानकारी है कि मेडिकल कालेज में परचा बनवाने के लिये 2 रुपये लिये जाते हैं। पर्चे की फीस मेडिकल कालेज में 2 रु0 और जिला अस्पताल में पर्चे की फीस 1 रु0 है। अब तक एडमिशन फीस थी 2 रु0, उसको भी आपने 5 रु0 कर दिया और केवल यही नहीं, आपके अस्पतालों में जितनी जांच होती थीं, खून, बलगम, पेशाब, टट्टी की, अभी तक वह फ्री जांच होती थी, लेकिन उस पर भी फीस लगा दी गयी है। यही अनोखे थोड़ी मुख्य मंत्री बने हैं । किसी के जमाने में इन पैथालोजिकल जांच के लिए एक पैसा भी वसूल नहीं किया गया। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने इन सब के लिए फीस लगा कर गरीब लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। आज अगर एक मरीज अस्पताल के अन्दर जाता है, तो उसे सबसे पहले 1 रु0 का पर्चा बनवाना पड़ेगा, फिर प्रवेश के लिए उसे 5 रु0 खर्च करना पड़ेगा, तब उसका एडमिशन हो पाता है और अगर उसको दो ही जांच करानी पड़ी तो, उसे दो-दो चार रु0 और पड़ जायेंगे और अगर एक्सरे की जरूरत पड़ी, तो उसे 5 रु0 और देने पड़ जायेंगे । अगर खाना कोई मरीज चाहता है, यद्यपि कोई भी मरीज अस्पताल से खाना नहीं चाहता है, तो उस पर भी 5 रु0 आपने लगा दिया है। इस तरह से कम से कम जब 20 रु0 वह खर्च कर देगा,

तब अस्पताल के अन्दर उस पर किसी भी तरीके से डाक्टरों की निगाह और कृपा दृष्टि जायगी और तब उसका इलाज शुरू होगा । यह सारी व्यवस्थायें जब हो जायंगी, तब इनके इलाज की व्यवस्था शुरू होती है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कौन सा अच्छा और अनोखा काम आपने सोचा? कौन सा यह उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का दावा आप करते हैं ? कैसे यह उत्तर प्रदेश की जनता सोच सकती है कि आप इस प्रदेश के लिए कौन सा कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं ? आपने उस बीमार व्यक्ति को ऐसी परेशानी में डाल दिया है कि जब तक उसकी जेब में 20 और 50 रु0 नहीं होते हैं, तब तक उसका इलाज ही नहीं हो सकता है। अगर उसका आपरेशन होता है, तो 50 रु0 उसे और देना होगा । अगर उसको ब्लड चढ़ाया जाता है, तो प्राइवेट वार्ड के अन्दर उसे 75 रु0 जमा करने होंगे और जनरल वार्ड के अन्दर उसे 50 रु0 जमा करने होंगे । कोई भी काम आपने छोड़ा है कि जिसके ऊपर शुल्क न पड़े ? आपकी निगाहें तो उन स्थानों पर गयीं, जहां पर पिछले कालों में फ्री इलाज होता था। इस तरह का यह कोई राज्य है? यह तो रावण राज्य है, जिसके अन्दर कोई गरीब राहत की सांस भी नहीं ले सकता है इसलिए मुझे आपके माध्यम से कहना है कि इनके जितने प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स हैं, इनको पता है कि वहां पर जितनी दवाइयां मिलती हैं, वह कमेटी के माध्यम से फर्जी और सस्ती दवाइयां मिलती हैं, क्योंकि वहां से सी0 एम0 ओ0 को और वहां के अधिकारियों को अच्छा कमीशन मिलता है। दवाइयों को खरीदने के लिये अभी जो क्रय समिति बनी हुई थी, उसमें वरिष्ठ चिकित्साधिकारी भी थे, उस क्रय समिति को ताख पर रख कर एक व्यक्ति को अधिकृत कर दिया गया कि वह सारी दवाइयां खरीदेगा, जिसका मेडिकल डिपार्टमेंट से कोई सम्बन्ध ही नहीं था, जिसका नतीजा यह हुआ कि सारी की सारी दवाइयां कमीशन की लालच के कारण फर्जी खरीद ली गयीं और डाक्टरों में असन्तोष व्याप्त हो गया कि यदि इन दवाओं को मरीजों को दे दिया गया, तो उससे मरीजों की मृत्यु हो जायेगी। तो मान्यवर, इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया कि अच्छी दवाइयां खरीदी जायं । अस्पतालों में अगर कोई मरीज 50 पै0 या 1 रु0 देकर पर्चा बनवाना चाहता है कि उसको अच्छी दवाइयां मिल जायं, तो उसे अच्छी दवाइयां नहीं मिल सकती हैं।

मान्यवर, आज भी अस्पताल इस बात के लिए विख्यात हैं कि वहां पर दवाई के नाम पर केवल पानी मिलता है, वहां पर वही घिसीपिटी सस्ती वाली गोलियां मिलती हैं परन्तु पानी और सस्ती गोलियां देने के बावजूद भी आपको तसल्ली नहीं हुई और आपने इतने बड़े-बड़े टैक्स लगाकर मेडिकल विभाग के अन्दर एक अगला तोहफा दिया है। मैं आपकी इस कामयाबी की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि इस तरह से आपने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की है और आज भी कर रहे हैं।

मान्यवर, इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए बड़ा प्रदेश है कि हिन्दुस्तान के अन्दर इतनी बड़ी आबादी का और कोई प्रदेश नहीं है।

श्री हरदेव–

आपका भाषण बहुत लम्बा हो गया, यह मैं आपके पसीने को देखकर कह रहा हूं।

श्री वीर बहादुर सिंह–

कितना समय लगेगा, मुझे बाहर जाना है।

श्री सत्यपाल सिंह–

4 बजे तक हो जायेगा, अभी तो मैंने 2 ही विषय लिये हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपने, जो हमारे प्रदेश के अन्दर उपभोक्ता लोग हैं, उनकी जो नीति बनायी है, अच्छा होता कि आप उस पर विचार करते। मैं यह आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि इसलिए कह रहा हूं जैसा आपने कहा अपने समय में देखो, दूसरों की आलोचना कर रहे हो। मान्यवर, इस समय सबसे बड़ी आवश्यक खाद्य सामग्री सही रूप से मिल जायेगी, इसके लिए वर्तमान में जो आपकी नीति है उसमें लेवी कोटा 40 परसेन्ट और फ्री सेल कोटा 60 परसेन्ट है। यह बहुत ही दोषपूर्ण चल रहा है और दोषपूर्ण इसलिए चल रहा है कि जो कोटेदार हैं उनको 20 से 25 बोरा मात्र बेचने के लिए मिल जाते हैं। मान्यवर, इस बात को मुख्यमंत्री जी समझने की कोशिश करें। मान्यवर, उसे ढुलाई देते हैं, और ढुलाई का रेट है, आपके शहर में 8 कि0 मी0 के अन्दर दो रुपये और 8 से 20 कि0 मी0 के अन्दर 3 रुपये हैं तथा 20 कि0 मी0 से ज्यादा जाने पर 4 रुपये हैं। कमीशन के लिए एक पैसा नहीं मिलता है सिर्फ उसको मिलता है बारदाना, खाली बोरा। खाली बोरे की 5 से 6 रुपये कीमत है। तो इस प्रकार से 5–6 रुपयों के हिसाब से 20 बोरी की कीमत 100-120 रुपये होता है। तो कौन सा ऐसा कोटेदार होगा जो 100 रुपये के खातिर इतना बड़ा परिश्रम करेगा। वह लाइसेंस बनवाता है तो उसको रुपये देने पड़ते हैं। खाद्यान्न का लाइसेंस बनवाता है तो 50 रुपये प्रतिवर्ष देने पड़ते हैं, चीनी के लाइसेंस के लिए 40 रुपये देने पड़ते हैं, मिट्टी के तेल के लिए 15 रुपये और कपड़े के लिए 8 रुपये पड़ते हैं। एग्रीमेन्ट के लिए 50 रुपये पड़ते हैं। इस प्रकार से करीब-करीब 200 रुपये खर्च करें इसके अलावा दुकान किराये की ले फिर एक नौकर रखे, स्टेशनरी रखे। इस प्रकार से खर्चा इतना और उसको 120 रुपये के अलावा और कोई चीज मिलती नहीं है। आपकी जो शक्कर है वह शक्कर भी 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये का जो रेट ढुलाई का है अगर 20 किलोमीटर दूर ले जाना है तो 4 रु0 ढुलाई मिलेगी। आज 2 रु0, 3 रु0 और 4 रु0 में कोई भी शक्कर ढोने के लिए तैयार नहीं है। श्रीमन्, जिस प्रकार आप उम्मीद लगाये बैठे हैं, उस तरह से ग्रामीण अंचलों में शक्कर नहीं पहुंच पायेगी और होली के अवसर पर किसानों को शक्कर नहीं मिलेगी। इसमें आपकी यह नीति ही दोषपूर्ण है। आप भी दिल्ली और हरियाणा के समान नीति क्यों नहीं अपनाते। आप भी इतना परिवर्तन कर दें कि प्रत्येक दुकानदार के लिए, जो भी सस्ते-गल्ले का दुकानदार हो और सामान उठाये उसे 10-15 रु0 का कमीशन मिलेगा तो इतनी दिक्कतें न आयें लेकिन आपके प्रदेश के अन्दर एक पैसे का कमीशन नहीं है इसलिए उपभोक्ताओं को समय पर चीनी नहीं मिल पाती है। इस नीति के तहत आपका कोई भी अधिकारी या मंत्री दावा नहीं कर सकता कि कोई भी दुकानदार ईमानदारी से कार्य करें और देहाती अंचलों में चीनी नहीं पहुंच सकती है। मेरा आपसे कहना है कि आप अपने अधिकारियों से बात करें। कमीशन लागू करें या फिर कुछ और सोचें लेकिन वर्तमान नीति से आप इंसाफ नहीं दे पायेंगे और होली पर शक्कर नहीं दे पायेंगे। भले ही

आप घोषणा करते रहें कि हम यह करेंगे लेकिन आपकी वह घोषणायें केवल कागजों में ही सिमट कर रह जायेंगी।

इसी प्रकार मान्यवर, कोयले के संबंध में कहना चाहूंगा। पहले कोयला रेक्स में आता था और अब संवारण व्यवस्था के अन्दर यह है कि अब कोयला रैक्स में नहीं आता है। अब कोयला जिसको जितनी जरूरत होती है, जो बड़े-बड़े डीलर हैं, वह वहां पर जाते हैं जहां से कोयला मिलता है और अपने कागजात डी0 एस0 ओ0 से तैयार करा लेते हैं और डी0 एस0 ओ0 उनसे अच्छी रकम लेकर परमिट देता है। इससे आपके दो नुकसान हैं-एक तो डी0 एस0 ओ0 इस कोयले के माध्यम से 20 हजार से 40-50 हजार रु0 महीना तक कमा लेता है। दूसरे, आपका सेल टैक्स का नुकसान होता है, जो भट्टे वाला है और कोयला लेता है। यदि वह लिखा पढ़ी में ले तब तो आप उससे हिसाब ले सकते हैं लेकिन जब कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती है तो आप कोई हिसाब भी नहीं ले सकते हैं और आपको दोनों तरफ से नुकसान होता है और आपको जितना अधिक सेल टैक्स मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। यदि आप कोयले की नीति में विस्तृत रूप से विचार करें और देखें तो इस आय की नीति में कुछ परिवर्तन हो सकता है। जहां तक आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि हमारी नीतियां बिल्कुल सही हैं और सबको सुविधा मिल रही है लेकिन किसानों के लिए जो आपने कहा है वह सर्वथा तथ्य से परे है और असत्य है। आपकी यह नीति उचित नहीं है। अब कुछ बातें बेरोजगारी के संबंध में कहना चाहूंगा। आज बीस लाख लोगों के नाम बेरोजगारों में दर्ज हैं इसमें मूल रूप से आपकी शिक्षा पद्यति दोषी है। आज ऐसी शिक्षा दी जा रही है जो केवल डिग्रियां दे रही है। इन सारे के सारों से कह दिया जाता है कि देयर इज नो वैकेन्सी। हमारे यहां जिस तरह का काम है वैसी शिक्षा आप नहीं दे रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मुख्य मंत्री जी को नींद आ रही है।

श्री सत्यपाल सिंह–

मुझे खुशी है कि कम से कम मुख्य मंत्री जी सुन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा नीति है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे रोजगार मिलने वाला नहीं है। ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये जिससे नवयुवक स्वयं रोजगार चलायें। टेकनिकल ट्रेनिंग–जिसके लिये प्रधान मंत्री जी कहा करते हैं। टेकनिकल एजूकेशन को आप नहीं ला रहे हैं, बेरोजगारी को दूर करने के लिये आप इसे लायें। आप ला रहे हैं कम्प्यूटर सिस्टम, उसके बारे में चन्द बातें कह देना चाहता हूं। इससे बेरोजगारी की समस्या हल होने वाली नहीं है। यह उपयुक्त है अमेरिका और ब्रिटेन के लिये, ऐसे ही बड़े-बड़े अन्य देशों के लिये, जहां हाथ कम है और काम अधिक। हमारे मुल्क में हाथ अधिक हैं। हमारे मुल्क से और अमेरिका में बहुत बड़ा फर्क है। हमारा कहना है कि जो बेरोजगारी का बोझ बढ़ रहा है, इसके लिये कम्प्यूटर का लाना बहुत ही खतरनाक है। अमेरिका और ब्रिटेन के अन्दर कम्प्यूटर के आने से 65 प्रतिशत और 36 प्रतिशत कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है। 36 प्रतिशत अमेरिका में और 65 प्रतिशत ब्रिटेन में। इसी तरह से हमारे मुल्क में रेल और डाक विभाग में कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं। भारत में कम्प्यूटर का आना

घातक है। रेल विभाग में 74 में 21 लाख कर्मचारियों की संख्या थी वह घटकर 14 लाख हो गयी। रेल विभाग सेन्ट्रल का डिपार्टमेन्ट है उसके अन्दर यह स्थिति आई। यदि हमारे प्रदेश में कम्प्यूटर को प्रचलित किया गया तो बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे बेरोजगारी को समाप्त नहीं किया जा सकेगा। महात्मा गांधी ने कहा था, चौ0 चरण सिंह ने भी कहा था, मिश्रित अर्थ व्यवस्था की जरूरत मुल्क को है। कम पूंजी में रोजगार लगाने हैं। बड़ी पूंजी में जो रोजगार लगे हैं उनसे फायदा होने वाला नहीं है। सुरक्षा, खगोल आदि के जो मामले हैं, इनमें कम्प्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी कामों में किया जाता है तो निश्चित राय है कि देश का भला नहीं होगा। राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष भार्गव जी ने भी कहा है कि कम्प्यूटर सिस्टम में बेरोजगारी का बोझ देश के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। मान्यवर, जो कृषि डिप्लोमा धारक हैं, 74 में यह डिप्लोमा नीति बनी थी। 3-3 सालों से कृषि विभाग की डिग्री लेकर पड़े हैं। इन्हें नौकरी मिल सके, इसके लिये मालूम हुआ कि 21 विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देश दे दिये गये हैं। विभागाध्यक्षों ने इनकी ट्रेनिंग को देखा तो कहा कि इसमें कमी रह गयी है। एक विषय की ट्रेनिंग और कराई जाये। उन्हें ट्रेनिंग करा दी गयी। नौकरी उन्हें नहीं दी गयी। विभागाध्यक्षों से कहा गया था नौकरी देने के लिये उन्होंने ट्रेनिंग करा दिया। अगर एक विषय नहीं पढ़ाया गया तो यह पढ़ाने वाले की गल्ती थी न कि डिप्लोमा धारकों की। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिये मैं समझता हूं कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है प्रदेश सरकार की ओर से। स्वरोजगार योजना चालू की गयी। आप का फैसला सही होगा, मैं नहीं कहता। अलग-अलग योजनाओं के लिए पैसा आप देते हैं। गरीब और पिछड़े लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इन्डस्ट्रीज सेन्टर के कर्मचारी, बैंक के अधिकारी यह सभी मिलकर जो पैसा मिलने वाला होता है, उसका आधा पहले ही वसूल लेते हैं। गरीबों का कोई भला इससे नहीं हो रहा है।

मान्यवर, राज्य कर्मचारियों की हड़ताल चली, उसके बाद कोई सत्र नहीं हुआ, यही हो रहा है। 11 नवम्बर से 30 नवम्बर तक हड़ताल चली। देश के अन्य प्रदेशों में भी चली थी। आन्ध्रा में चली, केरल में चली। 15 प्रतिशत अन्तरिम सहायता पर समझौता हुआ 22 दिन हड़ताल चलने के बाद। मान्यवर, कितना आर्थिक नुकसान हुआ, बसें बन्द रहीं, अस्पताल बन्द रहे, प्रशासन पैरालाइज हो गया। मैंने इससे पहले इतनी बड़ी हड़ताल नहीं देखी, इतनी सफल हड़ताल नहीं देखी। इतने दिनों की दिक्कतों के बाद समस्या का समाधान किया। पहले सम्भाल लिया होता। समस्या का समाधान 22 दिनों की तबाही के बजाये पहले निकाल लिया होता। मा0 मुख्य मंत्री जी हर समस्या को तभी सुलझाते हैं जब पानी सर के ऊपर पहुंच जाता है इससे पहले नहीं। रास्ता निकला, आयोग बैठाने की बात आई, आयोग बैठा दिया। मान्यवर, आज तक किसी आयोग की रिपोर्ट निश्चित समय पर नहीं आयी। अगर रिपोर्ट आयी भी तो मंडल कमीशन की तरह कूड़ेदान में डाल दी गयी। मैं चाहता हूं कि आप उस रिपोर्ट को मंगवायें। जिस अवधि की बात कही है, उसके अन्दर मंगवायें। कर्मचारियों

की समस्याओं का समाधान करें। राजस्थान ने 750 रु0 मान लिया, आंध्रा ने 10 रुपया और अधिक दिया। आपने अन्तरिम सहायता दे दी। कहते हैं अर्थ व्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। किस तरह से निपटना है आप ही विचार करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मा0 मुख्य मंत्री जी को नींद आ रही है। सदन में सरकार सोयेगी तो कैसे प्रशासन चलेगा।

(शोर)

श्री वीर बहादुर सिंह–

जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो मैं उस पर बहुत गम्भीरता से विचार कर रहा था। कर्मचारियों की बात करते हैं। कर्मचारी अपने हैं। हम उन्हें जितनी भी सुविधायें दे सकते हैं, देने में कमी नहीं रखेंगे। सवाल उठता है संसाधनों का। मैं चाहता हूं कि जब नेता विरोधी दल बोल रहे हैं तो इसका भी जिक्र कर दें कि संसाधन कहां से लायें। हमको मार्ग दर्शन मिल जायेगा।

श्री सत्यपाल सिंह–

इसका भी जिक्र करेंगे। आप इसको हमसे पूछ रहे हैं, राजस्थान और आंध्र के मुख्य मंत्रियों से पूछिये। आपको सही जबाब मिल जायेगा। उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा प्रदेश है। जितना बड़ा प्रदेश है उतनी ही जिम्मेदारियां हैं। जनता से वायदा किया है। आपने यह भी वायदा किया है कि हम बाकी योजनाओं में कटौती नहीं करेंगे और कर्मचारियों की छटनी भी नहीं करेंगे। अब आपके सामने तीन ही रास्ते हैं जिनसे कोई रास्ता निकल सकता है। पहला तो आप नया कर लगायें लेकिन आप वह भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि बिक्रीकर पहले से ही इतना ज्यादा है कि उतना किसी अन्य प्रदेश में नहीं है। इसलिये आप बिक्रीकर नहीं बढ़ा सकते। विद्युत का जहां तक सवाल है उसमें आप 22½ से 30 पहले ही कर चुके हैं और घरेलू विद्युत पर भी आप रेट बढ़ा चुके हैं इसलिये उसमें भी बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती है। आप के सामने मजबूरी है। सेल्सटैक्स आप बढ़ा नहीं सकते, परिवहन पर आप पहले ही बढ़ा चुके हैं। विकास की योजनाओं में आप कटौती इसलिये नहीं कर सकते क्योंकि उससे प्रदेश की छवि बिगड़ेगी और लोग कहेंगे कि आप मुख्य मंत्री क्यों बने। तीसरा काम आप इसलिये नहीं कर सकते कि बेरोजगारों की फौज आपके सामने वैसे ही एक समस्या है, अगर जो रोजगार में हैं, उनको निकाल दें, जैसा कि आपने घोषणा की थी कि पचास हजार दैनिक कर्मचारियों की छटनी की जा रही है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

ऐसी घोषणा मैंने नहीं की थी।

श्री सत्यपाल सिंह–

नहीं की थी तो ठीक है लेकिन अमूमन आप मना करते हैं जबकि हमारी बात सही रहती है। आपने घोषणा की लेकिन नहीं निकाल पाये। अगर आप पचास हजार कर्मचारियों को निकाल देते तो उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल हो जाता। आपके सामने व्यवहारिक, मानवीय एवं नैतिक मजबूरी है। एक ही रास्ता है प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने और वित्तीय अनुशासन कायम रखने का। इसके लिये मैं समझता हूं कि आपको निगमों पर विचार करना होगा और आप इन पर थोड़ी कड़ाई कीजिये। विद्युत परिषद् का घाटा करीब-करीब 18 करोड़ हो चुका है। प्रतिवर्ष

जितने भी निगम हैं उनमें से लगभग 379 करोड़ का घाटा होता है जबकि अकेले विद्युत परिषद् का 111 करोड़ का घाटा हो रहा है। उपभोक्ताओं पर लगभग 2000 करोड़ रुपया बकाया है और यह उपभोक्ता छोटे लोग नहीं बल्कि बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जिनसे वसूली हो सकती है। बिजली की लाइन लास और जो चोरी हो रही है अधिकारी अपनी जेब भर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। आपके साठ निगम हैं और उनमें जो 6000 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है इसमें चालीस प्रतिशत पूंजी डूब चुकी है। बहुत से निगम तो अपना ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरा यह सरकार पर निश्चित आरोप है कि इन निगमों की स्थापना अपने दल के विधायकों को खुश करने के लिये की है और जिनको आप मंत्रिमण्डल में नहीं ले पाते हैं। इन्हें यदि आप मण्डल में ले लेते हैं तो भी किसी हद तक गनीमत होगा क्योंकि इन निगमों के जो अधिकारी होते हैं या चेयरमैन वह इनके सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, इसीलिए इनके यहां आधुनिक चीजों की भरमार होती है और गाड़ियां जितनी इन निगमों में हैं उतनी किसी अन्य विभाग में नहीं होंगी और इन निगमों में जितने भी सामान की जरूरत होती है वह सब का सब इन अधिकारियों व चेयरमैन द्वारा खरीदे जाते हैं जिनमें वे कमीशन के रूप में भी एक अच्छी धनराशि वसूल करते हैं। इसीलिए आज निगमों की हालत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है, जिनमें सबसे ज्यादा सीमेंट निगम, रोडवेज और विद्युत परिषद् आदि बड़े-बड़े निगम हैं, इनकी हालत बहुत खराब है। करोड़ों-करोड़ों के घाटे पर यह चल रहे हैं। खासतौर पर विद्युत परिषद् है। इसमें अब तक आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार न कर पाये हैं और न ही आगे आप पर कोई भरोसा किया जा सकता है कि इसमें आप कुछ कर पायेंगे।

श्री वीर बहादुर सिंह–

(सदन को सम्बोधित करते हुए) मुझे एक जरूरी प्रोग्राम में जाना है, यदि आप इजाजत दें ?

(कोई आपत्ति न होने पर माननीय मुख्य मंत्री सदन से उठकर चले गये)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, जितने भी आज सरकार के अधीन निगम चल रहे हैं इनके कार्यों में सुधार, तेजी तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु एक कमेटी श्री डी0 एस0 पपोला की अध्यक्षता में बनायी गयी थी। इसकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 10 मण्डलीय विकास निगम ऐसे हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इन निगमों का कार्य केवल इतना है चीनी और खाद्य का वितरण करें और कुछ निगम धान की खरीद करते हैं और इन निगमों पर जबकि सालाना लाखों और करोड़ों का खर्च आ रहा है। जबकि इनके इस कार्य को यू0 पी0 एग्रो द्वारा कराया जा सकता है क्योंकि एग्रो वाले भी खाद्य का वितरण करते हैं और यह कार्य यू0 पी0 एफ0 सी0 से भी कराये जा सकते हैं यह विभाग भी धान आदि की खरीद करते हैं। इसलिये इन 10 मण्डलीय निगमों को समाप्त कर लाखों रु0 की हानि से बचा जा सकता है। इसी प्रकार से सार्वजनिक उपक्रम निगमों की हालत भी इतनी ज्यादा खराब है, जिससे हमारे प्रदेश की बिक्री व्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गयी है और जो निगम पूरे तौर पर घाटे पर चल रहे हैं उनमें सुधार व्यापक तौर पर करने के प्रयास किये जायें और हो सकता है इससे प्रदेश की आर्थिक

स्थिति में सुधार आए। सबसे अधिक घाटा मान्यवर, आज विद्युत परिषद् में है। लगभग 18 अरब रु0 का घाटा अब तक इसमें आ चुका है। उस पर से आपकी नीति सही न होने के कारण अनेक प्रकार के तोहफे भी कभी विद्यार्थी आन्दोलन कभी किसान आन्दोलन व कभी कुछ झगड़े भी प्रदेश की जनता के समक्ष आते रहते हैं। विद्यार्थियों के झगड़े में जो एक छात्र नेता, ओम प्रकाश ने अब अगर अपनी किसी मांग को लेकर उन्होंने आपसे एक प्रश्न किया, उस पर आपके जो पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे, यदि माननीय मुख्य मंत्री जी और आपके पुलिस आफिसर कुछ सोच विचार कर दूर-दर्शिता को सामने रखकर काम किए होते तो मैं समझता हूं कि यह जो आज स्थिति पैदा हो गयी है और जो घटनाएं अनायास घटित हुयीं वह न घटतीं और यह सारी घटनाएं इस प्रकार का रूप धारण न करतीं। उस ओम प्रकाश सिंह को, जो विद्यार्थियों का नेता था, उसे 77 चोटें आईं। उसका हाथ पैर और सर तोड़ दिया गया। उसके साथ थाने में ऐसा व्यवहार किया गया, जैसे कि कभी किसी बदमाश के साथ भी नहीं किया जाता। फिर यह तो विद्यार्थियों का नेता था। इस आन्दोलन की ज्वाला यहां तक ही सीमित नहीं रही, इलाहाबाद, गोरखपुर और लखनऊ में भी आयी और अब छोटे-छोटे कालेजों में यह असंतोष फैलता जा रहा है। यह मुख्य मंत्री जी का तोहफा उत्तर प्रदेश को मिला है। इससे छात्रों में असंतोष व्याप्त है।

अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। केरल में इतना शिक्षा का प्रतिशत है, लेकिन हमारे प्रदेश में मात्र 27 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। इस प्रदेश से कम शिक्षित दो प्रदेश हैं, बिहार और राजस्थान, उनका भी प्रतिशत 25-26 के आस-पास है। आज आजादी के इतने सालों बाद भी यह सरकार उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास नहीं कर सकी। आज प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों की हालत यह है कि जो 468 माध्यमिक स्कूल हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं, इनको अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया। अनुदान स्वीकृत ही नहीं किया गया है। प्राइमरी स्कूलों की हालत यह है कि जहां जनता पार्टी की सरकार में एक-एक साल में एक एक जिले में 80-90 प्राइमरी स्कूल खोले जाते थे, लेकिन अब 4-6-10 ही खोले जाते हैं। इन पाठशालाओं की हालत इतनी दयनीय है कि अध्यापक आते ही नहीं। आते भी हैं तो घंटे-दो घंटे के लिए आते हैं। 40 फीसदी स्कूलों में छात्रों के लिये ब्लेक बोर्ड या पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि गांव के प्राइमरी स्कूलों के बच्चे, किसानों के बच्चे उन अफसरों के बच्चों की बराबरी करेंगे जो कान्वेन्ट और लामार्टीनियर में पढ़ते हैं। अन्जाम यह होता है कि अफसर के बच्चे अफसर, गरीब के बच्चे गरीब, मजदूर के बच्चे मजदूर बनते हैं। इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा चलाई है। सुनने पर बहुत अच्छा मालूम होता है। जो लोग शिक्षा लेने के उम्र से आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिये ये शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के 90 प्रतिशत प्रौढ़ शिक्षा विद्यालयों में पैसे की बर्बादी हो रही है। इस योजना का क्रियान्वयन नहीं होगा, तो उस योजना से प्रदेश को फायदा भी नहीं होगा। जो नयी शिक्षा नीति अपनायी गयी है, उसमें एक-एक कालेज प्रत्येक जनपद में खोला जा रहा है। उसमें बड़े-बड़े अफसरों के बच्चे, पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ेंगे। गरीबों के बच्चों के लिये उससे कोई लाभ नहीं है। उसको तो स्वतः रोजगार की नीति से

लाभ होगा। लेकिन इनके पास ऐसी कोई योजना नहीं है। अब मान्यवर, मैं जरा गन्ना किसानों के विषय में कहना चाहता हूं। यहां का गन्ना उद्योग राजनीतिज्ञों के चंगुल में फंसा हुआ है। गन्ना इस प्रदेश के किसानों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन कहीं भी किसानों को गन्ने का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आज जितनी भी सरकारी, सहकारी या निगम क्षेत्र की मिलें हैं, वह सारी घाटे पर चल रही हैं, जबकि प्राइवेट क्रेशर को लाभ हो रहा है। क्योंकि हमारी जो चीनी मिलें हैं, वे किसानों को 24-25 रुपये प्रति क्विन्टल का भाव देती हैं, जबकि प्राइवेट में 12-14-15 रुपया ही गन्ने का दाम मिलता है। हालत यह है कि आज गन्ना किसान इतना परेशान है, आज उसे यह भी परेशानी हो रही है कि कैसे साल के अंत तक खेतों में खड़े गन्ने को इन क्रेशर्स तक पहुंचायें। गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान करने में यह सरकार विफल हो रही है। गन्ना किसानों को किसी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं उपलब्ध की जा रही, और न ही उसकी उपज के प्रति उसे आश्वस्त किया जा रहा है।

मान्यवर, इन प्राइवेट क्रेशर्स वालों के लिये शासन ने कोई नियम नहीं बनाये जिसमें वह वाजिब मूल्य गन्ना किसानों को दे सकें। वे लोग मनमाने तौर पर दाम देते हैं। जो प्राइवेट लोग क्रशर्स लगायें हैं, वे लोग, ऐसे नियम के न रहते, गन्ना किसानों को लगातार लूट रहे हैं। सरकारी व सहकारी क्षेत्र में आपकी चीनी मिल संख्या में कम हैं, जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही हैं। किसान मजबूर है, इन हालातों के रहते, प्राइवेट क्रेशर्स वालों को गन्ना देने के लिये, आज उसके सामने समस्या है कि कहीं गन्ना खेतों में खड़ा सूख न जाय। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जिला पीलीभीत पड़ोस का जिला है, वहां बीसलपुर में व तिलहर में चीनी मिल हैं। तिलहर का क्षेत्र शाहजहांपुर में भी आ जाता है। दोनों चीनी मिलों की कैपिसिटी एक है। मैं इन चीनी मिलों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि उक्त दोनों ही चीनी मिल ही नहीं, अपितु प्रदेश की सभी चीनी मिलों की यही हालत चल रही है। तिलहर में, 1981-82 में शुरुआत हुई, अब तक उस चीनी मिल को लगभग 10 करोड़ रु0 का घाटा हो चुका है। बीसलपुर लगभग डेढ़ लाख टन अब तक चीनी बना चुकी है, जबकि तिलहर केवल 89 हजार कुंटल बना पायी है। यह चीनी मिलें एक ही दिन चलीं, एक ही क्षमता की हैं, लेकिन उत्पादन क्षमता देखें। जब यह बात आयी कि घाटा क्यों पड़ रहा है, तिलहर के बारे में, तो यह कहा गया कि परता कम आ रहा है। चीनी मिल के अधिकारी, कर्मचारी कांटों पर 10 कुंतल 5 कुंतल प्रति पर्ची यह लोग बचाते हैं एसी गड़बड़ियां की जा रही हैं जिससे किसान का पैसा लूट लें, भले ही चीनी मिल घाटे पर जाय। मैं कहना चाहता हूं कि चीनी मिलों पर ध्यान दिया जाय, ताकि जनता की जो आशायें हैं उससे वह पूर्ण हो सके। भरोसा तो नहीं है कि वर्तमान सरकार किसी भी हालत में इसमें सुधार लायें और कार्य क्षमता प्रभावित हो।

मान्यवर, एक कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं चौधरी शौनाथ सिंह, इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं, बहुत पुराने सदस्य हैं, उनका गन्ना विभाग से बहुत बड़ा वास्ता है। चौधरी शौनाथ सिंह ने जबकि वे सत्तापक्ष के विधायक हैं, यह जो गन्ना संघ बना है, उसके अधिकारियों के विरुद्ध खाद, दवाई व कृषि यंत्रों के विषय में अक्तूबर, 1986 में एक शिकायत की। उसमें यह भी कहा गया कि

इन गड़बड़ियों में 7 से लेकर 8 करोड़ रु0 तक गन्ना संघ के अधिकारियों ने पैसा बचाया, गबन किया है। उस शिकायत के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने विभाग के द्वारा जांच करवायी। विभागीय जांच में यह पाया गया, प्राग्दर्शन में यह गड़बड़ी सही है। चौधरी शौनाथ सिंह की शिकायत पर हुई विभागीय जांच में, गड़बड़ियां पायी गयीं, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी ने वहां के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, न वहां से हटाया। अब पता चला है कि उन्होंने उसकी विजिलेंस से जांच शुरू करा दी है। मान्यवर, जब एक विभागीय जांच में तथ्य सही पाये गये, तो दोषी अधिकारियों को वहां से हटाकर के निष्पक्ष जांच के लिए कोशिश करनी चाहिये थी लेकिन नहीं। गन्ना विभाग के घोटालों की परवाह माननीय मुख्यमंत्री को नहीं है, वर्तमान सरकार को नहीं है। मान्यवर, इसी प्रकार की घटनायें, गड़बड़ियां केवल एक गन्ना विभाग के अन्दर ही नहीं हैं, बल्कि सरकार के सारे विभागों के अन्दर व्याप्त हैं। इन सभी विभागों के अन्दर बेईमानी की बात चल रही है। फर्जी आंकड़ों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की तारीफ करते रहते हैं परिवार नियोजन के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियां गिनाते हैं। महामहिम राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में प्रशासन की बड़ी तारीफ कर दी उन्होंने कहा था कि परिवार नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करके, हमारी प्रदेश सरकार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिन्दुस्तान के अन्दर रहने वाला आदमी नहीं कह सकता कि परिवार नियोजन आवश्यक नहीं है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकेगी जब तक परिवार नियोजन नहीं अपनाया जायेगा। लेकिन अगर परिवार नियोजन सही तरीके से नहीं कराया गया, परिवार नियोजन के नाम पर फर्जी आंकड़े तैयार किये गये या फिर फर्जी लोगों का कराया गया तो उसका अन्जाम यह होगा कि उससे न तो हमारे देश की आबादी कम होगी और न ही आबादी को रोकने का हमारा मकसद पूरा हो पायेगा। न जाने कितने नौजवान, जिनकी शादी किए हुए केवल 2 वर्ष हुए हैं, उनकी नसबन्दी कराई जा रही है, विधवाओं की नसबन्दी कराई जा रही है और विधुरों की नसबन्दी कराई जा रही है, जिससे कि कोटा पूरा हो सके। प्रत्येक ब्लाक में एक आदमी को 18 केसेज दे रखे हैं कि वह अपना कोटा पूरा करे। यदि वह नहीं करता है तो सेवा से निकाल दिया जायेगा। हमने कई जनपदों में इस बात को जाकर देखा कि जो पैसा दैविक आपदा के नाम से दिया जाता है, उसे परिवार नियोजन पर खर्च किया जा रहा है और अभिलेखों में मकान का जलना और बाढ़ आदि को दिखा दिया जा रहा है, दैवी आपदा के नाम पर। शाहजहांपुर और बरेली में दैवी आपदा के नाम से पैसा परिवार नियोजन पर खर्च किया गया है, यदि सरकार मेरी इस चुनौती को स्वीकार करती है तो उक्त दो जनपदों की जांच करवा लें।

मान्यवर, दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार बहुत बड़े वायदे करती है और हमारे राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में स्वीकार किया कि अल्पसंख्यकों के लिए . . .

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेता विरोधी दल तो 4 तारीख को ही अपना समय पूरा कर चुके हैं और आज वह इतने लम्बे समय से बोल

रहे हैं तो हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल पायेगा, इसलिए इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता–

यह पहले ही तय हो चुका है कि माननीय नेता विरोधी दल 4 बजे तक अपना भाषण समाप्त कर देंगे।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, नेता विरोधी दल के लिए कोई समय नहीं है, वह बोल सकते हैं, मेरा निवेदन यह था कि नये माननीय सदस्यों को भी इस पर बोलने का अवसर मिल जाता तो अच्छा रहता।

श्री अधिष्ठाता–

सबको मौका मिलेगा।

श्री सत्यपाल सिंह–

वर्तमान सरकार ने दावा किया है कि पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए और अल्प संख्यक लोगों के हितों के लिए हम बहुत बड़ा विचार कर रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से और वर्तमान शासन से पूछना चाहता हूं कि जब इसी प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव जी थे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में पिछड़े वर्ग के लिए 15 प्रतिशत का आरक्षण दिया था और आयु में 5 साल की छूट दी थी और दसवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए (पिछड़ा वर्ग) छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाई थी लेकिन जब उसके बाद यह कांग्रेस सरकार आई तो इसने आयु में 5 साल की छूट को जो पिछड़े वर्ग के लिए थी, समाप्त कर दिया और 15 प्रतिशत का जो आरक्षण था उसका सही इम्पलीमेन्टेशन नहीं कराया। उसका इम्पलीमेन्टेशन इस तरह से होना चाहिए था कि पिछड़े वर्ग के जो विद्यार्थी मेरिट में आते हैं, उन्हें 15 प्रतिशत के आरक्षण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।

लेकिन उन्होंने मेरिट और आरक्षण दोनों को मिलाकर केवल 15 प्रतिशत कर दिया, छूट खत्म कर दी, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी। इस सरकार ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो पिछड़े वर्ग के हित में हो। मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने में कोई मदद नहीं की और न अपनी राय जाहिर की। हमारे प्रदेश की जन संख्या का 54 प्रतिशत वह जन समुदाय है। जिस तरह से विद्यार्थी और मजदूर लड़ रहे हैं, आपके प्रदेश के कर्मचारी लड़ रहे हैं अपनी मांगों के लिये तो जिस समय यह 54 प्रतिशत लोग सड़कों पर आ जायेंगे, यह सरकार 4 दिन चल नहीं पायगी। यह सरकार पूर्णतया पिछड़े वर्गों के विरुद्ध है। इसीलिये जनता पार्टी के राम विलास पासवान ने संसद में कहा था तथा और भी बड़े-बड़े लोगों ने कहा है कि इनकी जो उपेक्षा की जा रही है, इनके हितों पर कुठाराघात न कीजिये, इनके अधिकारों को दीजिये, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। इनके साथ धोखा किया जा रहा है। केवल बजट में कह देने से या राज्यपाल के अभिभाषण में कह देने से कि आप पिछड़े वर्गों के हिमायती हैं, कुछ होने वाला नहीं है जब तक कोई चीज व्यवहारिक रूप से दिखायी नहीं देती है जो कि पिछड़े वर्ग के हित में हो, तब तक पिछड़े वर्ग का हित नहीं होने वाला है। यह सरकार न कभी पिछड़े वर्गों की हिमायती रही है और न इसके हिमायती होने का भरोसा ही किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण योजना है, संविधान में इसका प्राविधान है उसमें इस प्रकार का समावेश है कि आयोग का गठन होगा और उसकी जो रिपोर्ट आयेगी, उसके अनुसार सरकार कार्यवाही करेगी। हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को आये हुए 3 साल व्यतीत हो चुके हैं,

प्रदेश की सरकार से राय जानी गयी थी लेकिन उन्होंने कोई भी स्पष्ट राय नहीं दी। जहां तक अनुसूचित जाति के लोगों का सम्बन्ध है, जो न्यूनतम 18 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया वह आज भी पूरा नहीं किया गया। उसकी स्थिति आज यह है कि क्लास-एक की नौकरियों में 6.17 प्रतिशत, क्लास-2 में 7.84 प्रतिशत और क्लास-3 में 13.2 प्रतिशत आरक्षण है। इसका अंजाम यह है कि आज बी0एस0पी0 जैसे दल राजनीति की पराकाष्ठा में आकर आज आपकी कांग्रेस सरकार के लिए चुनौती बन गये हैं क्योंकि जुल्म बरदाश्त करने की एक सीमा होती है। मैं विश्वास से कहता हूं कि जब तक हिन्दुस्तान की धरती पर अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति और पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं मिलेगा, यह शासन रुक नहीं सकता, यह मुख्यमंत्री रुक नहीं सकते। आप कहते हैं कि हम अल्प संख्यकों के हित में काम कर रहे हैं, तो कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा आरक्षण दिया है? आज जब साम्प्रदायिक तनाव होता है, झगड़ा होता है हिन्दू और मुसलमानों में, तो हम देखते हैं कि एक वर्ग विशेष के ऊपर जुल्म ढाया जाता है। अगर हर वर्ग के लोग होंगे तो ऐसा नहीं होगा। अल्पसंख्यक वर्ग के साथ चाहे वह मुसलमान हो या सिख हो, उसके साथ अन्याय हो रहा है। उनका आप में विश्वास नहीं रह गया है। उनको जब न्याय मिलने की आशा न रह जाय तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जिस तरह से मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं कि हम हाउस चलाने जा रहे हैं, तो इससे भला नहीं होने वाला है। भला इससे होता अगर आप कहते कि हम अल्पसंख्यकों का आरक्षण पूरा करने जा रहे हैं। मेरा कहना है कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण को पूरा किया जाना चाहिये। लेकिन आप तो दावा करते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हितों के लिये काम कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि केवल चार लाइनें अपने अभिभाषण में छपवा देने से क्या आप यह कह सकते हैं कि हम समाज के दलित और शोषित तत्वों के हितैषी हैं?

मान्यवर, पांच साल पहले 1981 में तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने निर्णय लिया था कि समाज कल्याण विभाग से हरिजन समाज कल्याण विभाग को अलग कर दिया जायेगा। लेकिन आज पांच वर्ष व्यतीत हो गये इस बात का निर्णय लिये हुए लेकिन फिर भी अभी तक अलग से हरिजन समाज कल्याण निदेशालय नहीं बन पाया है। इसी तरह से आप देखें कि बालाहार और पौष्टिक आहार के नाम पर जो पैसा दिया जाता है उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। कहीं भी स्कूल में बच्चों को पौष्टिक आहार या बालाहार का जो पैसा दिया जाता है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पैसा खर्च जरूर होता है और अधिकारी लोग चार और पांच गुना मूल्य पर सामान की खरीद करते हैं। मेरा निश्चित मत है कि समाज कल्याण विभाग कोई योजना ऐसी नहीं बना रहा है कि जिससे हरिजन समाज कल्याण निदेशालय की अलग से स्थापना हो सके जिसकी कि हम उम्मीद करते थे।

हमारा प्रदेश इतना बड़ा है कि जिसकी आबादी साढ़े ग्यारह करोड़ है जिसमें 12 डिवीजन हैं और 57 जिले हैं और इसमें 1 करोड़ 12 लाख और 566 आबादी वाले गांव हैं और 895 ब्लाक्स हैं। इस उद्देश्य से कि हम अपने प्रदेश का आर्थिक विकास कर सकें इस दृष्टिकोण

से इसको पांच हिस्सों में बांटा गया है ताकि हर हिस्से का ठीक प्रकार से नियंत्रण हो सके। महात्मा गांधी का जो स्वप्न था, चौधरी चरण सिंह ने जो कहा था कि गांव का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर आता है। आज भले ही पार्टी के नाम पर या दल के नाम पर कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति यह कह दे कि यह बात तथ्यों से परे है, लेकिन यह सही है कि जब तक गांव का पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा तब तक हिन्दुस्तान की तरक्की नहीं मानी जायेगी। आपका किसान गांव में रहता है, उसे जब तक खाद, बीज और पानी उचित मूल्य पर नहीं मिलेगा, गांव कभी सुखी नहीं हो सकता है। किसान जो पैदावार अपने खेतों में करता है उसका क्रय मूल्य एयर कंडीशन में बैठने वाले लोग दिल्ली और लखनऊ में बैठ कर तय करते हैं। उसको स्वयं यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी पैदावार का मूल्य तय कर सके, उसको यह हक नहीं है। किसान की स्थिति दिन प्रति दिन गिरती चली जा रही है। उसके प्रयोग में आने वाला हर सामान चाहे वह डीजल हो, चाहे खाद हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे पानी हो सब चीजों की कीमतों में कई गुना वृद्धि हो गयी है। जबकि किसानों के उत्पाद की नाम-मात्र की बढ़ोत्तरी की जाती है और उसका अंजाम यह होता है कि किसानों को सही पैसा नहीं मिल पाता है। हमारा उत्पादन का मूल्य जिस अनुपात में बढ़ना चाहिये, वह बढ़ नहीं पाता है और इससे किसानों की हालत दिन प्रति दिन सोचनीय होती जा रही है।

इसीलिये इस बात की पुष्टि में यह तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि शहर में रहने वाले व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है बनिस्बत गांव में रहने वाले व्यक्ति के। क्योंकि उसकी आमदनी का सही मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। आप देखिये कि आलू के उत्पादक कितना परेशान हैं आलू का दाम पहले 19 रु0 क्विन्टल था जो कि अब बढ़ा कर 23 रु0 कर दिया गया है। इसके बावजूद भी जितने कोल्ड स्टोरेज हैं, वह इस बात के लिये तैयार नहीं हैं कि 23 रुपया देकर किसान का आलू ले सकें। फर्रुखाबाद और एटा के अन्दर जहां-जहां आलू के क्षेत्र हैं वहां पर किसान परेशान हैं। कोल्ड स्टोरेज वाले किसान का आलू नहीं रख रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर सकती है इसलिये आज किसान का आलू सड़ रहा है। आलू किसान की एक कैश क्राप है। अगर उसको आलू का सही दाम नहीं मिलेगा तो फिर किसान किस तरह से अपना गुजारा करेगा, कैसे उसकी तरक्की होगी, कैसे उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा ? इसलिये मेरा कहना है कि सरकार का ध्यान इस तरफ भी जाना चाहिए ताकि जो आलू उत्पादक हैं या गन्ना उत्पादक हैं या अन्य फसलों के उत्पादक हैं उनकी हालत ठीक हो सके।

मान्यवर, मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अन्दर फिजूलखर्ची के सम्बन्ध में भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर वित्तीय नियंत्रण के अभाव में फिजूलखर्ची लगातार बढ़ रही है। इसे उन्होंने स्वीकार किया था। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि प्रशासन तंत्र में 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी। यह उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि आज सचिवों के कमरों की साज-सज्जा पर बहुत अधिक धन व्यय किया जा रहा है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि

फिजूल खर्ची में 5 प्रतिशत की कटौती करेंगे जिससे वित्तीय भार कम किया जा सके और दूसरी ओर सचिवों के कमरों की सजावट में बेतहाशा धन खर्च किया जा रहा है। इसी तरह से आप अपने मंत्रियों के निजी सचिवों के पद पर पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को नियुक्त करने जा रहे हैं, उनके ऊपर भी व्यय भार बढ़ेगा। उनके लिये गाड़ी का प्रबन्ध करना पड़ेगा, उनके लिये रहने का इन्तजाम करना पड़ेगा, उनके वेतन आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस तरह से खर्चा और बढ़ेगा। आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसकी आवश्यकता नहीं है। सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग दिनोंदिन बढ़ रहा है। जिलों के अन्दर जितने भी अफसर हैं, वे सब गाड़ियों का दुरुपयोग करते हैं। इन गाड़ियों में उनके परिवार के लोग घूमते हैं जो कि बिलकुल जरूरी नहीं है। जहां इन गाड़ियों की आवश्यकता है वहां गाड़ियां नहीं हैं। थानों में गाड़ियां नहीं हैं जहां पर थानों में गाड़ियों की आवश्यकता नहीं है वहां अफसरों के बच्चे इनमें घूमते हैं और गाड़ियों का दुरुपयोग करते हैं। इसी तरह से एक तरफ फिजूल खर्ची रोकने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी की शैली में ही बोलना शुरू कर दिया है। करोड़ों करोड़ रुपया दान करने की प्रक्रिया चल रही है। ये हमारे मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं। अपनी वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए पूरी तरह से हमारे मुख्य मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि इतना पैसा दे दिया जायेगा। कैसे खर्च होगा, कहां से आयेगा, बगैर कुछ सोचे विचारे घोषणा की जाती है।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो संशोधन माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में आये हैं वे संशोधन चाहे किसी भी माननीय सदस्य ने दिये हों चाहे वे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विरोध पक्ष के सदस्य हों मैं समझता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वे इस भावना से दिये गये हैं कि इन संशोधनों पर अगर सरकार लेशमात्र भी धैर्य से सोचे और अपनी नीतियों में तब्दीली करे तो मैं भरोसा करता हूं कि प्रदेश काफी उन्नति कर सकता है। यह संशोधन जनहित में रखे गये हैं। इसलिये सत्तापक्ष के लोग भी हमारे इन संशोधनों का समर्थन करने की कृपा करें।

*श्री पूरन सिंह माहरा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर डा0 कौशल द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का सुअवसर दिया। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल माननीय सत्यपाल सिंह यादव जब परसों बोलने के लिये खड़े हुए तो कुछ अन्तर जरूर लग रहा था लेकिन आज फिर जब उसी घिसीपिटी भाषा में रोजमर्रा के तरीके से बात दोहरानी शुरू की जिसके हम आदी हो गये थे तो लगा कि वही बात है जो नयी बोतल में पुरानी शराब वाली कहावत कही जाती है।

मान्यवर, हिन्दुस्तान के किसानों को जोड़ने और उनके उत्थान करने की बात जो दल कहता है और उनका मसीहा होने की जो दल बात कहता है वह दल खुद ही अपने को नहीं जोड़ पा रहा है। मान्यवर, उस दल के सम्बन्ध में ए, बी और सी होने की बात हमने सुनी है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और एक्स, वाई, जैड होने की बात अभी सुनने को मिलेगी।

जहां तक प्रदेश शासन पर छींटाकशी करने की बात है तो वह आसान है किसी पर अंगुली उठाना आसान है लेकिन जो प्रगति कांग्रेस के शासन में माननीय राजीव गांधी के नेतृत्व में और हमारे कर्मठ मुख्य मंत्री माननीय वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में प्रदेश ने की है, वह एक उदाहरण देने योग्य है। 20 सूत्री कार्यक्रम की बात आज हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है जो गरीबों को गरीबी की रेखा से उबारने का एकमात्र जरिया है उसमें हमारा प्रदेश सर्वप्रथम आया है। तो यह हमारी उपलब्धि है। मान्यवर, आज तक प्रदेश के परिव्यय के लिये कभी भी केन्द्र से इतनी बड़ी धनराशि नहीं मिली है जितनी माननीय वीर बहादुर सिंह जी के नेतृत्व में मिली है। केन्द्र ने उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा धन मुहैया कराया है। मान्यवर, मैं विकट पर्वतीय क्षेत्र से चुनकर आता हूं और प्रदेश के उत्थान और उन्नति का आयना अगर आपने देखना है तो पर्वतीय क्षेत्र को देखें उससे स्वयं आप महसूस करेंगे कि हमारे प्रदेश ने क्या तरक्की की है। माननीया स्व0 राष्ट्रमाता इन्दिरा गांधी ने विकास गोष्ठी में इस बात को आरम्भ कर दिया था वह आज वहां पर निखार में आ रही है। आज पर्वतीय क्षेत्र में गांव-गांव में विद्युतीकरण किया जा रहा है, वहां गांव-गांव में पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि पहले वहां पर पीने के पानी का अत्यन्त अभाव था। इसी साल 23 सितम्बर को माननीय प्रधान मंत्री नैनीताल आये थे वहां की उपयोगिता को देखकर उन्होंने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया और उसके कारण पर्यटन विभाग को इतना अधिक धन दिया है कि जिससे पर्वतीय क्षेत्र में हिन्दुस्तान के ही नहीं सारे विश्व के पर्यटक आकर्षित होंगे। आज हमने यह व्यवस्था की है जो गांव-गांव तक जाकर लोगों से कह रहे हैं किसानों, हरिजनों, अनुसूचित जाति के लोगों, दर्जी का काम करने वाले लोगों, लोहारगीरी का काम करने वाले लोगों आओ और अपने परिपत्र लेकर बैंक में जाओ और वहां से ऋण प्राप्त कर अपना रोजगार आरम्भ करो। तो यह योजना 1980 में हमारी नेता राष्ट्रमाता इन्दिरा गांधी ने पुनः सत्ता में आने के बाद आरम्भ की जिसमें डी0 आर0 डी0 ए0, एन0 आर0 ई0 पी0, आई0 आर0 डी0, आदि अनेक योजनायें चलाई हैं जिनके माध्यम से गांव-गांव तक लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है।

आज पर्वतीय क्षेत्र में एक विधान सभा क्षेत्र में, मैं उसका उदाहरण हूं जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां पर तीन आई0 टी0 आई0 और एक पोलिटैकनिक कालेज दिया गया है। तो इससे ज्यादा और खुशी की बात और क्या हो सकती है कि पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में शासन की छवि सुधारने के लिये, गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये हमारे नेता जो भी कार्य कर रहे हैं, या हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जो भी कार्य कर रहे हैं उनके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं त्रुटियां रह गयी हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे पर्वतीय क्षेत्र में विद्युतीकरण का जाल बिछाने की योजना है लेकिन आज वहां सारा सामान पोल आदि चले गये हैं किन्तु उनको खड़ा करने के लिये, तार खिंचाई के लिये 1/4 पैसे की जो जरूरत है वह नहीं

दिया गया है जो अधिकारियों की निरंकुशता और लापरवाही के कारण है। पर्वतीय क्षेत्रों में नल चले गये हैं लेकिन बिछाने के लिये गरीब मजदूरों को मजदूरी देने के लिये 1/4 पैसा निर्गत नहीं किया जा रहा है। इसी तरह बच्चों के लिये वहां गांव-गांव में स्कूल खोल दिये गये हैं लेकिन अध्यापकों को जो वहां से भेजने का काम है वह पूरा नहीं किया जा रहा है।

मान्यवर, आज प्रदेश में शांति व्यवस्था की बात विरोध पक्ष के लोग कहते हैं और साम्प्रदायिक सौहार्द की बात कहते हैं लेकिन आखिर साम्प्रदायिक सौहार्द का ठेका विश्व में भी किसी एक दल का नहीं है बल्कि वह तो हर नागरिक का और हर दल का है चाहे विरोध पक्ष का हो और चाहे सत्ता पक्ष का हो। मान्यवर, आज छात्र आन्दोलन, बाबरी मस्जिद का झगड़ा उठ रहा है, उसको हवा दी जा रही है तो यह हवा कहां से दी जा रही है। हम तो उसको समाप्त करना चाहते हैं, मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी ने खुलेतौर पर कहा है कि शासन की तरफ से ऐसे मामलों पर कोई तरजीह नहीं दी जायेगी और इनको समाप्त किया जायेगा लेकिन हवा देने वाले लोग आज इस रैली के नाम से कल दूसरी रैली के नाम से, चाहे इस प्रदेश की राजधानी में या देश की राजधानी में, व्यवधान डाल रहे हैं जो किसी से छिपा नहीं है।

विरोध पक्ष की जहां तक बात है प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश के लाखों करोड़ों व्यक्तियों की शंकाओं का समाधान करने के लिये हम विधायक लोग यहां आते हैं जिनका समाधान शासकीय पक्ष से किया जाता है लेकिन उस प्रश्न प्रहर को भी 4 को इस विरोध पक्ष ने नहीं होने दिया है और कहते हैं कि यहां अधिवेशन 90 दिन का नहीं बुलाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो आदमी 5 दिन तक इस सत्र का सामना नहीं कर पा रहा है वह 90 दिन क्या करेगा।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने शासन की कुछ कमियों की ओर इंगित किया तो यह अच्छी बात है। नेता विरोधी दल, श्री सत्यपाल सिंह यादव ने अपनी कुछ बातें बहुत अच्छी तरीके से रखी हैं। मैं उनका आदर करता हूं। प्रदेश में सभी लोग उनकी स्वच्छता के बारे में आदर करते हैं लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल और नेता सदन दोनों को अपना नेता मानता हूं, उनको ख्याल करना चाहिए कि उनके बीच कुछ ऐसे सदस्य, उनके नवयुवक सदस्य हैं जिनको उनसे प्रेरणा लेना है, इसलिए वह ऐसी बात न करें जिसको वह हल्की बात महसूस करें। जहां तक शासन पक्ष की बात है, सत्ता-पार्टी की बात है तो उसके बारे में मैं क्या कहूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि :-

फानूस बन के हवा जिसकी हिफाजत करे,
वह शमा क्या बुझेगी खुदा जिसे रोशन करे।

मान्यवर, आपने जो बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं डा0 कौशल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जयहिंद, जय भारत।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी हमारे माननीय सदस्य मेहरा जी बोल रहे थे। वह सही बात करना चाहते थे लेकिन सही बात कर नहीं पाये और

जिस तरह से वह अपनी बात पेश करना चाहते थे उसको पेश करते हुये भी पेश नहीं कर पाये । माननीय सदस्य लोक लेखा समिति के सदस्य हैं और जब वहां पर कमियां पायी जाती हैं तो मैं देखता हूं कि मेहरा साहब, अधिकारियों को जब हम डांट पिलाते हैं तो उसमें काफी सहयोग करते हैं लेकिन आज न जाने उनको क्या हो गया । मैं इस उम्मीद के साथ बैठा था कि मेहरा साहब कम से कम जो सच्चाई है, जो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट है उसको सदन में पेश करेंगे । वह सत्तापार्टी के साथ बंधे हैं इसलिये शायद सच्चाई को न कह सकें और सच्चाई को स्वीकार नहीं किया । मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें कही गयीं हैं उनको देख कर ऐसा लगता है कि जिस तरह से हर साल एक मजमून तैयार किया जाता है उसी परम्परा का पालन करते हुये इस बार भी एक मजमून तैयार किया गया है उसका कोई हकीकत से वास्ता नहीं है । मैं उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो उद्योगों की बात कही गयी है उसका कोई आधार नहीं है । वह बिल्कुल तथ्यहीन है । प्रदेश के अंदर आज 82 प्रतिशत किसान हैं वह छोटे-लघु उद्योग लगाना चाहते हैं । अभी हमारे माननीय सदस्य जी साउथ के दौरे पर गये थे और वहां सेरीकल्चर उद्योग को देखा था । सेरीकल्चर, सिल्क उद्योग की बात इसमें नहीं कही गयी है । सिल्क उद्योग के अंदर किसान को 60 प्रतिशत बचत होती है । किसान खेती में 3 महीने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं लेकिन यदि सिल्क उद्योग लगाया जाय तो उसके माध्यम से किसान अपने परिवार की जीविका अच्छी तरह से चला सकते हैं । सिंथेटिक फाइबर की बात इसमें की गयी है लेकिन सेरीकल्चर के बारे में इसमें कोई विवरण नहीं दिया गया है । वाराणसी में जो सिल्कीट की साड़ी तैयार की जाती है, देश भर में जितना सिल्क तैयार होता है 90% इस प्रदेश में खपत होती है किन्तु इस उद्योग पर कोई महत्व नहीं दिया गया । मुझे उम्मीद थी इसमें सेरीकल्चर का जिक्र अवश्य आयेगा । इसमें पेयजल की बात की गयी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो किसान हैं और खेतिहर मजदूर हैं उनके लिये आज भी साफ पानी की व्यवस्था नहीं है । जलनिगम ने जो हैंड पाइप लगाये हैं वह बरसात के दिनों में लगाये हैं जब पानी की सतह ऊपर होती है । उस दौरान जो हैंड पाइप लगाये गये हैं उनको आप जाकर देखें तो पता चलेगा कि उनके पानी का स्तर नीचे चला गया है और उनमें पानी नहीं आ रहा है । गांव-गांव से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। जल निगम द्वारा लगाये गये यह पंप निम्न स्तर के हैं और इनका फेल्योर हो रहा है । पेयजल उपलब्ध कराने के लिये जो ओवर हैड टैंक्स बनाये गये हैं उनके अंदर क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर नहीं मिलाया जाता है और गांवों के लोग दूषित पानी पी रहे हैं जिससे उनमें ज्वांइडिस फैल रही है । ज्वांइडिस रोग का गांवों में जोरों से प्रसार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हजारों लोग ज्वांइडिस से दम तोड़ रहे हैं। मुख्य मंत्री जी शासन की बड़ी वाहवाही करते हैं । सरकार लोगों को साफ पानी नहीं दे पा रही है। सरकार अपने बच्चों को साफ वायु नहीं दे पा रही है और पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। अभी मैं इलाहाबाद में पंचम निर्माण विभाग जल निगम के एक

इंजीनियर महोदय के यहां पर गया था। मैंने उनसे कहा कि आपके यहां का पानी जो है, वह दूषित है। हैंड पाइप जो लगाई जा रही हैं, वे निम्न स्तर की हैं और बरसात के दिनों में जो पानी का लेविल रहता है, उस लेविल के अनुसार नहीं लगाई जा रही हैं। अब यह शिकायत मिल रही है कि उसमें पानी नहीं आ रहा है और ओवर हेड टैंक से जो पानी दे रहे हैं, उसमें क्लोरिन व ब्लीचिंग पाउडर का मिश्रण नहीं है। बच्चे दूषित पानी पी रहे हैं। इस पर उस इंजीनियर ने कहा कि मैं विधायकों की नहीं सुनता। मैं अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करूंगा। उसने अखबार के माध्यम से यही आरोप लगाया कि विधायक ने अभद्र व्यवहार किया। मान्यवर, उस इंजीनियर ने कहा कि मैं अपनी मर्जी के अनुसार ही कार्य करूंगा, चाहे कोई मरे, चाहे कोई जिये। मैं कहना चाहता हूं कि क्या जनता की समस्या उठाना अभद्र व्यवहार है? ये अधिकारी बेलगाम के घोड़े हो रहे हैं। इन पर अंकुश लगाना जरूरी है, तभी जनता का हित हो सकता है। आज ये भ्रष्ट अधिकारी जनता के काम नहीं करते, वे निजी स्वार्थ में लिप्त हैं। परिवार नियोजन 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। प्रदेश के हर जिलों में फर्जी आंकड़ों के द्वारा परिवार नियोजन के कार्यक्रम हो रहे हैं। जून, 86 में शासन ने यह आदेश भेजा कि हर तरह से परिवार नियोजन का लक्ष्य पूरा होना है। तब स्वास्थ्य विभाग इलाहाबाद ने इसके पहले जो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये थे, निर्धारित लक्ष्य से आगे ज्यादा मैन्यूपुलेट करके फर्जी आंकड़ों के साथ लक्ष्य से ज्यादा पूरा कर दिया और उन बड़े-बड़े मेडिकल कालेज-अस्पतालों के द्वारा नहीं, उन प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा जो इलाहाबाद के ब्लाकों में स्थित जहां पर कोई सुविधा नहीं है, उनको परिवार नियोजन का काम दिया गया और लाखों रुपये फर्जी भुगतान किये गये, जिसकी जांच कराई जा सकती है। दूसरा बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्षय रोग का है। प्रदेश की 82 प्रतिशत जनता किसान गरीब मजदूर है। क्षय अस्पतालों में पहले मक्खन, अंडा, गोश्त, पौष्टिक आहार दिया जाता था, लेकिन अब केवल दाल, रोटी, सब्जी जो दी जाती थी, वह भी शासन के नये आदेशों के अनुसार बन्द कर दी गयी है। क्षय रोग में तीन अवस्थायें होती हैं। प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज और तृतीय स्टेज, जिसे एडवांस स्टेज कहते हैं। फर्स्ट स्टेज में आइसोनेक्स, स्ट्रप्टोमाइसीन। सेकण्ड स्टेज में इथमभुटाल, रिफैंपिन तथा थर्ड स्टेज अर्थात् एडवांस स्टेज पर पाइरीजीना माइड आदि ये दवाइयां मरीजों को इलाहाबाद में बिलकुल नहीं मिल पाती हैं। उन्हें बाहर से लेना पड़ता है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, उसमें भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। स्ट्रप्टोमाइसीन जो क्षय रोग का रामबाण है, जो 50 पैसे में मिलती थी, आज वह 4 रु0 में मिलती है, जो क्षय रोग के मरीजों को काफी अर्से तक लगती है। सरकार इस दवा पर भी अंकुश नहीं लगा पा रही है। आई0 डी0 पी0 एल0 जो सरकार की अन्डरटेकिंग है। ये सारी दवायें इस कम्पनी से खरीदी जा सकती हैं। लेकिन निजी स्वार्थ के लिये अन्य निर्माताओं से खरीदी जाती हैं। मेडिकल कालेजों में ग्लूकोज की बोटतल और आवश्यक दवायें बनाई जा सकती हैं और उससे सरकार का काफी भला भी हो सकता है। लेकिन अधिकारियों के निजी

स्वार्थ के कारण बाहर के निर्माताओं से ये दवायें खरीदी जाती हैं।

मान्यवर, बच्चों का सर्वांगीण विकास खेल-कूद के माध्यम से ही हो सकता है। बच्चों का भौतिक विकास केवल खेल-कूद के माध्यम से ही हो सकता है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में मान्यवर, कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन खेल-कूद में प्रोत्साहन दे रही है, यह झूठा है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में इन्दिरा गांधी गोल्ड कप अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट का आयोजन उत्तर प्रदेश की तरफ से दिल्ली में आयोजित हुआ था। यह क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ ? इसका मुख्य कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल के लिए एस्ट्रोटर्फ का होना आवश्यक है। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इतने बड़े प्रदेश में एक भी एस्ट्रोटर्फ नहीं है। शासन बहुत दिनों से विचार कर रहा है। लेकिन अभी तक एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जब तक हमारे बच्चों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक हम राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में स्थान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहां टैलेंट की कमी नहीं, है, लेकिन अवसर नहीं मिलता है। हमारे प्रदेश में खेल-कूद निदेशालय में केवल 4 उप निदेशक हैं, जो विभिन्न मण्डलों में न होकर सारे लखनऊ में तैनात हैं। क्या लखनऊ में केवल खेल होने से पूरे प्रदेश के जिलों का स्तर उठ जायेगा ? प्रदेश में 13 मंडल हैं, लेकिन लखनऊ के अलावा कहीं भी किसी मंडल में उप निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है। प्रदेश के अन्दर जो दो-चार जिलों में स्पोर्ट्स हास्टल खुले हैं, वे सरकारी धर्मशाला बन गये हैं। वहां बच्चों को केवल 12 रु0 प्रति दिन मिलता है। क्या यह 12 रु0 पर्याप्त है ? इसी 12 रु0 में दो समय का भोजन, नास्ता, पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सकेगा ? आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वे प्रदेश और राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। जो देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करते हैं, उन्हें कोई सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। मंत्रियों और अफसरों को सारी सुविधायें दी जा रही हैं। मान्यवर, प्रदेश में जब खेल-कूद बढ़ेंगे, तो अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा बढ़ेगी।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जो अभिभाषण आया है उसमें शुद्ध जल के बारे में है। मेरा अनुरोध है कि लोगों को दूषित जल के स्थान पर शुद्ध जल दिया जाय, खेलकूद की ओर विशेष ध्यान दिया जाय जिससे प्रदेश का स्तर ऊंचा उठ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विरोध पक्ष के नेता द्वारा दिये गये भाषण का समर्थन करता हूं।

श्री बद्री सिंह–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं डा0 कौशल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

बद्री सिंह जी, आसन ग्रहण करें, आपका कहना है कि कोरम नहीं है।

(व्यवधान)

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर)

श्री बद्री सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय विरोधी दल के नेता ने सदन में कुछ विचार रखे। उसके सम्बन्ध में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। इसके पूर्व जो हमारे विरोधी दल के नेता ने परम्परा

हमारे सदन में डाली थी मुझे ऐसी उम्मीद थी कि हमारे सम्मानित विरोधी दल के नेता निश्चित रूप से उस परम्परा को तोड़ेंगे और स्वस्थ परम्परा को कायम करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। अभी माननीय नेता ने जो विचार प्रकट किये, मैं समझता हूं कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो हमारे देश की एकता अखण्डता को खतरा पैदा कर सकती है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम और आप मिलकर इस देश की एकता अखण्डता को कायम रखें और जन जन को उस भावना से प्रेरित करें ताकि हमारे देश की एकता अखण्डता कायम रह सके। जहां तक हमारी सरकार के कार्यों का सवाल है, हमारी सरकार ने इस प्रदेश में एक स्वस्थ प्रशासन देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इतना ही नहीं हमारी सरकार की ओर से यह निश्चित किया गया है कि जो-जो संवेदनशील विभाग हैं, जिनमें कुछ गड़बड़ियां हैं, उनके वहां सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। इसके अलावा जिलाधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि जनता की शिकायतों के निराकरण के लिए वह महीने में एक बार बैठें और जनता की शिकायतों को सुनें। इससे निश्चित रूप से हमारी जनता की जो शिकायतें हैं उनका जनता कचहरी लगायेंगे उनमें उनका निराकरण हो जायेगा। जहां तक हमारे प्रदेश की उपलब्धियों की बात है, मैं मान्यवर, अपने देश के प्रधान मंत्री राजीव जी और मुख्य मंत्री वीर बहादुर जी और इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि योजना आयोग के द्वारा जो धनराशि वर्ष 1987-88 के लिए दी गयी है, जो 2630 करोड़ रुपये की है, यह मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में, सभी प्रदेशों से अधिक है। इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के 2 वर्ष व्यतीत हो गये हैं उसमें हमारी सरकार ने अच्छा कार्य किया है। यह वर्ष 87-88 जो चल रहा है, यह हमारा तृतीय वर्ष है और इसमें कृषि क्षेत्र में लघु सीमान्त किसानों के लिए हमारी सरकार की ओर से कृषि निवेश उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

(इस समय 3 बजकर 42 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह सर्वविदित है कि 85-86 के वर्ष में हमारा जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम है उसमें हमारे उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इससे हमारे प्रदेश का गौरव बढ़ा है और अनेक प्रकार की सुविधायें प्राप्त हुई हैं जैसे सीलिंग भूमि आवंटन, पेय जल की व्यवस्था, आवास स्थलों का आवंटन, वृक्षारोपण आदि में जो वार्षिक लक्ष्य था, उसकी हमने पूर्ति कर ली है बल्कि उससे अधिक की पूर्ति कर ली है। सन् 85-86 में कृषि उत्पादन में हमने एक अलग कीर्तिमान कायम किया है इसके लिये मैं अपने किसान भाइयों को बधाई देता हूं और इसके लिए शासन का विशेष प्रयास है। इस वर्ष 85-86 में 313·38 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया है और इसके लिए कृषि विभाग की ओर से नवीन कृषि उपकरणों और प्रशिक्षण व भ्रमण कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। यह योजना इस वक्त 16 जनपदों में लागू है और 5 और जनपदों में अभी इसे लिया जाना है। भूमि कटाव, बीहड़ सुधार योजना, जल भराव में सुधार की योजनायें लागू की जा रही हैं। वर्ष 87-88 में 1·09 लाख हेक्टेयर भूमि और 6·25 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि के उपचार के लिये सरकार की ओर से लक्ष्य रखा गया

है और बीहड़ सुधार योजना के तहत बीहड़ों के सुधार की योजना बनाई गई है। वर्ष 86-87 में नवम्बर, 86 तक 3.07 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है और सन् 87-88 में 6.43 लाख परिवारों को लाभान्वित किये जाने की योजना है। इसी प्रकार स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत इस वर्ष 1986-87 में 3.05 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है और दिसम्बर, 1986 तक 2.24 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 87-88 में हमने 3.05 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जहां तक सीलिंग भूमि का सवाल है अभी तक यह एस0 डी0 एम0 को अधिकार प्राप्त था परन्तु अब यह डिप्टी कलेक्टर और अपर डिप्टी कलेक्टर को दे दिया गया है ताकि इसमें अच्छी तरह से सुधार हो सके। जहां तक उद्योगों और कृषि की उन्नति के लिये बिजली और सिंचाई की उपलब्धियों की बात है इसको आगे बढ़ाने में सरकार ने पहल की है। अधिकतर लोग शिकायत करते हैं कि नहरों की सफाई नहीं हो रही है, इसके लिए हमारी सरकार की ओर से प्रत्येक खण्ड स्तर पर समितियां गठित की जायेंगी अधिकारियों को और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसका सदस्य बनाया जायेगा ताकि वह देखें कि जो धन आवंटित किया गया है, उसका सही रूप से उपयोग हो रहा है अथवा नहीं और धन को सही रूप से उपयोग करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। वर्ष 87-88 को विकास वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। लघु उद्योगों को बढ़ाये जाने का लक्ष्य है और इस वर्ष 20 हजार औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य है। बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने और कार्यकुशलता बढ़ाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आर्थिक विकास के लिए हमारी सरकार की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार की ओर से सड़कों और पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। इस वर्ष 4500 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।

181 नये पुल बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इनको बनाये जाने की सम्भावना है। पिछड़े क्षेत्रों में काफी सम्पर्क मार्ग बनाये जाने हैं। निर्बल वर्गों के लिये सस्ता न्याय दिलाने के लिये प्रयास किया जा रहा है। पारिवारिक विवादों को समझौते के आधार पर हल करने के लिये पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गयी है। मान्यवर, हमारे जनपद जालौन में कोई भारी उद्योग नहीं है, भारी उद्योग लगाया जाना चाहिये। हमारे क्षेत्र में तीन पम्प कैनालें तथा 25 ट्यूवेल्स दिये जायें। चार तहसीलें हैं हमारे जिले में जिनमें से केवल तीन में मुन्सिफ अदालतें हैं, एक में नहीं है, इसमें कालपी में मुन्सिफ न्यायालय बनाया जाये। बम्हौरा, भदरखी, रायड़ में पुल बनाया जाये सड़कें दी जायें। कालपी जगह है मेरे क्षेत्र में जन्म हुआ जो वेदों के रचेता थे, जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई ने मंत्रणा यहां की, बीरबल का जन्म हुआ, जो अकबर के नौ रत्नों में थे, वेदव्यास का जन्म हुआ जो वेदों के रचयिता थे, हमारे इस नगर को पर्यटक केन्द्र बनाया जाये। इन समस्याओं के समाधान की आकांक्षा रखते हुए पुनः आभार प्रकट करता हूं तथा जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, परम्परागत तरीके से महामहिम राज्यपाल महोदय आये और चले गये । हमारे मा0 सदस्य डा0 कौशल जी ने भी परम्परागत तरीके से नौकरी व जाने वाले अन्दाज में धन्यवाद का प्रस्ताव पेश कर दिया । मैं मुबारकबाद देता हूं नेता विरोधी दल को जिन्होंने प्रदेश के अन्दर फैले हुए भ्रष्टाचार की गुत्थियों को सदन के सामने लाकर प्रस्तुत किया। नेता विरोधी दल की खुसकिस्मती है जो उन्हें निहायत अकलमन्द मुख्य मंत्री मिला जो बीच-बीच में टोक-टोक कर खुद उनकी बातों पर बल देता रहता है। यह ऐसे लोग हैं जिनको आइना दिखा दिया जाये तो खफा हो जाते हैं। साम्प्रदायिकता की बात कही नेता विरोधी दल ने तो तुरन्त खड़े हो गये । सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था बनारस के केस के बारे में। एक समझदार मुख्य मंत्री ने इसे नहीं माना, जो साम्प्रदायिकता को खतम करना चाहता था। यह सरकार अपने धन्धों को मजबूत करना चाहती है, साम्प्रदायिकता का कुचक्र चलाकर । एक मुख्य मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना और कन्टेम्प आफ कोर्ट की बदनामी को बर्दास्त किया, इसलिये कि वहां का नागरिक चैन का जीवन जी सके, रिक्शा चालक रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट भर सके । एक मुख्य मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नहीं माना, मौजूदा मुख्य मंत्री ने जिले की अदालत का फैसला कार्यान्वित करा दिया । मैं यह नहीं मानता कि अनभिज्ञ थे, जानते नहीं थे या मासूम थे। बात यह है कि जब फैसला हो गया तब पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिकता की लहर फैल गयी, शान्तिपूर्वक समस्या का समाधान नहीं किया। जो मामले सड़कों पर, चौपालों में हों उनको ऐसी जगह रख दिया जाये जहां आवाम में गर्मी और सर्दी की नौबत आ जाये । इस फैसले के खिलाफ सरकार को अपील करनी चाहिये थी, हारी सरकार थी। मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि जो इनका षड़यन्त्र है, जिस तरह से इस प्रदेश का प्रशासन साम्प्रदायिकता के मसलों को बढ़ावा देते हैं, उससे प्रदेश बरबाद हो जायेगा । यह प्रदेश को बरबाद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रदेश बचा रहे। जब कर्फ्यू लगता है, गरीबों के घर में रोटी नहीं पकती । कर्फ्यू में एक दोस्त दूसरे की मदद करना चाहता है तो नहीं कर सकता।

नेता विरोधी दल ने कहा फोर्सेज में शंका और सुभा पैदा हो गयी है। उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया इस बारे में । हम रैली निकालना चाहते थे, हमें 30 नवम्बर की तारीख दी थी । बाकायदा परमीशन देने के बाद विद्ड्रा कर लिया । पूरी तैयारी करने के बाद 28 तारीख के बाद हमने इसे वापस कर लिया क्योंकि हमको अवाम में दिलचस्पी है। मा0 मुख्य मंत्री जी ला एंड आर्डर की बात करते हैं। 31 जनवरी को प्रधान मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष लखनऊ में तशरीफ लाये थे, इन्होंने ला एंड आर्डर किस प्रकार सम्भाला । जब अपनी मीटिंग में नहीं सम्भाल पाये तो यह प्रदेश में ला एंड आर्डर क्या सम्भालेंगे । कहा कि कुछ बाहरी तत्व घुस आये थे। यदि इसी प्रकार बाहरी तत्व घुस आयेंगे तो हमारे प्रधान मंत्री की जान को खतरा हो जायेगा । ला एंड आर्डर की स्थिति इतनी खराब हो गयी है, ऐसी मिसाल पहले नहीं मिलती ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दावा किया गया है ला एंड आर्डर की स्थिति सुधरने का । राज्यपाल महोदय के मुंह से कहलवाना चाहते थे । शायद राज्यपाल महोदय सच्ची बात कहना चाहते थे । इसीलिये बगैर कहे चले गये।

कहा गया कि 20 सूत्री कार्यक्रम में हमारे प्रदेश ने टाप किया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बहुत ही संक्षेप में अपने जिले के बारे में कहूंगा । उत्तर प्रदेश ने टाप जरूर किया है पूरे भारत में हरिजनों को मारने में, उनकी औरतों की इज्जत लूटने में 229 मुकदमें दर्ज हुए हैं हरिजनों, सेड्यूल्ड ट्राइब औरतों की इज्जत लूटने के । दर्ज 229 हुए हैं कितने ऐसे होंगे जो दर्ज होने से रह गये होंगे । 220 कत्ल की वारदातें हैं जिनके मुकदमें दर्ज किये गये हैं। न जाने कितनी लाशें ऐसी होंगी जो घरों में जलाकर दफन कर दी गई होंगी। क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आपने हिन्दुस्तान में टाप किया है, इस बात का झूठा दावा किया जा रहा है । आप हरिजनों को कुछ नहीं दे रहे हैं बल्कि उनकी इज्जत लूट रहे हैं, उनकी आबरु को लूट रहे हैं और हरिजनों की मोहब्बत और हमदर्दी का झूठा दावा कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि 45 दंगे हुए और केन्द्र सरकार कहती है कि 3 दंगे हुए । यानी इतनी संख्या में दंगे हुए कि गिनती नहीं हो पा रही है । जब तक समाज में शोषण होता रहेगा, लोग सामाजिक न्याय से बंचित रहेगा तब तक इस तरह का रोष समाज में होता रहेगा और इस दमनकारी नीति से यह ज्वाला समाप्त नहीं हो सकती है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी जहां तक जबान का मसला है । अम्मार साहब बैठे हैं इन्होंने एक उर्दू का बिल पेश किया और शायद इसी जुर्म में निकाल दिये गये थे, बड़ी मुश्किल से वापसी हुई। उर्दू के बारे में एक शब्द भी अभिभाषण में नहीं कहा गया है । अब तो गोवा ने पहल कर दी है । वहां पर तीन राजकीय भाषा हो गई है । आपको क्या दिक्कत थी क्या परेशानी थी । आप इसी को एडाप्ट कर लेते और गोवा की मिसाल राह बना लेते आपने उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया है, अगर मुसलमानों से जोड़कर भी इंसाफ करते तब भी ठीक था । अभी हमारे बगल में बैठे दो माननीय सदस्य किसी भाषा में बात कर रहे थे मैंने पूछा आप कौन सी भाषा है उन्होंने कहा गढ़वाली है । इन जबानों का कोई मुकाम नहीं है, यह उनकी मादरी जबान है। अगर गढ़वाली को राज्य स्तर का मुकाम दे दीजिये तो शायद उत्तराखण्ड को आप अलग कर दें ताकि उनकी समस्या का समाधान हो जाय । आपने लाल बत्ती जला दी, मुझे लाल रंग से बड़ा डर लगता है, आप इसे बुझा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

दो मिनिट में आप अपनी बात समाप्त करें

श्री फजलुल बारी–

अब मैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में कहना चाहता हूं । कुछ नम्बर का मामला है प्रथम द्वितीय मैथ में हमारा राज्य बहुत तेज है । फर्जी आंकड़े जमा करके प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल कर लिया । 20 सूत्रीय कार्यक्रम में मैंने एक ही प्वाइन्ट पकड़ा बायोगैस का हमारे जिले को इसमें ए मिला है । 25 सौ बायोगैस लगे हैं। मैंने कहा माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दीजिये, एक ब्लाक में अगर 100 भी चल रही होंगी या 15 भी लगी होंगी तो मैं आपकी फीगर को सही मान लूंगा।

तो मान्यवर इसमें इन्होंने कह रखा है कि झूठे-सच्चे और मन-गढ़ंत फीगर्स लाओ तो हम एक मारूति कार तुम्हें देंगे। तो मान्यवर 60-60 और 70-70 साल बूढ़े लोगों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जा रही है और इनसे यह कहा जा रहा है कि अब तुम्हारे लिए हमारे पास खाना नहीं है अब तुम ऊपर जाओ । इसलिए मान्यवर मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार में यदि जरा सी शराफत है तो एक कमेटी बना दें जो इस बात को देखे गोन्डा जिले की जो तमाम योजनाएं हैं चाहे वह नसबंदी की हो, वायो गैस की हो, जिन्हें झूठ के बल पर ग्रेड और बी ग्रेड दिये हैं, उनकी सही तौर पर छान बीन की जाए और यदि उनमें से एक भी सही साबित हो जाए तो मैं सदन की सदस्यता को त्याग-पत्र देने को तैयार हूं । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी कार्य किए जांए वह होशमंदी के साथ किए जांए । अंत में मैं यही कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल ने जो बातें कही हैं या सुझाव दिए हैं उन पर सही-सही ढंग से अमल किया जाय तो यह प्रदेश की हालत सही हो सकती है ।

*श्री अमिताभ अनिल दूबे–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस परिचर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया, जिसे डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल द्वारा आज सदन के पटल पर धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में रखा गया है। मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। आज मैं मान्यवर काफी देर से अपने विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों की बातें सुन रहा हूं। मान्यवर, यह बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में सशक्त विरोध-पक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मान्यवर आज हम जन-प्रतिनिधियों पर प्रदेश की जनता की निगाहें लगी हुयी हैं और जिस प्रकार के आचरण और शालीनता की उम्मीद हम लोगों से की जाती है परन्तु आज उन सारी बातों को देखकर अत्यन्त दुख होता है कि जो नहीं होनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय के आगमन पर जो आचरण का प्रदर्शन होता है। यह सारी बातें संसदीय मर्यादा और परम्पराओं के विपरीत हैं, इन परम्पराओं को तोड़ने वाली व्यवस्था है। मान्यवर, इस प्रकार की बातें घोर निन्दनीय हैं (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर हम लोग नयी उम्र के नये सदस्य चुनकर आए हैं। हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि सरकार को चलाना, शासन तंत्र को चलाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। इसलिए मान्यवर मैं जो हमारे लोकतंत्र के अंदर यह विरोधी पक्ष के हमारे नेतागण हैं, इनसे कहना चाहता हूं कि प्रत्येक देश के अन्दर यह सही है कि विरोध पक्ष का सशक्त होना बहुत आवश्यक है, लेकिन वह जिम्मेदारी अपनी निभा नहीं पा रहे हैं क्योंकि जब शासन को अच्छे सुझाव नहीं दे सकते, किसी अच्छी योजना पर आप अपनी सही राय नहीं दे सकते और न ही किसी प्रकार की मदद कर सकते हैं कि इनका कार्य सुचारु रूप से चले तो मैं समझता हूं कि आपको फिर उंगली उठाने का भी हक नहीं है और मात्र आलोचनाएं करने का भी अधिकार नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) मा0 उपाध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आज हर क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य किए हैं। इसीलिए यह वर्ष आज विकास कार्यों के नाम से विकास-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ष मनाया जा रहा है। हमारी सरकार का यह विकास चाहे कृषि के क्षेत्र में हों या चाहे कर्मचारियों को ऊपर उठाने के क्षेत्र में हो या खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में हो, हर स्थान पर आगे रहा है, यही कारण है कि इस प्रदेश को आज देश के अन्दर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ-साथ अनाज और खाद्यान्न में भी रिकार्ड उत्पादन कायम किया है। वर्ष 1987-88 के लिये 2630.00 करोड़ रुपया मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रयास से वार्षिक योजना उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकृत हुई है। मैं इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि बिना शांति व्यवस्था के न देश का विकास हो सकता है और न प्रदेश का। आज आवश्यकता यह है कि जिन समस्याओं की ओर इस सदन में हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं, उन्हें गम्भीरता से लिया जाय। शुरू में उन समस्याओं को गम्भीरता से नहीं लिया जाता, जब वे समस्याएं एक कैन्सर के रूप में फैल जाती हैं तब उस ओर सबका ध्यान जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि जिन समस्याओं की ओर यहां पर ध्यान दिलाया जाय, उन पर तत्काल ध्यान दिया जाय, तो ये समस्याएं रोकी जा सकती हैं। इसके साथ ही आज लोक अदालतें, परिवार अदालतें और कानूनी सहायता देकर सुलभ न्याय की जो व्यवस्था की गयी है, उसके लिए मैं शासन को बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही इस साल हमारे किसान भाइयों के परिश्रम से अनाज का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इस साल उत्तर प्रदेश में 313.38 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इसमें किसान का श्रम तो है ही, लेकिन इसके पीछे सरकार का हाथ है जिसने किसानों को खाद, पानी और बिजली की सुविधा मुहैया कराई।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र गाजीपुर जनपद की ओर दिलाना चाहता हूं। गाजीपुर जनपद की कुछ ज्वलन्त समस्याओं की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, आज हमारा गाजीपुर क्षेत्र जो देश की आजादी के लिये कुर्बानी देने में अपना एक स्थान रखता है, उस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ काम होने की आवश्यकता है। गाजीपुर क्षेत्र पूर्वांचल का एक पिछड़ा जिला है वहां की स्थिति बड़ी ही भयावह और भयानक है। हमारे जनपद में लगभग दो-तीन महीने से अनवरत अघोषित विद्युत कटौती से पूरे गाजीपुर शहर में मात्र 4-5 घंटे ही बिजली रहती है, जिसके लिये वहां लगातार आन्दोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं। इस सन्दर्भ में मैंने भी कई बार लिखा है, मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर तत्काल ध्यान दे और गाजीपुर की विद्युत व्यवस्था में तत्काल सुधार करे। इसके साथ ही एक मुख्य समस्या इस बात की है कि जिला परिषदों और नगरपालिका के चुनाव न होने से हमारे सम्मानित सदस्यों को नाले की सफाई से लेकर कूड़ा उठाने तक का कार्य करना पड़ रहा है। अधिकारी और कर्मचारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूं कि नगरपालिकाओं के चुनाव शीघ्र होने चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस परिचर्चा में बोलने का अवसर दिया। मैं डा0 कौशल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

*श्री काशी सिंह एरी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका दिया। मान्यवर, जैसा कि आपने सुना और हमारे सभी साथियों की भावनाओं से अवगत हुए मुझे लगता है कि इस प्रदेश में सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है और जो सरकार है भी, उस सरकार की इच्छा यहां के लोगों का कल्याण करना या भला करना न होकर केवल शासन करने की है, राज करने की है। ये इसलिये शासन कर रहे हैं कि लोगों पर शासन करें, इसलिये नहीं कर रहे हैं कि लोगों का भला हो। आपने देखा होगा कि यह सदन जो लोकतंत्र का एक अंग है, जहां हम सभी सदस्य चुनकर आते हैं, इसी तरह से लोकतांत्रिक अन्य संस्थाएं हैं, वहां पिछले 12 साल से ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है और कहीं पर भी प्रजातंत्र कायम नहीं है।

केवल जो माननीय सदन बचा हुआ था, प्रजातांत्रिक तरीके के रूप में, उसकी बैठकें प्रतिवर्ष कम होती जा रही हैं, उपवेशनों की संख्या शनैः शनैः कम होती जा रही है। यह जो सत्र बुलाया गया है, इसमें इतना कम समय दिया गया है कि यहां पर हम लोग अहम मुद्दों को नहीं उठा पायेंगे। जो अनियमिततायें, घपले व जन आक्रोश व विभिन्न वर्गों में व्याप्त असन्तोष है, उसको इतने कम समय में कैसे सरकार की संज्ञान में ला पायेंगे? इस निमित्त नियमों में जो व्यवस्था है, 90 दिन के उपवेशनों की, वह सरकार पूरा कर पाने में असफल है। यह तथ्य इसका उदाहरण है कि यह सरकार तानाशाह तौरतरीकों की ओर अग्रसर हो रही है। प्रदेश में अपना प्रशासन किसी तरीके से कायम रखना चाहती है।

मान्यवर, इस प्रदेश में पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के शुरू में कई हड़तालें हुईं, प्रदर्शन हुए। पूरे प्रदेश में सम्प्रति छात्र असंतोष व्याप्त है। मान्यवर, इसके पहले पिछले वर्ष के अन्तिम माह में राज्य सरकार के कर्मचारियों आदि ने हड़ताल की जो लगभग 19 दिनों तक चली। मान्यवर, उस हड़ताल के सम्बन्ध में शासन ने जो व्यवहार अपनाया, जो समझौता किया, वह एक अपने आप में मिसाल है, सरकार के निकम्मेपन की। मान्यवर, आज छात्रों में व्याप्त असन्तोष का मसला हमारे सामने है, शामली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मसला हमारे सामने है, जन आक्रोश तथा असन्तोष के और तमाम मसले हमारे सामने हैं। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश का कोई भी तबका ऐसा नहीं है, जो सरकार की व्यवस्था से, उसकी कार्य-प्रणाली से सन्तुष्ट हो, उसको शासन व्यवस्था से लाभ पहुंच रहा हो। मान्यवर, मेरे कहने का आशय यही है कि सरकार अपने आप में पूरी तरह से असफल सिद्ध हो चुकी है। मान्यवर, यह सरकार जनता का मन बहलाने के लिये, जनता को धोखे में रखने के लिये, जैसा कि अभी हमारे कुछ साथियों ने अपने भाषण में कहा, उपलब्धियों के फर्जी आंकड़े गिना रही है। मान्यवर, यह सरकार आंकड़ों पर चल रही है, अध्यादेशों पर चल रही है। इस सरकार में सदस्यों की बात सुनने का, आम जनता की बात सुनने का साहस नहीं रह गया है। सरकार जो उपलब्धियां आंकड़ों के जरिये गिना रही है, अपने शब्दजाल से जनता को धोखा दे रही है, वास्तव में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। प्रगति शून्य है।

मान्यवर, मैं पर्वतीय क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे सत्ता

पक्ष के माननीय साथी माहरा जी कह रहे थे कि पहाड़ों में विकास के नाम पर, गांवों में बिजली के खम्भों के, तारों के, जाल बिछा दिए गए हैं । सरकार पर्वतीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में जुटी हुई है, वहां प्रगति है । मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि कितने गांव ऐसे हैं जो वास्तव में विद्युतीकृत हो पाए, वहां प्रगति का प्रकाश पहुंच गया।

मान्यवर, हमारे यहां गांवों को तोक कहते हैं । एक ग्राम सभा में 10 तोक होते हैं । बिजली विभाग का काम यह है कि एक ग्राम सभा की विद्युतीकरण की योजना ली, वहां विद्युतीकरण हुआ उसके साथ ही साथ सारे के सारे तोकों का विद्युतीकरण दिखाकर के आंकड़े पेश किए जाते हैं, जबकि वास्तव में स्थिति भिन्न होती है । मान्यवर, बिजली का सारा सामान, सीमेंट, खम्भे, तार आदि चले गए हैं, लेकिन उनको खड़ा करने के लिए पैसा नहीं है । मेरे जिले में हालत यह है कि आर0 एल0 जी0 पी0 के अन्तर्गत जो पैसा था, वह सारी की सारी स्कीम केन्द्र सरकार ने नामंजूर कर दी । एन0 आर0 ई0 पी0 का 40 प्रतिशत से ज्यादा पैसा नहीं गया है । बैठक में मैंने यह सवाल उठाया था । बिजली विभाग की हालत वहां यह है कि हुए कामों के लिए, संबंधित ठेकेदारों को भुगतान के लिए पैसा उपलब्ध नहीं है, ठेकेदार लोग भूखों मर रहे हैं ।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि निर्माण कार्यों के अन्तर्गत सी0 सी0 एल0 (कैश क्रेडिट लिमिट) पिछले 3-4 महीने से वहां नहीं दी गई है । मान्यवर, उसकी वजह से सारे निर्माण कार्य जैसे भी होते थे, ठप्प पड़े हुए हैं । मान्यवर, यह सरकार आंकड़ों के नाम पर अपना विकास दिखाती है । मान्यवर, शिक्षा की बाबत मैं कुछ कहना चाहूंगा । इक्कीसवीं सदी की बात कही जा रही है, उसके लिए अभी से तैयारी की बात कही जा रही है । मान्यवर, कान्वेन्ट एजूकेशन से पढ़ने वाले बच्चों को भले ही कम्प्यूटर से गणित की शिक्षा दी जा रही हो, लेकिन गांव के दूर-दराज की प्राइमरी पाठशालाओं में बच्चे आकाश की छत के नीचे बैठकर तारों की गिनती सीखते हैं । दूर-दराज के गांवों की पाठशालाओं में छतें नहीं हैं, चटाई नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, उनमें मानक के अनुसार अध्यापक नहीं है । मान्यवर, लोग समझते और कहते हैं कि पहाड़ों में तो बहुत विकास हो रहा है । लेकिन, मैं बताना चाहता हूं कि जब तक पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए, जो इस उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत है, जो शासन प्रणाली है, सरकारी मशीनरी है, वह अगर समय रहते बदली नहीं जायेगी, तो एक समय ऐसा आयेगा, जब लोगों में वहां के विकास को लेकर आक्रोश उत्पन्न हो, असंतोष व्याप्त हो । वह असंतोष और आक्रोश दूसरा रूप धारण करेगा । वहां की जनता अधिक दिनों तक रुकने वाली नहीं है । उनको यह मालूम होने लगा है कि पहाड़ों के नाम पर दिया गया धन किस तरह से भ्रष्टाचार में वापस जा रहा है । किस तरह से लोग पिछड़ते जा रहे हैं । इसलिए मैं मांग करता हूं कि पर्वतीय अंचल में जो विकास के कार्य हुए हैं या कराए गए हैं, उनकी जांच हेतु एक उच्च स्तरीय आयोग बनाया जाय जो इस बात को देखे कि वहां पर विकास के नाम पर कितना खर्च किया गया है और उस खर्च को करने से वहां के प्रति व्यक्ति

की कितनी आमदनी बढ़ी है । इस प्रदेश की बदइन्तजामी के कारण आज वहां पर विकास के कार्य बिल्कुल अवरुद्ध हो गए हैं । यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वहां की जनता उत्तराखंड की मांग को लेकर अलग प्रदेश की मांग को कर सकती है और यह मांग उठ भी रही है । अभी हम शान्तिपूर्वक इस सदन में कह रहे हैं और भारत सरकार से भी कह रहे हैं कि वहां के विकास कार्यों को सुनिश्चित किया जाय । यदि यह नहीं होगा तो एक दिन वहां के लोगों को भी घिशिंग की आवाज में बोलना पड़ेगा और खालिस्तान की भाषा में बोलना पड़ेगा, जिसके लिए फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे । देश की एकता और अखण्डता का जिम्मा हमारा भी है । हमने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है । इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी नौबत न आए वहां के विकास की ओर ध्यान दिया जाय और वहां पर त्वरित गति से विकास हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

चौधरी भगवती प्रसाद–

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जिस दिन इस आदरणीय सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ और विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसकी आज प्रदेश के कोने-कोने में निन्दा हो रही है । मान्यवर, मैं इस बात का हिमायती हूं कि विधायक का अच्छा आचरण और उसका अच्छा व्यवहार ही इस सम्मानित सदन का अस्तित्व होता है और जो गरिमा होती है, उसकी रक्षा करना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है । अपने उस कृत्य के लिए विरोध पक्ष के लोग न केवल जनता के सामने में गुनहगार हैं बल्कि अपने दल के सामने गुनहगार हैं, सदन के सामने गुनहगार हैं और सदन की परम्पराओं के सामने भी गुनहगार हैं । इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था । जो स्वतः निर्माता होता है, उन्हें नींव नहीं हिलानी चाहिए । राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने व सुनने से यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार प्रदेश के अवाम व उसकी बेहतरी के लिए काम करती है और कर रही है यहां तक कि गरीबी और बेगारी के जड़ पर भी करारा आघात कर रही है। ताकि इस प्रदेश से गरीबी और बेगारी दूर हो सके । यह सरकार उनके लिए भी काम कर रही है कि जो गरीब लोग आज तक कृष्ण पक्ष की जिन्दगी गुजार रहे थे, उन्हें शुक्ल पक्ष की जिन्दगी गुजारने देने के लिए स्थाई प्रयास कर रही है । इसलिए आज आई0आर0डी0 स्कीम के माध्यम से 1987-88 में 6 लाख 43 हजार गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए योजना बनाई गई है । इसके साथ ही साथ स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के माध्यम से 3 लाख 5 हजार लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की योजना बनाई गई है ताकि इस प्रदेश से गरीबी नाम की चीज का उन्मूलन हो सके । गरीबों और मजदूरों की समस्याओं का निस्तारण हो सके, इसके लिए हमारी सरकार ने इस आशय का प्रत्येक जनपद को एक आदेश दिया है कि जनता कचहरी के माध्यम से गरीबों, मजदूरों और अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याओं का मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाय और वहीं पर उनका निस्तारण किया जाय, जिसे इस प्रदेश की जनता ने सराहा है । गरीबों को न्याय सुलभ कराने के लिए और न्यायिक अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए न्यायिक अधिकारियों, विधि अधिकारियों, शासकीय अधिवक्ताओं, लोक अभियोजकों

को प्रशिक्षण देने के लिए न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान की स्थापना करके इस दिशा में एक प्रशंसनीय प्रयास किया है। इस बात के लिए भी प्रदेश की जनता इस लोकप्रिय सरकार को धन्यवाद दे रही है।

उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए जिसमें हरिजन, आदिवासी, अक्लियत और अकसरियत, जिसमें सभी लोग सम्मिलित हैं, उनको उपभोक्ता की वस्तुओं का सही तरीके से वितरण करने के लिए जगह-जगह सरकारी दुकान खोली जा रही हैं और उन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय की जो स्थापना की गई, यह इस सरकार का प्रशंसनीय कदम है।

प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि के लिए 13 नई तहसीलों का जो सृजन किया गया है, उससे भूमिहीनों को भूमि आवंटन का काम तथा भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण में बल मिलेगा। जिस प्रकार से प्रदेश के कई जिलों में मुख्य राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति करके इस कार्यक्रम में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की जा रही है तथा प्रदेश सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरों को अवमुक्त कराने का त्वरित अभियान जो चलाया जा रहा है, यह भी इस सरकार का एक प्रशंसनीय कदम है। लेकिन मिर्जापुर जनपद में अनियमितता की शिकायत है।

एक बात और कहना चाहूंगा सरकार को होने वाली आय में बिक्रीकर का प्रमुख योगदान है। इसी क्रम में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मिर्जापुर में सहायक आयुक्त, बिक्रीकर (न्यायिक) का दफ्तर, जो बहुत दिनों से प्रतीक्षित है, उसको तत्काल खुलवाया जाय ताकि मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज के प्रथम अपीलकर्ताओं को सही तरीके से न्याय सुलभ हो सके और कर दाताओं को राहत मिल सके।

सरकार खेलों के मामले में खेल निदेशालय के माध्यम से प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है। इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मिर्जापुर के अधिकारियों की लापरवाही के कारण स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका, जिसे तत्काल किया जाय।

हमारे जनपद मिर्जापुर के प्रधानों को प्रापर्टी रजिस्टर परगनाधिकारी कार्यालय से अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है, जिससे प्रधान को ग्राम समाज की जमीन और प्रापर्टी की जानकारी नहीं हो पाती, भूमि का सीमांकन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हरिजनों को और भूमिहीनों को ग्राम समाज की जमीन का आवंटन नहीं हो पा रहा है। चकबन्दी में जो चक रोड सुनिश्चित किये गये हैं उसकी सुरक्षा के लिए कृषि विभाग व रेवेन्यू विभाग द्वारा अभियान चलाया जाना चाहिये ताकि चक रोड्स का अस्तित्व बरकरार रहे।

मान्यवर, एक तरफ तो हमारी सरकार गरीबी से लड़ रही है, बेकारी से लड़ रही है, अज्ञानता से लड़ रही है, अशिक्षा से लड़ रही है और दूसरी ओर विरोधी दल के लोग आपस में लड़ रहे हैं। वैसे तो सैद्धांतिक रूप से यह पहले से विकलांग हैं, अब संगठनात्मक रूप से भी विकलांग हो गये हैं, जिनका अस्तित्व नहीं रह गया है। विरोधी दल के नेता लोकदल (अ) और लोकदल (ब) दोनों नेताओं को एक शेर समर्पित कर रहा हूं, जो उनके लिये है—

दोनों चलते-चलते थक गये मन्जिल नहीं मिली,
कदम के साथ बढ़ता जा रहा हो फासला जैसे।

इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री देव कुमार यादव–

मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का समय दिया। प्रति वर्ष एक परम्परा के तहत महामहिम राज्यपाल महोदय सदन में आते हैं और उनका भाषण तो वर्षों से इस सदन में हो नहीं पाया। इस वर्ष तो उन्होंने सारी परम्परायें तोड़कर निर्धारित समय के पहले ही यहां से चले गये। कोई उनको देख सका, कोई नहीं देख सका। आपातकाल में स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक संविधान में संशोधन किया था और उस संशोधन की तरफ मैं अपने कैबिनेट के मंत्री, श्री अम्मार रिजवी जी का और श्रीमती बख्शी जी का जो कि समाजवादी अपने को कहती हैं और जिनकी गहरी आस्था समाजवाद में है, उस संशोधन की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि उन्होंने संविधान में संशोधन करके यह घोषणा की थी कि हम केवल गणतंत्र नहीं है बल्कि समाजवादी गणतंत्र हैं और जिसकी पहली शर्त यह थी काम और काज ही मौलिक अधिकार होगा। लेकिन आज जो सदन के बाहर लोग हैं, वहां छात्र असन्तोष पनप रहा है पूरे देश और प्रदेश में। करोड़ों की तादाद में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, इसको आप लाठी और गोली से नहीं दबा सकते हैं। बहुत से लोग केवल आरक्षण के नाम पर देश में राज्य कर रहे हैं।

बहुत से लोग देश को विभाजित करने की समस्या को खड़ी कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अब वक्त आ गया है जबकि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ना होगा। सम्पूर्ण क्रान्ति के दौरान जब जनता पार्टी की सरकार आयी थी तो उसके साथ एक मैनिफेस्टो आया था कि हम आजादी भी देंगे। लोक नायक की नीतियों के तहत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तब जो भी पार्टी सत्ता में आयी तब उसके तत्कालीन प्रधान मंत्री, मा0 देसाई जी ने कह दिया कि यह तो हमारा पोलिटिकल स्टेटमेन्ट था, सरकार उस वायदे को पूरा करने के लिये तैयार नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जनता पार्टी की सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार हो, यदि आप देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर शान्ति पैदा करना चाहते हैं तो सबसे पहले भुखमरी की समस्या जो कि भयंकर रूप ले रही है, जब तक कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में न जोड़ा गया, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता न दिया गया, तो आप चाहे जितनी पी0 ए0 सी0 बढ़ा दीजिये, चाहे जितनी पुलिस विभाग को जीपें क्रय करके दे दीजिये, इस प्रदेश में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती है। इसीलिये मैं कहता हूं कि काम के अधिकार को आप मौलिक अधिकार बनाइये।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह देश किसानों का देश है, मजदूरों का देश है। लेकिन सबसे बड़ी बिड़म्बना यहां यह है कि आप बराबर नीतिगत भूलें करते जा रहे हैं। देश के अन्दर 86 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और इसी पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे देश की अर्थ व्यवस्था आधारित है। एक मामूली मोमबत्ती बनाने वाला जो है उसे आप उद्योग मानते हैं लेकिन आप कृषि को उद्योग नहीं मानते हैं। कृषि को उद्योग की मान्यता न दिये जाने से मुसलसल तरीके से नीतिगत गलत काम किये जा रहे हैं। जब तक आप कृषि को उद्योग मानकर उद्योग वाली सारी सुविधायें नहीं देते हैं, किसानों की दशा को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते हैं, इस देश से गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। देश में खुशहाली नहीं आ सकती है। जो चीज मिल मालिक बनाता है या तैयार करवाता है उसके दाम वह स्वयं तय करता है लेकिन किसान की पैदावार के दाम भी वही तय करता है।

यहां पर बबूल की लकड़ी के दाम 80 रु0 क्विन्टल से लेकर 10 रु0 प्रति क्विन्टल तक है। इस दृष्टिकोण से जो किसान गन्ना पैदा करता है उस किसान का 23 रुपया, 22 रुपया, 24 रुपया क्विंटल गन्ना बिक रहा है जिससे चीनी पैदा होती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की उपज को किस भाव में बेचा जाय इसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक किसान कौंसिल का गठन होना चाहिए जो कृषि उपजों का दाम तय करे। अगर यह केन्द्रीय सरकार नहीं करती है प्रान्तीय सरकार नहीं करती है तो यह किसानों का और खुला शोषण होगा उनके साथ अन्याय बढ़ेगा। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह कितनी बड़ी बिडम्बना है। महाराष्ट्र में श्वेत करी आन्दोलन चलाया गया बम्बई के मिल मालिकों से तंग आकर वहां के लोगों ने कपास के दामों में बढ़ोत्तरी की मांग की लेकिन उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं। उत्तर प्रदेश के अन्दर किसान बिजली की मांग कर रहे थे, सरकार ने उनके ऊपर गोली चला दी। इस तरह से किसान शहीद हो जाते हैं। हलाक् हो जाते हैं। इसके विरोध में यदि किसान अपना एक मजबूत होकर संगठन बनाता है, इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करता है तो उसको सुना जाना चाहिए, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को किसानों को पानी देने की व्यवस्था अपने हाथों में लेनी चाहिए। अभी एरी साहब उत्तराखण्ड की चर्चा कर रहे थे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज उत्तराखण्ड से भी बदतर हालत बुन्देलखण्ड की है जिसे रानी झांसी और नवाब बांदा ने आजादी की जंग में अपरिमित रूप से खून दिया था और आज जहां पर पानी नहीं है। मान्यवर, मैं बांदा जनपद से आता हूं। वहां की औरतें चिलचिलाती धूप में मीलों दूर चट्टानों से होती हुई पानी लाती हैं और यह गीत गाते हुए लाती हैं—"गगरी न फूटे बलम मर जाय, तोरा पानी छलक न जाय।" बुन्देलखण्ड में नारा लगाया जाता है कि वहां पर पेट के लिये पानी नहीं है, खेत के लिये पानी नहीं है। यह स्थिति बुन्देलखण्ड के विकास की है।

मान्यवर, अभी 14/15 फरवरी को बांदा में 28 जिलों का एक विकास मेला हुआ था। उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया कि बांदा जनपद के समुचित विकास के लिये बुन्देलखण्ड राज्य अलग से बना दिया जाय। यही मांग उत्तराखण्ड और पूर्वान्चल में भी उठ रही है। अगर समय रहते इन मांगों को नहीं देखा गया, शासन द्वारा इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये मांगें क्या रूप लेंगीं,

यह नहीं कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है। मुख्य मंत्री जी हम लोगों को तो छोड़ दीजिये, अपने दल के विधायकों को तक नहीं पहचानते हैं। इस तरह से किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। (व्यवधान) । मान्यवर, 2/3 बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया था। मैंने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था। मध्य प्रदेश से रनगंवा, गंगऊ एक बांध परियोजना चल रही है। वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम इसे हल करेंगे । लेकिन आज तक उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई । वहां के लिये एक नया डैम गंगऊ परियोजना के नाम से 1973 से सेन्ट्रल वाटर कमीशन के सामने विचाराधीन है लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार सो रही है, केन्द्रीय सरकार सो रही है। कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहां पर जमीन बंजर रह जाती है। इस कारण वहां पर महान असन्तोष पैदा हो रहा है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन समस्याओं का निदान होना चाहिये । मैं माननीय रिजवी जी का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, अभी 20 सूत्री कार्यक्रम की बात आयी । हमारे जिले में एक नया करिश्मा चालू किया है, बांदा के अधिकारियों ने एक नया करिश्मा चालू किया है। मान्यवर, इमरजेन्सी के दौरान तो कर्मचारी ही जनता को नसबन्दी कराने के लिये परेशान करते थे, परन्तु इस बार वहां के अधकारियों ने, जिलाधिकारी ने यह काम मौसा बन्दी गुण्डों के हाथ सौंप दिया है । 5 नसबंदी के केस दे दो, चाहे जितनी लूट करो कोई कार्यवाही नहीं होगी । हमारे क्षेत्र करबी में यह किया जा रहा है, जनता परेशान है। गुन्डों द्वारा नसबन्दी के केसेज दिये जा रहे हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसकी जांच करायी जाये और अधिक नसबंदी देने वाले को मारुति कार देने का जो सिस्टम रखा गया है, उसको समाप्त किया जाये । अगर आप नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा और चुनाव में इसका खामियाजा आप को ही भुगतना होगा । इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री अजीत सिंह सेठी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मुझे आशा है माननीय नेता विरोधी दल अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और इसको सर्वसम्मति से पास होने देंगे । मान्यवर, श्री राज्यपाल जी ने अपने भाषण में एकता और अखण्डता की बात कही है। देश में एकता और अखण्डता होनी चाहिए, जनता इसका एहसास भी करती है, ऐसा मैं महसूस करता हूं । कहा जाता है कि प्रभु ने धरती को बनाया है और इन्सान इसका सौन्दर्यीकरण करेगा। इन्सान इसको सुनसान कर देगा ऐसी कल्पना नहीं की जा

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

सकती है। ऐसे समय में, हमने 40 साल आजादी के गुजारे हैं। श्री गांधी जी और जिन्ना का समय हमारी आंखों के सामने आता है। उस भयानक समय में गांधी जी ने एक शब्द कहा था कि हिन्दू और मुसलमान मेरी दो आंखें हैं और उनमें से एक को भी पुरनम नहीं होने दूंगा। गांधी जी ने अपने जीवन की इस पर बाजी लगा दी। मान्यवर, अभी पंजाब में सावेरेन्टी पर भारी हमला किया गया है और उस हमले को वहां के मुख्य मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने बड़ी सूझ बूझ से रोका है उनके इस कार्य से देश में जनतंत्र का सिर ऊंचा उठा है। मान्यवर, हम हिन्दू भी हैं, सिक्ख भी हैं और मुसलमान भी हैं सब इस देश के रहने वाले हैं इन सब में हम एक मानव हैं। जिस मानव को भगवान ने इतना सुन्दर रूप दिया, जिसके अन्दर भगवान रहते हैं वही आज मानव को मार रहा है। हम खुदा की, भगवान की, गुरू की आराधना करते हैं लेकिन दूसरी तरफ उसे मार रहे हैं यह हमारे लिये बड़ी चिन्ता की बात है। राज्यपाल जी ने इस पर चिन्ता व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि जैसे पंजाब के मसले पर सब पार्टियां मिलकर एक विचारधारा से ऊपर आ रही हैं उसी तरह यहां जो बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का मसला है उसे हल करें वह केवल हुकूमत के डंडे से हल होने वाली नहीं है। सब पार्टियों को, सब धर्मों के लोगों को मिल बैठ कर इसका हल निकालना होगा तभी हम तरक्की कर सकेंगे, तभी हम सुन्दरीकरण कर सकेंगे और तभी खुशी हासिल कर सकेंगे, अगर अपनी-अपनी पार्टी और अपने-अपने धर्म की बात बोलते रहे तो उसका फल अच्छा नहीं होगा। तो मेरा यह सुझाव है इसको अवश्य कार्यान्वित किया जाय सब पार्टियों को मिल मिल कर इस काम को करना चाहिये।

इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात माननीय राज्यपाल जी ने कही है। यह जो दो साल का समय गुजरा है इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर हमने आर्थिक उन्नति की है, हमें अपने मिशन में काफी सफलता मिली है। हमारे किसानों ने धरती पर उपज बढ़ाई है और हमने पंजाब को भी बीट किया है उसमें हमारी सरकार ने किसानों को अच्छे बीज, खाद आदि देकर उसकी सहायता की है यह प्रसन्नता की बात है।

मान्यवर, इस प्रदेश के राज्य कर्मचारियों ने एक आन्दोलन खड़ा किया उसमें बड़ी होशियारी से समझबूझ से माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ा अच्छा पार्ट अदा किया और उसका समाधान किया उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और कर्मचारियों को भी जिन्होंने इसको हल किया है उनको भी मुबारकबाद देता हूं। मान्यवर, दो मिनट मैं जरूर और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, दो मिनट आप और बोल लें।

श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, एक जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे पश्चिमी भाग से सालों से एक खण्डपीठ उच्च न्यायालय की स्थापित करने की मांग आ रही है। माननीय राज्यपाल ने सस्ता न्याय सुलभ कराने की बात कही है। पश्चिमी भाग से लेकर पहाड़ों तक के लोगों को इतनी दूर जाना पड़ता है न्याय हासिल

करने के लिये तो इससे कितना सस्ता न्याय उनको मिल पाता है यह आप समझ सकते हैं। तो आज तक जिस तरीके से उसे रखा गया है जनतंत्र में उसे हल होना चाहिये । इस पर जरूर विचार किया जाय भले ही यह केन्द्र का मसला है लेकिन हमारी सरकार यह कह कर उससे छुटकारा नहीं पा सकती है इसके लिए जरूर उसे प्रयत्न करना होगा और इस मसले को परसू करके केन्द्र से बात कर इसका समाधान करना होगा । हर इन्सान इस बात को चाहता है कि पश्चिम में खंडपीठ उच्च न्यायालय की बननी चाहिये ।

मान्यवर, इसके साथ ही दूसरी बात बात इस प्रदेश का सबसे बड़ा साधन बिक्रीकर है और उसके सरलीकरण की सरकार ने जो कोशिश किया उसके लिये वह बधाई की पात्र है। इस पर कड़ी निगरानी करके सरकार ने विगत नवम्बर तक 852·96 करोड़ रुपये बिक्रीकर वसूल कराया जो बहुत बड़ी उपलब्धि है । मैं चाहता हूं कि इस सुन्दर साधन के लिये सख्ती से जितनी जल्दी हो सके सरलीकरण किया जाये ।

मान्यवर, औद्योगीकरण के प्रति मेरा विचार है कि प्रदेश के पश्चिमी भाग जहां कृषि के उत्पादन पर गर्व है वहीं औद्योगीकरण के ऊपर भी वह गर्व करता है। प्रदेश की सरकार ने कई औद्योगिक इकाइयां वहां खड़ी की हैं। मैं मेरठ में परतापुर इकाई का जिक्र करना चाहता हूं जहां करोड़ों रुपये सरकार ने लगा दिया है लेकिन निजी क्षेत्र की इस इकाई में बहुत सी यूनिटें रोगी तथा बंद पड़ी हैं। राष्ट्रीयकृत इकाइयों की जहां हम निगरानी करते हैं वहीं निजी क्षेत्र की इकाइयों को भी हमें देखना चाहिये और मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में एक कमेटी का निर्माण किया जाना चाहिए जो उनका अध्ययन करे कि वह क्यों रोगी हो गयी हैं और क्यों कार्य नहीं कर रही हैं चूंकि इससे प्रदेश का उत्थान होगा ।

मान्यवर, बिजली की समस्या के ऊपर कहना चाहता हूं कि बिजली बहुत ही आवश्यक चीज है। वर्ष 1959 से सरकार ने विद्युत निगम का निर्माण किया और निगम ने हिम्मत करके 4293·85 मेगावाट का इंस्टालेशन अप्रैल, 1986 तक किया । यह बड़ी उपलब्धि है परन्तु इस उपलब्धि से इंस्टाल्ड कैपेसिटी का 31 प्रतिशत ही उत्पादन हो रहा है। यह एक चिंतनीय बात है। इस बात को सरकार को एक हाई पावर कमेटी बनाकर अध्ययन करना चाहिए और 31 प्रतिशत से 60 प्रतिशत उत्पादन करने की योजना बनाये । इससे सारी समस्या हल हो जायेगी । चूंकि निजी इंस्टालेशन में 60 से 80 प्रतिशत प्रोडक्शन कम्पनियां प्राप्त कर रही हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः डा0 साहब द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि विरोधी दल के नेता अपने प्रस्ताव को वापस लेकर एक अच्छी परम्परा पेश करेंगे ।

*श्री बदन सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वर्ष सत्र के आरम्भ में महामहिम राज्यपाल द्वारा अभिभाषण देना एक औपचारिकता होती है और उसी प्रकार से इस वर्ष भी यह अभिभाषण माननीय सदस्यों के

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

सामने आया है। लेकिन इस अभिभाषण में मानव जीवन से सबसे अधिक सम्बन्ध रखने वाले मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। मानव जीवन से सबसे अधिक संबंध जल से है लेकिन हमारी सरकार की आज तक कोई भी जल नीति नहीं है और प्रदेश के जल को बराबर यह सरकार खारा होते हुए देखते चली आ रही है। प्रदेश के 57 जिलों में से प्रायः 18 जिलों में पूर्णरूपेण और आंशिक रूप से पानी खारा होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन उस खारे पानी की किस तरह से रोक की जा सके इसके लिये सरकार ने कभी विचार नहीं किया। प्रदेश की नदियों के दबाव में, कल-कारखानों के पास में और ग्रामों में जहां पर कूड़े-करकट के ढेर होते हैं इन सबसे पानी दूषित होता चला जा रहा है और ईश्वर ने सबसे अधिक जल की देन दिया है। यदि पूरे विश्व के पहाड़ों, नदियों, नाले और ऊंची नीची जगहें सब एक सी कर दी जायं तो 500 मीटर संसार से ऊपर हो जायेगा, लेकिन इतने बड़े संसार में दिये हुए जल को खारा होते हुए बराबर शासन देख रहा है और उसकी कोई रोकथाम नहीं कर रहा है।

इसके कारण खेती के लिये लगाये गये जो राजकीय नलकूप हैं वह बराबर असफल होते जा रहे हैं। पानी में लवण का तत्व जो है वह राजकीय नलकूपों में लगे हुए पाइपों में छेद कर देता है और उसको काट देता है और राजकीय नलकूप 2–4 साल चलकर खत्म हो जाते हैं और किसान को खेती के लिये पानी नहीं दे पाता है। हमारी सरकार की इस विषय में कोई स्पष्ट नीति नहीं आयी है कि वह इन राजकीय नलकूपों को नष्ट होने से किस तरह से रोकेगी। उसमें पी0 वी0 सी0 पाइप लगाये जायेंगे या लोहे के पाइप लगाये जायेंगे जिससे वह पानी से बराबर कटते रहें। मैं अपने क्षेत्र फतेहपुर सीकरी का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर जितने राजकीय नलकूप लगाये गये हैं उनमें से खारे पानी के कारण 50 प्रतिशत नलकूप खत्म हो गये हैं। 25 प्रतिशत नलकूप ऐसे हैं जो शीघ्र ही खारे पानी के कारण खत्म होने वाले हैं। लेकिन इस ओर सरकार आंख मींच कर बैठी है और कोई प्रयत्न नहीं कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय वह आयेगा जब सारे प्रदेश का पानी खारा हो जायगा और पीने के लिये तथा खेती के लिये पानी नहीं मिलेगा यह चिन्ता मैं सदन के सामने प्रकट करता हूं। इसी के साथ-साथ राजकीय नलकूपों के लिये सरकार ने 57 हजार घंटे और 17 वर्ष का उनका जीवनकाल निर्धारित किया है। यह अंधी सरकार यह नहीं सोचती है कि जहां पर पानी खारा है वहां पर राजकीय नलकूप इतने समय तक नहीं चल सकते। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर पानी खारा है वहां पर नलकूपों के लिये निर्धारित समय को कम किया जाय। वहां पर नलकूपों का जीवनकाल 5 वर्ष और 57 हजार घंटे की जगह 20 हजार घंटे रखना चाहिये।

इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर नसबंदी की बहुत चर्चा की गयी है। इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में अब नसबंदी की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है क्योंकि कोई भी काम जिससे उसकी मंशा पूरी न हो सके उसको बन्द कर देना चाहिये। परिवार नियोजन राष्ट्रीय

कार्यक्रम है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है लेकिन आज विधुरों या विधवाओं की नसबंदी की जा रही है या ऐसे व्यक्तियों की नसबंदी की जा रही है जो आबादी के ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं डालते हैं। भूमि आवंटन तथा अनेक प्रकार के मामलों में नसबंदी कराने का लालच दिया जा रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1971 में आगरा जनपद के सांधन गांव में 78 पट्टे किये गये थे। लेकिन अब नसबंदी का लालच देकर 78 पट्टों में से 13 पट्टों को वहां के एस0 डी0 एम0 ने उन लोगों को दिया जो नसबंदी कराने के लिए तैयार हैं। बड़े दुख की बात है कि इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार के सामने झूठे आंकड़े आ रहे हैं कि 91 प्रतिशत सफलता प्राप्त हो गयी है। यदि जांच करायी जाय तो पता चलेगा कि फर्जी नसबंदी हो गयी है और आबादी पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस अभिभाषण में जो बसों के सुधारने के बारे में बातें कही गयीं हैं वे नितान्त झूठी हैं। यदि आपको मौका मिले, आप जब तक उपाध्यक्ष हैं तब तक ऐसा मौका नहीं मिलेगा लेकिन मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं जिनको बसों में बैठने का अनुभव है, यदि बसों में बैठें तो न तो कपड़े और न शरीर ही साबुत आ सकता है। बसों में निकले टीन के टुकड़ों से कपड़े और शरीर दोनों नुचकर ही बाहर निकलते हैं। इसलिए एक ओर जहां पर बसों को अच्छा बनाने की बात की जाती है और उसके सहारे से बसों का किराया बढ़ाया जाता है, वहां पर बसों को सुधारने की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह सरकार आज सरकार नहीं रह गयी है और यह एक कागजी तस्वीर बन गयी है। जब यह सरकार कोई काम नहीं कर रही है, तो यह शासन किस प्रकार से चल रहा है? यह केवल करतार के द्वारा शासन चल रहा है। इसी तरह से सड़कों के विकास के सम्बन्ध में जो व्यय हो रहा है, उसके बारे में कहना चाहता हूं।

मान्यवर, 73 प्रतिशत धन माननीय सदन के द्वारा इन सड़कों के विकास के लिए स्वीकृत किया जाता है। लेकिन जितनी सड़कों पर मिट्टी या गिट्टी पड़नी चाहिए, वह नहीं पड़ती है। जितना सड़कों पर डामर पड़ना चाहिए वह नहीं पड़ता है। यह सारा का सारा पैसा अधिकारियों की जेब में चला जाता है और पूरा व्यय फर्जी दिखा दिया जाता है। इस फर्जी खर्च के जिम्मेदार सामने बैठे हुए मंत्री लोग जिम्मेदार हैं। अधिकारियों का कहना है कि समय पर यह आवंटित किया हुआ धन उनको दिया नहीं जाता है और केवल जनवरी, फरवरी तथा मार्च के इन तीन महीनों में दिया जाता है और वह उनकी जेब में चला जाता है तथा उसे समायोजित दिखा दिया जाता है। यदि समय से बजट पास होते ही वह पैसा अधिकारियों को और विभागों को दे दिया जाय, तो सही रूप में उस पैसे का उपयोग हो सकता है और उसे जनप्रतिनिधि भी देख सकते हैं और उच्च अधिकारी भी देख सकते हैं। लेकिन इसको न जनप्रतिनिधि देख सकता है और न उच्च अधिकारी ही देख पाता है। इसी तरह से पर्यटन विभाग को ले लीजिए। जो पैसा पर्यटन विभाग पर खर्च किया जा रहा है, उससे कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। मान्यवर, पर्यटन एक उद्योग है। उस उद्योग के द्वारा प्रदेश की बहुत आमदनी हो सकती है। लेकिन मैं

पूछना चाहता हूं, हमारे सामने अम्मार रिजवी साहब बैठे हुए हैं। आगरा में जितने पर्यटक आते हैं, वे फतेहपुर सीकरी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर ठहरने का स्थान नहीं है, इसलिए वे जाकर दिल्ली में ठहरते हैं, जहां पर उनका अत्यधिक पैसा व्यय हो जाता है।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवा)—

माननीय बदन सिंह से निवेदन है कि आगरा में बहुत अच्छे-अच्छे होटल हैं, जैसे मौर्या का होटल, मुगल होटल, क्लार्क्स होटल, सिराज होटल आदि। आगरा में भारत सरकार की तरफ से रात में आपने देखा होगा कि फोर्ट के ऊपर रोशनी कर दी गयी है। इसके अलावा पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाएं कर दी गयी हैं, परन्तु ज्यादातर पर्यटक रेड फोर्ट और फतेहपुर सीकरी हो करके दिल्ली वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास रुकने का समय नहीं रहता है। परन्तु जो लोग वहां पर रुकना चाहते हैं, उनके लिए वहां पर रुकने की सुविधायें उपलब्ध हैं। वहां पर टूरिस्ट्स को रुकने के लिए पूरी सुविधायें हैं। अगर एक साथ दो-ढाई हजार पर्यटक भी वहां आवें, तो उनके ठहरने की सुविधा वहां पर है। यदि माननीय सदस्य किसी प्रकार की अन्य सुविधा के लिए सुझाव देना चाहें, तो वह सुझाव दे सकते हैं।

श्री बदन सिंह—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि जो पर्यटन स्थल कीठम झील है, इस कीठम झील से जल-कुम्भी निकालने में 20–22 लाख रु0 प्रति वर्ष खर्च होते हैं।

लेकिन उस झील के पानी को जल-कुम्भी से मुक्त नहीं कर सके और अब धीरे-धीरे उस जल कुम्भी के ऊपर इतनी बड़ी धनराशि से उसको कम करने का कुछ कार्य शुरू हुआ है। वह जल-कुम्भी बढ़ते-बढ़ते वन कुम्भी हो गयी है और सरपतों आदि से पूरी कीठम झील अच्छादित होती चली जा रही है। आपके सरकार की क्या देन है, मुगल काल का ताजमहल है जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। आपने केवल राजा मण्डी में एक हास्टल बनवाया है वहां पर पर्यटकों को ठहरने के लिए, जो बरसात के अलावा अगर नल का पानी भी चलता है तो चू जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार इतनी निकम्मी है कि दूसरे के किये गये कार्यों का श्रेय अपने ऊपर लेना चाहती है। अगर आप पर्यटक स्थान बनाना चाहते हैं तो कीठम झील को बनवा दीजिए। वहां नौका बिहार पहले होती थी वहां पर पर्यटक लोग जाते थे और नौका बिहार करते थे। मैं मांग करूंगा माननीय अम्मार रिजवी से कि इस पर्यटक स्थान को आप आकर्षक बनाइये और तब फिर इस माननीय सदन के सामने मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, आप मुझे अभी समय दे दीजिए या फिर कल भी मौका दीजिएगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय पूरा हो गया। केवल 10 ही मिनट का समय बोलने के लिए है, आप एक मिनट और बोल लें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य–

मान्यवर, बार-बार लाल बत्ती जल रही है और ये बोले जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

इससे आपका कोई वास्ता नहीं है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, यह सरकार अभाव ग्रस्त गांवों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं कर सकी है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी पेयजल की ग्राम समूह योजना बनायी है वह पूर्ण रूप से अधूरी है । जितने पाइप यह जमीनों के अन्दर दिखाये गये हैं, उतने पाइप नहीं बिछाये गये हैं ।

यह पाइप या तो किसी गांव के कोने में पहुंच गये हैं या तो बड़े आदमियों, प्रधान या प्रभावशील व्यक्तियों के यहां तक वह पाइप बिछाये गये हैं । इन्होंने 10-10 हजार की आबादी वाले गांवों में केवल गांवों के सिरों पर 2 नल लगवा कर उस काम की इतिश्री समझ ली है। मैं दावा करता हूं कि इन्होंने जितने हैण्ड पम्प लगवाये हैं, यह हैंड पम्प योजना तो इतनी गलत योजना है कि इसके रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है और 80-90 प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी के यहां चाहे जितनी बोरिंग की जाय, पानी निकलता ही नहीं है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं अम्मार रिजवी जी के कथन को चुनौती देता हूं। मान्यवर, फतेहपुर सीकरी में 1978-79 में जनता सरकार में राजकीय नलकूप लगाये गये थे जो बिना मोटर, बिना किसी यंत्र के पानी देते हैं । पानी हमारे क्षेत्र में है लेकिन यह निकम्मी सरकार जो पम्प लगे हुए हैं, उनकी असफलता को रोक नहीं पा रही है और वह बराबर खराब होते जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अब समाप्त करें ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, यह हमारे क्षेत्र में बोरिंग करने की हिम्मत ही नहीं करते हैं, कुछ दूसरे क्षेत्र हैं जहां पर यह बोरिंग करने की हिम्मत करते हैं । मान्यवर, तो मैं यह कह रहा था कि पेयजल की यह व्यवस्था नहीं कर सके हैं और विशेष रूप से जितने भी पाइप डाले गये हैं, वह सारी आबादियों में नहीं डाले गये हैं। वहां पेयजल टंकियों को बिजली नहीं दी जाती है । फतेहपुर सीकरी में 28 गांव ऐसे हैं जिनमें ये आज तक नहर नहीं बनवा सके और न ही पानी की कोई व्यवस्था करवा सके । मैं सामने बैठे सरकार से मांग करता हूं कि इन्होंने खेत-खेत में, क्यारी-क्यारी में पानी पहुंचाने का वायदा किया था लेकिन फतेहपुर सीकरी में सांवरा, रसूलपुर, दौलताबाग आदि ऐसे स्थान हैं जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । अगर ये वहां पर पलेवा चैनल निकलवा दें तो वर्षा से और अन्य खारे पानी से खेती को बढ़ा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे यही मांग करूंगा कि या तो मेरा भाषण जारी रहने दें या मुझे कल फिर समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

समय ज्यादा हो गया है । समय पूरा न हुआ होता तो मैं कटौत्यू कर देता ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने सदन का बहिष्कार इसीलिये किया है कि सदन पूरे समय नहीं चलता है और अब

जब सदन चल रहा है तो आप समय नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

10 मिनट पूरे न हुए होते तो मैं समय दे देता लेकिन अब तो 15 मिनट हो गये हैं । अगर मैं इन्हें समय दूंगा तो अन्य सदस्यों को आपत्ति नहीं होगी?

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, कल जारी रहने दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

क्या मैं सबको 15 मिनट दूं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, अगर व्यवस्था हो जाय तो मैं दे दूंगा ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी के यहां बोरिंग शुरू हुई है शायद पानी निकल जाय इसलिए इनको थोड़ा समय दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, आप दो मिनट और बोल लीजिये ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं पेयजल के बारे में बात कर रहा था । पेयजल के अन्दर 16 गुना क्लोराइड तत्व होने के कारण वहां के लोग 40 वर्ष से ऊपर होने के बाद बूढ़े लगने लगते हैं और उनकी कमर झुक जाती है । वहां के लोग मानव होने के बावजूद मानव का जीवन व्यतीत नहीं करते हैं और वह बहुत ही दुर्बल हो जाते हैं और उम्र के पहले ही उनका बुढ़ापा आ जाता है और वह बहुत जल्दी ही अपनी जीवन-यात्रा को समाप्त कर देते हैं इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां पर जो गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए । मान्यवर, एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

मान्यवर, मा0 राज्यपाल के अभिभाषण में वनों के संरक्षण की बात कही गई है लेकिन वनों के संरक्षण कार्य के लिए जो विभाग है और जो अधिकारी हैं, उसी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी बराबर वनों को कटवाते चले जा रहे हैं । हमारे प्रदेश में 33 प्रतिशत वन होने चाहिए जब कि यहां पर एक प्रतिशत भी वन नहीं हैं और वनों की लकड़ी, आगरा में हम देखते हैं कि वहां पर केवल कांटेदार वृक्ष ही नहीं काटे जा रहे हैं बल्कि हरे वृक्ष काटे जा रहे हैं और अधिकतर उनको वन विभाग ही कटवा रहा है इसलिए इस ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जितने भी जिलों की योजनायें चल रही हैं या बन रही हैं, उन योजनाओं को ठीक प्रकार से चलाया जाय, यह मैं सुझाव देना चाहता हूं ।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन से अगर राय ले ली जाये तो यह पता चल सकता है कि किन जगहों पर पानी कम है, किन जगहों पर अधिक। कहां खारी पानी है और कहां मीठा । उनके परामर्श के आधार पर ही बोरिंग कराई जाये तो निश्चित ही राजकीय नलकूपों का जीवन बढ़ सकता है। मैं इस सदन के माध्यम से चिन्ता प्रकट करना चाहता हूं कि प्रदेश के अनेकों जिलों में पानी का स्तर नीचे गिरता चला जाता है। इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। जहां पर 10–12 फिट के नीचे पानी निकल आता था वहां अब 60–70 फिट नीचे पानी निकलता है। फतेहपुर सीकरी के

अन्दर 21 वीं सदी की ओर जाने वाले समय में भी ऐसे गांव हैं जहां तीन किलोमीटर की दूरी से पानी आता है। वहां एक भी तालाब ऐसा नहीं है जहां से पानी पीने के लिये पशुओं को मिल सके। वहां के पशु दूसरी जगहों पर बिकने के लिये जा रहे हैं। वहां का किसान यदि यही दशा रही तो पशु विहीन हो जायेगा। न ही बैल रहेंगे और न ही भैंसें रहेंगी। फतेहपुर सीकरी के अन्दर जो तालाब हैं यदि वह नहर के पास हों तो उन्हें नहरों से भरा दिया जाये, यदि वह राजकीय नलकूपों के पास हों तो राजकीय नलकूपों से, यदि व्यक्तिगत नलकूपों के पास हों तो व्यक्तिगत नलकूपों से भरा दिया जाये। इन तालाबों को भरवा देना चाहिये नहीं तो पशुजीवन ही नहीं रह जायेगा। इसके साथ ही साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि इनकी शिक्षा नीति सही नीति नहीं है। 40 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां पर छतें नहीं हैं, टाट-पट्टी नहीं हैं। इस सरकार का दावा है कि शिक्षा में नई नीति लायेंगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अस्पतालों में दाखिल होने के लिये उनकी जांच करने के लिये फीस बढ़ा दी है...

श्री उपाध्यक्ष–

बदन सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री बदन सिंह–

उत्तर प्रदेश में जहां शिशुओं की मृत्यु दर सबसे अधिक है, यह उसे नहीं रोक पाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त कीजिये।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो मेरे सामने रिजवी साहब ने चुनौती रखी है, उसका उत्तर मैंने दिया। मैंने जो मांग रखी है उस पर वह जरूर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त कीजिये।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 6 मार्च, 1987 की बैठक में सदन के दिनांक 7 मार्च, 1987 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिश की है :–

1–नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें, और

2–निम्नलिखित कार्य क्रमानुसार लिये जायें–

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण–45 मिनट

(2) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण–45 मिनट

(3) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (तीसरा दिन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी, सहमत हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज सदन में दी गयी, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
6 मार्च, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 65 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
गाजीपुर ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गाजीपुर द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण सम्बन्धित समस्त शासनादेशों की घोर उपेक्षा कर माह अक्टूबर 20, 1986 को दो अध्याप्ति अमीनों की नियुक्ति की गई है। जिसके विरुद्ध निम्न आपत्ति है :—

1—यह कि अध्याप्ति कार्यालय में वर्तमान समय में 7 बाबू वर्ग के पद हैं जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारी शून्य हैं।

2—यह कि अध्याप्ति कार्यालय, गाजीपुर में वर्तमान समय में 12 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पद हैं। जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारी शून्य हैं।

3—यह कि अध्याप्ति कार्यालय, गाजीपुर में वर्तमान समय में 9 अमीन पद हैं जिसमें एक अनुसूचित जाति के अमीन कर्मचारी हैं जब कि आरक्षण के आधार पर कम से कम दो अमीन कर्मचारी होना चाहिए।

4—यह कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का है और इण्टरमीडिएट परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास है।

5—यह कि श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं श्री विजय प्रताप अमीनों का स्थानान्तरण अन्य जनपद में होने के फलस्वरूप रिक्त स्थान पर अपनी नियुक्ति अमीन पद के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 26-9-86 जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत किया और निर्देश हुआ कि एस0 एल0 ए0 ओ0 प्लीज कन्सीडर रिस्पेक्टवली। इसको कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को दिनांक 29-9-86 को प्राप्त करा दिया गया ।

6—यह कि कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गाजीपुर के पत्र संख्या 488/अ0 वि0 भू0 अ0 दिनांक 7-10-86 द्वारा प्रार्थी को सूचना प्राप्त हुई कि राजस्व परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा अमीन/चेनमैन के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है । इस प्रकार से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियुक्ति का रोक हटाने तक विचार के लिये बदस्तूर रखा गया।

7—यह कि राजस्व परिषद्, उ0 प्रदेश अनुभाग-10, लखनऊ के पत्र संख्या 8812/10 भू0 अ0 15(ए)/86 दिनांक 4 सितम्बर, 1986

द्वारा नियुक्ति पर रोक हटा ली गयी है। केवल अनुसूचित जाति को कोटा हड़पने के गरज से झूठी सूचना प्रार्थी को दी गयी और प्रार्थी को बिना साक्षात्कार किये ही चुपे-चुपे अनियमित एवं मनमानी तौर पर गैर अनुसूचित के अभ्यर्थियों की नियुक्ति माह अक्टूबर 20, 1986 को कर ली गयी है।

8—यह कि दो अमीन पदों के रिक्तियों में जो नियुक्ति की गयी है आरक्षण सम्बन्धित शासनादेशानुसार एक पद अनुसूचित के अभ्यर्थी की नियुक्ति होनी चाहिये जिसके लिये प्रार्थी नियुक्ति के पूर्व प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

9—यह कि शासनादेश संख्या 100 एस0 पी0/2-बी-316-1964 के अनुसार क्रमावली का पालन नहीं किया गया है।

10—यह कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी नियुक्ति के समय उपलब्ध होने के बावजूद भी आरक्षण के आधार पर प्रार्थी की नियुक्ति नहीं कर आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों के परिपालन में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उदासीनता दिखलाई गयी है। जो शासनादेश संख्या 15/82/75-ए0 एकी0 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ दिनांक 25 मार्च, 1976 नियुक्ति प्राधिकारी पर लागू होता है।

अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि आदेश माह अक्टूबर 20, 1986 द्वारा व्याप्ति अमीनों की नियुक्ति निरस्त कर आरक्षण के आधार पर अमीन पद पर प्रार्थी की नियुक्ति कर सेवा करने का शुभ अवसर देने की कृपा करें।

प्रार्थी,

राम दरस राम,
राम दरस राम
पुत्र दीपा राम,
ग्राम कामपुर, पो0 फेफना,
जिला बलिया।

प्रतिलिपि निम्न की सेवा में जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—मुख्य राजस्व अधिकारी, गाजीपुर।

2—उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद्, अनुभाग-10, उ0 प्र0 लखनऊ।

3—आयुक्त एवं सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

4—मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 सरकार, लखनऊ।

5—आयुक्त एवं सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग, उ0 प्र0 सरकार, लखनऊ ।

6—आयुक्त, मण्डल वाराणसी, जनपद वाराणसी ।

7—श्री शारदा नन्द अंचल, विधायक, क्षेत्र सियर, जनपद बलिया की सेवा में विधान सभा में प्रश्नोत्तर हेतु प्रेषित ।

8—श्री गौरी भइया, विधायक, क्षेत्र कोपाचीद, जनपद बलिया की सेवा में विधान सभा में प्रश्नोत्तर हेतु प्रेषित ।

9—श्री शिव मंगल सिंह, विधायक, क्षेत्र सिकन्दरपुर, बलिया ।

ह0 रामदरस राम
पुत्र दीपाराम
ग्राम कामपुर
पो0 फेफना
जिला बलिया
25-10-86

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 325 विधान सभा—(656)—1987—813 ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा